खण्ड-453, अंक-1
गुरुवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(3 मार्च, 2005 ई0)

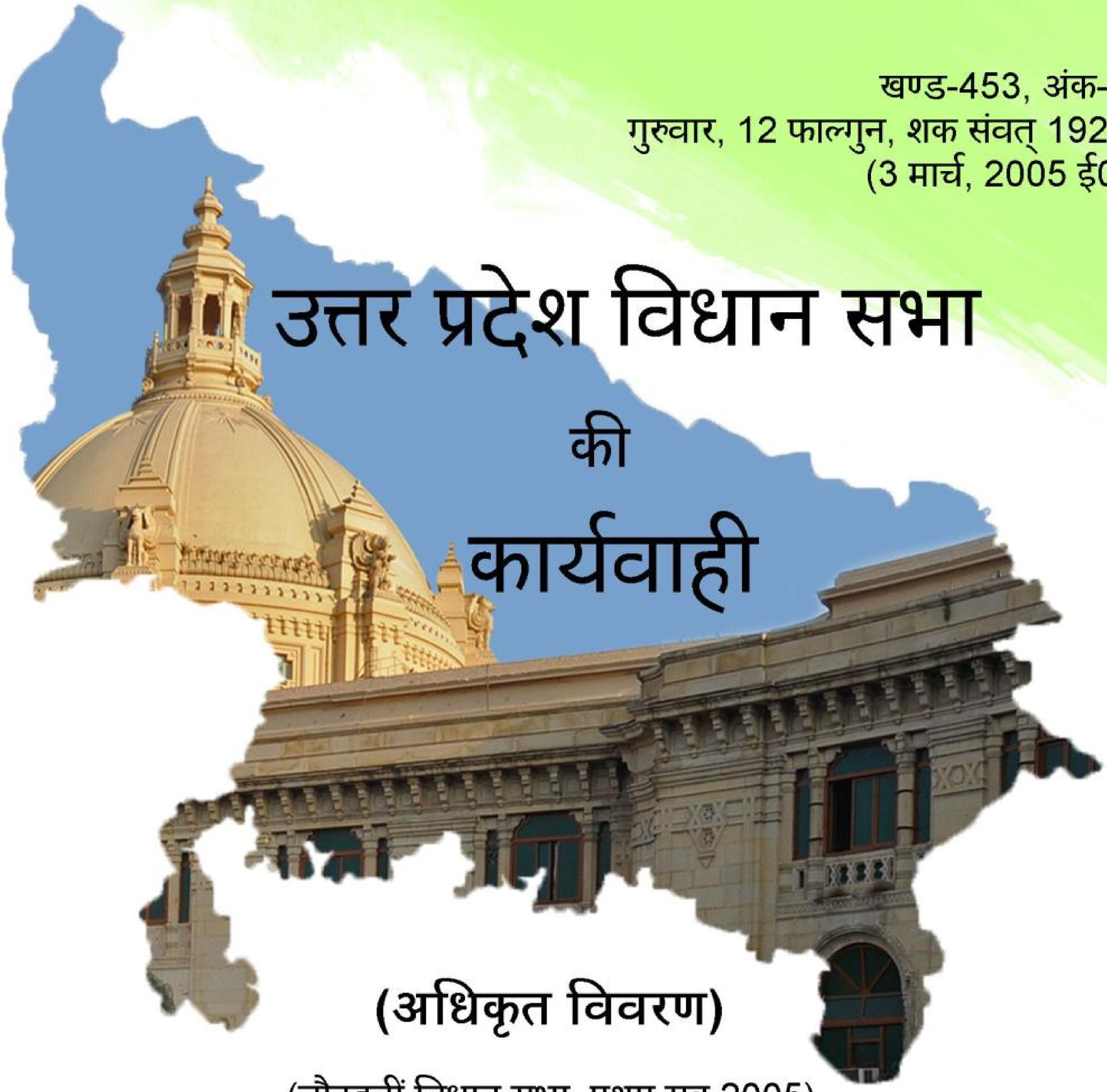

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क--ड
उपस्थित सदस्य	1--8
प्रदेश में खाद्यान्न घोटाले से संबंधित नियम 3'1 की सूचना को लिये जाने की मांग ...	9
प्रश्नोत्तर ...	9--81
आज की कार्य-सूची में तारांकित प्रश्न सं0 4 को 9वें शुक्रवार में स्थानांतरित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ...	81--82
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न सं0131 के उत्तर में विरोधाभास पर व्यवस्था का प्रश्न ...	82--83
विधान सभा के पूर्व सदस्यगण सर्वश्री सोहन लाल धुसिया, सुशील कुमार विद्यार्थी, फजलुल हक, पातीराम अहिरवार, चिरंजी लाल पालीवाल तथा राम प्रसाद नौटियाल के निधन पर शोकोद्गार ...	83--85
नियम-301 तथा नियम-51 की सूचना अस्वीकार किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	86
विधान सभा सदस्यों के निधन के निर्देश की सूचना सदन में विलम्ब से दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ...	86
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	86--87
जनपद सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में पानी की टंकियाँ बनवाने की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी पानी की सप्लाई न होने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज क्षेत्रान्तर्गत काटू नाले में पुल एवं बंधा बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
कानपुर में पेयजल समस्या के निदान हेतु गंगा बैराज में पानी दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88--89
जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
जनपद मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों के उद्घाटन में क्षेत्रीय विधायक को महत्व न दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
बांदा नगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु नालों की सिल्ट सफाई करवाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा परगना तम्बौर में कतिपय गांवों की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	90

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज के घाघरा मुख्य नहर पर ग्राम गोडिहा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
जनपद हरदोई के विलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गरा नदी के किनारे बसे गांवों को बाढ़ के कटान से बचाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
जनपद फैजाबाद के किसानों को सूखे से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
झांसी एवं ललितपुर में ओले से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत फूलपुर निजामाबाद मार्ग को चौड़ा कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
जनपद चित्रकूट के ग्राम दादरी में सिंचाई हेतु निर्मित माड़ो बांध में जल रिसाव रोकने हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	92--93
जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम खसा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नदी पर बनाये जा रहे अधूरे पुल को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
जनपद बलिया के मनियर थाने में अपराधों की रोकथाम हेतु पी0ए0सी0 की एक टुकड़ी लगाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ... (जारी)	93
इण्टरमीडिएट परीक्षा-2005 में छात्र-छात्राओं को अमान्य विषय वर्ग में डाल कर परीक्षा से वंचित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	94
विद्युत निगमों में राजनीतिक व्यक्तियों के हस्तक्षेप संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर औचित्य का प्रश्न ...	94--97
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	97--98
विधान सभा सदस्यों से प्राप्त सड़कों की विशेष मरम्मत प्रस्तावों पर धन के आवंटन में शासन द्वारा भेदभाव की नीति अपनाये जाने पर औचित्य का प्रश्न ...	98-99
आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों में जिला योजना परिव्यय को सम्मिलित न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न ...	100--101
विधायकों द्वारा पाँच-पाँच गांवों के विद्युतीकरण के प्रस्तावों को कार्यान्वित न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न ...	102--103
उत्तर प्रदेश में वैट लागू करने के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री की घोषणा में विरोधाभास होने के सबंध में औचित्य का प्रश्न ...	104--106

विषय		पृष्ठ-संख्या
नियम-311 को नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	106--116
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	...	117--137
बजट चर्चा में समयाभाव के कारण न बोल पाने वाले सदस्यों के लिखित भाषण कार्यवाही का अंश माने जाने का अनुरोध	...	138--139
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	...	139--152
प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति पर नेता विरोधी दल, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री सुखदेव राजभर, श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2005 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा	...	152--153
विद्युत निगमों में राजनीतिक व्यक्तियों के हस्तक्षेप संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना के परिपेक्ष्य में जानकारी	...	153
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	153--156
कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी में गंगा के पानी के प्रदूषण को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2005 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-2 (नत्थी 'क') के संबंध में नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन		
तथा		
गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाये जाने विषयक डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2005 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-1 (नत्थी 'क') के संबंध में नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	...	156
नत्थियाँ	...	157--200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1—अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2—अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3—अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4—अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5—अजय कुमार, डा0 — बागपत
6—अजय राय, श्री — वाराणसी
7—अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
8—अताउल रहमान, श्री — बरेली
9—अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
10—अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
11—अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12—अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
13—अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14—अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
15—अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
16—अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
17—अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
18—अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
19—अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
20—अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
21—अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
22—अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
23—अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
24—अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
25—अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
26—अमरमणि, श्री — महराजगंज
27—अमर सिंह यादव, पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
28—अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
29—अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
30—अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
31—अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
32—अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
33—अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
34—अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
35—अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
36—अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
37—अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
38—अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
39—अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
40—अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
41—अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
42—अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
43—आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
44—आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
45—आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
46—आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
47—आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट

48—आलम बदी, श्री आजमगढ़
49—आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
50—आशा किशोर, श्रीमती रायबरेली
51—आशीष यादव, श्री बदायूं
52—आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
53—इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
54—इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55—इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
56—इलम सिंह, श्री सहारनपुर
57—उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
58—उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
59—उदयराज यादव, श्री उन्नाव
60—उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
61—उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
62—ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
63—ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
64—ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
65—ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
66—ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
67—ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
68—ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
69—ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
70—कपिल देव यादव, श्री मऊ
71—कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
72—कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
73—कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
74—कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
75—काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब गाजीपुर
76—कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
77—कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
78—काशीराम, श्री रामपुर
79—किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
80—किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
81—किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
82—कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
83—कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
84—कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
85—कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
86—कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
87—केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
88—कैलाश, श्री गाजीपुर
89—कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
90—कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
91—कौकब हमीद खां, श्री बागपत
92—कौशल किशोर, श्री खीरी
93—कौशल किशोर, श्री लखनऊ
94—गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
95—गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
96—गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
97—गया चरन दिनकर, श्री बांदा
98—गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
99—गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

100—घूरा राम, श्री बलिया
101—चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
102—चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
103—चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
104—चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
105—चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
106—छेदी राम, श्री गाजीपुर
107—छोटे लाल यादव, श्री बारावंकी
108—छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
109—जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
110—जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
111—जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
112—जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
113—जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
114—जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
115—जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
116—जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
117—जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
118—जमालुद्दीन सिद्दकी, श्री फर्रुखाबाद
119—जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
120—जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
121—जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
122—जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
123—जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
124—जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
125—जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
126—ज्ञानेन्द सिंह, श्री महराजगंज
127—डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
128—तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
129—दयाराम, श्री कौशाम्बी
130—दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
131—दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
132—दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
133—दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
134—दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
135—दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
136—दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
137—देवकी नन्दन, श्री हाथरस
138—देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
139—देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबाफूले नगर
140—देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
141—देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
142—द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
143—धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
144—धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
145—धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
146—धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
147—धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
148—धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
149—धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
150—नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
151—नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

152—नरेन्द्र कुमार, श्री गौतम बुद्ध नगर
153—नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
154—नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
155—नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
156—नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
157—नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
158—नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
159—नारद राय, श्री बलिया
160—परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
161—परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
162—पी0के0 राय, डा0 कुशीनगर
163—पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
164—पीतम राम, श्री पीलीभीत
165—पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
166—पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
167—प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
168—प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
169—प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
170—प्रभु दयाल, श्री मेरठ
171—प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
172—प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
173—प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
174—प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
175—प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
176—प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
177—प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
178—प्रेम सिंह, श्री मथुरा
179—फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
180—फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) देवरिया
181—फागू, श्री मऊ
182—बंशीधर राज, श्री खीरी
183—बलराम यादव, श्री आजमगढ़
184—बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
185—बाबूराम, एम0काम0, श्री जालौन
186—बाबू लाल, श्री गोण्डा
187—बाबू लाल, चौधरी आगरा
188—बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
189—बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
190—बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
191—बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
192—बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
193—बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
194—बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
195—बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
196—ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
197—भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
198—भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
199—भरत सिंह, श्री बलिया
200—भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
201—भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
202—मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
203—मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
204—मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
205—मदन भैया, श्री बागपत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

206—मदन सिंह उर्फ
सन्तोष कुमार, श्री इटावा
207—मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
208—मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
209—मशहूद खां, श्री बलरामपुर
210—मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
211—महबूब अली, श्री ज्योतिबा फूले नगर
212—महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
213—महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
214—महेन्द्र सिंह, चौधरी अलीगढ़
215—महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
216—महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
217—महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
218—महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
219—माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
220—मान पाल सिंह, श्री एटा
221—माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
222—मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
223—मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
224—मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
225—मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
226—मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
227—मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
228—मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
229—मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
230—मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
231—मोहम्मद आकिल उर्फ
मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
232—मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
233—मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
234—मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
235—मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री
इलाहाबाद
236—मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
237—मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
238—यशपाल चौधरी, श्री खीरी
239—यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
240—याकूब, हाजी मेरठ
241—योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
242—योगेश प्रताप सिंह उर्फ
योगेश भइया, श्री गोण्डा
243—रघुराज प्रताप सिंह उर्फ
राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
244—रणवीर राणा, श्री मेरठ
245—रतनजीत प्रताप
नारायण सिंह, कुंवर कुशीनगर
246—रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
247—रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
248—रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
249—रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
250—राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
251—राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
252—राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
253—राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
254—राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
255—राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
256—राजपाल सिंह बालियान, श्री
मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

257—राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
258—राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
259—राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
260—राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
261—राजा राम, श्री प्रतापगढ़
262—राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
263—राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
264—राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
265—राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
266—राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
267—राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
268—राजेश कुमार, श्री खीरी
269—राधा मोहन दास अग्रवाल,डा0 गोरखपुर
270—राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
271—राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
272—राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
273—राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
274—राम करन आर्य, श्री बस्ती
275—राम किशुन, श्री वाराणसी
276—राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
277—राम कृष्ण, श्री सीतापुर
278—राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
279—राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
280—रामजी शुक्ला, श्री औरैया
281—राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
282—रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
283—रामपाल यादव, श्री सीतापुर
284—राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
285—रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
286—राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
287—राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
288—रामबाबू हरित, डा0 आगरा
289—राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
290—राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
291—राम मगन, श्री बाराबंकी
292—राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
293—रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
294—रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
295—राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
296—राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
297—राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
298—राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
299—रामहेत, श्री सीतापुर
300—रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
301—रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
302—रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
303—लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
304—लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
305—लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
306—लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
307—लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
308—लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

309—वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
310—वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
311—विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
312—विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर
313—विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
314—विजय सिंह, श्री सोनभद्र
315—विद्या चोधरी, श्रीमती आजमगढ़
316—विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
317—विनय शाक्य, श्री औरैया
318—विनय कुमार उर्फ, पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
319—विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
320—विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
321—विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
322—विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूँ
323—विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
324—विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
325—विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
326—विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
327—वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" शाहजहांपुर
328—वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
329—वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
330—वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
331—वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, "भगत राजा" ललितपुर
332—वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
333—वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
334—शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर
335—शब्बीर, श्री बहराइच
336—शर्मामुल हक, श्री मुरादाबाद
337—शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
338—शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339—शाकिर अली, श्री देवरिया
340—शारदादेवी, श्रीमती गोरखपुर
341—शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
342—शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
343—शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
344—शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
345—शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
346—शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
347—शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
348—शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
349—शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
350—शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
351—शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
352—शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
353—श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
354—श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
355—श्याम नारायण, श्री महराजगंज
356—श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
357—श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
358—श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
359—श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

360—श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर

361—श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर

362—संजय गर्ग, श्री सहारनपुर

363—संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर

264—संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद

365—सतीश महाना, श्री कानपुर नगर

366—सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ

367—सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर

368—सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी

369—समरपाल सिंह, श्री बागपत

270—सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद

371—सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर

372—सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा

373—सियाराम सागर, डा0 बरेली

374—सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद

275—सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़

376—सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा

377—सुन्दर लाल, श्री उन्नाव

278—सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर

379—सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद

280—सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 बांदा

381—सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर

382—सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली

383—सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी

384—सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर

385—सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ

386—सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ

387—सुल्तान बेग, श्री बरेली

388—सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर

389—सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा

390—सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर

391—सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी

392—स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली

393—हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद

394—हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़

395—हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर

296—हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, श्री "हरीश जी", श्री वाराणसी

397—हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़

398—हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

399—होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर

400—रिक्त वाराणसी

401—रिक्त इलाहाबाद

402—रिक्त सन्त कबीर नगर

403—अमर सिंह परमार आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री टी0 वी0 राजेश्वर

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1.	श्री मुलायम सिंह यादव (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), मनोरंजन कर, न्याय, विधायी, औद्योगिक विकास, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी (मद्य निषेध को छोड़कर), ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, संस्कृति तथा कृषि शिक्षा
2.	श्री मोहम्मद आजम खाँ	संसदीय कार्य, नगर विकास
3.	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात।
4.	श्री कोकब हमीद	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पर्यटन
5.	श्री अहमद हसन	परिवार कल्याण
6.	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
7.	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
8.	श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल	परिवहन
9.	डा0 अशोक बाजपेयी	कृषि (कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात को छोड़कर) एवं धर्मार्थ कार्य ।
10.	श्री किरन पाल सिंह	बेसिक शिक्षा
11.	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व
12.	श्री हरि शंकर तिवारी	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा
13.	श्री राम गोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार
14.	श्री शाकिर अली	लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ
15.	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम
16.	श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद	वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास।
17.	श्री आर0 के0 चौधरी	खेलकूद, युवा कल्याण
18.	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
19.	श्री ओम प्रकाश सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास।
20.	श्री वीरेन्द्र सिंह	पशुधन
21.	श्री राजकिशोर सिंह	उद्यान
22.	श्री राम प्यारे सिंह	पर्यावरण
23.	श्री जगदीश सिंह राना	लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग
24.	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल।
25.	श्री राकेश कुमार वर्मा	कारागार
26.	श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया	खाद्य एवं रसद
27.	श्री मुन्ना सिंह चौहान	सिंचाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1.	श्री कामेश्वर उपाध्याय	दुग्ध विकास
2.	श्री दिनेश सिंह	बैंकिग, अर्थ एवं संख्या एवं प्रशासनिक सुधार।
3.	श्री बाबू लाल	खाद्य प्रसंस्करण, राजनैतिक पेंशन, भाषा एवं मद्य निषेध तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
4.	श्री महबूब अली	पिछड़ा वर्ग कल्याण
5.	श्री राजपाल त्यागी	ग्राम्य विकास
6.	श्री वीरेन्द्र सिंह	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक उद्यम।
7.	श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा।
8.	श्री शंखलाल मांझी	मत्स्य
9.	श्री श्याम नारायण	विकलांग कल्याण
10.	श्री हाजी याकूब	अल्पसंख्यक, हज
11.	श्री शारदानन्द अंचल	सहकारिता

राज्य मंत्री

1.	श्री अजीत कुमार राजू	बेसिक शिक्षा
2.	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	लोक निर्माण
3.	श्री इकबाल महमूद	राजस्व
4.	श्री कैलाश	औद्योगिक विकास
5.	श्री गंगा प्रसाद पुष्कर	कृषि शिक्षा
6.	श्री जयवीर सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
7.	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र	नियोजन
8.	श्री नारद राय	नगर विकास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9.	श्री बनवारी सिंह यादव	प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति
10.	श्री मानपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा
11.	श्री योगेश प्रताप सिंह	सिंचाई
12.	श्री राजेन्द्र सिंह राना	परिवहन
13.	श्री राम आसरे विश्वकर्मा	उच्च शिक्षा
14.	श्री विनोद कुमार सिंह	चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर)।
15.	श्री सीताराम निषाद	कारागार
16.	श्री सूरज सिंह शाक्य	कारागार
17.	श्री शाहिद मंजूर	वित्त
18.	श्री शैलेन्द्र यादव	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण।
19.	श्री स्वामी ओइमवेश	गन्ना विकास
20.	श्री संजय गर्ग	कर एवं निबन्धन (व्यापार कर)
21.	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	खाद्य एवं रसद
22.	श्री जय प्रकाश यादव	कृषि

नेता विरोधी दल

श्री लालजी टण्डन,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

श्री राजेश अग्रवाल

प्रमुख सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्री अरविन्द गिरि, सदस्य विधान सभा (खीरी)

2—श्री वंशीधर राज, सदस्य, विधान सभा (खीरी)

3—श्री वसीम अहमद, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़)

4—श्री दीनानाथ भाष्कर, सदस्य, विधान सभा (भदोही)

5—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली)

6—डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ)

7—डॉ0 रामबाबू हरित, सदस्य, विधान सभा (आगरा)

8—श्री गयाचरण दिनकर, सदस्य, विधान सभा (बांदा)

9—श्री भगेलूराम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

10—श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-352

1--अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2--अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3--अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
4--अजय कुमार, डा0 — बागपत
5--अजय राय, श्री — वाराणसी
6--अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
7--अताउल रहमान, श्री — बरेली
8--अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
9--अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
10--अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11--अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
12--अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
13--अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
14--अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
15--अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
16--अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17--अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
18--अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
19--अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
20--अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
21--अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
22--अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
23--अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
24--अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
25--अमरमणि, श्री — महराजगंज
26--अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
27--अमीता सिंह, श्री — खीरी
28--अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
29--अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
30--अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
31--अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
32--अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
33--अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
34--अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
35--अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
36--अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
37--अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
38--अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
39--अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
40--अशोक सिंह चौहान — मैनपुरी
41--आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
42--आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
43--आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
44--आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
45--आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
46--आलमबदी, श्री — आजमगढ़

47--आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
48--आशा किशोर, श्रीमती रायबरेली
49--आशीष यादव, श्री बदायूं
50--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
51--इकबाल महमूद,श्री मुरादाबाद
52--इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53--इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
54--इल्तम सिंह, श्री सहारनपुर
55--उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
56--उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
57--उदयराज यादव, श्री उन्नाव
58--उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
59--उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
60--ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
61--ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62--ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
63--ओम प्रकाश
(ओ0 पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
64--ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
65--ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
66--ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
67--कपिल देव यादव, श्री मऊ
68--कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
69--कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
70--कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
71--काजिम अली खां उर्फ,
नवेद मियां, नवाब रामपुर
72--कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
73--कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
74--किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
75--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
76--किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
77--कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
78--कृष्ण कुमार उर्फ
सतीश वर्मा, श्री हरदोई
79--कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
80--कैलाश, श्री गाजीपुर
81--कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
82--कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
83--कौकब हमीद खां, श्री बागपत
84--कौशल किशोर, श्री खीरी
85--कौशल किशोर, श्री लखनऊ
86--गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
87--गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
88--गया चरन दिनकर, श्री बांदा
89--गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
90--गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
91--घूरा राम, श्री बलिया
92--चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
93--चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
94--चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
95--चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
96--चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
97--छेदी राम, श्री गाजीपुर
98--छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
99--छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
100--जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
101--जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
102--जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
103--जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
104--जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
105--जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106--जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107--जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
108--जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
109--जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर

110--जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
111--जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
112--जितेन्द्र कुमार जायसवाल,
113--पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
114--जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
115--ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
116--डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
117--तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
118--दयाराम, श्री कौशाम्बी
119--दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
120--दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
121--दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
122--दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
123--दीनानाथ भास्कर, श्री
सन्त रविदास नगर, भदोही
124--दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
125--देवकी नन्दन, श्री हाथरस
126--देव नारायण उर्फ
जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
127--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
128--धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
129--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
130--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
131--धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
132--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
133--धूम लोधी, चौधरी हमीरपुर
134--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
135--नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
136--नरेन्द्र कुमार, श्री गौतम बुद्ध नगर
137--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
138--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
139--नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
140--नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
141--नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
142--नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
143--नारद राय, श्री बलिया
144--परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
145--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
146--पी0 के0 राय, डॉ0 कुशीनगर
147--पीटर फेन्थम, श्री नाम-निर्देशित
148--पीतम राम, श्री पीलीभीत
149--पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
150--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
151--प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
152--प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
153--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
154--प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
155--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
156--प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
157--प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
158--प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
159--प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
160--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
161--फतेह बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
162--फसीहा बशीर, चौधरी
(गजाला) देवरिया
163--फागू, श्री मऊ
164--बंशीधर राज, श्री खीरी
165--बलराम यादव, श्री आजमगढ़
166--बाबूराम, एम0काम0, श्री जालौन
167--बाबू लाल, श्री गोण्डा
168--बाबू लाल, चौधरी आगरा
169--बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
170--विजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
171--बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर

172--वीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
173--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
174--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
175--बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
176--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
177--ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
178--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
179--भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
180--भरत सिंह, श्री बलिया
181--भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
182--भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
183--मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
184--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
185--मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
186--मदन भैया, श्री बागपत
187--मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
188--मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
189--मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
190--मशहूद खां, श्री बलरामपुर
191--मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
192--महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
193--महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
194--महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
195--महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
196--महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
197--महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
198--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
199--मान पाल सिंह, श्री एटा
200--माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
201--मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
202--मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
203--मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
204--मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
205--मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
206--मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
207--मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
208--मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
209--मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
210--मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
211--मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
212--मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
213--मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री इलाहाबाद
214--मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
215--मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
216--यशपाल चौधरी, श्री खीरी
217--यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
218--याकूब, हाजी मेरठ
219--योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
220--योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
221--रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
222--रणवीर राणा, श्री मेरठ
223--रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
224--रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
225--रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
226--रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
227--राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
228--राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
229--राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
230--राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
231--राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
232--राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर

233--राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
234--राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
235--राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
236--राजा राम, श्री प्रतापगढ़
237--राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
238--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
239--राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
240--राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
241--राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
242--राजेश कुमार, श्री खीरी
243--राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
244--राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
245--राम इकवाल सिंह, श्री बलिया
246--राम करन आर्य, श्री बस्ती
247--राम किशुन, श्री वाराणसी
248--राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
249--राम कृष्ण, श्री सीतापुर
250--राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
251--राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
252--रामजी शुक्ला, श्री औरैया
253--रामपाल यादव, श्री सीतापुर
254--राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
255--रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
256--राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
257--रामबाबू हरित, डा0 आगरा
258--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
259--राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
260--राम मगन, श्री बाराबंकी
261--राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
262--रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
263--रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
264--रामू सेवक, श्री सुल्तानपुर
265--राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
266--रामहेत, श्री सीतापुर
267--रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
268--रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
269--रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
270--लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
271--लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
272--लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
273--लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
274--लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
275--लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
276--वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
277--वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
278--विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
279--विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
280--विजय सिंह, श्री सोनभद्र
281--विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
282--विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
283--विनय शाक्य, श्री औरैया
284--विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
285--विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
286--विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
287--विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
288--विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
289--विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
290--विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
291--विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
292--विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
293--वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" शाहजहांपुर
294--वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
295--वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
296--वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी

297--वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
298--शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
299--शब्बीर, श्री बहराइच
301--शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
302--शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
303--शाकिर अली, श्री देवरिया
304--शारदादेवी, श्रीमती गोरखपुर
305--शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
306--शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
307--शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
308--शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
309--शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
310--शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
311--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
312--शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
313--शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
314--श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
315--श्याम नारायण, श्री महराजगंज
316--श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
317--श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
318--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
319--श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
320--श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
321--संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
322--संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
323--सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
324--सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
325--सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
326--सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
327--समरपाल सिंह, श्री बागपत
328--सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद
329--सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
330--सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
331--सियाराम सागर, डा0 बरेली
332--सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
333--सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
334--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
335--सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
336--सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
337--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
338--सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
339--सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
340--सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
341--सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
342--सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
343--सुल्तान बेग, श्री बरेली
344--सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर
345--सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
346--सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
347--सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
348--स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
349--हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
350--हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
351--हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
352--हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री वाराणसी
353--हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
354--हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

नोट :—सिंचाई मंत्री, श्री मुन्ना सिंह चौहान, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, श्री राम आसरे विश्वकर्मा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, श्री अजीत कुमार राज भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में खाद्यान्न घोटाले से सम्बन्धित नियम 311 की सूचना को लिए जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुये खाद्यान्न घोटाले के सम्बन्ध में मैंने एक सूचना लगाई है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों को मिलने वाला गेहूँ-चावल बिचौलियों के माध्यम से बांग्लादेश जा रहा है। सारे का सारा मिलने वाला गेहूँ बड़े-बड़े दुकानदारों के यहां जा रहा है ...

श्री अध्यक्ष–

आप रुक जाइये, जीरो आवर तो आने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सारे का सारा अनाज गरीबों को नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त होइये, अब हो गया, आप बैठें। जीरो प्रहर आने दीजिये। मौर्य जी एक बार गर्म हो जाते हैं तो ठंडा होने में समय लगता है। राय साहब इनको समझाइये। नियम 56 आने दीजिये और प्रश्न प्रहर चलने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जैसी आपकी व्यवस्था होगी, वैसा करेंगे।

(पुन: श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अब क्यों जबरदस्ती करते हैं ?

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राज मार्गों को सी0 सी0 कांक्रीट से निर्मित कराये जाने की माँग

*1–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजमार्गों को हाटमिक्स अथवा डामर के स्थान पर सी0 सी0 कांक्रीट से निर्मित कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप)–

जी नहीं।

प्रश्न [illegible]

हाटमिक्स प्लान्ट अथवा डामर की सड़क बनाने के स्थान पर सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क बनाने में लागत अधिक आयेगी जो उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से सम्भव नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाटमिक्स प्लान्ट से प्रति किमी0 सड़क बनाने में क्या कीमत आ रही है और सी0 सी0 से बनाने में प्रति किमी0 क्या लागत आ रही है और इनकी आयु सीमा क्या-क्या होगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप–

मान्यवर, 3.50 मी0 चौड़ाई की एक किमी0 सड़क सीमेंट से बनाने में 18.48 लाख रुपये की लागत आती है, जबकि इतनी ही सड़क हाटमिक्स से बनाने में 26.71 लाख रुपये का खर्च आता है और इतनी ही सड़क कंक्रीट से बनाने पर 47.67 लाख रुपये का खर्च आता है, जो बहुत अधिक है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी सड़कों पर जहां पर जल-निकासी की व्यवस्था नहीं है और वर्षा के समय में जल भराव हो जाता है, जो ऐसे जिला मार्ग या नेशनल हाई-वे हैं, जो गांवों के पास में पड़ते हैं, वहां पर हॉटमिक्स प्लान्ट सड़क खराब हो जाती है, तो उन भागों को सरकार सी0 सी0 से बनवाने पर विचार करेगी ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि जहां पर जल भराव की स्थिति है, उन जगहों पर सड़क को ऊँचा करके बनवाया जाएगा, लेकिन मान्यवर, जो सड़क ऊँची हो जाएगी तो सड़क के आस-पास रहने वाले लोग भी अपनी जमीन को ऊँचा कर लेंगे, जिससे समस्या का हल नहीं निकलेगा और बनी-बनाई सड़क टूट जाएगी और उसे दोबारा बनवाने में फिर से सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो क्या इन स्थितियों से बचने के लिए सरकार उतने भाग को सी0 सी0 से बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप–

मान्यवर, जहां पर पानी भर जाता है, वह आबादी के क्षेत्र होते हैं, हम जब ऐसी जगहों के लिए पैसा देते हैं तो साथ में ऐसी जगहों पर सड़क को ऊँचा करने के लिए भी कहते हैं। जहां तक कंक्रीट सड़क का मामला है, अगर यह सड़क कहीं बीच में क्रेक हो जाती है, तो पूरी सड़क को तोड़ना पड़ता है और उसमें ज्यादा खर्च आता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट अनुपूरक है, यह केवल किसी एक विशेष क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनमें आज एक विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, पानी और हाटमिक्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसा कि आपने बताया कि सी0 सी0 कंक्रीट की सड़क टूट जाने पर उसको रिपेयर करने में कठिनाई है, तो हाटमिक्स में भी बरसात में जो सड़क टूट जाती है, उसमें भी पुन: पैसा खर्च करना पड़ता है और मान्यवर, इससे शासन की छवि भी खराब होती है, तो मान्यवर, विचार करने में क्या जाता है ? इस पर विचार कर लिया जाए। मान्यवर, यह केवल तीन-चार सौ मीटर आबादी के क्षेत्र की ही बात है, उसको सी0 सी0 से बनाने पर विचार कर लें।

श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप–

मान्यवर, पाल साहब ने जो प्रश्न किया है, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पानी निकालने की व्यवस्था हो जाएगी और ऐसी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जो पाल साहब कह रहे हैं, उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो नेशनल हाई-वेज हैं, वहां पर यह व्यवस्था है कि जहां कहीं पर जल भराव होता है और जहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर 6-6 इंच मोटी टाइल्स 100-50 मीटर तक लगाने की व्यवस्था की जाती है। जिस प्रकार से नेशनल हाई-वे पर टाइल्स लगाये जाते हैं, उसी प्रकार से क्या अदर रोड्स पर भी इस प्रकार की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप–

मान्यवर, जैसा कि खन्ना जी नेशनल हाई-वे की बात कर रहे हैं। एन0 एच0 आई0 और बड़े रोडों पर यातायात का भार ज्यादा होता है और वे फोर-लेन में आती हैं जो भारत सरकार के अन्तर्गत आती है। माननीय सदस्य ने जो कहा है हम दिखवा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी अनुपूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि पानी की निकासी की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे जगहों पर सड़क को ऊँचा किया जा रहा है। प्राय: देखने में आता है कि नालियां बनती हैं और दो-चार महीनों में पूरी तरह से पट जाती हैं, जिससे जलभराव पुन: हो जाता है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक तो जो नई सड़कें बनें और जो पुरानी सड़कें आबादी के बीच में या मार्केट के बीच में हैं, उनके दोनों तरफ दुकानें हो गयी हैं, ऐसी जगहों पर कंक्रीट से सड़क बनायें जिससे वह टूटने से वंचित रहें ? क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर तो मंत्री जी ने दे दिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

(संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री) श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, यह बड़ी वाजिब समस्या है। हमारा विभाग भी लगभग इसी जैसा है। जैसा कि पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है, सबसे बड़ी परेशानी है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है। यह बिल्कुल सही है। अभी तक सड़कें बनती थीं तो नालियों का प्राविधान नहीं किया जाता था लेकिन मौजूदा सरकार ने इसको सख्ती से लागू किया है, अब बगैर नाली के कोई सड़क नहीं बनेगी। जब तक पानी की निकासी या नाली नहीं देंगे तो सड़क नहीं बनायेंगे। दूसरे यह सही है कि पानी और तारकोल, एक-दूसरे का दुश्मनी का रिश्ता है। अगर हाटमिक्स प्लाण्ट की सड़क पर पानी पड़ेगा तो वहां दाना उखड़ जायेगा। यह भी तजुर्बा किया गया कि सीमेण्टेड सड़कों की गुणवत्ता क्या होती है ? हमने तो सख्त निर्देश दिये हैं कि सीमेण्टेड सड़कें नहीं बनायेंगे। लेकिन जैसे पेट्रोल पम्प पर बनता है 6 इंच पटरी की रोड, उसके नीचे सीमेण्ट की दो लेयर देकर इंटरलाकिंग करते हैं और सीमेण्टेड टाइल्स लगाते हैं। लेकिन उससे दो गुना दाम बढ़ जाता है। दो गुना दाम बढ़ जाये लेकिन समस्या का निदान हो जाये, लेकिन यह हर जगह नहीं बनायी जा सकती। जैसाकि पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री जी ने भी बताया की सीमेण्टेड रोड दो गुना महंगी है और हम क्वालिटी दे नहीं पाते क्योंकि हम अभी समाज को उस हद तक सुधार नहीं पाये हैं। नतीजा यह होता है कि 6 महीने के

अन्दर सड़क क्रेक होना शुरू हो जाती है, दाना उखड़ना शुरू हो जाता है और सीमेण्टेड रोड की मरम्मत नहीं हो सकती। डामर की बनी हुई सड़क या सिम्पल हाट मिक्स या मीडियम हाट मिक्स की जो सड़क है उसकी मरम्मत हो सकती है। महज इसी आधार पर हाट मिक्स रोड को ज्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि अगर कहीं से एक मीटर या चार मीटर उखड़ जाये या सड़क टूट जाये तो उसकी मरम्मत हो सकती है। हम इसीलिए हाट मिक्स सड़कों को ज्यादा उत्तम समझते हैं। यह सुझाव सही है कि पानी की निकासी होनी चाहिए। सदन में इस बात को कहा जाय या न कहा जाय, आप रिकार्ड उठाकर देखेंगे तो चाहे आपकी सरकार रही है या कोई सरकार रही हो। अगर कहीं कोई खास टुकड़ा होता है तो उस पर निर्णय लिया ही जाता है।

तारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू किये जाने की मांग

*1–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं ? क्या सरकार बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

वर्तमान में प्रदेश में, उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की 11 चीनी मिलें तथा भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन 4 चीनी मिलें व निजी क्षेत्र की 2 चीनी मिलें अर्थात् कुल 17 चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं।

जी नहीं। वर्तमान में बंद 11 इकाइयों में से पेराई सत्र 2004-2005 में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन निगम की केवल रामपुर चीनी मिल पुनः संचालित की जा रही है।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की निरंतर घाटे की स्थिति के दृष्टिगत 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से स्थायी रूप से 5 बन्द चीनी मिलें यथा बाराबंकी, छितौनी, घुघली, बरेली, महोली सम्मिलित हैं। मुण्डेरवा, मेरठ, नवाबगंज एवं हरदोई कुल 4 चीनी मिलें निरन्तर घाटे में रहने के कारण स्थायी रूप से बन्द हैं और मा0 न्यायालयों में लम्बित रहने के कारण लीज प्रक्रिया से बाहर है। नन्दगंज इकाई मा0 बी0 आई0 एफ0 आर0 के आदेश से स्थायी रूप से बन्द है।

भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन बन्द क्रमशः गौरी बाजार चीनी मिल पेराई सत्र 1996-97 से, व पडरौना एवं कठकुईयाँ पेराई सत्र 1998-99 से बन्द हैं। ये तीनों इकाइयाँ बी0 आई0 एफ0 आर0 द्वारा रूग्ण इकाई घोषित हैं एवं इन चीनी मिलों के पुनर्वासन हेतु सुनवाई की जा रही है। इसी प्रकार आनन्द नगर चीनी मिल पेराई सत्र 94-95 से बन्द है। बी0 आई0 एफ0 आर0 द्वारा इसे बन्द करने की संस्तुति की गयी है जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए परिसमापन के आदेश किये गये हैं तथा मा0 उच्च न्यायालय ने परिसमापक की नियुक्त भी कर दी गई मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारियों के स्पेशल अपील मा0 उच्च न्यायालय में दायर की जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 22-3-2001 को मिल बन्दी के आदेश को स्थगित कर दिया। [illegible] न्यायालय में [illegible] किया जाता है।

निजी क्षेत्र की मेजापुर चीनी मिल पेराई सत्र 2002-03 से बन्द है तथा चीनी मिल बिलारी पेराई सत्र 2000-2001 से बन्द है।

[श्री अम्बिका चौधरी द्वारा प्रश्न के उत्तर का द्वितीय पैरा पढ़े जाने के उपरांत]

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं इसी प्रश्न में यह सूचना दे रहा हूं कि 28 फरवरी को रामपुर चीनी मिल की शुरुआत हो गयी है। उसकी चिमनी से धुंवां निकलने लगा है। मैं खुशकिस्मत हूं कि उस दिन चीनी मिल को शुरु किये जाने के समय मैं भी उपस्थित था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बाकी उत्तर पढ़ दें।

[मंत्री जी द्वारा शेष उत्तर पढ़ा गया।]

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी सदन में मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह स्टेट मिनिस्टर हैं, माननीय मंत्री जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। संयुक्त जिम्मेदारी है। आप प्रश्न करें।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 24 चीनी मिलों को पट्टे पर देने पर विचार किया जा रहा है, तो यह मिलें क्या अगले पेराई सत्र तक पट्टे पर दे दी जायेंगी ? यह जो 24 चीनी मिलें हैं क्या इनमें रसड़ा चीनी मिल भी शामिल है ? दूसरा प्रश्न यह है कि मुंडेरवा चीनी मिल के बगल में ही नंद गंज चीनी मिल है क्या इसको चालू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नंद गंज चीनी मिल को चालू करने के बारे में उत्तर मूल प्रश्न में ही दे दिया गया है। सिर्फ रामपुर चीनी मिल को संचालित करना था, अन्य मिलों को संचालित करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। रसड़ा चीनी मिल बंद करने पर सरकार विचार नहीं कर रही है वह चलायी जायगी। जहां तक मिलों को लीज पर देने का प्रश्न है लीज पर दिए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं। टेंडर आमंत्रित करने के बाद की प्रक्रिया चल रही है, जितनी जल्दी पूर्ण हो जायेगी उसके हिसाब से लीज पर दे दी जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे इस पर प्रश्न कर लेने दें गौर साहब तो इसके मंत्री रहे हैं उन्हीं के समय के कुछ कार्य हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, उत्तर में लिखा है कि 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है तो मेरा प्रश्न है कि यह निर्णय कब लिया गया और पट्टे पर देने की शर्तें क्या हैं ? दूसरा प्रश्न है कि मेजापुर व बिलारी चीनी मिल बन्द हो गई है, क्या यहां के किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ?

[श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर]

श्री अम्बिका चौधरी–

गौर साहब, आप खन्ना साहब का ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आप खन्ना जी का ध्यान ज्यादा रख रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

गन्ना मूल्य के भुगतान का प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। दूसरा जो पट्टे पर दिए जाने के निर्णय के बारे में पूछा गया है और इसकी शर्तें क्या हैं यह बता देता हूं। जो खन्ना जी का ध्यान रखने की बात कही गई तो मुझे खन्ना जी का ध्यान तो रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी का ध्यान रखेंगे, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

अक्टूबर, 2003 में 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिए जाने का निर्णय हुआ 29 अक्टूबर, 2003 को इस सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत कर दिया गया, पट्टे की शर्तें काफी विस्तृत हैं फिर भी मुख्य बातें मैं बताए दे रहा हूं। सबसे पहली प्राथमिकता थी उन चीनी मिलों को चलाना, जो थोड़ी चल रही थीं उनकी क्षमता काफी कम हो गई थी, उनकी क्षमता को उस स्तर तक पहुँचाना, जहां से वह वायबिल हो सकें। एक शर्त यह भी थी कि श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखा जायेगा और एक भी श्रमिक निकाला नहीं जाएगा यह टेंडर की शर्तों में शामिल था, हाँ अगर कोई श्रमिक काम न करना चाहे तो उसको वी0 आर0 एस0 की सुविधा दी जायेगी और जो सेवा करना चाहे उसको सेवा का अवसर दिया जायेगा। तीसरी शर्त थी कि उनकी क्षमता में वृद्धि करना वह जिस क्षमता पर कार्य कर रही थी वह स्थापित क्षमता से बहुत कम थी और वह वायबिल नहीं रह गई थी तो उनको लीज पर जिस दिन दिया जायेगा हस्तांतरण हो जायेगा उस दिन से 180 दिन के अन्दर कार्य योजना वह प्रस्तुत करेंगे और कार्य योजना देकर पाँच वर्ष के अन्दर मिल की पेराई क्षमता मौजूदा क्षमता से तीन गुना करेंगे यह मुख्य शर्तें हैं। एक बात यह भी है कि जितनी हम टेंडर से प्रीमियम की राशि प्राप्त करेंगे टेंडर की राशि हमारे पास उपलब्ध है। जिस पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। उस पर 111 करोड़ रुपये का प्रीमियम जहाँ एक ओर हमको प्राप्त होगा वहाँ 49 लाख प्रति वर्ष 1 रुपये प्रति दिन प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टा किराया भी प्राप्त होगा। (कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, किसानों के हितों को, श्रमिकों को और साम्यिक रूप से सरकार पर आने वाला जो अतिरिक्त व्यय भार है उसको कम करने की दृष्टि से इस टेण्डर में सभी शर्तें रखी गई हैं।

श्री विश्राम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं हरदोई चीनी मिल के बारे में खास तौर से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी बता दें कि हरदोई की चीनी मिल चल पायेगी कि नहीं? चल पायेगी तो कब तक ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन, हरदोई की चीनी मिल को चलाये जाने पर कोई विचार नहीं है।

(कई सदस्यों के बोलने पर तथा श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकुट बिहारी वर्मा --

मान्यवर, आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष --

मैंने पाल साहब को पुकार लिया है, आप बैठें।

श्री जगदम्बिका पाल --

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और आपका संरक्षण भी चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 24 चीनी मिलें बन्द हैं औ 24 चीनी मिलों को लीज़ पर पट्टे पर देने की कार्यवाही हो रही है। 29 अक्टूबर 2003 को इन्होंने पट्टे की शर्तें निर्धारित कर दी और 24 अक्टूबर को शासन ने निर्णय ले लिया कि बन्द राज्य चीनी निगम की मिलों को निजी क्षेत्र में पट्टे पर देकर चलायेंगे। मान्यवर, 2003, 2004 और 2005 यह तीसरा पेराई सत्र शुरू हो गया लेकिन अभी तक यह चीनी मिलें चलायी नहीं गई। अगर इनको चलाने की इनकी इच्छाशक्ति होती, तो यह जरूर चल जाती। रामपुर की चीनी मिल को चलाने की आज़म साहब सरकार की इच्छा थी इसलिये वह चल गई। 28 तारीख को पेराई सत्र शुरू हो गया और चिमनी में धुँआ आ गया। शर्तें निर्धारित होने के बाद तीन पेराई सत्र बीत गये, निजी क्षेत्र में देकर चलवाये जाने का निर्णय लेने के बाद तीन सत्र बीत गये और अभी तक इन मिलों को चलवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मुण्डरवा को भी नहीं चला सकते क्योंकि 24 मिलें बी0आई0एफ0आर0 में हैं और मुण्डरवा भी उसमें आती है और जब तक बी0आई0ए0आर0 का अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक कोई भी चीनी मिल नहीं चलाई जा सकती। मान्यवर, मेरा कहना है कि अगर रामपुर की चीनी मिल चलाई जा सकती है, तो मुण्डरवा की क्यों नहीं ? रामपुर चीनी मिल भी तो बी0आई0एफ0आर0 में थी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, यह कई बार कहा जा चुका है कि रामपुर चीनी मिल चलवा दी गई। मान्यवर, यह विडम्बना है कि आज से साढ़े आठ साल पहले कांग्रेस पार्टी की सांसद ने इसे बेचे जाने के लिये सरकार को पत्र लिखा था और वह पत्र आज भी निगम में मौजूद है। इसलिये एक षड़यंत्र के तहत इसको बन्द कराया गया। इसके पीछे यह षड़यंत्र था कि वे या तो इसे खुद खरीदना चाहते थे या अपने किसी नजदीकी को खरीदवा देते। ऐसा वह सांसद महोदय चाहते थे, उनका वह पत्र भी यहां मौजूद है। इसी षड़यंत्र के तहत रामपुर की चीनी मिल बन्द हुई थी। बहुत अच्छी हालत में मिल थी इसलिये दोबारा चला दी गई ।

श्री जगदम्बिका पाल --

मान्यवर, रामपुर चीनी मिल चलाई गई है तो उसके लिये हमने इनको कई बार बधाई भी दी है। 14 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। मिल को बन्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, पाल साहब का कथन है कि मुण्डेरवा भी बी0आई0एफ0 आर0 में थी और रामपुर की चीनी मिल भी लेकिन रामपुर की चीनी मिल को चलवा दिया गया और मुण्डेरवा चीनी मिल को क्यों नहीं चलवाया गया ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, यह जो पाल साहब ने कहा है कि दोनों मिलें बी0 आई0 एफ0 आर0 में थीं और रामपुर चीनी मिल को चला दिया गया मुण्डेरवा को नहीं। तो मैं मान्यवर, बताना चाहता हूं कि रामपुर और मुण्डेरवा दोनों की स्थिति भिन्न है। मुण्डेरवा उस सूची में नहीं है, 24 चीनी मिलों की सूची जिनको पट्टे पर दिया जाना है। रामपुर 24 चीनी मिलों की सूची में शामिल नहीं था। रामपुर को और सबकी श्रेणी में रखना सही नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन चार चीनी मिलों के सम्बन्ध में रोक लगाई थी कि परिसीमन नहीं किया रामपुर उसमें शुमार है। 24 की सूची में रामपुर नहीं था, मुण्डेरवा भी नहीं है इसलिए रामपुर मुण्डेरवा को एक श्रेणी में रखा जाना सही नहीं है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

जरवल चीनी मिल बन्द की श्रेणी में है, न घाटे की श्रेणी में है, न पट्टे पर दे रहे हैं। जो 246 कर्मचारी वहां आकस्मिक हैं, उनको निकाला जा रहा है जरवल चीनी मिल के बारे में बता दें ?

श्री अम्बिका चौधरी--

बन्द चीनी मिलें 24 नहीं हैं निगम की चीनी मिलों की संख्या मूल प्रश्न के उत्तर में लिखी है देख लें 11 की संख्या हैं मैंने पढ़ा है। आपका छोटा भाई हूं, 11 चीनी मिलें बंद हैं शेष चल रही हैं। 24 का प्लान बनाना पड़ा एक साथ 24 चीनी मिलों को लीज पर दिया जाए। जरवल की बात कही गई, तो मूल प्रश्न के उत्तर में आ गया है। इसलिए पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बन्द है या चालू है।

श्री अध्यक्ष--

प्रतापगढ़ में चीनी मिल चालू है या नहीं मौर्य जी पूछ रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

जरवल चीनी मिल के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा यह न घाटे में है न चल रही है ? इसके बारे में बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं सिर्फ बंद बड़ी चीनी मिलों को घाटे से न उबरने की स्थिति में बेचने के प्रस्ताव आए। इसमें कई बार प्रयास हो चुके हैं इस प्रयास में सफलता नहीं मिली क्योंकि कोई दूसरा उनको खरीदने को तैयार नहीं है। 1995 में बी0 आई0 एफ0 आर0 के निर्देश हुए फिर इसमें प्रयत्न हुए। 1996 में विक्रय प्रक्रिया अपनाई गई। 2001 में विक्रय प्रक्रिया अपनाई गई कमेटी भी इसमें गठित की गई। तत्कालीन सरकार जो रही है उनके प्रयत्न के बाद कोई खरीदार नहीं आया, बार-बार प्रयत्न करने के बाद भी कुछ नहीं हो सका। जो मिलें बन्द हो गईं उनको या जो तबाही के कगार पर थीं फायदे में नहीं थीं के साथ 24 मिलों को पट्टे पर दिए जाने का निर्णय इस सरकार ने लिया। इस निर्णय के कारण ही जिस चीनी मिल का नाम लिया जरवल चीनी मिल

इसके साथ ही दूसरी चीनी मिलों को शामिल करके 24 की सूची बनाई गई है उसको पट्टे पर दिया जाना है। इसे पूर्ववर्ती सरकार ने बेचने का प्रस्ताव किया था यह सरकार बेच नहीं रही है हम चीनी मिलो को चलाना चाहते हैं इसलिए चलाने वालों के लिए टेण्डर आमंत्रित किए हैं उसको पट्टे पर देंगे। पूर्ण स्वायत्तता रहेगी। जो अतिरिक्त होगा जिन परिसम्पत्तियों में जितना चलाना आवश्यक होगा वह हमारी सम्पत्ति है। पट्टे पर दिए जाने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि वित्तीय अभाव के नाते 24 गन्ना मिलों को जिसे सरकार चलाने मे अक्षम रही है और उन्हें पट्टे पर देने का निर्णय लिया है, तो इनकी अनुमानित लागत क्या है ? पट्टा देने की तिथि तक उसमें कुल कितनी चीनी स्टोर रही है और पट्टा देने के पूर्व इनके निस्तारण की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ? यह बता दें ? .

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी, कितनी चीनी स्टोर में है या नहीं है ? यह प्रश्न से समबन्धित नहीं है। क्या मंत्री जी उत्तर देंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, जिस दिन पट्टा हो जाएगा और वास्तव में जिस दिन हस्तांतरण होगा, उस दिन के स्टाक की स्थिति से मौर्या जी को अवगत करा दिया जाएगा। हम तो इन चीनी मिलों को बेच ही नहीं रहे हैं यह तो पट्टे पर दी जा रही हैं। मेरे उत्तर से मौर्या जी शायद संतुष्ट हो सकेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। मंत्री जी ने कहा कि क्योंकि कोई खरीददार नहीं था, क्रय करने वाला नहीं था इसलिए इन चीनी मिलों को उसमें जोड़ा गया ताकि उनकी कम से कम ऐसी स्थिति बन जाए ताकि कोई खरीदने वाला बन जाए, अब तो स्थिति बदल गयी है, अब तो बेच ही नहीं रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं, अब तो बेचने वाली बात नहीं है, अब तो केवल पट्टे पर देने की बात है, ऐसी स्थिति में पट्टे पर वही मिलें होंगी जो नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जो चल रही हैं, नुकसान में नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और सरकारी नियन्त्रण में जो चल रही हैं, लाभ में भी हैं, उसके बाद भी किसी पूंजीपति को लाभ देने के लिए ऐसी मिलों को भी सिक मिल की श्रेणी में रख दिया। इसलिए आपने जो औचित्य बताया है मिल का बेचने का, वह वायबल नहीं है। आपने जरवल भी उसमें जोड़ दिया। यदि अब पट्टे पर देने की बात आयी है, तो पूर्ण रूप से जो लाभ में चीनी मिलें चल रही हैं, उनको पट्टे पर देने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, यह पूरे कारपोरेशन की वायबिलिटी का सवाल है, इंडीविजुअल मिलों का सवाल नहीं है। कारपोरेशन की 33 मिलों में से एक-एक का सवाल नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल --

मान्यवर, सारे मिलों की कमाई शुगर कारपोरेशन के हेड क्वार्टर में जा रही है इसलिए यहां का जो अनुत्पादक खर्चा है, उसे रोका जाना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, पाल जी की टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

हुकुम सिंह जी ने जो प्रश्न किया है, मैंने उसका औचित्य बताया है, दोबारा पुन: वही उत्तर दें तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए सच्चाई यही है कि हमने अपने स्वामित्व में बनाये रखते हुए पट्टे पर देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि किसानों और श्रमिकों के हित से इस सरकार का सरोकार है। यदि मिलों को नहीं चलायेंगे तो इस प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं होगा और मजदूरों का क्या होगा ? इसलिए किसानों के हित के लिए सर्वाधिक आवश्यकता इन 24 मिलों को चलाया जाना है। इसलिए यह निर्णय लिया गया।

श्री राधेश्याम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन 24 चीनी मिलों को पट्टे पर देने की कार्यवाही हो रही है उसमें से 11 चीनी मिलें विगत कई वर्षों से बंद हैं लेकिन बाकी 13 चीनी मिलों का काम वर्ष 2004-05 में चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 24 चीनी मिलों में से इन 13 चीनी मिलों को, जिन्हें पट्टे पर देने की कार्यवाही हो रही है, क्या इन चीनी मिलों में अगले पेराई सत्र में पेराई का काम होगा ? दूसरा प्रश्न कि हमारे जनपद में पडरौना में कटकुइयाँ चीनी मिल है, क्या उसे चलाने की कोई योजना है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, पहले प्रश्न के सम्बन्ध में कहना है कि निश्चित रूप से उसमें अगले पेराई सत्र में पेराई का काम होगा और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहना है कि कटकुइयाँ चीनी मिल भारत सरकार के अधीन है और उस पर राज्य सरकार अपने स्तर से कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

मान्यवर, मेरी भी एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप मंत्री जी से अलग से बात कर लीजिएगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। यह अपनी सरकार के हाथ में नहीं है यह केन्द्र सरकार के हाथ में है। इसके बारे में मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा ठीक है, बतायें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जनपद देवरिया में गौरी बाजार चीनी मिल कई वर्ष से बंद है। मान्यवर, बी0 आई0 एफ0 आर0 लागू कर दिया गया है, किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है। वहां के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। हम चाहते हैं कि या तो उस चीनी मिल को केन्द्र सरकार अपन अधीन करके भुगतान कराये या अपने अधीन कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है। यह छप जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा चीनी उद्योग एवं किसानों के हितों हेतु एनहाइड्रस अल्कोहल उत्पादन परियोजना को जारी रखने की मांग

*2--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि पिछली केन्द्र सरकार के निर्णय को दृष्टि में रखकर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गन्ना किसानों के हित को देखते हुए एनहाइड्रस अल्कोहल उत्पादन प्रारम्भ कराया था ? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी आसवनियों द्वारा कितना एनहाइड्रस अल्कोहल का उत्पादन हो रहा है ? क्या 5% एनहाइड्रस् अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर गैसोहल से गाड़ियां चलायी जा रही थीं ? क्या इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने बन्द करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार चीनी उद्योग एवं किसानों के हितों को देखते हुए उपरोक्त परियोजना को जारी रखने हेतु समुचित कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश की 17 आसवनियों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में 838.64 लाख ए0 एल0 एन0 हाइड्रस अल्कोहल का उत्पादन किया गया है।

जी हां।

प्रश्नगत निर्णय की जानकारी नहीं है। यह केन्द्र सरकार का विषय है।

केन्द्र सरकार का विषय है। निर्णय प्राप्त होने पर यथासमय समुचित कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की खपत बहुत होती है और इसीलिए विदेशों से क्रूड आयल का भी इम्पोर्ट होता है और इसमें अरबों रुपये का फारेन एक्स्चेंज देना पड़ रहा है। इसी को दृष्टि में रखकर जब केन्द्र में एन0 डी0ए0 की सरकार थी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एन0 डी0 ए0 की सरकार ने प्रयास करके एन-हाइड्रस अल्कोहल का उत्पादन करने का प्रयास किया था। तो मेरा प्रश्न है कि यह निर्णय कब किया गया ? और एन-हाइड्रस अल्कोहल बनाने की कीमत क्या आ रही है ? तथा इसको किस दर से उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में बेचा जा रहा है ? और क्या इससे किसानों को लाभ मिल रहा है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, कीमत तय करने के विषय में बताना है कि जितना एन-हाइड्रस अल्कोहल बन रहा है, उसकी कीमत तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। इसलिए हर आसवनी की अलग-अलग कीमत होती है। उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। जैसा प्रोडक्ट बनता रहता है उसकी प्राइस घटती-बढ़ती रहती है। जहां तक आपने प्रश्न किया कि इसका निर्णय कब लिया गया ? आपने उसकी तिथि पूछी है तो मैं आपको बता दूं यह 3 सितम्बर, 2002 का आदेश निर्गत हुआ था और पैट्रोल में पांच प्रतिशत एन-हाइड्रस एल्कोहल मिलाया गया। इसे पावर पेट्रोल या गैसोहल के नाम से भी जाना जाता है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

आपने कहा कि यह पांच प्रतिशत पेट्रोल में मिलाया जाता है तो जो पांच प्रतिशत क्रूड आयल इम्पोर्ट होता था वह भी तो कम हो गया और फारेन एक्सचेंज में कमी हो गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किन-किन स्थानों पर मिलाया जाता है, क्या इसे कारों और स्कूटरों के आयल में भी शामिल किया जाता है तथा क्या इसके इंजन में परिवर्तन किया जाता है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, इंजन में किसी टेक्निकल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, कोई अतिरिक्त किट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी इलाके का सवाल नहीं है। यह तेल कम्पनियां और डिसलरीज के बीच का सवाल है। तेल कम्पनियां जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसकी कम्पनियां हैं और वह करार करने के लिए अधिकृत हैं। जैसी उपलब्धता होती है उसके आधार पर मिश्रण करते हैं। 9 राज्यों और चार केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी व्यवस्था थी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, पेट्रोल में एन-हाइड्रस अल्कोहल मिलाने की परियोजना बनाकर कार्यवाही हो रही है। आप जानते हैं कि देश में 80,90 प्रतिशत डीजल की खपत होती है। मुझे याद है कि एक परियोजना हमारी सरकार में तैयार की गयी थी कि इसमें एन-हाइड्रस एलकोहल मिलाया जाय तो इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, गौर साहब अनुभवी हैं वह यह जानते होंगे कि यह विषय राज्य सरकार के विचार के अधीन नहीं है। संविधान में जो अधिकार दिया है उन पर विचार करने का काम केन्द्र सरकार का है इसलिए राज्य सरकार इसके बारे में कोई निर्णय नही ले सकती है।

कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य

*3--श्याम देव राय चौधरी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कृषि विविधीकरण परियोयजना (डास्प) के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कृषि पर उसका तुलनात्मक परिणाम क्या है ?

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

कृषि विविधीकरण परियोजन (डास्प) के अन्तर्गत कृषि के सघनीकरण एवं विविधीकरण के द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु एकीकृतनाशी जीव प्रबंधन जैविक खेती, बीज उत्पादन उद्यान में उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की उपलब्धता, पोस्ट हारवेस्ट प्रबंधन, प्रजाति प्रदर्शन, पशुधन में पैरावेट के रूप में स्वरोजगार तथा पशुपालकों के द्वार पर टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशुपोषण प्रदर्शन, रेशम में मलबरी प्लांटेशन, समूह विकास, ग्रामीण हाट-पैठ एवं पशु बाजार निर्माणकार्य, दुग्ध घटक के अन्तर्गत स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का प्रशिक्षण तथा डेरी समूहों को बाजार से जोड़ने का कार्य किया गया है।

जिन क्षेत्रों में कृषि विविधीकरण परियोजना को अपनाया गया है, उन क्षेत्रों के सैम्पल सर्वेक्षण के अनुसार कृषि पर उसका तुलनात्मक परिणाम निम्नवत् है :--

उपज (कु0/हे0)	आधार वर्ष 98-99	अंतिम प्रभाव	प्रतिशत परिवर्तन
कृषि घटक			
धान	22	28	27.3
गेहूं	30	33	10.0
मक्का	15	20	33.3
सरसों	10	11	10.0
अरहर	12	14	16.7
उद्यान घटक			
आलू	168	260	54.8
प्याज	102	188	84.3
बैंगन	203	255	25.6
हरी मटर	50	73	46.0
हरी मिर्च	74	85	14.9
पशुपालन			
कृत्रिम गर्भाधान	14.5	35	141.4
ऋण घटक			
समूह आधारित ऋण की मात्रा	0	15	--

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, किसानों की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि पर निर्भर करती है। यह योजना केन्द्र सरकार की है और केन्द्र सरकार ऋण के रूप में देती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषकों के विपणन की सुविधा और उनकी अवस्थापना की सुविधाओं के विस्तार हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किए गए ? और दूसरा कि जो यह कृत्रिम गर्भाधान की बात कही गयी है, तो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कहां-कहां खोले गए हैं ? और उनका संचालन कहां-कहां हो रहा है ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, डास्प के अन्तर्गत विपणन के लिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-पैठ का निर्माण कराया और कृत्रिम गर्भाधान के लिए मान्यवर, इसमें पैरावेटों की नियुक्ति की गई, जो कि वहां-वहां कार्य कर रहे हैं जहां-जहां इनकी अति आवश्यकता है। जहां इनकी ज्यादा आवश्यकता है वहां पर पैरावेटों का प्रशिक्षित करके उनके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान के कार्य कराये जा रहे हैं।

श्री जगदीश नारायण राय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डास्प योजना जिन जनपदों में, जिन विकास खण्डों में लागू है और उन विकास खण्डों के संतृप्त होने के बाद, इस योजना को अगले विकास खण्डों में लागू किया जायेगा ? दूसरी बात जिन सड़कों का

निर्माण आप इस योजना के तहत करवाना चाहते थे, उनका काम पूरा हो गया ? अगर उनका काम पूरा हो गया है, तो क्या आप अन्य जगहों पर इस योजना के तहत सड़कों का निर्माण करायेंगे ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, इस योजना के प्रथम फेज में 32 जनपदों के 58 विकास खण्डों को लिया गया है, जहां इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्य कराये गए हैं। अगले फेज के लिए हम कार्ययोजना तैयार करेंगे और विश्व बैंक उनका परीक्षण करेगी कि किस कम्पोनेन्ट में क्या-क्या कार्य होने हैं ? उसके बाद यह तय होगा कि अगले फेज का स्वरूप क्या होगा ? वैसे जो शेष रह गए हैं, पहले उनको लेने की हमारी कार्य योजना है।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि 32 जनपदों के 58 विकास खण्डों को इस योजना के तहत लिया है और अगले फेज में जो शेष रह गए हैं उनको हम लेंगे। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो पहली योजना थी उस योजना के तहत उन्होंने कितने किमी0 सड़कों का निर्माण किया है ? और प्रथम चरण पूरा होने के बाद जो सड़कें अवशेष थीं उनका निर्माण कार्य कब तक करा दिया जाएगा ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

प्रदेश में मान्यवर हमने कुल 2657 किमी0 सड़कों का निर्माण कराया है और विश्व बैंक के मानकों के अनुरूप उनका निर्माण कार्य कराया गया है, इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जो सड़कें प्रस्तावित थीं उनका निर्माण कराया गया है।

श्री अशोक सिंह चौहान--

मान्यवर, प्रथम फेज में जिन सड़कों का निर्माण होना था उनको निर्माण के लिए सारा पैसा स्वीकृत होने के बावजूद लगभग पांच वर्ष उपरान्त भी जो सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, उनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? और जो ठेकेदार, जिनको इनके निर्माण का ठेका मिला था, लेकिन वह इसे छोड़ कर चले गए, उनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, इस योजना के तहत कई क्षेत्रों में बहुत सी सड़कों का निर्माण कराया गया है, अगर कहीं ऐसी स्थिति है जहां काम नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य अगर किसी ऐसी सड़क का नाम बता देंगे तो हम उसको दिखवा लेंगे।

*4--श्री सुरेश कुमार खन्ना --

[9 वें शुक्रवार के तारा0 प्र0 सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु सरकारी योजना

*5--डा0 अजय कुमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपॉम योजनान्तर्गत दलहन विकास परियोजना, उ0 प्र0 के समस्त जनपदों में वर्ष 2004-05 से दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए चलायी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य दलहन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल विस्तार एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाकर कुल उत्पादन बढ़ाना है। उक्त योजना हेतु व्यय की जा रही धनराशि में भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय कुमार--

मान्यवर, दालें हमारे भोजन की मुख्य अंग हैं। आजादी के बाद से, चाहे प्रदेश या देश में कोई भी सरकारें रही हों, इसका उत्पादन स्थिर बना हुआ है, जबकि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गये हैं, लेकिन तिलहन और दलहन के मामले में अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, और इसके आयात पर करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा हम खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, मेरी ऐसी कोई मंशा नही थी कि इस प्रश्न को करके सरकार की कोई आलोचना की जाए क्योंकि इसके संबंध में सभी सरकारें जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

डा0 अजय कुमार--

मान्यवर, जो भारत सरकार की इन्टेन्सिव स्कीम है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे प्रदेश सरकार को कुल कितना धन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है ? और दलहनी फसलों में पिछले वर्ष में कुल कितना क्षेत्रफल था ? और औसत उत्पादन क्या था ? और कुल उत्पादन कितना था ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो डाक्टर साहब कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आपको धीरे-धीरे सवाल पूछना चाहिए।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, जो पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, इसमें हमको वर्ष 2004-05 में 419.74 लाख रुपये हमारे प्रदेश के पास धन उपलब्ध था, जिसके विरुद्ध 3 करोड़ 30 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। जहां तक क्षेत्रफल के संबंध में माननीय सदस्य का प्रश्न है, इसमें 27.78 लाख हेक्टयर क्षेत्र चयनित किया गया था और जिसमें 30 लाख मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन किया था।

डा0 अजय कुमार--

मान्यवर, दालों में प्रोटीन इसका मुख्य अंग है और यह आम आदमी के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है उसमें यह तय किया गया है कि प्रति व्यक्ति कितने दिन कितनी दालें हर व्यक्ति को चाहिए ? क्या उस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में हम प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता करा पा रहे हैं ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत स्वाभाविक है और दालें हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इस पर गंभीर चिंता शासन भी व्यक्त करता है और सदन की भी चिन्ता है। दलहन का उत्पादन हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रहा है, यह बात है। मान्यवर, क्योंकि जो किसान है वह दूसरी कैश क्राप की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हम केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपॉम योजनान्तर्गत दलहन उत्पादन के लिए तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ताकि दालों का उत्पादन प्रदेश में बढ़ाया जा सके। मान्यवर, इसलिए जो भी इसमें संभव होगा, शासन द्वारा सारे प्रयास किये जायेंगे।

ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी

*6--श्री राम करन आर्य--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए शासन द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? प्रदेश में कितनी जमीन उपजाऊ है और कितनी जमीन ऐसी है जिसमें उत्पादन नहीं हो रहा है ? उसको उपजाऊ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ? यदि नही, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

उत्तर प्रदेश कृषि नीति 1993 में भूमि जोत के आर्थिक उपयोग को सुनिश्चित करने विषयक प्राविधान के अन्तर्गत प्रदेश में ऊसर जमीन को सुधार कर उपजाऊ बनाने हेतु वाह्य साहाय्यित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में 168.12 लाख हेक्टेयर भूमि उपजाऊ है तथा 27.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो रहा है।

कृषि विभाग द्वारा ऊसर सुधार के साथ-साथ क्षेत्र को उपजाऊ बनाने हेतु भूमि एवं जल संरक्षण की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर. हमारी सरकार जनप्रिय सरकार है और भूमिहीनों में जमीन कैसे बाँटी जा रही है इससे सब अवगत हैं। मान्यवर, यह डाक्टर लोहिया के सिद्धान्त पर चलने वाली पार्टी है। मान्यवर, हमारी सरकार ने एक भूमि सेना की भी व्यवस्था की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो प्रदेश में ऊँची-नीची जमीनें हैं वह कितनी हैं ? और क्या सरकार भूमिहीनों से उन जमीनों के समतलीकरण के लिए योगदान लेकर, उन्हें मजदूरी देकर, उसका समतलीकरण कराकर उन भूमिहीन काम करने वालों को वह जमीन देने पर विचार करेगी ? या पट्टे पर वह जमीन उनको देने पर विचार करेगी ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, प्रदेश में जो कृषि योग भूमि नहीं है, उस ऊसर भूमि को सुधार कराने की कई योजनाएं हैं जिसमें विश्व बैंक एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं तथा राज्य सरकार की योजनाएं हैं। माननीय सदस्य जिन योजनाओं के बारे में जानकारी चाहें वह हम उन्हें दे सकते हैं। मान्यवर, भूमि सेना का गठन इसीलिए किया जा रहा है कि जो जमीन उपजाऊ नहीं है उसे उपजाऊ बनाकर लोगों

को रोजगार उपलब्ध कराया जाये और उन्हें कृषकों को उपलब्ध कराया जा सके और जिससे प्रदेश का उत्पादन बढाया जा सके। मान्यवर, हमारे यहाँ 27 लाख हेक्टेयर जमीन अनुपजाऊ है उसे उपजाऊ बनाया जा सके इस पर कार्य हो रहा है।

श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'--

मान्यवर, ऊसर सुधार योजना प्रदेश में कार्य कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में ऊसर सुधार कर जमीन को उपजाऊ बनाया गया है और आगे कितना लक्ष्य है ?

डा0 अशोक वाजपेयी--

मान्यवर, प्रदेश में 11.54 लाख हेक्टेयर ऊसर प्रभावित था और उसमें हमने 5 लाख 59 हजार हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बना लिया है, शेष जमीन को उपजाऊ बनाने की कार्ययोजना चालू है।

*7--श्री जगदीश नारायण राय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जीवन रक्षक दवाओं के प्रयोग में आने वाले लहसुन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की योजना

*8--श्री सोबरन सिंह यादव--

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीवन रक्षक दवाओं के प्रयोग में आने वाले लहसुन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सरकार की कोई योजना है यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)--

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता है।

प्रदेश में लहसुन उत्पादन एवं बाजार भाव के दृष्टिगत कृषकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है, अत: न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सोबरन सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 84-85 में लहसुन का मूल्य 4 हजार से 6 हजार रुपये कुन्तल था और आज 20 वर्ष बीत जाने के बाद जबकि रुपये का इतना अवमूल्यन हो रहा है, माननीय नेता सदन की कर्मभूमि मैनपुरी में घिरोर जो देश में दूसरे नम्बर की और प्रदेश में पहले नम्बर की मंडी है वहां पर 90 रुपये कुन्तल लहसुन बिक रहा है वहां का लहसुन किसान अर्द्धविक्षिप्त स्थिति में है तो क्या सरकार की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वह किसानों को उसका लाभकारी मूल्य दिला सके ?

मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कारगर कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी वर्ष 84-85 का जिक्र किया है कि उस समय लहसुन का यह मूल्य था चाहे दैवी आपदा समझिये या और कोई कारण समझिये उस समय लहसुन 100 रुपये किलो हो गया था लेकिन लहसुन का जो मूल रेट निर्धारित है 412 रुपया प्रति कुन्तल, पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से 412 रुपये कुन्तल, लेकिन आज की डेट में पूरे प्रदेश में 770 रुपये से नीचे कहीं रेट नहीं है। अगर माननीय विधायक जी को जरूरत हो तो हम पूरे प्रदेश का जिलेवार आंकड़ा दे सकते है। प्रदेश के पूरे आंकड़े में 412 रुपये से कम रेट नहीं है और 770 तक लहसुन का रेट है।

श्री सोबरन सिंह यादव--

मान्यवर, 412 रुपये माननीय मंत्री जी के अनुसार रेट निर्धारित है तो क्या ये 412 रुपये कुन्तल पर खरीद करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने 412 रुपये बाजार भाव बताया है।

श्री सोबरन सिंह यादव--

मान्यवर, बाजार भाव कोई मायने नहीं रखता है जब 412 रुपये निर्धारित कर चुके हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि इतनी निकाई, गुड़ाई करने, पानी देने के बाद 90 रुपये कुन्तल के हिसाब से अधिकांश नहीं खरीद रहा है अगर 412 रुपये प्रति कुन्तल का निर्धारण सरकार का है तो उस पर खरीद करना चाहिए।

(तारांकित प्रश्न संख्या-9 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर नहीं है। (तारांकित प्रश्न संख्या-9 के प्रश्नकर्ता प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर तथा प्रश्न संख्या-10 के प्रश्नकर्ता डा0 सुशील चौधरी का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था लहसुन के भाव के संबंध में। माननीय मंत्री जी ने लहसुन का भाव 412 से 470 रुपये प्रति क्विंटल बताया और यह भी कहा कि डिटेल उपलब्ध करा देंगे। इस पर माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैनपुरी जनपद, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा लहसुन उत्पादन का केन्द्र है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादन केन्द्र है, वहाँ 90 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिल रहा है। माननीय सदस्य उसी जनपद से विधायक हैं। यह एक सूचना सदन को दे रहे हैं और माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं। माननीय मंत्री जी 412 रुपये बता रहे हैं और माननीय सदस्य यह कह रहे है कि 90 रूपये प्रति क्विंटल के रेट से वहाँ के किसानों का उत्पीड़न/शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिये सरकार कोई काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

जब प्रश्न आगे बढ़ गया तो आप अनावश्यक क्यों ऐसा कर रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अभी प्रश्न प्रहर का समय बाकी है, इसमें आपका संरक्षण चाहिये, यह नये सदस्य है।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्न आगे बढ़ गया, अब इसका कोई औचित्य नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, किसानों का शोषण हो रहा है और माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं आप उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो आप उत्तर दिलवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक मंडी के भाव के बारे में रोज सूचना अखबारों में प्रकाशित होती है और श्रीमन् दूरदर्शन तथा विभिन्न चैनलों पर मंडियों के भाव दिखाये जाते हैं। जहां तक 90 रुपये प्रति क्विंटल की बात है, मैं चुनौती के लिये नही कह रहा हूँ, मेरा कोई दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं है, जैसा आप लोग हर बात में करते हैं, लेकिन मैं पुन : कहना चाहता हूँ कि 90 रुपये प्रति क्विंटल का मतलब हुआ 90 पैसा प्रति किलो और यह भाव उत्तर प्रदेश की किसी मंडी में इस समय लहसुन का नहीं है, 90 पैसा किलो में तो उसका छिलका भी नही मिलेगा। इसलिये कोई चुनौती देने की बात नहीं है, मैं पूरी विनम्रतापूर्वक अपनी बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने भाव अवगत करा दिया और माननीय सदस्य उस भाव का रीबट कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि 90 रुपये प्रति क्विंटल का भाव है, उस पर उत्तर आ चुका। मान्यवर, आप किसी भी मंडी से अधिकारिक सूचना मंगा लें, इस पर चर्चा हो जायेगी। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि आपकी सूचना गलत निकलेगी तो यह हो जायेगा लेकिन यदि माननीय सदस्य की सूचना 90 रुपये प्रति क्विंटल की सही पाई जाय तो सरकार की गलतबयानी के लिये आप जो चाहे, कार्यवाही कर दीजियेगा। इसलिये आप किसी मंडी से भाव की जानकारी मंगवा लीजिये।

श्री सोबरन सिंह यादव--

मान्यवर, घिरोर से जानकारी मँगवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मँगा लेंगे।

प्रदेश में शीरे का उत्पादन व शीरे से पेट्रोल बनाने के लिये सरकारी योजना की जानकारी

*9--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्रतिवर्ष शीरे का कितना उत्पादन होता है ? क्या सरकार शीरे से पेट्रोल बनाने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

शीरा चीनी उद्योग का सह-उत्पाद है। प्रतिवर्ष शीरे का उत्पादन गन्ना उत्पादन पर आधारित होता है, जो तदनुसार घटता-बढ़ता रहता है, गत शीरा वर्ष 2003-04 में प्रदेश की चीनी मिलों में 224.80 लाख कुण्टल शीरे का उत्पादन हुआ तथा वर्तमान शीरा वर्ष 2004-05 में माह जनवरी, 2005 तक 136.00 लाख कुण्टल शीरे का उत्पादन हो चुका है।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या-9 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री रविन्द्र पुण्डीर नहीं है।

प्रदेश में गांवों के विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ा स्थल हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की जानकारी

*10--डा0 सुशील चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांवो के विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ा स्थल स्थापित किये जाने के लिये भूमि आरक्षित किये जाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 8-क तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम 24-क (2) के अन्तर्गत आबादी के प्रसार, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आबादी की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता तथा सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ास्थल आदि के लिए भूमि का आरक्षण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सहारनपुर, ग्राम मगनपुरा, तहसील बेहट की निवासी श्रीमती ओमवती को खाता खतौनी सं0 938/1410 का कब्जा दिलाये जाने की मांग

1--डा0 सुशील चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में श्रीमती ओमवती विधवा निवासी ग्राम मगनपुरा, तहसील बेहट को खाता खतौनी संख्या 938/1410 फसली खसरा नम्बर-795/हे0 रकबा 0.245 वर्ष 2003 में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त लाभार्थी को कब्जा नहीं मिला है ? यदि हां , तो सरकार कब तक लाभार्थी को कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

लाभार्थिनी को उक्त भूमि का दो बार कब्जा दिलाया गया, किन्तु भूमि के ऊबड़-खाबड़ होने के कारण लाभार्थिनी ने वास्तविक कब्जा अभी तक नहीं लिया है। मौके पर भूमि खाली पड़ी है।

उपरोक्ततानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, गांव गठचपा, थाना मानिकपुर, तहसील कर्वी की निवासी श्रीमती मैकी को भूमि प्रबन्ध समिति गठचपा द्वारा दिये गये पट्टे का कब्जा दिलाये जाने की मांग

2--डा0 सुशील चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद चित्रकूट की निवासी श्रीमती मैकी पत्नी श्री राजाराम, गांव गठचपा, थाना मानिकपुर, तहसील कर्वी को भूमि प्रबन्ध समिति गठचपा द्वारा वर्ष 1997 में पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त लाभार्थी को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कब्जा कब तक दिलाया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, गांव गठचपा, तहसील कर्वी, थाना मानिकपुर निवासी श्रीमती मुनुवां पत्नी श्री राम नरेश दलित पति एंव पत्नी के सम्मिलित नाम से पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

3--डा0 सुशील चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट निवासी श्रीमती मुनुवां पत्नी श्री राम नरेश दलित गांव गठचपा, तहसील कर्वी, थाना मानिकपुर को वर्ष 1997 में पति एवं पत्नी के सम्मिलित नाम से 4 बीघा का पट्टा किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त लाभार्थी पट्टे की जमीन पर काबिज हैं ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मुनुवां पत्नी नरेश व नरेश पुत्र मेलइयां निवासी गठचपा, तहसील कर्वी को कुल 3 बीघा 3 विस्वा का पट्टा वर्ष 1997 में हुआ है।

पट्टेदार पट्टे की जमीन पर काबिज है, किन्तु 1 बीघा 17 विस्वा को जोते बोये हैं, शेष रकबा खाली पड़ा है।

पट्टेदार को पूर्व में कब्जा दखल दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में आई0पी0सी0 की धारा 122(4)(एफ) ज0उ0अ0 के अन्तर्गत मुकदमों का निस्तारण किये जाने की मांग

4--श्री सुखदेव राजभर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2002-2003व 2004-2005 में आई0पी0सी0 की धारा 122 (4) (एफ) ज0उ0अ0 के अन्तर्गत कितने मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया है और कितने मुकदमें लम्बित है ? लम्बित मुकदमों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ में आई0पी0सी0 की नहीं बल्कि जमींदरी विनाश अधिनियम की धारा 122बी (4) एफ के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में कुल 100 मुकदमें तथा वर्ष 2004-05 में कुल 7 मुकदमें 15 फरवरी, 2005 तक दायर हुए और सभी मुकदमों का निस्तारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में पट्टा धारकों को कब्जा दिलाये जाने की मांग

5--श्री सुखदेव राजभर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लालगंज, जनपद-आजमगढ़ में वर्ष 2001-2002 एवं वर्ष 2002-2003 में कितने एकड़ भूमि का कृषि पट्टा किया गया, कुल कितने पट्टे धारक थे ? क्या उक्त सभी पट्टे धारकों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

तहसील-लालगंज, जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2001-2002 में कृषि का पट्टा नहीं हुआ है। वर्ष 2002-03 में कुल 692-563 एकड़ का कृषिक पट्टा हुआ है। कुल पट्टा धारकों की संख्या-1915 है।

उक्त 1915 पट्टा धारकों में से 1852 को आवंटन के पश्चात् कब्जा दखल दे दिया गया है। शेष 63 पट्टा धारकों को स्थगन आदेश के कारण कब्जा नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, तहसील पुरवा, ग्राम गोनामऊ में अवैध रूप से किये गये पट्टों को निरस्त करने व वांछित खाते पूर्ववत् भूमिधरी जमीन में बने रहने की मांग

6--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-10-2004 जो ग्राम गोनामऊ, तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव मे अवैध रूप से किये गये पट्टों को निरस्त किये जाने तथा वांछित खाते पूर्ववत् भूमिधरी जमीन में बने रहने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हाँ।

भूमि संख्या 129, 514 डबल इन्द्राज होने के कारण धारा 198 (4) जमी0 वि0 अधि0 के तहत अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वाद में निर्णय होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद, ग्राम कुंरुगांव परगना व तहसील सोरांव के खसरा सं0 684 का पट्टा निरस्त करने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

7--डा0 अजय कुमार--

क्या सरकार को जानकारी है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में व्यवस्था है कि पेड़ों से आच्छादित भूमि, कुंआ, तालाब आदि का कृषि कार्य हेतु पट्टा नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो ग्राम कुंरुगांव, पो0 करौंदी परगना व तहसील सोरांव, जनपद इलाहाबाद के खसरा संख्या-684 जो पेड़ों से आच्छादित है, का पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध पट्टे को निरस्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हाँ।

खसरा संख्या-684 का पट्टा किया गया है किन्तु पेड़ों से आच्छादित नहीं है।

पट्टा वैध है, निरस्त किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला देवरिया, पोस्ट बैकुण्ठपुर, ग्राम सठियांव में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 भागवत भगत (खजड़ी वाल) की प्रतिमा लगाये जाने की मांग

8--श्री आर0एस0 कुशवाहा--

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 भागवत भगत (खजड़ीवाल) की प्रतिमा उनके ग्राम सठियांव, पोस्ट बैकुण्ठपुर, जिला देवरिया में लगाये जाने हेतु मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 का पत्रांक-ई-31(1) /सी0एम0-2/2004, दिनांक 8-1-04 प्रमुख सचिव, सांस्कृतिक कार्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में सठियांव से बैकुण्ठपुर तक सड़क बनवाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

9--श्री आर0एस0 कुशवाहा--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 भागवत भगत (खजड़ीवाल) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्राम सठियांव, पोस्ट बैकुण्ठपुर, जिला देवरिया के ग्राम से बैकुण्ठपुर तक सड़क बनाये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री का पत्रांक-ई-44/सी0एम0-2/04, दिनांक 9-1-04 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित सठियांव से बनकटा घाट (5.90 कि0मी0) तथा सठियाँव से वैकुण्ठपुर (2.00 कि0मी) का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी, ग्राम लोहटीजई, परगना व तहसील रामनगर के ग्राम समाज की जमीन पर वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा किये गये कब्जे के संबंध में पत्र

10--श्री सुल्तान बेग--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायक श्री सोमारू राम सरोज का पत्र दिनांक 05 जनवरी, 2005 जो कि ग्राम लोहटीजई, परगना व तहसील राम नगर, जनपद-बाराबंकी के ग्राम समाज के गाटा सं0-248 के लगभग 5 बीघा जमीन पर वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

अभिलेखों के आधार पर उक्त पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की बभनान चीनी मिल से खोड़ारे जाने वाली प्रमुख सड़क को चौड़ी करने की मांग

11--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा की बभनान चीनी मिल से खोड़ारे जाने वाली जनपद की प्रमुख सड़क कम चौड़ी होने के कारण गन्ना पेराई सत्र में उस सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों, छात्र/छात्राओं एवं आम जनता को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान गन्ना पेराई सत्र एवं अगामी पेराई सत्र के मध्य उक्त सड़क को चौड़ी कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के ग्राम उतरगांवा, पौना में अनुसूचित जाति के आवंटियों को पट्टे की भूमि का कब्जा दिलाये जाने की मांग

12--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ग्राम उतरगांवा, पौना में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति है, जिन्हें विगत वर्ष पट्टे की भूमि आवंटित की गयी थी ? क्या उन आवंटियों को भूमि का कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

विगत वर्ष में कोई आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन ग्राम उतरगांवा में वर्ष 1976 में 50 तथा वर्ष 1984 में 30 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार इसी ग्राम के 24 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1976 में आवास स्थल का आवंटन किया गया है।

ग्राम पौना में वर्ष 1975 में 3 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास निधि की राशि बढ़ाये जाने की मांग

13--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास निधि की राशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

कुडवार-नौगवातीर सुल्तानपुर गोमती नदी पर पुल हेतु धन अवमुक्त करने की मांग

14--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर सं0 सी-10106024 सी0एम0/वि0का0/एक/106024/2004, दिनांक 4-8-2004 जो कुडवार-नौगवातीर, सुल्तानपुर गोमती नदी पर पुल हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ,

प्रश्नगत सेतु के निर्माण हेतु आर0आई0डी0एफ0-10 योजना के अधीन ऋण का प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के कपरवार घाट होकर बनारस इलाहाबाद जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने की मांग

15--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में गौरी बाजार, रुद्रपुर, बरहज मार्ग जो कपरवार घाट होकर बनारस, इलाहाबाद तक जाता है, पर भारी वाहनों के आवागमन से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

इस मार्ग के कि0मी0 52 में स्थित 600 मीटर लम्बाई का भाग, जो राम लक्षन कस्बे में पड़ता है, बरसात के पानी से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे सुधार दिया गया है! किसी प्रकार की दुर्घटना विभागीय संज्ञान में नहीं है।

प्रश्नगत मार्ग के आबादी भाग को छोड़कर शेष लम्बाई में मार्ग की लेपित सतह सामान्यत: सन्तोषजनक है। सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु कोई प्रस्ताव किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद उन्नाव, ग्राम कंचनपुर निवासी श्री हनोमान, पुत्र श्री रामदीन की जमीन पर अवैध निर्माण हटवाने संबंधी पत्र

16--श्री सुखदेव राजभर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की [illegible] के प्रश्नकर्ता के पत्रांक सं0 1248/दिनांक 9-9-04 जो श्री हनोमान पुत्र श्री रामदीन, नि0 ग्राम कंचनपुर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की भूमिधरी जमीन पर श्री हरीराम आदि द्वारा बगैर किसी लिखा पढ़ी के जबरदस्ती दुकानों का अर्धनिर्मित निर्माण किया है, को हटवाने एवं प्रार्थी को कब्जा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में था, मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

अभिलेखीय आधार पर उक्त पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में सुभली नदी पर सरसवां पुल के निर्माण हेतु आवंटित पूर्वांचल निधि (राज्यांश) से सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने की जांच

17--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में सुभली नदी पर सरसवां पुल के निर्माण हेतु पूर्वांचल निधि (राज्यांश) से धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण पूर्ण न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त पुल का निर्माण अविलम्ब पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

वन टाइम सहायता प्राप्त पूर्वांचल विशेष पैकेज से रु0 78.26 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

जांच करायी जा रही है।

जी हां।

समय सीमा का निर्धारण सम्भव नही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड विकास निधि की राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किये जाने की मांग

18--श्री बृजेन्द्र कुमार ब्यास (डमडम महराज)--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि की राशि का शत-प्रतिशत उपयोग हो रहा है तथा 2003-04 के वितीय वर्ष में बुन्देलखण्ड विकास निधि के राज्य सेक्टर के बजट के माध्यम से रु0 25 करोड़ के प्रावधान का पूर्णत: बुन्देलखण्ड में उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां, किन्तु वित्तीय वर्ष 2003-04 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) में प्राविधानित धनराशि रु0 2500.00 लाख के सापेक्ष रु0 1612.71 लाख के प्रस्ताव परिपक्व पाये जाने पर उनकी स्वीकृतियां निर्गत की गयीं तथा अवशेष धनराशि रु0 887.29 लाख यथा समय समर्पित कर दी गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर ग्राम सराय बिलोकी एवं बदलापुर की श्रीमती जितना देवी एवं श्याम लाल बनवासी को ग्राम समाज द्वारा किये गये पट्टे

19--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर, ग्राम सराय बिलोकी एवं उमरी बदलापुर की श्रीमती जितना देवी दलित एवं श्याम लाल बनवासी को आराजी नं0 186/256 चकबन्दी के समय ग्राम समाज द्वारा पट्टा किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें अभी तक कब्जा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

तहसील बदलापुर में ग्राम सराय बिलोकी कोई राजस्व ग्राम नहीं है। ग्राम सभा सराय बिलोकी के अन्तर्गत ग्राम महमपुर में गाटा संख्या 189/256 में 0.081 हे0 श्यामू पुत्र रामफेर व इसी गाटा संख्या में 0.101 हेक्टेयर जितना देवी के पति पथरू पुत्र रामफेर के नाम कृषि पट्टा हुआ है।

उन्हें कब्जा दिलाया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर से श्रीमती ऊषा तिवारी (निवर्तमान), जिला प्रोवेशन अधिकारी के स्थानान्तरण होने से आवास सं0 टी-38 को खाली कराये जाने की मांग

20--श्री सलिल विश्नोई--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ऊषा तिवारी (निवर्तमान), जिला प्रोवेशन अधिकारी, जनपद कानपुर नगर से स्थानान्तरण होने के बावजूद आफीसर्स कालोनी,

रावतपुर, कानपुर नगर के आवास संख्या टी-38 में निवास कर रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आवास को खाली कराकर जिले के अन्य अधिकारी को आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

श्रीमती ऊषा तिवारी, प्रोबेशन अधिकारी का जनपद कानपुर नगर से जनपद महराजगंज को स्थानान्तरण के पश्चात् प्रश्नगत आवास में अध्यासन बना हुआ है। अध्यासी वर्तमान में फर्रुखाबाद में तैनात है।

आवास को रिक्त करने एवं किराये की वसूली हेतु जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अध्यासी को नोटिस जारी की जा चुकी है।

आवास रिक्त कराने के पश्चात् नियमानुसार यथावश्यक आवास आवंटन पर विचार करना सम्भव होगा।

यथोक्त।

जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर, परगना माहूल के ग्राम कोहरौली में पोखरी सं0 815, चकमार्ग सं0 596, 457 व 822 तथा गाटा सं0 816 मानचित्र के अनुसार स्थल निरीक्षण कराने की मांग

21--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर, तहसील-परगना माहूल के अन्तर्गत ग्राम कोहरौली में पोखरी संख्या 815, चकमार्ग संख्या 596, 457 व 822 तथा गाटा संख्या 816 राजस्व अभिलेखों में क्या अंकित है तथा उनका रकबा, क्षेत्रफल क्या है ? क्या उनकी लम्बाई, चौड़ाई मानचित्र, खसरा, खतौनी में दर्ज अभिलेखों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी वर्ष 1959 की खतौनी, खसरा, मानचित्र के अनुसार उक्त के सम्बन्ध में चकबन्दी अभिलेखों की जांच कराकर स्थल निरीक्षण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम कोहरौली, परगना माहूल, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या 815 पोखरी, गाटा सं0 596 परिक्रमा मार्ग, गा0 सं0 457 व 822 चकमार्ग तथा गा0 सं0 816 सोरहन ग्राम सभा के खाते में अंकित है, जिनका राजस्व अभिलेखों में क्षेत्रफल क्रमशः 0.419 हे0, 0.169 हे0, 0.018 व 0.022 हे0 तथा 0.020 हे0 अंकित है।

जी नहीं।

पोखरी सं0 815 रकबा 0.419 हे0 खतौनी, खसरा में अंकित रकबे के अनुसार मानचित्र में 0.079 हे0 कम है। शेष नम्बरान 596, 457, 822, 816 खतौनी व खसरा में अंकित क्षेत्रफल के अनुसार मानचित्र में सही प्रदर्शित है।

जी हां।

पोखरी संख्या 815 रकबा 0.419 हे0 बाबत 1359 फ0 की खतौनी, खसरा, मानचित्र तथा चकबन्दी अभिलेखों की जांच करायी जा रही है। भू-अभिलेखों के आधार पर मानचित्र की आकृत

कम प्रदर्शित होने के संबंध में अन्तर्गत धारा 28 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नक्शा दुरुस्ती हेतु गांव सभा की ओर से वाद योजित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सपत्यारा, ब्लाक ददरोल की चकबन्दी कराये जाने की मांग

22--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपया बतायेंगे कि क्या वर्तमान सरकार के द्वारा ग्रामों में चकबन्दी कराना बन्द कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सपत्यारा, ब्लाक ददरोल की चकबन्दी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराने का प्रस्ताव चकबन्दी आयुक्त के पत्र संख्या 4275/जी0-168/59, दिनांक 9-11-04 द्वारा शासन की अनुमति हेतु प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में पहड़िया कृषि उत्पादन मण्डी में केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 1993 से प्रयोग में लायी जा रही दुकानों को खाली करा कर व्यापारियों को आवंटित किये जाने की मांग

23--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में पहड़िया कृषि उत्पादन मण्डी में व्यापारियों के स्थान पर केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा सैकड़ों दुकानें वर्ष 1993 से प्रयोग में लायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकानों को केन्द्रीय सुरक्षा बल से खाली करा कर व्यापारियों को आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

दुकानों को खाली कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग उ0 प्र0 परिक्षेत्र के कृषि फार्मों में कई वर्षों से कार्य कर रहे दैनिक श्रमिकों को अन्य विभागों की तरह बोनस दिये जाने व नियमित करने की मांग

24--श्री कौशल किशोर--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग उ0 प्र0 परिक्षेत्र के कृषि फार्मों में काम कर रहे दैनिक श्रमिक किस श्रेणी में आते हैं ? दैनिक श्रमिक जो कृषि फार्मों में कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, उनको अन्य विभागों की तरह बोनस दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो दैनिक श्रमिक कृषि फार्मों में सन् 1990 के पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

ये मजदूर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आते हैं ।

जी नहीं।

कृषि कार्य में लगे मजदूर बोनस के पात्र नहीं हैं।

जी नहीं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूर को नियमित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद गोण्डा, ग्राम बौगड़ा, पोस्ट बजीरगंज की सड़क के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने एवं धनराशि अवमुक्त करने की मांग

25--श्री कोविद कुमार सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उ0 प्र0 का पत्र सं0 1117/एस/एम/एम/ई/03, दिनांक 31-5-2004 के साथ संलग्न श्री हादी हसन, पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम बौगड़ा, पोस्ट बजीरगंज, जनपद गोण्डा का पत्र जो कि सड़क के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने एवं धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

प्राविधिक परीक्षक द्वारा की गयी जांच के आधार पर निर्माण कार्य में अनियमिततायें पायी गयीं जिसके फलस्वरूप कतिपय अभियन्ता दोषी पाये गये और उनको आरोपित किया गया। आरोप-पत्रों पर प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा और निर्माण कार्य हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, तहसील सिकन्दरपुर, ग्राम खरीद दरौली घाट पर पीपे का पुल बनवाये जाने की मांग

26--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर के ग्राम खरीद दरौली घाट पर पीपे के पुल बनाने की योजना उ0 प्र0 शासन के विचाराधीन है। यदि हां, तो उक्त घाट पर कब तक पुल बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

घाघरा नदी पर दरौली घाट पर पाण्टून पुल तथा उसके पहुंच मार्ग के निर्माण की कुल अनुमानित लागत रु0 435.90 लाख का आगणन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर उक्त सेतु का निर्माण निर्भर होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में शासन द्वारा जनपद की जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़क के विस्तार का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कराये जाने की मांग

27--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 2004-05 में शासन द्वारा जनपद की जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़कों के विस्तार हेतु कितना-कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग ने अभी तक शासन द्वारा भेजे गये धन का उपयोग नहीं किया है और न तो सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जनपद की जर्जर सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण/सुधार हेतु कुल रु0 710.83 लाख अवमुक्त किया गया है। नवीन सड़कों के विस्तार हेतु कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया है।

धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है। सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति में है।

कार्य प्रारम्भ है तथा प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

28--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

[3 सरे मंगल के अता0 प्र0 संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् की आमदनी तथा मण्डी क्षेत्र में खर्च किया गया व्यय

29--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सरकार के पदारूढ़ होने से 31-12-2004 तक उ0 प्र0 मण्डी परिषद् की आमदनी कितनी हुयी ? इस आमदनी में से सर्वाधिक धन किस मण्डी क्षेत्र में खर्च किया गया ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एक मण्डी की आय दूसरी मण्डी के क्षेत्र में खर्च किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो यह आय किस प्राविधान के अन्तर्गत दूसरी मण्डी क्षेत्र में हस्तान्तरित की जा रही है ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

रु0 338.84 करोड़।

सर्वाधिक विकास कार्यों की स्वीकृतियां मण्डी समिति, कानपुर में प्रदान की गयीं।

जी नहीं।

एक मण्डी से दूसरी मण्डी समिति को धनराशि स्थानान्तरित नहीं की जाती है बल्कि मण्डी अधिनियम की धारा 26 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय रूप से कमजोर मण्डियों को केन्द्रीय मण्डी निधि (सेस) से धनराशि दी जाती है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की सलेमपुर बीज गोदाम से छिब्बी ग्राम तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

30--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की सलेमपुर बीज गोदाम से छिब्बी ग्राम तक सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्नगत सड़क की लेपन स्तर तक निर्माण हेतु जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में रु0 5.98 लाख स्वीकृत हुआ था, जिसके सापेक्ष मार्च, 2002 तक टाप कोट कुटाई तक का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि व्यय करने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण न होने की जांच की जा रही है। जांचोपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान बैंक के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था

31--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गन्ना चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को उनके गन्ने के मूल्य को सीधे भुगतान न करके बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि गोमती शुगर मिल, अजवापुर, जनपद खीरी द्वारा नियमों के विरुद्ध गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ने का भुगतान गन्ना किसानों को बैंक पास बुकों के माध्यम से करने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को उनके गन्ने के मूल्य को बैंक के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था है।

गोमती शुगर मिल, अजवापुर, जनपद खीरी द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान बैंकों के माध्यम से ही किया जा रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज, तहसील निचलौल, ग्राम सोहगीवरवां, शिकारपुर की चकबन्दी कराये जाने की मांग

32--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के ग्राम सोहगीवरवां, शिकारपुर की चकबन्दी निरस्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त गांवों में चकबन्दी कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के ग्राम सोहगीवरवां को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 338/जी0-153/72, दिनांक 18-2-2005 द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक् कर दिया गया है तथा शिकारपुर की चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन की विज्ञप्ति दिनांक 28-10-87 को जारी की गयी थी।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज/कुशीनगर के बेलवा घाट पर निर्मित दीर्घ सेतु को पक्के मुख्य मार्ग से जोड़ने तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग

33--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज/कुशीनगर में छोटी गण्डक नदी के बेलवा घाट पर निर्मित दीर्घ सेतु को पक्के मुख्य मार्ग से जोड़ने तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य तथा कर्मचारियों के बकाया देयों का भुगतान किये जाने की मांग

34--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज की सिसवां बाजार चीनी मिल के अधिग्रहण के बाद पुराने कबाड़ की बिक्री 1997 में चीनी निगम द्वारा की गयी थी ? क्या यह सही है कि प्राप्त धनराशि से 1982-83 के बकाया गन्ना मूल्य एवं कर्मचारी देयों के भुगतान किये जाने का निर्णय हुआ था ? यदि हां, तो मनमाने तरीके से व्यय करने के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य तथा कर्मचारियों के बकाया देयों का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं। कर्मचारी संगठनों एवं चीनी मिल के प्रबन्धन के बीच इस आशय की सहमति हुयी थी कि स्क्रैप बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग मात्र श्रमिकों के अधिग्रहण के पूर्व के समय के बकाये का भुगतान मा0 न्यायालय विहित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार किया जायेगा। स्क्रैप बिक्री से प्राप्त धनराशि रु0 38,43,437.72 चीनी निगम मुख्यालय में जमा है। इस संबंध में विहित अधिकारी/आयुक्त, लखनऊ मण्डल के मा0 न्यायालय में निर्णयार्थ लम्बित है। मा0 न्यायालय विहित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार ही संदर्भित धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

35--श्री शिवेन्द्र सिंह--

[दूसरे सोम के अता0 प्र0 सं0-96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वाराणसी में रामनगर-सामने घाट पर आवागमन की अधिकता को देखते हुये पुल के निर्माण में गुणवत्ता युक्त सामानों के प्रयोग किये जाने की मांग

36--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी में रामनगर-सामने घाट के बीच बनने वाले अस्थायी पीपा पुल के निर्माण में लगाये जाने वाला सभी सामान अत्यन्त पुराना एवं जर्जर होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? आवागमन की अधिकता को देखते हुये पुल के निर्माण में गुणवत्तायुक्त सामानों के प्रयोग किये जाने हेतु सरकार आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं । प्रयोग में आने वाले सामानों में से आंशिक पीपे तथा स्लीपर्स आदि ही पुराने व मरम्मत योग्य हैं।

उपरोक्त पाण्टून सेतु प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर से 15 जून तक सीमित भार वाहन क्षमता (2.00 मीट्रिक टन) के लिये ही बनाया जाता है तथा इससे अधिक भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में पुल की विशेष मरम्मत हेतु रु0 22.40 लाख की स्वीकृत लागत के सापेक्ष रु0 11.40 लाख की धनराशि जनवरी, 2005 में आवंटित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में दीन दयाल योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क जगदौर से हड़खोड़ा की स्वीकृत लम्बाई से कम बना कर अधूरे कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में दीन दयाल योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क जगदौर से हड़खोड़ा की स्वीकृत लम्बाई से कम बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया और धन का दुरुपयोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच करा कर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत सिन्दुरिया से सिसवा जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

38--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के अन्तर्गत सिन्दुरिया से सिसवा मार्ग जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित कराकर उक्त मार्ग का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं। किन्तु प्रश्नगत मार्ग की स्थिति कहीं-कहीं खराब है।

जी नहीं।

नाबार्ड योजना के अधीन सुधार कार्य कराने का प्राविधान नहीं है।

जनपद महराजगंज के जर्जर प्रमुख जिला मार्ग सी0एस0टी0एन0 का नाबार्ड से धन स्वीकृत कराकर निर्माण कराये जाने की मांग

39--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के प्रमुख जिला मार्ग सी0एस0टी0एन0 की जर्जर स्थिति को देखते हुये नाबार्ड से धन स्वीकृत करा कर निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नाबार्ड योजना के अधीन मार्ग के सुधार का प्राविधान नहीं है।

जनपद महराजगंज के मुख्यालय स्थित बलियवा नाले पर स्वीकृत सेतु का निर्माण कराने की मांग

40--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के मुख्यालय में स्थित बलियवा नाले पर स्वीकृत सेतु का क्या निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सेतु का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग

41--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर स्थित धुरियापार सहकारी चीनी मिल पर सिसवा बाजार गन्ना समिति जनपद महराजगंज के गन्ना किसानों का वर्ष 1997-98 का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? उक्त गन्ना मूल्य का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

किसान सहकारी चीनी मिल धुरियापार पर पेराई सत्र 1997-98 का सिसवा बाजार समिति क्षेत्र के गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। सिसवा बाजार समिति द्वारा गन्ना मूल्य मद को

धनराशि में से रु0 10,58,568.60 पैसे का व्यावर्तन अन्य मद में कर लिया था। फलस्वरूप उक्त सीमा तक कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो सका है। गन्ना आयुक्त को शीघ्र भुगतान कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नगरा आर0एन0टी0 सीसवार मार्ग का निर्माण कराने की मांग

42--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के नगरा आर0 एन0 टी0 सीसवार मार्ग का क्या निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

निर्माण कार्य टाप कोट कुटाई स्तर तक पूर्ण है। लेपन कार्य शेष है। प्राप्त आवंटन का अन्य कार्यों पर व्यय होने एवं प्रकरण जांच से आच्छादित होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। जांचोपरान्त ही प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य कराना विचारणीय होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बछईपुर, सुल्तानपुर मार्ग का निर्माण कार्य कराने की मांग

43--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बछईपुर, सुल्तानपुर मार्ग का निर्माण किस योजना में स्वीकृत किया गया था ? उक्त निर्माण कार्य हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया था ? क्या स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त कर निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्नगत निर्माण कार्य आर0 आई0 डी0 एफ0-7 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था।

रु0 15.53 लाख।

स्वीकृत धनराशि रु0 15.53 लाख के विरुद्ध रु0 16.91 लाख आवंटित हो चुका है एवं रु0 14.76 लाख व्यय हो चुका है, परन्तु लेपन कार्य शेष है।

भौतिक प्रगति, किये गये व्यय के अनुरूप नहीं है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रकरण जांच से आच्छादित होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है।

जनपद बलिया के नगरा एकइल रतहड़ मार्ग पर सड़क का निर्माण कराने की मांग

44--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के नगरा एकइल रतहड़ मार्ग पर रतहड़ में कट स्टोन एवं नाली निर्माण हेतु वर्ष 2003-04 में धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

रतसड़ में 500 मी0 की लम्बाई में कट स्टोन एवं नाली निर्माण हेतु विशेष मरम्मत में वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु0 25.00 लाख का धनावंटन प्रदान किया गया था। प्राप्त धन अन्य मद में व्यय कर दिया गया था जिसकी जांच करायी गयी। जांचाख्या परीक्षणाधीन है। सड़क निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बलिया के नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग पर कट स्टोन एवं नाली के निर्माण कराये जाने की मांग

45--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के नगरा सिकन्दरपुर मार्ग पर 2003-04 में कट स्टोन एवं नाली के निर्माण हेतु लगभग 15 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

वर्ष 2003-04 में रु0 5.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसे अन्य मद में व्यय कर लिये जाने के कारण प्रकरण में जांच की गयी। जांच आख्या शासन के परीक्षणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में रु0 10.00 लाख का धनावंटन दिया गया है जिसके सापेक्ष्य कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की डिहवा चडटी के पूरब विद्यालय होते हुये रामनाथ के पुरवा तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

46--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की डिहवा चडटी के पूरब विद्यालय होते हुये रामनाथ के पुरवा तक के मार्ग पर कितना धन स्वीकृत किया गया था तथा कितना धन अवमुक्त किया गया था ? क्या अवमुक्त धन से मार्ग का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग निर्माण हेतु रु0 4.97 लाख स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 4.22 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

जी नहीं।

संदर्भित मार्ग पर अवमुक्त धन से कम निर्माण कार्य होने के बिन्दु पर जांच की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण।

बस्ती मेंहदावल-कप्तानगंज-तमकुही के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

47--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बस्ती मेंहदावल-कप्तानगंज-तमकुही मार्ग (कि0मी0 72 से कि0मी0 87 तक) काफी क्षतिग्रस्त है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं। आबादी भाग में पानी की निकासी न होने के कारण मार्ग कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध धनराशि से ठीक करा कर यातायात चलाया जा रहा है।

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के ग्राम लाला की सरैया में अवैध कब्जे को हटाने के लिये कार्यवाही किये जाने की मांग

48--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लाला की सरैया, इलाहाबाद में अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 जनवरी, 2005 मण्डलायुक्त, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र "राम नगर" के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त "डेदुआ-मलौली लिंक मार्ग" का निर्माण कराये जाने की मांग

49--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के "राम नगर" विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मजरे मलौली से आने वाले ग्रा0 भीरापुरवा तक "डेदुआ-मलौली लिंक मार्ग" बहराइच रोड से जुड़ा हुआ है जो अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त मार्ग पर आने-जाने में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्नगत 5 कि0मी0 लम्बाई के सम्पर्क मार्ग का 4 कि0मी0 भाग लगभग 20 वर्ष पुराना खड़ंजा स्तर का मार्ग है जो क्षतिग्रस्त है तथा शेष ग्राम भीरापुरवा तक 1 कि0मी0 भाग कच्चा है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में पल्हना एवं खजूरा विकास खण्ड में समग्र ग्राम सिंधारी को मेहनगर जिननी से लेपन कार्य व जोड़े जाने की मांग

50--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पल्हना एवं खजूरा विकास खण्ड में समग्र ग्राम सिंधारी को मेहनगर जिननी मार्ग से क्या लेपन कार्य कराकर जोड़ा जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित मार्ग अन्य लेपित मार्ग से जोड़ा जा रहा है।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के सम्पर्क मार्ग आनन्दनगर (फरेन्दा) की मरम्मत कराये जाने की मांग

51--श्री फतेहबहादुर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में गजपुरसूरस सम्पर्क मार्ग जो मण्डी समिति आनन्द नगर (फरेन्दा), महाराजगंज के अन्तर्गत आता है, की मरम्मत हेतु वर्ष 2003 में धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या स्वीकृत धनराशि से उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। स्वीकृति दिनांक 8-7-2003 को दी गयी थी ।

रु0 26.15 लाख (रुपया छब्बीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)।

जी नहीं। मण्डी समिति आनन्दनगर के क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिकता के अन्य कार्य कराये जाने थे तथा प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य माह नवम्बर, 2003 तक भी अनारम्भ था, अस्तु वर्ष 2003 में निर्गत स्वीकृति दिनांक 2-12-2003 को निरस्त कर दी गई ।

पुनः प्रश्नगत मार्ग का मरम्मत कार्य दिनांक 28-12-2004 को स्वीकृत किया गया, जिसके क्रम में निविदायें प्राप्त हो गई है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

जनपद महराजगंज के रोहिन नदी पर उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

52--श्री फतेहबहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड पनियरा में रोहिन नदी पर मछलीगांव-लाला बड़हरा में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से वर्ष 2000 में निर्मित पुल के सम्पर्क मार्ग का प्रस्ताव व आगणन मण्डलायुक्त, गोरखपुर द्वारा शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्नगत सतु के एप्राच मार्ग के निर्माण हेतु आयुक्त मण्डलायुक्त, गोरखपुर के पत्र दिनांक 27-01-04 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया है।

पुल का निर्माण हो चुका है। सम्पर्क मार्ग (पहुंच मार्ग) का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज में गोरखपुर महराजगंज मार्ग को राज्य मार्ग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में मांग

53--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में गोरखपुर-महराजगंज मार्ग को राज्य मार्ग का दर्जा प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को महराजगंज से निचलौल तक राज्य मार्ग की श्रेणी में रखने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को राज्य मार्ग की श्रेणी में रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के कतिपय प्रमुख जिला मार्ग को राज्य मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में मांग

54--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के प्रमुख जिला मार्ग कप्तानगंज-सिसवा-ठूठीबारी-नौतनवा को राज्य मार्ग बनाये जाने का प्रस्ताव विभाग द्वारा वर्ष 2003 में शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का राज्य मार्ग में उच्चीकरण का प्रस्ताव निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

जनपद महराजगंज की सिसवां बाजार गन्ना समिति को द्वितीय किश्त का भुगतान किये जाने की मांग

55--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का धन अपने अन्य कार्यों में व्यय कर लिये जाने के बाद समितियों की दशा सुधारने एवं किसानों का बकाया अदा करने के लिए ऋण देने की नीति के अन्तर्गत वर्ष 2001 में

प्रथम किश्तों का भुगतान किया गया था ? जनपद महराजगंज की सिसवां गन्ना समिति द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र दे दिये जाने के बाद भी द्वितीय किश्त का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जनपद महराजगंज की सिसवां बाजार गन्ना समिति को मात्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया जा सकता है, समिति ने प्रथम किश्त में दिये गये ऋण व ब्याज की धनराशि को अभी तक वापस नहीं किया है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

56--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

[दिनांक 17-2-2005 के अता0 प्र0 सं0-18 द्वारा उत्तरित]

जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद तहसील आलापुर, ग्राम परसनपुर के गाटा सं0 416 का भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर आवंटित पट्टा का कब्जा दिलाये जाने की मांग

57--श्री जयराम विमल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसनपुर, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद गाटा संख्या 416-क का भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर पट्टा आवंटन हुआ था ? यदि हां, तो क्या आवंटियों को कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आवंटियों को कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कालपी में सड़क सुधार एवं नवीनीकरण कार्य

58--डा0 अरुण कुमार जेहरोत्रा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के पत्र सं0-2/डा0आई0ई0/म0नो0नि0वि0/2004, दिनांक 9-1-2004 द्वारा राज्य सड़क निधि से स्वीकृत रुपया 15.47 लाख से विधान सभा क्षेत्र कालपी में क्या सड़क सुधार एवं नवीनीकरण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

कालपी विधान सभा क्षेत्र के कठारी-चतेला बड़ागांव मार्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु0 15.47 लाख का धनावंटन किया गया था। मार्ग की दशा खराब होने के कारण उक्त धनराशि से तकनीकी दृष्टि से सुरक्षात्मक स्तर तक कार्य कराया जाना सम्भव नहीं था। अतएव उक्त धनराशि को समर्पित कर दिया गया। प्रश्नगत मार्ग का सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गाजीपुर के क्षेत्र पंचायत विरनो के ग्राम सभा-तियरा के प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तैनात लेखपाल द्वारा पुश्तैनी जमीन को आवंटित किये जाने की जांच की मांग

59--श्री पूर्णमासी दहाती--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 18-1-05 को जनपद गाजीपुर के तहसील गाजीपुर अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत विरनो के ग्राम सभा-तियरा के प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फर्जी प्रस्ताव के जरिये वहां पर तैनात लेखपाल द्वारा पुस्तैनी जमीन को अभिमन, रमवचन, देवनती के नाम से आवंटित कर दिये जाने की जांच कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

मा0 विधायक के उपर्युक्त पत्र दिनांक 18-1-05 में की गयी शिकायत की जांच कराये जाने पर सम्बन्धित लेखपाल श्री गिरजा राम द्वारा भूमि प्रबन्ध समिति, तियरा, परगना पचोतर, तहसील व जिला गाजीपुर के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर आवंटन की पत्रावली तैयार करने तथा आवंटित भूखण्डों में से कतिपय भूखण्डों पर आवादी तथा पेड़ आदि विद्यमान पाये जाने के कारण प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी पाते हुए उप जिलाधिकारी, सदर गाजीपुर के आदेश दिनांक 26-2-05 द्वारा निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। इसके पूर्व ग्राम सभा के प्रधान द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर जांचोपरान्त पट्टे की कार्यवाही में अनियमिततायें पाये जाने के कारण कृषि भूमि के आवंटन हेतु किये गये पट्टे की स्वीकृति के आदेश का क्रियान्वयन मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 3-11-04 के आदेश के अन्तर्गत स्थगित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद रायबरेली के निकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत पूरे इच्छासिंह जलालपुर धई के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

60--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के वि0 खं0 दीनशाहगौरा के अन्तर्गत पूरेइच्छा सिंह जलालपुर धई सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 9 कि0मी0 जो क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गयी है ? जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क की मरम्मत करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों से मरम्मत करके यातायात चलाया जा रहा है।

प्रश्नगत सड़क की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के सड़क निर्माण हेतु निविदा का विज्ञापन

61--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जुलाई, 2004 से दिसम्बर, 2004 के मध्य सड़क निर्माण हेतु किन-किन खण्डों में कौन-कौन से कार्यों की निविदा हेतु विज्ञापन दिया गया ? उक्त निविदायें किन-किन राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों एवं तिथियों में विज्ञापित की गयीं ? क्या वह नियमानुसार विज्ञापित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जुलाई, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक निर्माण खण्ड-1, निर्माण खण्ड-3 एवं प्रांतीय खण्ड के द्वारा संलग्न सूची के अनुसार विज्ञापन दिया गया।

संलग्न* सूची में अंकित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

खुर्जा-जहांगीराबाद क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने की मांग

62--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि खुर्जा-जहांगीराबाद मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं। आंशिक रूप से मार्ग क्षतिग्रस्त है।

सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध संसाधनों से मरम्मत कराकर यातायात चलाया जा रहा है। मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत दुबग्गा से बरावन कलां सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने की कार्यवाही की मांग

63--श्री कौशल किशोर--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत दुबग्गा से बरावन कलां सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने हेतु श्री कौशल किशोर तत्कालीन राज्य मंत्री श्रम का पत्र संख्या बी0आई0पी0-2424/रा0म0श्रम, लखनऊ, दिनांक 9-6-04 पर मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा धन आगणन कर पत्रावली प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

*दीर्घ्य नस्थी 'क' भाग पृष्ठ 157--161 पर।

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्न में इंगित मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु श्री कौशल किशोर तत्कालीन राज्य मंत्री का पत्र संख्या वी0आई0पी0 2426/रा0मं0 श्रम, लखनऊ, दिनांक 9-6-2004 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। विभागीय मानकों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम गठचपा, थाना मानिकपुर तहसील कर्वी के दलित पट्टा धारकों को कब्जा दिलाये जाने की मांग

64--डा0 सुशील चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम गठचपा, थाना मानिकपुर, तहसील कर्वी के किन-किन दलित लोगों को वर्ष 1997 में भूमि का पट्टा किया गया था ? क्या उक्त पट्टा धारकों को कब्जा दिला दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम गठचपा, तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट में कुल 112 दलितों को 1997 में भूमि का पट्टा दिया गया है।

कुल 112 पट्टेदारों में से 17 पट्टेदारों के पट्टे धारा 198 (4) व 229 बी0 से खारिज हो गये हैं, शेष 95 पट्टेदारों को कब्जा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के दि किसान कोआपरेटिव शुगर मिल्स के गन्ना किसानों को वर्तमान पेराई सत्र में शासन द्वारा घोषित गन्ना मूल्य का भुगतान हफ्तावार कराये जाने की मांग

65--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के दि किसान कोआपरेटिव शुगर मिल्स में वर्ष 2003-2004 में गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का कितना भुगतान कर दिया गया है तथा कितना शेष है ? क्या सरकार वर्तमान पेराई सत्र में शासन द्वारा घोषित गन्ना मूल्य का भुगतान हफ्तावार कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बलिया के दि किसान सहकारी कोआपरेटिव शुगर मिल्स द्वारा पेराई सत्र 2003-04 में देय गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है।

जी नहीं।

उ0 प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 (3) अन्तर्गत गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

जनपद देवरिया मुख्यालय से पकड़ी बाजार बरांव-मोहरा समोगर व कठनईयां-टेकुआं-बेलडांड का क्षतिग्रस्त मार्ग एवं पुलिया की मरम्मत कराये जाने की मांग

66--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र देवरिया जनपद मुख्यालय से पकड़ी बाजार बरांव-मोहरा समोगर मार्ग व कठनईयां-टेकुआं-बेलडांड मार्ग जो पूर्ण क्षतिग्रस्त है और पुलिया टूटी होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों व पुलियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं, पकड़ी बाजार बरांव-मोहरा समोगर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर पुलिया संख्या 6/2 क्षतिग्रस्त है। मार्ग तथा पुलिया जिनकी मरम्मत सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों से कराकर यातायात चालू रखा जा रहा है व कठनईयां-टेकुआं-बेलडांड मार्ग पर पुलिया संख्या 9/2 क्षतिग्रस्त थी, जिसकी मरम्मत करा दी गयी है तथा मार्ग की मरम्मत सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कराकर यातायात चालू रखा जा रहा है।

प्रश्नगत दोनों मार्गों तथा पकड़ी बाजार बरांव-मोहरा समोगर मार्ग पर पुलिया संख्या 6/2 की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के तांड़ीबड़ा गांव नमरा मड़वार के जर्जर मार्ग को बनवाने की योजना

67--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तांड़ीबड़ा गांव नमरा मड़वार के जर्जर मार्ग को बनवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

बलिया मड़वार-नगरा-बरौली मार्ग के किमी0 15, 16 के लिए विशेष मरम्मत के अन्तर्गत रु0 49.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। मार्ग के शेष भाग का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के सिसवां खड्डा मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

68--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 155918, दिनांक 29-07-2004 जो जनपद महराजगंज के सिसवां खड्डा मार्ग (यादवेन्द्र सिंह मार्ग) की मरम्मत के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

पत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति प्रदान किये जाने की मांग

69--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से जनपद चित्रकूट को वर्ष 2004-05 के लिये कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ? क्या जिले को प्राप्त धन से कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी। ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

रु0 185.64 लाख।

जी नहीं।

बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति मण्डलायुक्त के स्तर से प्रदान की जाती है।

मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट द्वारा रु0 44.84 लाख के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को प्रेषित किये गये हैं। अवशेष धनराशि के प्रस्ताव कार्यदायी संस्थाओं से मांगे गये हैं, जिनकी प्राप्ति के उपरान्त मण्डलायुक्त के स्तर से स्वीकृति उनकी आवश्यकता/औचित्य पर निर्भर है।

जनपद चित्रकूट को बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की जानकारी

70--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट को बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2003-04 में कुल कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या उक्त वित्तीय वर्ष में कर्वी विधान सभा क्षेत्र के लिये प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2003-04 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) के अन्तर्गत रु0 185.64 लाख की धनराशि आवंटित हुई है।

कर्वी विधान सभा क्षेत्र के लिये रु0 76.70 लाख का मात्राकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मात्राकृत धनराशि रु0 76.70 लाख के सापेक्ष माननीय विधायक कर्वी द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम में 23 परियोजनाओं हेतु रु0 57.905 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा अवशेष धनराशि रु0 18.795 लाख के सापेक्ष आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को 08 परियोजनायें, जिनकी लागत रु0 32.56 लाख है, वरीयता क्रम में स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजी गयी है।

जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण इकाइयों हेतु आवंटित धन

71--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण की कुल कितनी इकाइयां कार्यरत हैं ? वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक किन-किन इकाइयों को किस योजना में किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना धन दिया गया है ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

जनपद चित्रकूट में कृषि विभाग की तीन भूमि संरक्षण इकाइयां कार्यरत हैं।

वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक इकाईवार एवं योजनावार भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों हेतु निम्नानुसार धन दिया गया :--

क्र0 सं0	भू0सं0इ0 का नाम	योजना का नाम	वर्षवार आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)				
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कर्वी प्रथम	एकीकृत जल समेट प्रबंधन (आर0आई0डी0एफ0-4)	22.120	--	--	--	
		एकीकृत जल समेट प्रबंधन (आर0आई0डी0एफ0-8)	--	--	82.900	56.91	139.810
		राष्ट्रीय जलागम विकास	15.500	11.84	21.330	20.49	69.160
		सूखोन्मुखी क्षेत्रीय विकास	17.676	19.80	--	--	37.476
		रा0 सम विकास कार्यक्रम	--	--	--	51.38	51.380
		योग . .	55.296	31.64	104.230	128.78	319.946
2	कर्वी द्वितीय	एकीकृत जल समेट प्रबंधन (आर0आई0डी0एफ0-8)	--	--	49.796	88.00	137.796
		राष्ट्रीय जलागम विकास	11.000	12.38	20.780	19.99	64.240
		सूखोन्मुखी क्षेत्रीय विकास	14.907	25.50	11.630	--	52.037
		रा0 सम विकास कार्यक्रम	--	--	--	41.27	41.270
		योग . .	25.907	37.88	82.296	149.26	295.343
3	चित्रकूट	एकीकृत जल समेट प्रबंधन (आर0आई0डी0एफ0-4)	16.140	--	--	--	16.140
		एकीकृत जल समेट प्रबंधन (आर0आई0डी0एफ0-8)	--	--	64.990	62.35	127.340
		सूखोन्मुखी क्षेत्रीय विकास	--	6.60	--	--	6.600
		रा0 सम विकास कार्यक्रम	--	--	--	32.56	32.560
		योग . .	16.40	6.60	64.990	94.91	182.640
		जनपद का योग . .	97 343	76.12	251.16	372.95	797.929

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपरोक्त धनराशि में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य यथा समोच्च रेखीय बांध, जल भराव, बांध, फेरीफेरल बांध, अवरोध बांध तथा जल संचय बंधियों का निर्माण किया गया है।

जनपद महराजगंज में निर्मित खेकड़ा नाला एवं हिरना नाला सेतुओं पर पथकर की वसूली को समाप्त किये जाने की मांग

72--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में निर्मित खेकड़ा नाला एवं हिरना नाला सेतुओं पर पथकर की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त पुलों की लागत धनराशि कितनी थी और निर्माण से लेकर अब तक पथकर से कितने धन की वसूली हो चुकी है ? क्या सरकार पथकर समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

खेकड़ा नाला सेतु को दिनांक 18 जनवरी, 2005 की अधिसूचना तथा हिरना नाला सेतु को दिनांक 17 फरवरी, 2005 की अधिसूचना द्वारा पथकर से मुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

खेकड़ा नाला एवं हिरना नाला सेतुओं की निर्माण लागत एप्रोच सहित क्रमशः रु0 11.60 लाख एवं 15.30 लाख थी तथा इन सेतुओं पर माह जनवरी, 2005 तक क्रमशः रु0 37,30,989.00 एवं रु0 37,94,602.00 की पथकर वसूली हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत सेतुओं को पथकर से मुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में संचालित कृषि विविधीकरण योजना में पूर्व में चयनित विकास खण्डों में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

73--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में संचालित कृषि विविधीकरण योजना में पूर्व में चयनित विकास खण्डों के अनुरूप नये चयनित किये जा रहे विकास खण्डों में भी मार्ग निर्माण का प्रस्ताव है ? क्या 2001-02 में अतिरिक्त रूप से चयनित विकास खण्ड सिसवां में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-7-2004 कृषि उत्पादन आयुक्त को लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक वाजपेयी--

जनपद महराजगंज में संचालित कृषि विविधीकरण परियोजना में पूर्व में चयनित विकास खण्डों में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण हुआ है। बाद में वर्ष 2001-02 में नये चयनित विकास खण्डों में मार्ग निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं था।

जी हां।

उक्त पत्र के उत्तर में तकनीकी समन्वयक, डास्प के पत्रांक-1790/ई-23 (H & R)/ डास्प-2004, दिनांक 14-10-04 द्वारा मा0 सदस्य को उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। वर्ष 2001-02 में नये चयनित विकास खण्डों में मार्ग निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के प्रमुख जिला मार्ग सी0 एस0 टी0 एन0, कप्तानगंज का नेपाल सीमा के समान्तर आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने की मांग

74--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के प्रमुख जिला मार्ग सी0एस0टी0एन0, कप्तानगंज सिसवां ठूठीबारी नौतनवा को नेपाल सीमा के समानान्तर सामरिक महत्व का मुख्य मार्ग मानते हुए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बार्डर विकास योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बार्डर विकास योजना के अन्तर्गत न तो प्रस्तावित है और न ही स्वीकृत है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की डिहवा से सलेमपुर तथा चिलकहर से चोमड़ा तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

75--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की डिहवा से सलेमपुर तथा चिलकहर से चोमडा तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

76--श्री राम इकबाल सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सुल्तानपुर में गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर रेलवे पुल से गोलाघाट होते हुए सीताकुण्ड घाट तक बंधा व सड़क पूर्वांचल राज्यांश से बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

77--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 सी0 एम0/वि0 को0/एम0/104875/2004, दिनांक 23-7-2004 जो नगर क्षेत्र सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर रेलवे पुल से गोलाघाट होते हुए सीताकुण्ड घाट तक, बंधा व सड़क पूर्वांचल राज्यांश से बनाये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्न में अंकित पत्र सं0 सी0एम0/वि0 को0/एम0/104875/2004, दिनांक 23-7-2004 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्रश्न में उल्लिखित परियोजना से सम्बन्धित पत्र संख्या सी0 एम0/वि0/को0/एम0/104895/2004, दिनांक 23-7-2004 प्राप्त हुआ है।

मण्डलायुक्त फैजाबाद के माध्यम से आगणन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा सदर, सुल्तानपुर के अन्तर्गत चार सड़कों को पूर्वांचल राज्यांश विकास निधि से धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पत्र

78--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 सी0 एम0/वि0 को0/एम0/106787/2004, दिनांक 10-8-2004 जो विधान सभा सदर, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत चार सड़कों को पूर्वांचल राज्यांश विकास निधि से स्वीकृत कर धन स्वीकृत करने विषयक था, प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न में अंकित पत्र के क्रमांक-1 में अंकित परियोजना "टेलीफोन इक्सचेंज कुड़वार से पानी टंकी होते हुए कुड़वार अलीगंज मार्ग क्रास करते बी0ई0 कालेज चौराहे तक लेपन स्तर तक वि0ख0 कुड़वार" के सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगा गया था, जो कि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के पत्र दिनांक 23-02-05 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, किन्तु पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत अत्यन्त न्यून धनराशि शेष होने के कारण उक्त परियोजना की स्वीकृति पर विचार का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु मण्डी समिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में पत्र

79--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-2004 पर राज्य उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 मण्डी निदेशक के पत्र मु0 अभि0/प्रस्ताव/2004-1059, दिनांक 2-6-2004, जो जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को मण्डी समिति के विचारार्थ भेजा गया। जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु मण्डी समिति का प्रस्ताव, दिनांक 25-8-2004 उपलब्ध कराया गया । वित्तीय वर्ष 2004-05 में मण्डी परिषद् के स्वीकृत बजट में सम्पर्क मार्ग निर्माण मद में धनराशि समाप्त हो जाने के कारण प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत दरेहटा, तहसील पुरवा के वर्ष 1985 के कतिपय गाटा आवंटियों को कब्जा न दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

80--श्री सोमारू राम सरोज--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, ग्राम पंचायत दरेहटा, परगना-मौरावां, तहसील पुरवा की गाटा संख्या 185, 809 रकबा क्रमशः 0.139 हे0 व 0.126 हे0 को वर्ष 1985 में किन-किन लोगों को आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि अभी तक आवंटियों को कब्जा नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी--

गाटा संख्या 185 रकबा 0.031 हे0 देवी दयाल पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त नं0 पट्टे की भूमि होना नहीं पाया जाता है। गाटा संख्या 809 रकबा 0.543 हे0 का आवंटन वर्ष 1985 में राम दयाल पुत्र रघुवर, भवानी, विश्राम पुत्रगण भोंदू, राम गुलाम पुत्र भोरे कुल चार व्यक्तियों निवासी ग्राम दरेहटा के पक्ष में कृषि आवंटन है, जिसका कब्जा पूर्व में ही दिया जा चुका है।

जी नहीं। आवंटन के समय ही आवंटियों को कब्जा दिलाया जा चुका है। पुनः दिनांक 18-2-05 को नायब तहसीलदार की उपस्थिति में आवंटियों का कब्जा स्थापन कराया गया जिसमें राम दयाल पुत्र रघुवर को आवंटित भूमि 0.126 के रकवा 0.089 हे0 पर काबिज पाया गया तथा शेष रकबा 0.037 हे0 पक्की डामर रोड निर्मित हो जाने के कारण सार्वजनिक हित में कब्जा देना सम्भव नहीं है। शेष सभी आवंटी आवंटित भूमि पर काबिज पाये गये जिन्हें दखल नामा दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर, ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर की गाटा संख्या 735-736 पर हुए अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

81--श्री सोमारू राम सरोज--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर, ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर की गाटा संख्या 735 व 736 पर हुए अवैध निर्माण को रोक कर दोषी के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत बेदखली एवं क्षतिपूर्ति की कार्यवाही 1998 में प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि से कब्जा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी नहीं।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर, ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर की गाटा संख्या 735 एवं 736 पर हुए अवैध निर्माण के विरुद्ध महादेव पुत्र कल्लू निवासी त्रिपुरारिपुर के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत बेदखली एवं क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी के विरुद्ध उप जिलाधिकारी, बीघापुर के आदेश, दिनांक 24-10-98 को मु0 160 रु0 क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का आदेश दिया गया। क्षतिपूर्ति महादेव द्वारा जमा कर दी गयी।

ग्राम त्रिपुरारिपुर चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत चल रहा है। चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 13-1-99 द्वारा ग्राम सभा की भूमि महादेव के चक नं0 552 में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में ग्राम सभा की यह भूमि नहीं है। इसलिए कब्जा नहीं हटाया गया। ग्राम सभा की भूमि महादेव के चक नं0 552 में शामिल करने के सम्बन्ध में चकबन्दी आयुक्त से जांच कराने एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर, ग्राम काकरकुण्ड (ककरा कलां) में स्थित वक्फ की सम्पत्ति का चकबन्दी अधिकारी द्वारा निस्तारण कराये जाने की मांग

82--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर में कुछ गांवों की चकबन्दी का कार्य किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि ग्राम काकरकुण्ड (ककरा कलां) में स्थित वक्फ श्री जहूर हसन मियां की सम्पत्ति का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी नहीं।

ग्राम काकरकुण्ड (ककरा कलां) की आधार वर्ष खतौनी 1397 से 1402 फ0 में वक्फ श्री जहूर हसन मियां के नाम कोई खाता अंकित नहीं है। अतः चकबन्दी अधिकारी द्वारा वक्फ भूमि/सम्पत्ति का निस्तारण किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बिजनौर के जिला मुख्यालय पर मण्डी स्थल का निर्माण कराने की मांग

83--कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर के जिला मुख्यालय पर मण्डी स्थल न होने के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मुख्यालय पर मण्डी स्थल का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

मण्डी समिति बिजनौर की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ होने पर मण्डी स्थल निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

84--कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

[3सरे मंगल के अता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी, अवर अभियन्ता को वाराणसी जनपद के कार्यकारी खण्ड से स्थानान्तरित करने व उनके वेतन से सरकारी धन की वसूली किये जाने की मांग

85--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने भ्रष्ट अवर अभियन्ताओं को चिन्हित कर उनको अकार्यकारी खण्ड में स्थानान्तरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता परिवाद लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 7656/23-4-13(5)-04, दिनांक 2 नवम्बर, 2004 के तहत श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी, अवर अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त ने दोषी माना है और अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 3025/219 ए-10वां वृत्त-04, दिनांक 22 नवम्बर, 2004 द्वारा रुपये 46,603 के सरकारी धन की वसूली उनके वेतन से करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सिद्दीकी को वाराणसी जनपद के कार्यकारी खण्ड से स्थानान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं। प्रश्न में अंकित पत्र संख्या 7656/23-4-13(5)-04, दिनांक 2-11-04 मुख्य अभियन्ता, परिवाद लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का नहीं शासन का पत्र है, जिसके द्वारा प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से ऐसे अवर अभियन्ताओं जिनके विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के कारण अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित थी और वे अनियमितता वाले खण्डों में तैनात थे, के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये थे ।

जहां तक श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी, अवर अभियन्ता को दोषी माने जाने का प्रश्न है, श्री सिद्दीकी को अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3025/219(ए)-एम0-वा0 वृत्त/04, दिनांक 22 नवम्बर, 2004 में दोषी माना गया है।

जी हां। अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3025/219(ए)-एम0-वा0 वृत्त/04, दिनांक 22 नवम्बर, 2004 द्वारा श्री सिद्दीकी से रु0 46,683.30 की धनराशि के वसूली के आदेश दिये गये हैं।

जी नहीं, श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी, अवर अभियन्ता, वसूली आदेश पारित होने की तिथि 22-11-2004 को वाराणसी जनपद के कार्यकारी खण्ड में नहीं अपितु निर्माण खण्ड-1 गोरखपुर में तैनात थे, अतः वाराणसी जनपद के कार्यकारी खण्ड से इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में चीनी मिल स्थापित किये जाने की मांग

86--श्री सोवरन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में चीनी मिल स्थापित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

उक्त जनपद में चीनी मिल स्थापना हेतु सरकारी, सहकारी अथवा निजी क्षेत्र किसी भी स्तर से न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त है और न कृषकों के स्तर से ही कोई मांग है। वर्तमान में जनपद में चीनी मिल की स्थापना हेतु समुचित गन्ना उत्पादन नहीं है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र घिरोर में लहसुन से जीवन रक्षक औषधियां बनाने की इकाई स्थापित किये जाने की मांग

87--श्री सोवरन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र घिरोर में लहसुन की मण्डी गौरव प्राप्त मण्डी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर लहसुन से जीवन रक्षक औषधियां बनाने की कोई इकाई स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां। मण्डी समिति, घिरोर में लहसुन की आवक अत्यधिक होती है।

जी नहीं। मण्डी परिषद में ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना के अन्तर्गत कतिपय 25 ग्रामों के अभिलेख तैयार करने की समय सीमा निर्धारित किये जाने संबंधी मांग

88--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना के अन्तर्गत 25 ग्रामों जैसे माधी, सालिकपुर, महदेवा व शाहपुर आदि ग्रामों के अभिलेख ठीक करने हेतु सर्वे विगत 25 वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ? क्या सरकार समय सीमा निर्धारित कर अभिलेख तैयार कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना के कुल 42 ग्रामों का सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें कराने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 1989 निर्गत की गयी थी।

25 गांवों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष ग्रामों का सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया कराये जाने के संबंध में शासन द्वारा राजस्व परिषद को उनका लक्ष्य निर्धारित कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 को निर्गत किये गये हैं।

सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 निर्गत किये जा चुके हैं।

जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील अकबरपुर की ग्राम सभा पमौली के गाटा संख्या 501 रकबा 219 एअर खाद गड्ढा की भूमि पर किये गये कब्जे को हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

89--श्री मुकुट बिहारी वर्मा --

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील अकबरपुर, परगना मिझाड़ा की ग्राम सभा पमौली के गाटा संख्या 501 रकबा 219 एअर खाद गड्ढा की भूमि पर निजी नलकूप और छप्पर लगाकर कुछ लोगों द्वारा विगत 4 वर्षों से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

गाटा संख्या-501 खाद गड्ढा की भूमि नहीं है बल्कि तहसील अकबरपुर के राजस्व ग्राम पमौली में स्थित गाटा सं0 501 रकबा 0.226 हे0 खतौनी खाता संख्या-3 (1412 फ0 से 1417फ0) पर श्री अर्जुन प्रसाद पुत्र श्री भगौती प्रसाद, निवासी ग्राम पमौली, परगना मिझाड़ा, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है तथा इनके निजी खाते की भूमि है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में रामगंगा नदी से कटी जमीन की चकबन्दी कराने की मांग

90--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में रामगंगा नदी से कटी जमीन की चकबन्दी कराने हेतु आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-111909/2004, दिनांक 3-11-2004 द्वारा चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

उपरोक्त आदेशों के क्रम में जनपद शाहजहांपुर में रामगंगा नदी से कटी जमीन की चकबंदी कराने के संबंध में निम्न कार्यवाही की गई है :--

1--ग्राम मरेना खादर, लोहरगढ़ी, सरसवां खादर व डभौरा सिमरा खादर में प्रथम चक्र की चकबंदी कराने हेतु धारा-4(2) की विज्ञप्ति दिनांक 18-2-2005 को जारी की जा चुकी है।

2--ग्राम डभौरा सिमरा बांगर, सरसवां बांगर, मरेना बांगर में द्वितीय चक्र की चकबंदी कराने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

3--ग्राम रूद्रपुर, गोटिया अतू, बरी प्रसिद्धपुर, खूबपुर, थुबला करीमनगर, नगरिया निजामपुर, रसीदपुर, विरिया फतेहपुर, मोहनियां तथा बरूआ के संबंध में चकबन्दी आयुक्त द्वारा जिला स्तर से प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सड़कों का डामरीकरण कराये जाने की मांग

91--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर सड़कों का डामरीकरण कराये जाने हेतु पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-111680/2004, दिनांक 1-11-2004 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत सड़कों का डामरीकरण करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

संदर्भित पत्र द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित प्रथम मार्ग ग्राम नया गांव से ग्राम डूही जद्दी का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। दूसरे मार्ग से संबंधित ग्राम पेहना एवं फरीदापुर पूर्व से ही लोपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः इन गांवों को जोड़ने के लिए किसी वैकल्पिक संरेखण पर डामरीकृत मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के नगला कन्हानी व रामपुर की कटी हुई भूमि की चकबन्दी में हुई लापरवाही व धांधली की जांच

92--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के नगला कन्हानी व रामपुर की कटी हुई भूमि में विकास खण्ड जैतीपुर एवं शाहपुर वि0खं0 जलालाबाद में चकबन्दी में हुई लापरवाही व धांधली की शिकायत की जांच करने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-111936/2004, दिनांक 3-11-2004, आयुक्त, चकबन्दी, उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

उप संचालक चकबंदी, शाहजहांपुर से जांच करायी गयी। ग्राम रामपुर बांगर में चकबंदी प्रक्रियायें समाप्त हो चुकी हैं और धारा-52 की विज्ञप्ति दिनांक 4-1-2005 को निदेशालय से जारी कर दी गयी है। ग्राम नगला देहातहतमाली में सर्वे पूर्ण हो चुका है। और कन्हानी में धारा 10 तक की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इन ग्रामों में कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। कृषकों के शोषण की शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में गन्ना क्रय केन्द्र खुलवाने की मांग

93--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में गन्ना क्रय केन्द्र खुलवाने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0-वि0को0/एम-111920/2004, दिनांक 3-11-2004 आयुक्त, गन्ना विकास, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उक्त पत्र में अंकित ग्राम नदइया, रामपुर, रामपुरिया न्यूरिया, बुधाना, नयागांव तथा बौरी में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने के प्रकरण पर विचारोपरान्त इन ग्रामों में क्रय केन्द्र खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

जनपद बिजनौर की पांचों तहसीलों में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण की मांग

94--कुंवर भारतेन्द्र सिंह --

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर की पांचों तहसीलों में वित्तीय वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 में कितने राजस्व वादों का निस्तारण किया गया ? उक्त अवधि में अनिस्तारित वादों की वर्षवार संख्या क्या है ? क्या मंत्री जी राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद बिजनौर की पांच तहसीलों में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कुल 20313 वाद थे जिसमें से 16687 वादों का निस्तारण हो गया है तथा 3626 अनिस्तारित हैं। वर्ष 2002-2003 में कुल 20753 वाद थे जिनमें से 18157 वादों का निस्तारण हो गया है तथा 2596 अनिस्तारित हैं। वर्ष 2003-04 में कुल 21260 वाद थे जिनमें 18296 वादों का निस्तारण हो गया है तथा 2964 वाद अनिस्तारित हैं।

राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। शासनादेश दिनांक 9-6-04 द्वारा राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0 को विशेष अभियान चलाकर लम्बित राजस्व वादों का त्वरित व समयबद्ध निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अकबरपुर (फैजाबाद), तहसील अकबरपुर की ग्राम सभा दिलावलपुर के गाटा संख्या 335 पर किये गये कब्जे को हटाये जाने की मांग

95--श्री राम करन आर्य--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अकबरपुर (फैजाबाद) की तहसील अकबरपुर की ग्राम सभा दिलावलपुर, परगना मिझौड़ा के गाटा संख्या 335 पर जयराम पुत्र विशेषर

आदि लोगों द्वारा कब्जा करके नाली की निकासी रोककर उस पर निर्माण कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि उसके निराकरण हेतु अपर तहसीलदार, अकबरपुर ने वाद संख्या 745 के अन्तर्गत धारा 122 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश 9-1-96 में दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

दिनांक 9-1-96 को नहीं, बल्कि दिनांक 27-10-93 को निर्देश दिये गये थे।

ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 122बी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वसूल करते हुए अवैध कब्जे से कब्जेदार को बेदखल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गायत्री सेठ मृतक आश्रित को औद्योगिक विकास अनुभाग-5 उ0 प्र0 शासन में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति विषयक कार्यवाही किये जाने की मांग

96--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 4053/ई0पी0एफ0, दिनांक 11-11-04, जो विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को मृतक आश्रित श्रीमती गायत्री सेठ को विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के प्रश्नगत प्रस्ताव का सम्यक् परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उ0 प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के अनुसार श्रीमती गायत्री सेठ को सेवायोजन प्रदान किया जा चुका है। पुन: उक्त नियमावली का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नियमावली में नहीं है। अत: श्रीमती गायत्री सेठ को विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति, गौरी बाजार, देवरिया के विरुद्ध गन्ना आयुक्त के पत्र पर कृत कार्यवाही

97--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी गन्ना समितियां, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक 445-49/समिति/जांच, दिनांक 10 नवम्बर, 2003 जो गन्ना समिति के अध्यक्ष को दोषी पाये जाने व रिकवरी किये जाने के संबंध में था, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, गौरी बाजार, देवरिया को एवं प्रतिलिपि जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया, क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 10-11-2003 द्वारा दिये गये निर्देशों का समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अवहेलना किये जाने के कारण प्रबन्ध कमेटी को अवक्रांत किये जाने हेतु उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 35 (1) के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 4-11-2004 द्वारा पूर्व आरोपित बिन्दुओं पर बचाव प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सुनवाई हेतु दिनांक 6-12-2004 निर्धारित की गयी थी। अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति, गांरीबाजार द्वारा सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध किये जाने पर प्रकरण में सुनवाई हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 29-3-2005 निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

98--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

99--श्री अब्दुल मन्नान--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजीपुर के ब्लाक देवकली में सैदपुर भितरी मार्ग पर स्थित गांगी नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

100--श्री बीजू पटनायक--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के अन्तर्गत ब्लाक देवकली में सैदपुर भितरी मार्ग पर स्थित गांगी नदी पर वर्ष 2004 में स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम उतरगांव, पौना ग्रामों में अनुसूचित जाति के आवंटित भूखण्डों पर पुन: कब्जा दिलाये जाने की मांग

101--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम उतरगांव, पौना ग्रामों में अनुसूचित जाति के आवंटित भूखण्डों पर दबंग लोगों द्वारा जबरन कब्जा करके बेदखल कर दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें पुन: कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद जौनपुर की तहसील सदर में प्रसाद इन्स्टीट्यूट द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

102--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर में प्रसाद इन्स्टीट्यूट द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त रुद्रपुर मुख्यालय को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्ग व पुलियों का निर्माण व मरम्मत कराये जाने की मांग

103--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 व 2001 में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद देवरिया में आई बाढ़ के कारण कछारांचल के 116 गांव व रुद्रपुर मुख्यालय को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्ग व पुलिया धंस कर क्षतिग्रस्त हो गयी थी जो अभी तक नहीं बनी है जिससे जनता को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व पुलियों का निर्माण व मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धनराशि से मार्गों की मरम्मत करके यातायात चालू कर दिया गया है।

प्रश्नगत मार्गों की विशेष मरम्मत एवं पुलियों का पुन: निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के थाना सिकन्दरा स्थित के0के0 बार में नकली शराब बेचने की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

104--श्री छदीगम--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना सिकन्दरा स्थित क0 के0 बार में नकली शराब राजस्थान से लाकर बेची जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद आगरा के थाना सिकन्दरा स्थित के0 के0 बार में नकली शराब राजस्थान से लाकर बेचे जाने की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

105--श्री छेदीराम--

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-105 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जिला लखनऊ गांव जगतापुर की विवादित भूमि संख्या 751क रकबा 0.126 हे0 व 751ख रकबा 0.129 हे0 भूमि की हदबरारी कराये जाने की मांग

106--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उमेश चन्द्र, रमेश चन्द्र पुत्रगण श्री मूल चन्द्र गांव जगतापुर, तहसील व जिला लखनऊ, विपक्षीगण चन्द्रपाल के मध्य विवादित भूमि सं0 751क रकबा 0.126 हे0 व 751ख रकबा 0.129 हे0 स्थित ग्राम ढखवा, तहसील मलिहाबाद के एस0 डी0 एम0 के आदेश दिनांक 8-11-04 के तहत भूमि की हदबरारी करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जमीन की हदबरारी कब तक करायी जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

वादी उमेश चन्द, रमेश चन्द्र पुत्रगण मूल चन्द्र, निवासी ग्राम जगतापुर, तहसील व जिला लखनऊ द्वारा हदबरारी प्रर्थना-पत्र दिनांक 12-8-2004 को प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार, मलिहाबाद की प्रारम्भिक आख्या दिनांक 4-11-2004 को प्राप्त हुयी। वादी द्वारा हदबरारी शुल्क जमा करने के उपरान्त सीमांकन हेतु पत्रावली पुन: तहसीलदार, मलिहाबाद को भेजी गयी है।

तहसीलदार की सीमांकन आख्या प्राप्त होने पर समस्त संबंधित को नियमानुसार नोटिस जारी कर, आपत्तियों पर सुनवाई करने के पश्चात् भू-राजस्व अधिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत हदबन्दी को अंतिम रूप से शीघ्र कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छितही गांव के पास रामलक्षण-देवरिया के अधूरे मार्ग पर पिच कार्य कराये जाने की मांग

107--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छितही गांव के पास रामलक्षण-देवरिया मार्ग पर लगभग एक कि0मी0 पिच किया जाना शेष है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे मार्ग पर पिच कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां, परन्तु यातायात चालू है।

जी हां।

मार्च, 2005 तक ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्ग सुधार के तीन कार्यों को स्वीकृत कर पूर्ण कराये जाने की मांग

108--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका आदेश 1655, दिनांक 26-9-02 जो पट्टी विधान सभा क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मार्ग सुधार के 11 कार्यों से संबंधित है जिसमें से 3 कार्यों को स्वीकृत नहीं किया गया है ? क्या उन तीन कार्यों को स्वीकृत कर पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां। पत्र में उल्लिखित 11 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

शेष तीन कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर में विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों हेतु स्वीकृत धनराशि

109--श्री अनिल कुमार वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 2004-2005 में विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत किन-किन मार्गों पर कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या प्राप्त धन से सारे कार्यों को वर्टिकल टेण्डर द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो लहरपुर-खैराबाद मार्ग के किमी0 7 का वर्टिकल टेण्डर किस समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया गया था ? माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लहरपुर-लखीमपुर मार्ग के किमी0 4 एवं 5 में जो कार्य कराये जा रहे हैं क्या उनका टेण्डर समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जनपद सीतापुर में 2004-05 में विशेष मरममत योजना के अन्तर्गत मार्गवार स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न है* (संलग्नक 1 व 2)।

जी नहीं। लहरपुर खैराबाद मार्ग के किमी0 7 का कार्य रु0 2.00 लाख से कम होने के कारण टेण्डर समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं कराया गया था।

लहरपुर लखीमपुर मार्ग के किमी0 4 व 5 में विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है और न ही कोई कार्य कराया जा रहा है। अत: उसका टेण्डर समाचार-पत्र में प्रकाशित कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गन्ना विकास परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग

110--श्री अनिल कुमार वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ना विकास परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस की सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 162--164 पर।

श्री मुलायम सिंह यादव--

सहारनपुर, मेरठ, बरेली, फैजाबाद, देवीपाटन (गोण्डा) तथा गोरखपुर क्षेत्रों के अधीनस्थ गन्ना विकास परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस की सुविधा दी जा रही है। शेष गन्ना विकास परिषदों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण उनके कर्मचारियों को बोनस की सुविधा नहीं दी जा रही है।

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ गन्ना विकास परिषद कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं दिये जाने की मांग

111--श्री अनिल कुमार वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ गन्ना विकास परिषद कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति समय-समय पर देय महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के महेवा स्थित फल एवं सब्जी मण्डी स्थल का विस्तार किये जाने की मांग

112--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि मण्डी स्थल, महेवा, गोरखपुर में स्थित फल एवं सब्जी मण्डी स्थल कार्य एवं व्यवसाय की दृष्टि से छोटा पड़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी स्थल का विस्तार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी नहीं।

अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता

एक लाख से अधिक यातायात घनत्व वाले महत्वपूर्ण सम्पारों पर उपरिगामी सेतु बनवाये जाने की मांग

113--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि क्या प्रदेश शासन की नीतियों के तहत लोक निर्माण विभाग उन समपार फाटकों पर उपरिगामी सेतु बनाने की योजना को प्राथमिकता देगी जहां यातायात घनत्व 1 लाख से ऊपर हो ? क्या महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे ने पत्र संख्या डब्लू/562/सांसद-विधायक/लखनऊ/7 (भाग-2), दिनांक 24-12-2003 के द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को मोहररीपुर चार फाटक समपार संख्या 158 कि0मी0 503/2-3 पर जहां यातायात घनत्व 373176 है, पर उपरिगामी सेतु के निर्माण के संबंध में पत्र भेजा है ? क्या जिलाधिकारी, गोरखपुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के उपरोक्त पत्र का हवाला देते हुए चार फाटक पर उपरिगामी सेतु बनवाने के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों के सहमति पत्र पत्रांक 383/आशु0जि0अ0 2004, दिनांक 9-1-2004 के द्वारा प्रमुख सचिव, लो0 नि0 वि0 को प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो इस संदर्भ में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां। रेलवे मंत्रालय से कुल 347 रेलवे सम्पारों की सूची प्राप्त हुई है जिनमें यातायात घनत्व एक लाख से अधिक है। इनमें से 40 सम्पार 5 से 10 लाख तक यातायात घनत्व वाले तथा 13 सम्पार 10 लाख से अधिक यातायात घनत्व वाले हैं। राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि सर्वप्रथम 5 लाख से अधिक यातायात घनत्व वाले महत्वपूर्ण सम्पारों पर उपरिगामी सेतु बनाने के लिए उन्हें रेल विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित कराया जाय।

जी हां।

जी हां।

उपरोक्त निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत

114--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2001 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुनर्निमाण हेतु धनावंटन जिसमें अकबरपुर, कादीपुर, चान्दा, पट्टी बेला पट्टी, ढखवा सहित अन्य काय प्रतावित हैं, के लिये जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र 2335/शिविर-2002, दिनांक 27-9-02 राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रस्ताव का विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

विभागीय बजट उपलब्ध न होने के कारण जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2001 की बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के 15 कार्यों को कराये जाने हेतु आपदा राहत निधि से धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया।

आपदा राहत निधि नियमावली के अन्तर्गत उक्त कार्यों पर व्यय अनुमन्य न होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

उपर्युक्तानुसार।

सचिव, लोक निर्माण विभाग के आदेशों के अन्तर्गत कतिपय 14 मार्गों के नवीनीकरण एवं पुल निर्माण के संबंध में कृत कार्यवाही की मांग

115--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका आदेश संख्या 1662, 1663 दिनांक 26-9-02 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को जो 14 मार्गों के नवीनीकरण एवं पुल निर्माण से संबंधित था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों को स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

कुल स्वीकृत 06 कार्यों का विवरण निम्नवत् है :--

1--बेला पट्टी ढकवा मार्ग एस0आर0पी0-2 योजना में स्वीकृत।

2--चिलबिला-मधुपुर सरांय रजई अन्य जिला मार्ग के कि0मी0-2 से 14 के मध्य सुदृढ़ीकरण का कार्य ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत।

3--पट्टी राजा बाजार मार्ग पर कठार नाले पर सेतु एवं पहुंच मार्ग।

4--आमापुर आसपुर देवसरा अन्य जिला मार्ग में 4.00 कि0मी0 में लेपित सतह के नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत।

5--करैला बरहुपुर ग्रामीण मार्गों का सुधार/नवीनीकरण कुल 03 कि0मी0 (कि0मी0 1, 2, 3) वर्ष 2003-04 में स्वीकृत तथा कार्य पूर्ण। वर्ष 2004-05 में कि0मी0 2.45 (कि0मी0 4, 5, 6, 450 मीटर) में स्वीकृत।

6--मधुपुर कोहडौर मार्ग स्वीकृत।

02 मार्गों की स्वीकृति का औचित्य नहीं पाया गया। शेष मार्गों की स्वीकृति सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं हुयी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग व पुल निर्माण के कार्यों में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

116--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ पोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश से धन स्वीकृति हेतु पूर्व राज्य मंत्री कृषि के पत्र सं0 252, दिनांक 25-1-03, 787, दिनांक 29-1-03, 835, दिनांक 1-5-03, 15, दिनांक 3-6-03, 1378, दिनांक 18-7-03, 1424, दिनांक 22-7-03, 1379, दिनांक 16-7-03, 1425, दिनांक 22-7-03, 1454, दिनांक 26-7-03, 1455, दिनांक 20-7-03 जो जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग निर्माण, पुल निर्माण के कार्यों के आगणन, वैकल्पिक प्रस्ताव की स्वीकृति तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में है, राज्य मंत्री कृषि के प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

प्रश्न में वर्णित पत्रों में से पत्र सं0 1378, दिनांक 16-7-03, 1379, दिनांक 16-7-03, 1424, दिनांक 22-7-03, 1425, दिनांक 22-7-03, 1454, दिनांक 26-7-03 कार्यलय में उपलब्ध है।

पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में अत्यन्त अल्प धनराशि शेष रह जाने के कारण उपर्युक्त प्रथम चार पत्रों से संबंधित परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने एवं अन्तिम पत्र दिनांक 26-7-2003 से संगत परियोजनाओं के प्राप्त आगणन की स्वीकृति का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम पंचायत नगला जलाल, सिकन्दरा राऊ देहात परगना व तहसील की करोड़ों रुपये की कृषि भूमि फर्जी तरीके से आवंटित किये जाने के संबंध में शिकायती-पत्र

117--श्री यशपाल चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम पंचायत नगला जलाल, सिकन्दराराऊ, देहात परगना व तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ (हाथरस) की करोड़ों रुपयों की कृषि भूमि फर्जी तरीके से दिनांक 4-11-1996 में आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल यादव, सांसद का पत्र दिनांक 30-1-97 एवं श्री किशनलाल दिलेर, सदस्य, लोक सभा का पत्र दिनांक 5-1-01 जिलाधिकारी, हाथरस को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई है ? जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बन्द कराये जाने की मांग

118--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद मेरठ में कितनी शराब की दुकानें स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि जनपद मेरठ में अनेक दुकानें अवैध रूप से चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद मेरठ में देशी शराब की 84 दुकानें व 9 उप दुकान, विदेशी मदिरा की 61 दुकानें तथा बियर की 69 दुकानें स्वीकृत हैं।

जी नहीं। जनपद में कोई अवैध शराब की दुकान नहीं चल रही है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज, विकास खण्ड पनियरा में मुजुरी से टिकरिया तक जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

119--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पनियरा, जनपद महाराजगंज में मुजुरी से टिकरिया मार्ग अत्यन्त जर्जर स्थिति में है जिससे आने-जाने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धनराशि से गड्ढों की मरम्मत कर यातायात चालू रखा जा रहा है।

प्रश्नगत मार्ग के कुल 13 किमी0 में से 5 किमी0 में नवीनीकरण का कार्य मार्च, 2005 तक पूरा किया जाना लक्षित है। मार्ग पर शेष भाग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ, तहसील व थाना मलिहाबाद के गांव गुखौरा मजरा मलहा के अग्निकाण्ड पीड़ितों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने की मांग।

120--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ, तहसील व थाना-मलिहाबाद के गांव गुखौरा मजरा मलहा में दिनांक 29-3-04 को हुए अग्निकाण्ड में पूरा गांव जल गया था जिसका मुआयना तत्कालीन एस0 डी0 एम0, मलिहाबाद ने किया था जिसमें 38 अग्निकाण्ड पीड़ितों को तहसील के अधिकारियों ने इन्दिरा आवास आवंटित करने का आश्वासन दिया था ? क्या उक्त अग्निकाण्ड पीड़ितों को इन्दिरा आवास आवंटित कर दिये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हाँ।

जी नहीं।

जी नहीं।

दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान है। अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिये जाने का प्राविधान नहीं है। ग्राम गुखौरा, तहसील मलिहाबाद में दिनांक 29-03-04 को हुए अग्निकाण्ड से 23 परिवार प्रभावित हुए। आपदा राहत निधि से प्रभावित 23 व्यक्तियों को रु0 1,000/- की दर से कुल रु0 23,000/- अहेतुक सहायता तथा 20 व्यक्तियों को रु0 20,400 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 पंडित शालिग राम शुक्ल के पैतृक गांव पंचायत इटारा, विकास खण्ड विधनू, जिला कानपुर नगर को सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़े जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

121--श्री प्रेम सिंह दरोगा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी स्व0 पं0 शालिग राम शुक्ल के पैतृक गांव पंचायत इटारा, विकास खण्ड-विधनू, जिला कानपुर नगर को सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने के सम्बन्ध में उक्त गांव पंचायत के प्रधान गिरजा शंकर सिंह की अभ्यर्थना पर उनके द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को लिखे गये पत्र सं0-397/वी0आई0पी0/म0 लो0 नि0/2005, दिनांक 15-1-2005 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्माण/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति तत्समय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आरक्षित वर्ग का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

122--श्री कौशल किशोर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है ? क्या ग्रुप बी वर्कचार्ज के 112 स्टोर मुंशियों के पदों पर आरक्षित वर्ग का एक भी कर्मी तैनात नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कोटा पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

कुछ पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण नहीं है।

पिछड़ी जाति के 39 स्टोर मुंशी ग्रुप बी वर्क चार्ज श्रेणी में कार्यरत हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी नहीं हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी निगम में उपलब्ध नहीं हैं।

वर्तमान में सेतु निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के स्टोर मुंशियों को सिंचाई विभाग के स्टोर मुंशियों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने की मांग

123--श्री कौशल किशोर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 में स्टोर मुंशियो से स्वतंत्र रूप से स्टोर के रख-रखाव एवं मासिक लेखा इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है परन्तु चतुर्थ श्रेणी अकुशल का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या स्टोर मुंशियों को सिंचाई विभाग के स्टोर मुंशियों के अनुरूप 3050/- का वेतनमान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव -

जी नहीं।

जी हां। इनको स्टोर मुंशी के लिए अनुमन्य वेतनमान दिया जा रहा है।

जी नहीं।

सिंचाई विभाग में स्टोर मुंशी का कोई पद नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर तथा लखनऊ में सरकार द्वारा ठंडक से बचाने हेतु किये गये उपायों की जानकारी की मांग

124--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सहारनपुर तथा लखनऊ में इस वर्ष 2004 की ठंडक से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार द्वारा ठंडक से बचाने हेतु क्या-क्या उपाय किये गये एवं इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद लखनऊ एवं सहारनपुर में वर्ष 2004 की ठण्ड से किसी व्यक्ति की मृत्यु नही हुई ।

ठण्ड से बचाव हेतु निम्नांकित उपाय / व्यवस्था किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये :--

1--कम से कम प्रति नगर पंचायत-03, प्रति नगरपालिका-05 एवं प्रति नगर निगम-25 सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाये जायें।

2--निराश्रित एवं गृह विहीन व्यक्तियों को कम्बल वितरित किये जायें।

3--रैन बसेरों, बाढ़ शरणालयों, धर्मशालाओं, रिक्त सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक भवनों एवं विद्यालयों को पूर्व में चिन्हित कर रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाय। निर्मित भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में अस्थायी टेन्टों की व्यवस्था की जाये।

4--अलाव जलाने एवं कम्बल वितरण के कार्य में स्वयं सेवी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाय।

5--आम जनता के सूचनार्थ एवं व्यवस्था की पारदर्शिता हेतु अलाव जलाने के स्थानों एवं अस्थायी रैन बसेरों, टेन्टों व पण्डालों की व्यवस्था की सूची सम्बन्धित तहसीलों, स्थानीय निकायों एवं विकास खण्डों के सूचना पट पर लगायी जाय।

इस हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों को कुल रु0 एक करोड़ सोलह हजार, जिसमें जनपद लखनऊ को रु0 1,84,000 व सहारनपुर को रु0 1,84,000 था, आवंटित किया गया।

जनपद लखनऊ में रु0 3,57,977 तथा जनपद सहारनपुर में रु0 1,84,000 की धनराशि व्यय की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

125--श्री जगदीश नारायण राय--

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कृषक बीमा योजना से आच्छादित लाभार्थी को पारिवारिक लाभ योजना का भी लाभ दिये जाने की मांग

126--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषक बीमा योजना लागू है ? यदि हां , तो इसके मानक क्या हैं ? क्या इस योजना से आच्छादित लाभार्थी को पारिवारिक लाभ योजना का भी लाभ दिये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

प्रदेश में खातेदार /सहखातेदार कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 16.9.04 से एक वर्ष के लिए लागू है।

इसके निम्नलिखित मानक / पात्रता है :--

(1) राजस्व अभिलेख **"खतौनी" में दर्ज** खातेदार / सहखातेदार व्यक्ति ही पात्र होंगे।

(2) पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष होगी।

(3) कृषक खातेदार इस योजना के अन्तर्गत किसी दुर्घटना के कारण अप्राकृतिक मृत्यु जैसे-साँप काटने, नदी /तालाब / पोखर व कुएँ आदि में डूबने, मकान की छत, पेड़ आदि से गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट आदि के कारण मृत्यु होने के कारण आच्छादित होंगे।

(4) खातेदार कृषक उपर्युक्तानुसार किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हुई शारीरिक क्षति हो जाने पर बीमा योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार दी गयी व्यवस्थानुसार लाभान्वित होंगे :--

क्र0 सं0	दुर्घटना के कारण मृत्यु /शारीरिक क्षति की स्थिति	बीमा देय धनराशि
1	मृत्यु एवं पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति	100%
2	दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आखों की क्षति	100%
3	एक हाथ तथा एक पैर की क्षति	100%
4	एक हाथ या एक पैर या एक आँख की क्षति	50%
5	हाथ अथवा पैर अथवा दोनों की चार अँगुलियाँ के कट जाने पर	40%

जी हाँ, इस योजना से आच्छादित कृषक को किसी अन्य योजना में मिलने वाले लाभ का प्रभाव इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि पर नहीं पड़ेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र हेतु भूमि आवंटन के संबंध में शासन के पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

12. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र (अमईपुर व जगतपुर) हेतु भूमि देने विषयक आदेश पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-112119/2004, दिनाक 4-11-04 द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जनपद शाहजहाँपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गयी स्वीकृति के आधार पर सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत पूर्व से ही एक कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित होने तथा एक जनपद में एक ही कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का प्राविधान होने के कारण पत्र में कथित संस्था द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के आदेश देने तथा जिलाधिकारी शाहजहाँपुर को कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु भूमि आवंटन के अधिकार दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति मा0 विधायक महोदय एवं मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय को शासन के पत्र दिनांक 16-2-2005 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में रुद्रपुर-देवरिया मार्ग पर माहीगंज-मेदनापुर-वनियईनी का क्षतिग्रस्त एवं अपूर्ण पिच मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

128--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में रुद्रपुर-देवरिया मार्ग पर माहीगंज-मेदनापुर-वनियईनी मार्ग का अधूरा पिच मार्ग क्षतिग्रस्त एवं अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे ठीक करके उसका निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

शाहजहाँपुर के ग्राम अगौना बुजुर्ग पुवाया का विकास लोहिया विकास योजनान्तर्गत कराये जाने की मांग

129--श्री मिथिलेस कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक गांव लोहिया योजना के अन्तर्गत विकास किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर ग्राम अगौना बुजुर्ग पुवाया, शाहजहांपुर के विकास हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/114587/04, दिनांक 7-12-04 जिलाधिकारी, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत पत्र पूर्व में जिलाधिकारी, बरेली को प्राप्त नहीं हुआ था। अब पुनः पत्र की प्रति शासन के पत्र दिनांक 1-3-2005 के द्वारा जिलाधिकारी, बरेली को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

130--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मण्डियों के भाव दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित कराने की मांग

131--श्री सुन्दर सिंह--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मण्डियों के भाव दिल्ली दूरदर्शन के कृषि जगत कार्यक्रम में प्रसारित नहीं किये जाते है, जबकि हरियाणा व पंजाब के मण्डियों के भाव दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित किये जाते हैं, जिसका लाभ हरियाणा, पंजाब के कृषकों को मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मण्डियों के भाव दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा मण्डियों के भाव प्रसारित नहीं कराये जाते।

मण्डी परिषद में यह योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राजकीय उपकोषागार संग्रह सेवा कर्मचारी संघ, लखनऊ द्वारा मांगों से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

132--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय उपकोषागार संग्रह सेवा कर्मचारी संघ, लखनऊ द्वारा अपनी मांगों से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 6 अक्टूबर, 2004 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल यादव--

जी हाँ।

जी हाँ, परीक्षण किया गया।

उक्त पत्र के साथ उ0प्र0 राजकीय उपकोषागार संग्रह कैश कर्मचारी संघ, लखनऊ का प्रत्यावेदन दिनांक 11-12-03 संलग्न कर प्रेषित किया गया, जिसमें संघ द्वारा मुख्य रूप से वह सभी सुविधायें मांगी गयीं जो कोषागार, उपकोषागार की रोकड़ शाखा के कर्मचारियों को प्रदत्त हैं। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-एस-3-2429/दस-2000-100(39)/93, दिनांक 22 सितम्बर, 2000 द्वारा कोषागारों की रोकड़ (कैश) शाखा संवर्ग को मृत घोषित किया जा चुका है। अत : उसमें संग्रह तहसीलदारों का विलय/संविलयन व अन्य मांगों का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बिजनौर के किसानों को स्प्रिंगकलर सिस्टम तथा ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई सुविधा का लाभ दिये जाने की मांग

133--कुंवर भरतेन्द्र सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2001 तक जनपद-बिजनौर के किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम तथा ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया और किन-किन किसानों को उक्त सुविधा का लाभ पहुंचाया गया ?

डा0 अशोक वाजपेयी--

जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2001 तक जनपद बिजनौर के किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई हेतु रु0 6,32,296.00 पै0 की धनराशि तथा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई हेतु रु0 52,45,122.82 पै0 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। स्प्रिंग कलर सिस्टम के अन्तर्गत 54 तथा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अन्तर्गत 68 किसानों को उक्त सुविधा का लाभ पहुँचाया गया। लाभार्थी कृषकों की सूची* संलग्न है।

---

*देखिये नत्थी ग आगे पृष्ठ 165--168 पर।

जनपद शाहजहाँपुर के विधानसभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत चार विकास कार्यों हेतु धन जारी करने की मांग

134--श्री मिथिलेश कुमार--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत चार विकास कार्यों हेतु धन जारी करने के विषय में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपके आदेश सी0एम0/वि0को0/एम-108750/2004/प्रमुख /सचिव नियोजन / दिनांक 31-8-2004 द्वारा धन स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल यादव--

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सम्यक् विचारोपरान्त नये कार्यों की स्वीकृति का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

बभनान सुगर मिल, गोण्डा द्वारा बभनान-खौड़ारे मार्ग पर ग्राम सदकरपुर पर टूटे पुल की मरम्मत कराये जाने की मांग

135--श्री संजीव दरियाबादी--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-21 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बभनान सुगर मिल, गोण्डा द्वारा कितने पुलों का मरम्मत कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त गन्ना मिल प्रशासन से बभनान-खौड़ारे मार्ग पर ग्राम सदकरपुर पर टूटे पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला पंचायत, गोण्डा से प्राप्त धन से चीनी मिल, बभनान द्वारा एक पुल का मरम्मत कार्य कराया गया है।

धनाभाव के कारण मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

आज की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या-4 को 9 वें शुक्रवार में स्थापित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने नियमावली के अन्तर्गत हमारा संवैधानिक अधिकार है आप आज के तारांकित प्रश्न संख्या-4 को देख लें। यह हमने दिनांक 6-01-2005 को आपके सचिवालय को दिया था . . . .

मान्यवर लगभग दो महीने हो गये हैं, इसमें लिख करके आ गया है कि इस प्रश्न को नवें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। मान्यवर, यह देख

लें कि इस विधान सभा सत्र में जो कार्य-मंत्रणा की सिफारिश हैं, उसमें नौवाँ शुक्रवार आने वाला नहीं है। हमें जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसके तहत हम अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं और माननीय मंत्रिगणों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उत्तर का दिन आपकी अनुज्ञा से बदलवा लेते हैं, लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्रिगण दिन को इस सीमा तक चेन्ज कर दें कि हम अपने अधिकारों से ही वंचित रह जाएं, तो ठीक नहीं है। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर इसी सत्र में दिलवा दिया जाए क्योंकि यह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं, नियमों में व्यवस्था है कि सदन में दो अल्पसूचति प्रश्न रोज लिये जाएं, अब यह व्यवस्था समाप्त हो रही है। बीस तारांकित प्रश्न रोज लिये जाने की व्यवस्था है, वह भी प्रथा समाप्त हो रही है। इस सत्र में शायद ही कोई दिन आया हो, जब 20 प्रश्न लिये गये हों। अतारांकित प्रश्नों की संख्या 200 होनी चाहिए, वह भी नही हो पा रहा है। मान्यवर, नौवें, दसवें और ग्यारहवें शुक्रवार तक हम अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि जो हमारा अधिकार है, हमारे प्रश्न का उत्तर इसी सत्र में दिलवा दें और जो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था आ जाए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय, सदस्य, प्रश्न जिस दिन आते है, उसी दिन संख्या के हिसाब से तारांकित और अतारांकित ले लिये जाते हैं। अगर आपका प्रश्न नौवें शुक्रवार के लिए स्थानान्तरित हो गया है और यह महत्वपूर्ण भी है, तो नियमों में और भी प्राविधान हैं। आप नियम-52 के माध्यम से दे दें तो सम्पूर्ण उत्तर ही नहीं सभी कुछ आ जाएगा। जब आपको यह सूचना दी गई थी, तब भी इस बात को आपने कहा था, इसे हम देख लेंगे। जो 20 प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं, इसे भी हम दिखवा लेंगे। हम इसे दिखवा लेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका प्रश्न आ जाए।

आज की कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-131 के उत्तर में विरोधाभास पर व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, अभी लहसुन से सम्बन्धित जो प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि प्रतिदिन टेलीविजन और रेडियो पर मण्डी के भाव आते हैं। मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरूवार हेतु निर्धारित श्री सुन्दर सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-131 का उत्तर आप देख लें। इसमें पूछा गया था कि क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मण्डियों के भाव दिल्ली दूरदर्शन के कृषि जगत कार्यक्रम में प्रसारित नहीं किये जाते हैं, जबकि हरियाणा व पंजाब के मण्डियों के भाव दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित किये जाते हैं, जिसका लाभ हरियाणा, पंजाब के कृषकों को मिलता है। इसके जवाब में कहा गया है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा मण्डियों के भाव प्रसारित नही कराये जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि यदि हाँ, तो क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मण्डियों के भाव दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित कराने की व्यवस्था करेगी ? इसके उत्तर में सरकार का उत्तर है कि मण्डी परिषद् में यह योजना नहीं है। मान्यवर, इस पर हम आपका कृपापूर्वक संरक्षण और व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, मण्डी परिषद् ने कहा कि मैंने प्रसारित कर दिये है। सारी सूचनायें मण्डी परिषद् से नहीं जातीं । संबंधित लोग भी प्रदेश के बाजारों में जा करके भाव देख करके प्रेस को देते हैं। मंडी परिषद् ही प्रसारित करता है ऐसा नहीं है, उसके और भी साधन हैं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आ गयी ?

श्री अध्यक्ष--

हाँ आ गयी। क्या लिखित चाहते हैं ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

हाँ लिखित चाहेंगे।

विधान सभा के पूर्व सदस्यगण सर्वश्री सोहन लाल धुसिया, सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री फजलुल हक, श्री पातीराम अहरवार, चिरंजी लाल पालीवाल तथा श्री राम प्रसाद नौटियाल के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

अब निधन के निर्देश ले लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सोहन लाल धुसिया का निधन 18 फरवरी, 2005 की रात्रि में 11.30 बजे हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे।

श्री सोहन लाल धुसिया का जन्म 1 जुलाई, 1923 को जिला बस्ती में हुआ था। उन्होने बी0काम0, एल0एल0बी) की उपाधि प्राप्त की थी।

श्री सोहन लाल धुसिय, वर्ष 1957 के सामान्य निर्वाचन में सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र बांसी (पूर्वी), जिला बस्ती, वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बांसी (दक्षिण), वर्ष 1967 में साउँ घाट, जिला बस्ती, वष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र साउँ घाट (अ0जा0) जिला बस्ती तथा वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र नगर पूर्व (अ0जा0), जिला बस्ती से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे श्री धुसिया श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्रिमण्डल में शिक्षा तथा श्रम विभाग के उपमंत्री रहे।

श्री सोहन लाल धुसिया वर्ष 19[illegible] से 1952 तक अन्त: कालीन संसद के सदस्य, वर्ष 1952 से 1957 तक प्रथम लोकसभा के सदस्य तथा वर्ष 1984 से वर्ष 1990 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु उल्लेखनीय योगदान दिया है। वे अनेक शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहे तथा समाज कल्याण एवं बागवानी में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री सोहन लाल धुसिया के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुशील कुमार विद्यार्थी का 14 फरवरी, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे।

श्री सुशील कुमार विद्यार्थी का जन्म 24 अप्रैल 1920 को उन्नाव में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी0 ए0, एल एल0 बी0 की उपाधि प्राप्त की थी।

श्री सुशील कुमार विद्यार्थी वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ (मध्य), जिला लखनऊ से जनसंघ पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री सुशील कुमार विद्यार्थी का मुख्य व्यवसाय वकालत था। वे कई शिक्षण तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे। वे लखनऊ नगर महापालिका के सभासद भी थे। संगीत और नृत्य में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री सुशील कुमार विद्यार्थी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री फजलुल हक की 13 जनवरी, 2005 को निधन हो गया।

श्री फजलुल हक का जन्म वर्ष 1917 में रामपुर में हुआ था। उन्होंने बी0 काम0, एल0 एल0 बी0 उपाधि प्राप्त की थी।

श्री फजलुल हक वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र रामपुर शहर, जिला रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री फजलुल हक का स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे स्वतंत्रता पूर्व रामपुर रियासत के गृह मंत्री थे। वर्ष 1959 से 1961 तक नगर पालिका परिषद् रामपुर के चेयरमैन भी थे। हॉकी और क्रिकेट खेलना उनको प्रिय था और समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री फजलुल हक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पातीराम अहरवार का निधन दिनांक 7 जनवरी, 1997 को हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे।

श्री पातीराम का जन्म 1915 में फतेहगढ़, जिला फर्रूखाबाद में हुआ था। उन्होने क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर से शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री पातीराम सर्वप्रथम 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रूखाबाद (पूर्व) तथा पुन 1962 एवं 1967 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज, जिला फर्रूखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री पातीराम का मुख्य व्यवसाय कपड़े का व्यापार करना था। वे जिला दलित वर्ग संघ के प्रधान तथा जिला समाज कल्याण समिति के उपप्रधान रहे थे। उन्होंने मद्यनिषेध बोर्ड, फर्रूखाबाद के मंत्री, म्युनिसिपल बोर्ड, फर्रूखाबाद तथा वेस्टर्न रेलवे रीजन यूजर्स कन्सल्टेटिव कमेटी, गोरखपुर के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

श्री पातीराम अहरवार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चिरंजी लाल पालीवाल का 1 दिसम्बर, 1997 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे।

श्री चिरंजी लाल पालीवाल का जन्म वर्ष 1914 में हुआ था।

श्री चिरंजी लाल पालीवाल वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण), जिला फर्रूखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री चिरंजी लाल पालीवाल 1958 से 1984 तक स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र कानपुर-फर्रूखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लगातार विधान परिषद् सदस्य रहे। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। वे "भारत छोड़ो" आन्दोलन में 1942 के दौरान फरार रहे और सरकार ने उन्हें बन्दी बनाने हेतु उन पर रु0 200/- का पारितोषिक घोषित किया था। वे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, वर्धा, जिला सहकारी बैंक, मझला, जिला फर्रूखाबाद के सभापति भी रहे थे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर के अनेक पदों को सुशोभित किया था। श्री चिरंजी लाल पालीवाल को विद्यार्थी जीवन से ही राजनैतिक एव सामाजिक कार्यकलापों में विशेष रुचि थी।

श्री चिरंजी लाल पालीवाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रसाद नौटियाल का 12 दिसम्बर, 1980 को निधन हो गया।

श्री राम प्रसाद नौटियाल का जन्म वर्ष 1910 में हुआ था।

श्री राम प्रसाद नौटियाल वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र लैसडाउन (पूर्व), जिला गढ़वाल, वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र लैंसडाउन तथा वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र, एकेश्वर, जिला गढवाल से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री राम प्रसाद नौटियाल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे जिला परिषद गढ़वाल के सदस्य, गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट समिति के अध्यक्ष, जिला कोआपरेटिव बैंक, गढ़वाल जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, गढ़वाल के निदेशक भी रहे। उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट तथा उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी की सेवा की। गढ़वाली साहित्य में विशेष रुचि के फलस्वरूप "रैदास और गांधी" नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया।

श्री राम प्रसाद नौटियाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह अपने स्थान पर 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

[सभी सदस्यों ने सदन में दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।]

नियम-301 तथा नियम-51 की सूचना अस्वीकार किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मान्यवर, हम लोग पर अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को रखने के लिये चुनकर आते हैं। मैंने आपसे मिलकर भी आग्रह किया है। नियम-301 में सूचना दी और नियम-51 में चार बार सूचना दिया। मैंने आपके पैर पकड़े, मैं आपका पुराना चेला हूँ। मान्यवर, मनियर थाने में डकैती, चोरी, हत्यायें हो रही हैं। मैं वहां पर पी0ए0सी0 की टुकड़ी के लिये मांग कर रहा हूँ। मान्यवर, मैंने वहां पर पीपे के पुल को बनाने के लिये मांग की है लेकिन हमारी सूचनायें अस्वीकार हो गयी हैं। मान्यवर, मुझे संरक्षण दीजिये।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, हमारे रिजवी जी सरकार का गुणगान कर रहे थे। आज पहली बार, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की सूचना दे रहे हैं, यह बहुत गंभीर बात है।

विधान सभा सदस्यों के निधन के निर्देश की सूचना सदन में विलम्ब से दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, अभी आपने शोक प्रस्ताव, निधन की सूचनायें दी हैं। माननीय सदस्य पालीवाल साहब 1997 में और माननीय सदस्य नौटियाल साहब की मृत्यु 1980 में हुयी है। आज 25 साल बाद शोक प्रस्ताव आया है। यह निश्चित रूप से गंभीर बात है। मान्यवर, इस संबंध में कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस संबंध में जिलाधिकारी से स्पस्टीकरण मांगने के लिये कहा है। स्पष्टीकरण आ जाय फिर उस पर कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी--

मान्यवर, हमें संरक्षण दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अब-अब आपकी बात आ गयी।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 03 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :--

पहली सूचना श्री चन्द्र भद्र सिंह की सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत 3 गांवों में पानी की टंकियां बनाने की सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद भी अभी तक पानी की सप्लाई न होने से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री जंग बहादुर की सुल्तानपुर के गौरीगंज क्षेत्रान्तर्गत कादू नाले में पुल एवं बन्धा बनाये जाने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री सलिल विश्नोई की कानपुर में पेयजल समस्या के निदान हेतु गंगा बैराज में पानी दिये जाने के संबंध में, चौथी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की (माननीय सदस्य श्री मुकुट बिहारी वर्मा के अनुपस्थित होने पर नही ली गयी) पाँचवी सूचना श्री अशोक सिंह चौहान की मैनपुरी के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में, छठी सूचना श्री राकेश पाण्डेय की (माननीय सदस्य श्री राकेश पाण्डेय के अनुपस्थित होने पर नहीं ली गयी), सातवीं सूचना श्री अकीलुर्रहमान खाँ की मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों के उदघाटन में क्षेत्रीय विधायक को तरजीह न देने के संबंध में, आठवीं सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की बांदा नगर में गंदे पानी व बरसाती पानी की निकासी हेतु नालों की सिल्ट सफाई करवाने के संबंध में, नवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा, परगना तम्बौर के अन्तगत कतिपय गांवों की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में, दसवीं सूचना श्री परमेश्वर दयाल की सोनभद्र के राबर्ट्सगंज की घाघरा मुख्य नहर में ग्राम गोडिहा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, ग्यारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गर्रा नदी के किनारे बसे कई गांवो को बाढ़ से बचाने एवं कटान रोकने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के किसानों को सूखे से हुये नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में, तेरहवी सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की झांसी एवं ललितपुर में ओले से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में (श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' ने संलग्न सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई) चौदहवीं सूचना श्री आलमबदी की आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत फूलपुर-निजामाबाद मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री डी0 प्रसाद अहिरवार की जनपद चित्रकूट के ग्राम ददरी में सिंचाई हेतु निर्मित माड़ौ बांध में जल रिसाव रोकने हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

अस्वीकार की गई सूचनाओं में से श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खसा में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा नदी में बनाये जा रहे अधूरे पुल के निर्माण को पूरा कराने के संबंध में व श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के मनियर थाने में अपराधों की रोकथाम हेतु पी0ए0सी0 की एक टुकड़ी लगाये जाने के संबंध में। शेष माननीय सदस्यों श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री किशन लाल बघेल, श्री बैजनाथ दुबे, श्री बीजू पटनायक, श्री आर0 के0 सिंह पटेल की सूचना अस्वीकार की गई;

स्वीकृत सूचनाएं पढी हुई पाई गईं।

श्री राकेश पाण्डेय--

मान्यवर, मेरी भी सूचना चयनित कर लें। मैं यहीं था सुन नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी सूचना अस्वीकृत हो गई। हमें मत सिखाइए। आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

जनपद सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में पानी की टंकियां बनवाने की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी पानी की सप्लाई न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र भद्र सिंह--

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ। जनपद सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्र के अन्तर्गत (ग्राम पारा, ग्राम तिरहुत, ब्लाक-बल्दीराय ग्राम देहली, ब्लाक-धनपतगंज में पेयजल के अन्तर्गत पानी की टंकियां बनाने का समस्त कार्य एवं औपचारिकता पूरी हो गयी है। परन्तु अभी तक टंकी से पानी की सप्लाई प्रारम्भ नहीं की गयी है, न ही टंकी चालू हो सकी है। मान्यवर, जनहित के इस कार्य के लिये व्यवस्था की मांग करता हूं कि तीनों टंकियों में पानी की सप्लाई प्रारम्भ करते हुये मुझे अवगत कराने की कृपा करें। ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को गर्मी में पानी मिल सके। कार्य न पूरा होने से गांव वालों में रोष है। आन्दोलन का रूप भी ले सकता है।]

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज क्षेत्रान्तर्गत काटू नाले में पुल एवं बंधा बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जंग बहादुर--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसका मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। हमारे क्षेत्र का विकास आजादी के बाद से आज तक बहुत कम हुआ है। यहां तक कि हमारे क्षेत्र के जो अहम मार्ग हैं जैसे विकास खण्ड जामों में गूंगेमऊ-गौरा मार्ग पर काटू नाला पड़ता है हमारे क्षेत्र के लोग नाले को तैरकर के विषम परिस्थितियों में पार करते हैं। बरसात के महीने में इस नाले में अथाह पानी हो जाता है जिससे कई गांव प्रभावित होते हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस काटू नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने एवं बन्धा बनाए जाने हेतु जोरदार मांग करता हूं यदि पैसा उपलब्ध न हो तो अतिरिक्त स्वीकृति शासन से प्रदान कराते हुए इस काटू नाले पर पुल एवं बन्धा का निर्माण कराने की कृपा करें।]

कानपुर में पेयजल समस्या के निदान हेतु गंगा बैराज में पानी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई--

[महोदय, शासन द्वारा बार-बार घोषणा की जा रही है कि अप्रैल, 2005 में कानपुर के गंगा बैराज में पानी आ जायेगा। प्रदेश में गर्मी का सीजन प्रारम्भ हो गया है अगले कुछ दिनों बाद 50 लाख की आबादी वाले कानपुर महानगर में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचनी प्रारम्भ हो जायेगी। इस समस्या के निदान के लिये गंगा बैराज में पानी आना अत्यन्त आवश्यक है। विभागीय तैयारियों और प्रशासन के निष्क्रियता देखकर ऐसा संभव नहीं दिखता है कि अप्रैल माह में पानी आ सकेगा। शासन के द्वारा भी इस संबंध में कोई गंभीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, न तो विशेष पैकेज के माध्यम से परियोजना के लिये धन ही आवंटित किया गया है और न ही विशेष मानीटरिंग के द्वारा परियोजना को निर्धारित समय पर प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। समय रहते शासन ने

नोट:-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अगर कोई त्वरित और समुचित प्रयास न किये तो प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर जहां बिजली संकट से तो जूझ ही रहा है वह पानी के भीषण संकट में भी फंस जायेगा।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक सिंह चौहान--

[मान्यवर, जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 29-01-05 को दैनिक समाचार पत्र (आज) में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करके अवैध रूप से केवल एक ही वर्ग (पिछड़े) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है। जबकि आरक्षण नीति के अनुसार राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों में बैक लाक भरने का पाविधान है, उक्त नियुक्ति में धांधली करके समान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करके केवल पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, यदि उक्त नियुक्ति अवैध तरीके से की गयी है तो उसको निरस्त करके आरक्षण नीति के अनुसार पुन: नियुक्तियों को किया जाना जनहित में होगा।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की जांच कराने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा विज्ञप्ति के अनुसार नियुक्तियों को करने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों के उद्घाटन में क्षेत्रीय विधायक को महत्व न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकीलुर्रहमान खां--

[महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जाने वाली सड़कों का चयन जिला योजना की बैठक में क्षेत्रीय मा0 विधायक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। मा0 विधायक द्वारा उसकी पूरी तरह पैरवी की जाती है, लेकिन उसका उद्घाटन आदि सभी मा0 सांसद द्वारा किया जा रहा है। संबंधित सड़क पर मा0 क्षेत्रीय विधायक का शिलापट्ट पर नाम तक भी नहीं लिखा जा रहा है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी है कि शिलापट्ट पर मा0 सांसद व विधायक दोनों का संयुक्त रूप से नाम अंकित किया जायेगा, परन्तु इस शासनादेश का अनुपालन जनपद मुरादाबाद में व मेरे क्षेत्र 13 बहजोई में नहीं किया जा रहा है

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन में शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ व इस महत्वपूर्ण प्रकरण में कृपया जनपदों के अधिकारियों को आदेशित करने की कृपा करें कि वह शासनादेश को लागू कर मा0 क्षेत्रीय विधायकों का उद्घाटन व निर्मित सड़क के शिलापट्ट पर नाम अंकित करने का कष्ट करें।]

नोट.--.[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांदा नगर में गंदे पानी की निकासी हेतु नालों की सिल्ट सफाई करवाए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा--

[महोदय, बांदा नगर में सदियों से नगर निवासियों का बरसाती पानी तथा रोजमर्रा का गंदा पानी की निकासी मौके पर स्थित गन्दे नाले के जरिये केन नदी में पहुंचता रहा है, जिससे बांदा नगर निवासी लाभान्वित होते रहे हैं, परन्तु अरसा दस वर्षों से उक्त नालों की सफाई न होने से उक्त नाले मिट्टी सिल्ट व कचरे से भर गये हैं। नाले बेकार हो गये हैं बांदा नगर में जल निकासी न होने से नगर में जल प्लावन बने रहने से गंदगी फैल रही है, दिनोंदिन मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बांदा नगर की जनता तरह-तरह की बीमरियों से ग्रस्त हो रही है। यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है।

बांदा नगर में नगरवासियों के रोजमर्रा के गंदा पानी व बरसाती पानी के निकासी हेतु गंदे नालों की सिल्ट सफाई कराकर नालों को पक्का निर्माण कराने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा, परगना तम्बौर के कतिपय गांवों की चकबंदी कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह--

[महोदय, जनपद सीतापुर में विकास खण्ड बेहटा, परगना तम्बौर, तहसील लहरपुर के अन्तर्गत ग्राम क्रमशः फूलपुर गोन्निया, कुसेया, बरेती, येतुही, रतौली पूर्व बंदोबस्त चकबंदी से इसलिये आउट कर दिया गया था कि वहां पर शारदा नदी का कटान बहुत अधिक था और भूमि रकबा का अधिक भाग नदी में समा गया था अब शारदा नदी ने अपनी धारा बदल दी है जिसके फलस्वरूप उपरोक्त ग्राम का समस्त भूमि समतल एवं कृषि योग्य तथा कटान से दूर हो गयी है तमाम भूमि ऐसी है जो गांव सभा या नवीन परती गरीब काश्तकारी व पट्टेदारों की है किन्तु उस जमीन पर भूमाफियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है कई बार जनपद स्तर पर पैमाइश कराने का प्रयास उपरोक्त ग्राम के निवासियों द्वारा किया गया परन्तु भूमाफियों के धनबल एवं बाहुबल के समक्ष संभव न हो सका जिससे सभी गांवों की स्थिति वैसी ही बनी हुई है तथा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं मात्र खेती का ही सहारा होने से उक्त गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है यहां तक बच्चों की फीस तक जमा न करने से अशिक्षा का माहौल बन रहा है चकबंदी प्रक्रिया अपनाने से गरीब जनता की समस्याओं का अन्त होगा तथा अराजक तत्वों का भी अनधिकृत भूमि से प्रमुखत्व समाप्त होकर लोग खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त ग्रामों की चकबंदी कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट. [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज के घाघरा मुख्य नहर पर ग्राम गोडिहा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री परमेश्वर दयाल--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सोनभद्र का अधिकांश भूभाग जंगलों, पहाड़ों, नदी-नालों से आच्छादित है साथ ही आवागमन की बहुत ही असुविधा है। हमारा क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के विकास खण्ड राबर्ट्सगंज के घाघर मुख्य नहर में ग्राम गोडिहा के पास एक पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है क्योंकि नहर के पश्चिम तरफ प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 है जहां बच्चों को आने-जाने में नहर में पुल न होने से 2-3 किमी0 की दूरी से घूम कर आना पड़ता है साथ ही साथ प्रति वर्ष कोई न कोई दुर्घटना भी हो जाया करती है जिससे कई गांवों की जनता आक्रोशित है लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः ऐसी स्थिति में घाघर मुख्य नहर में ग्राम गोडिहा के सामने एक पुल के निर्माण हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त स्थान पर तत्काल पुल बनाये जाने की सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गर्रा नदी के किनारे बसे ग्रामों को बाढ़ कटान से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव--

[मान्यवर, हरदोई जनपद के 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में प्रति वर्ष गर्रा नदी पर उसके किनारे बसने वाले गांव जनिया मऊ, छितरा मऊ, तड़ौका सठिया मऊ, भटउती माफी, ससजलपुर, उपरपुरवा आदि गांव कट जाते हैं जिससे इन गांवों के रहने वाले व्यक्तियों के सामने पुनर्वास की समस्या पैदा हो जाती है। इन लोगों में सदैव भय व्याप्त बना रहता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सदैव के लिए कटान रोकने तथा बाढ़ सुरक्षा करने की मांग करता हूँ।]

जनपद फैजाबाद के किसानों को सूखे से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव--

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के किसानों का कम वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल का भारी नुकसान हुआ था खेती किसानी से जुड़े गरीब लोग पूरे जनपद में कठोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं किसानों के गन्ने की फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उक्त समस्या को माननीय मुख्य मंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए जनपद फैजाबाद को सूखाग्रस्त घोषित किया था परन्तु अभी तक जनपद के किसानों को सूखे से हुए नुकसान का मुआवजा ही दिया गया है और न ही कोई योजना चलायी गयी है जिससे कि गरीब किसान लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

अतः सदन का ध्यान सादर आकृष्ट कराते हुए जनपद फैजाबाद के किसानों को राहत दिलाये जाने व किसानों के परिवारों को भरण पोषण हेतु रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार से तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया.

झांसी एवं ललितपुर में ओले से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप जैन आदित्य--

[मान्यवर, प्रदेश के बुन्देलखण्ड के झांसी एवं ललितपुर में दो-तीन दिनों से लगातार ओले पड़ रहे हैं और ओले इतने अधिक पड़े हैं कि सैकड़ों लोग घायल हो गये हैं तथा उनकी फसल तबाह हो गयी है इस ओले में एक महिला सुभटा रानी पत्नी प्रकाश चन्द्र पटेल की मौत हो गयी है। तूफानी वर्षा से बड़े-बड़े पेड़ धराशायी हो गय हैं और यातयात बाधित हो गया है। बुन्देलखण्ड के ज्यादातर हिस्सों में एक ही फसल होती है जिससे वहां के लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं और बच्चों की शिक्षा भी उसी के माध्यम से होती है, वहां के किसानों से अपना पूरा संसाधन फसल के लिये जुताई, जुताई एवं बीज आदि में लगा दिया है अब उनके पास खाने के लिये भी कुछ नहीं बचा है। इससे वहां के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसानों को क्षतिपूर्ति दिया जाना एवं आर्थिक सहायता दिया जाना तथा टेस्ट वर्क की जरूरत है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत फूलपुर-निजामाबाद मार्ग को चौड़ा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी--

[श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ की एक मुख्य रोड जो तहसील मुख्यालय निजामबाद से फूलपुर पवंई आदि को जोड़ती है इस सड़क की हालत अत्यधिक दयनीय है यह जिला स्तर की मुख्य मार्गो में जानी जाती है मेरे निर्वाचन क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क है जो तहसील व जिला को जोड़ती है उसके चौड़ीकरण करने हेतु इस्टीमेट मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ की ओर से प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ को दिनांक 7-04-04 को भेजा गया है।

जनता के हित में इसके चौड़ीकरण की अतिआवश्यकता है।]

जनपद चित्रकूट के ग्राम ददरी में सिंचाई हेतु निर्मित माड़ौ बांध में जल रिसाव रोकने हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के ग्राम ददरी, तहसील कर्वी में सिंचाई हेतु माड़ौ बांध निर्मित है, इस बांध में अत्यधिक जल रिसाव होने के कारण लगभग 60% पानी रिसकर बह जाता है, वर्ष 1996 में जल रिसाव रोकने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे कराकर रु0 1.00 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, इस प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी, यह अत्यन्त लोकमहत्व का विषय है। इस प्रोजेक्ट के स्वीकृत

नोटः-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने से माड़ौ बांध का रिसाव रुक जायेगा तथा एक हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी फलस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ेगा, शासन से मांग है कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकत करने का कष्ट करें।

अत: लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम रवसा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नदी पर बनाये जा रहे अधूरे पुल को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर--

[महोदय, जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज, विधान सभा लालगंज में ग्राम रवसा वि0खं0 लालगंज में पूर्वांचल निधि के राज्य अंश से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नदी में पुल का निर्माण कराया जा रहा था। पुल का काफी कार्य अधूरा पड़ा है। लगभग चार साल से कार्य बंद है, पुल का कार्य पूरा न होने से क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है, केवल पिलर खड़ा किया गया है। इस प्रकार जनहित में पुल का निर्माण शीघ्र होना जरूरी हो गया है। पुल के निर्माण में विलम्ब होने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। जनता आन्दोलित हो सकती है। अत: आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोक हित के महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने एवं पुल के निर्माण की माग करता हूँ।]

जनपद बलिया के मनियर थाने में अपराधों की रोकथाम हेतु पी0ए0सी0 की एक टुकड़ी लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

[महोदय, बलिया जनपद के थाना मनियर जो बिहार के सीमा पर स्थित है मनियर नगर पंचायत भी है थाना मनियर, जनपद बलिया के घाघरा नदी के किनारे के गांवों के अपराधी बिहार से प्रतिदिन आते हैं एवं हत्या, लूट एवं नेशी खोलकर लेकर चले जाते हैं एक वर्ष में एक दर्जन हत्यायें, डकैती एवं मवेशी चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ एवं लाचार है क्योंकि नगर पंचायत से सटे दियारा का इलाका घाघरा नदी तक पड़ता है मैंने कई बार मा0 मुख्य मंत्री जी, प्रमुख सचिव, गृह एवं आई0जी0 कानून व्यवस्था को पत्र लिखकर मांग किया कि मनियर थाने में अपराध रोकने के लिये पी0ए0सी0 की एक टुकड़ी जिला प्रशासन को दिया जाय परन्तु आज तक पी0ए0सी0 जिला प्रशासन को नहीं दिया गया है। इस इलाके के ग्रामीणों में भय एवं आतंक का माहौल है। लोग डरे एवं भयभीत हैं।

मैं चाहूंगा कि सरकार तत्काल बलिया जनपद के मनियर थाने को एक टुकड़ी पी0ए0सी0 लगाने का आदेश जारी करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्रीमती गुलाब देवी--

मान्यवर, नियम 300 के तहत मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना को मैंने देखा है वह इस नियम के अन्तर्गत नहीं आती है।

नोट. [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

इण्टरमीडिएट परीक्षा 2005 में छात्र-छात्राओं को अमान्य विषय वर्ग में डालकर परीक्षा से वंचित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)--

मान्यवर, मेरी भी महत्वपूर्ण सूचना है। यह 35 हजार छात्र-छात्राओं के भविष्य से जुड़ी सूचना है। इस संबंध में मैंने कल भी अपनी बात रखी थी।

श्री अध्यक्ष--

वह 300 का विषय नहीं है। आप तो मंत्री रहे हैं आपको तो जानकारी होनी चाहिए। काम रोको में दे दें या किसी और में दे दें। इसमें नहीं आता है। यह माननीय मंत्री जी के सामने आया था और बाजपेयी जी ने उठाया था। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको दिखवा लेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है शासन ने उस स्तर तक काम किया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, कल रात माध्यमिक शिक्षा सचिव बदल गये। सारा मामला अधर में पड़ गया। रणवीर राणा जी, धर्मपाल जी और नवाब सिंह नागर जी सब इसीलिये इस बात को उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह 300 का मामला नहीं बनता आप किसी दूसरे नियम के तहत इसको लाइये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

पहले यह जो मैं ले रहा हूं उसको ले लेने दीजिये। बाजपेयी जी आज आपका कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है इसलिये इसी में बोल रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

आपका निर्देश था। 56 में सरकार ने स्वीकार किया था लेकिन मान्यवर, कठिनाई पैदा हो गई है इसलिये 300 का बनता है। कल सचिव का परिवर्तन हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

हम फिर से एक बार दिखवा लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

आप फिर कह देंगे कि सत्र में एक बार आ चुका है अब नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपने याद दिला दिया है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा। बात हो गई है धर्मपाल जी। मैंने आपसे कहा कि कल एक प्रश्न था और मैंने उसको कल स्थगित कर दिया था। अब आज उसको सुन लेने दीजिये। आप बैठ जायं।

विद्युत् निगमों में राजनीतिक व्यक्तियों के हस्तक्षेप संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कल एक प्रश्न था औचित्य में दिया गया था, मैंने कल उसको स्थगित कर दिया था।

*श्री हुकुम सिंह--

आपने दो बार संसदीय कार्य मंत्री को पुकारा है लेकिन वे बिजी हैं, सुना नहीं है शायद।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि नेताओं से बात करेंगे। बात पूरी नहीं हो पाई। कल एक बहुत गंभीर मसला था अगर हुकुम सिंह जी आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो कह लें।

श्री हुकुम सिंह--

यह बात सही है कि इसका निस्तारण तो माननीय नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री हों तब ही उचित होगा लेकिन संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं इसलिये संक्षेप में मैं अपनी बात कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप चाहें तो 3.30 बजे नेता सदन आयेंगे और जब यहां से निकलेंगे तब विस्तार से बात कर लेंगे फिर आप इसको उठाइयेगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं विस्तार में न जाकर संक्षेप में अपनी बात कह दूं ताकि विषय की क्लीयरिटी हो जाय। विषय बहुत गंभीर और संवेदनशील है। यह किसी एक माननीय सदस्य से संबंधित नहीं है, समस्त सदन से संबंधित है, प्रदेश की सारी जनता से संबंधित है। अभी सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हुआ कि जितनी भी हमारे विद्युत् निगम हैं आठ के आठ उनके अधिकारियों की नियुक्ति में, उनके स्थानान्तरण में, उनकी पोस्टिंग में प्रदेश सरकार के किसी मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा। मान्यवर, उससे पहले एक मिस्टर कॉल हैं जो पूर्व सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो वाक्य लिखा है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। चेयरमैन एण्ड टाप एक्जीक्यूटिव्स वर पैक्ड बाई पॉलिटिकल बॉसेस जब से यह कानून बना है, तीन सरकारें तो मैंने देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। इन तीनों सरकारों में किसी भी पॉलीटिकल आदमी को इन निगमों का अध्यक्ष नहीं बनाया गया न ही किसी संबंधित दूसरे कारपोरेशन में कोई भी राजनैतिक आदमी बना। लेकिन इस प्रकार से किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इस प्रकार कहना कि पालिटिकल बॉसेस बना दिये गये हैं इसलिये निगम सफर कर रहा है और इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो निर्णय दिया है मैं उसका इफेक्टिव पार्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। दिस इंटरफियेरेन्स इन ट्रांसफर्स एण्ड पोस्टिंग्स विद पॉलिटिकल पैटरोनेज हैज टोटली डिस्ट्रायड द ऑटोनोमस नेचर आफ द इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड व्हिच हैज बीन आइडेन्टीफाइड एज ए सीरियस मैलाइज एफेक्टिंग द फंक्शनिंग आफ द बोर्ड ऐसी टिप्पणी करके सारे राजनीतिक तंत्र को, इस विधान मंडल को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जैसे सबसे ज्यादा पाप हम कर रहे हैं बाकी के सब काम ठीक हैं। सारे प्रदेश की विद्युत् व्यवस्था की जानकारी सबको है। जो सम्पन्न प्रदेश समझे जाते हैं वह हमसे ज्यादा घाटे में हैं। इस तरह से टिप्पणी करना उत्तर प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है। विधान मंडल ने निगमों के संचालन के लिए हजारों करोड़ का बजट दिया है। बजट अभिभाषण में 14-15 पृष्ठ पर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण कराया जाएगा इसके लिए पैसे का प्राविधान किया गया है। दूसरी परियोजनायें हैं उसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है बजट की स्वीकृति विधान मंडल द्वारा दी जाती है। विधान मंडल के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व है लेकिन कारपोरेशन पर प्रदेश सरकार का उत्तर दायित्व नहीं रह जाता है। श्रीमन्, जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं वह जनता के प्रति जिम्मेदार हैं वह कैसे उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जिन समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनके तहत यहां सुझाव दे रहे हैं। श्रीमन्, इस तरह तो राजनीतिक तंत्र जिम्मेदार होगा यह सारे कारपोरेशन यहां से मुक्त होकर आगे कहीं चले जाएं तो शायद जिम्मेदारी निभा पाएं ? एक रोचक बात आपको बताना चाहूंगा। चिन्ता इस बात की है इनकी स्वायत्तता बनी रहे तो सारे अधिकार उनके हो जायेंगे, जो अधिकार हमें ऐक्ट में दिए गए हैं। ऐक्ट में स्पष्ट प्राविधान है। प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया एन0पी0एफ0सी0, इसके अध्यक्ष हैं एस0 वेंकटनारायण, इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। एज हेड आफ ए फाइव मेम्बर इंडिपेन्डेन्ट कमेटी टू स्क्रूटिनीज एण्ड एप्रूव आल प्रीपोजल्स फार ट्रांसफर आफ आफिसर्स एण्ड स्टाफ आफ दीज ऐट कारपोरेशन। कमेटी बना दी वह देखेगी किसका ट्रांसफर किसकी पोस्टिंग की जाए ? किस की नियुक्ति की जाए या न की जाए ? मैं दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। इससे पहले एक आदेश वन विभाग के संबंध में हुआ। वन विभाग के संबंध में यह कहा गया कि कोई भी काष्ठ उद्योग स्थापित नहीं करेगा। कोई लाइसेंस काष्ठ उद्योग को नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवान इससे बेरोजगार हो रहे हैं। सारे काष्ठ उद्योग बराबर के प्रदेशों में चले गए हैं। बिहार और हरियाणा में चले गए। उत्तर प्रदेश से लकड़ी जा रही है वहां सारे उद्योग स्थापित हो रहे हैं यह आदेश जो काष्ठ उद्योग के संबंध में दिया गया था उस समय उत्तरांचल यहां का हिस्सा था और 16 प्रतिशत वन थे यही मानकर यह आदेश हुआ था अब उत्तरांचल अलग प्रदेश बन गया है अब यहां वन नहीं है। किसानों की पीड़ा है उनको न अब उत्पाद का पैसा मिल रहा है न नौजवानों को उद्योग के लिए पैसा मिल रहा है। काष्ठ उद्योग के संबंध में एक आदेश हो गया न जाने और कितने क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। हम न्याय पालिका का सम्मान करते हैं लेकिन जो संस्था अपने दायरे में काम करती है उनको काम करने दिया जाये। आज यह बिजली वाला मामला आ गया और अभी एक-आध क्षेत्र ऐसे हैं, संभवत: उनके ऊपर भी कार्यवाई इस प्रकार की होने जा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, भविष्य के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस प्रश्न पर विचार करें। मैं चाहूंगा कि जब भी आप समय नियत करें, अच्छा तो यह होता कि जो हमारे कानून विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट जनरल हैं, वह इसका अध्ययन करने के उपरान्त एक दिन सदन में आयें और सारे सदन को इस पोजीशन से अवगत करायें, आखिर कब तक यह विधान सभा पंगु बनी रहेगी और कैसे हम अपने दायित्व को निभा सकेंगे।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

. मान्यवर,मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस क्विशचन का स्वागत करूँ, न करूँ ? इसकी मुखाल्फत करूँ, इसकी निन्दा करूँ या न करूँ? यह भी सही है कि यह प्रश्न न आपका है, न हमारा है, यह पूरे सदन और पूरे प्रदेश का है और इसके लिए चिन्ता स्वाभाविक है। आपने इसकी पहल की है। यह नहीं जानता कि यह सही है या गलत है, उच्चतम न्यायालय का मामला है, किसी भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से टिप्पणी करना संभव नहीं है हमारे लिए, उनके आदेश आखिरी हुक्म का दर्जा रखते हैं और उसके बाद सब कुछ बौना हो जाता है। जहां तक निगमों का सवाल है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, जल निगम का मंत्री भी हूँ और उसका अध्यक्ष होना मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन एक पैसे का भी मैं डाइवर्जन होने दिया है गत दिनों मैं आजमगढ़ गया था, भाषण कर रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि सीवर लाइन हमारे यहां वर्षों पहले पड़ी थी, खराब हो गई है, मैंने वहां पर मौजूद जल निगम के अधिकारियों की ओर इशारा किया, एक स्लिप मेरे पास लिखकर आ गई, लिखा था कि 15 दिनों के अन्दर यह कार्य करा दिया जाएगा, बस वैसा ही मैंने कह दिया। जब बाहर आकर मैंने उस अधिकारी को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि 1 करोड़ 75 लाख रुपये दे दीजिए, काम हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि यह बात पर्ची में क्यों नहीं लिखी ? यह शर्त तुमको पर्ची में लिखनी चाहिए थी। मैं झूठा बन गया मैंने जानकारी की तो मालूम हुआ कि जो अधिकारी यहां अध्यक्ष हुआ करते थे, क्योंकि वह डाइवर्जन करते थे, एक-एक खिड़की 25-25 हजार रुपये की लगी थी, ऐसा तो किसी सेवेन स्टार होटल में भी नहीं होगा। जल निगम कार्यालय में जो जनरेटर लगे हुए हैं, ऐसे जनरेटर तो शुगर मिल में भी नहीं होते हैं। किसी वी0आई0पी0 एरिया में जहां सेकेण्ड्स के लिए लाइट जाती है, ऐसे जनरेटर नहीं होंगे लेकिन उस अधिकारी के लिए कि सेकेण्ड्स के लिए लाइट गई और आटोमेटिक यह जनरेटर चालू हो जाते थे। एक लाख रुपये बिजली और एक लाख रुपये डीजल का खर्च था। मालूम हुआ कि इसका डाइवर्जन हो गया है। जब से मैं वहां गया हूँ, डाइवर्जन नहीं हुआ है। मान्यवर, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, कहीं न कहीं हमारी जवाबदेही होती है और कहीं हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है, यह भी आप महसूस करते हैं, मगर उसमें कहीं न कहीं बाधा आ रही है। यह बड़ी चिन्ता की बात है और हद तब हो जाती है, हम किसी का नाम लिए बिना, न न्यायालय का, न माननीय न्यायाधीश महोदय का, किसी का जिक्र किए बगैर यह कहना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे विभाग का हाल यह है कि कितना ही भ्रष्ट, कितना ही चोर अधिकारी हो, हम उसे शो काज नोटिस नहीं दे सकते हैं, कहीं आपने नहीं सुना होगा कि शो काज नोटिस पर स्टे हो। शो काज नोटिस देकर अगर हम कोई एक्शन ले लें, उस पर स्टे हो जाए तब बात समझ में आती है लेकिन शो काज नोटिस नहीं दे सकते हैं, इस पर भी स्टे हो और मान्यवर, इन्तेहां तो यह है कि एक नगर पालिका अध्यक्षा ने अपने शौहर को ई0ओ0 बना दिया और डी0एम0 से कहकर उसे पोस्ट कराया। यह जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो हमने माना ही नहीं कि यह ई0ओ0 है। लेकिन हमें जिस-जिस तरह के आदेश मिले हैं उसको हम यहां उजागर नहीं कर सकते। लेकिन मान्यवर, हमारे यहां जो व्यवस्था है उसमें जाहिर है कि हमारी गल्तियों को पकड़ने के लिए भी कोई होना चाहिए। लेकिन मानकर यह चलते हैं कि जो भी हमारे आदेश होते हैं वह दिशा-निर्देश होते हैं। मान्यवर, हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 03-03-05 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की मा0 सदस्यों से प्राप्त सड़कों की विशेष मरम्मत के प्रस्तावों हेतु धन आवंटित न किये जाने के संबंध में, दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों में जिला योजना परिव्यय को सम्मिलित न किये जाने

के संबंध में, तीसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों में जिला योजना परिव्यय को सम्मिलित न किये जाने के संबंध में, चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार की विधायकों द्वारा दिये गये 5-5 गांवों के विद्युतीकरण के प्रस्तावों को कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की उत्तर प्रदेश में वैट लागू करने के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री की लोकसभा में की गयी घोषणा में विरोधाभास होने के संबंध में, छठी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की इण्टरमीडिएट परीक्षा 2005 में छात्र-छात्राओं को अमान्य विषय वर्ग में डालकर परीक्षा से वंचित किये जाने के संबंध में है।

विधान सभा सदस्यों से प्राप्त सड़कों की विशेष मरम्मत संबंधी प्रस्तावों पर धन के आवंटन में शासन द्वारा भेदभाव की नीति अपनाये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

जहां तक माननीय मौर्य जी की सूचना है इसको आप और भी नियमों में ला सकते हैं। यह नियम 300 में नहीं आती है, इसका औचित्य बनता भी नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, इसका औचित्य है।

श्री अध्यक्ष--

श्री लाल जी वर्मा का सवाल आपसे भी महत्वपूर्ण है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, वह दूसरी सूचना है। वह भी आयेगी। मान्यवर, इसमें औचित्य का प्रश्न क्यों है ? इसके बारे में कहना है कि 9 नवम्बर, 2004 को औचित्य के प्रश्न पर इस सदन में यह प्रकरण आया था। प्रकरण यह था कि जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार है इसमें अपने माननीय सदस्यों को एक सूची जारी करके 25-25 लाख रुपये के सड़कों की मरम्मत के प्रस्ताव मांगे गये थे।

श्री अध्यक्ष--

इसका औचित्य नहीं है।

(श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष--

श्री डी0 प्रसाद जी, आप शान्त रहें, कृपया बैठ जायें। माननीय नेता मौर्य जी, तमाम नियम बने हैं, नियम 63 बना है, आप इन सबका प्रयोग क्यों नहीं करते ? सब नियम 300 में ला रहे हैं, सदन में बात हुई है। अगर आपका पेश नहीं हो रहा है, तो आप विशेषाधिकार में भी ला सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, इसी औचित्य के प्रश्न पर नेता सदन ने स्पष्टीकरण दिया था और यह कार्यवाही में है।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)--

मान्यवर, इस पर निर्णय हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर चर्चा भी हो चुकी है। इसलिए इसका औचित्य नहीं बनता। अब श्री लालजी वर्मा जी को बोलने दीजिए।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

जिस अनुपात में आपकी सरकार ने विपक्ष के लोगों को दिया था उसी अनुपात में मिलेगा।

श्री लाल जी वर्मा--

ऐसा नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस मामले पर सभी दलीय नेताओं को, संसदीय कार्यमंत्री जी को बुला लूँगा।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह बात बिल्कुल तथ्यों से परे है। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि कोई सूची समाजवादी पार्टी के विधायकों की जारी हुयी है। मान्यवर, यह बात मेरे द्वारा कहनी जरूरी है क्योंकि सदन में विपक्ष की तरफ से एक बात आयी है, कोई इस तरह की सूची नहीं है। दूसरा जो हमारा काम करने का तरीका है वह इनकी तरह का नहीं है। मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि आप लिस्ट मंगा लीजिए जो भी माननीय सदस्य, चाहे वह बीएसपी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, कॉंग्रेस के हों, जिन्होंने पैसा मांगा है मैंने पैसा दिया है। हमारी सरकार का काम करने का तरीका अलग है। मान्यवर, बात क्या है, बात यह है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखायी देता है। जो इन्होंने किया है वही यह सोच रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। अब आप बैठ जायें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, जब देना ही नहीं था तो फिर यह प्रस्ताव मांगा ही क्यों था ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, यह सरकार खुद अंधी है इसलिये दूसरे भी इन्हें अंधे दिखायी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी बैठ जायें। मैंने पहले भी कहा है कि इसमें नेताओं से बात कर लेंगे।

(सुश्री गुलाब देवी के खड़े होकर बोलने पर)

माननीया गुलाब देवी जी आप बैठ जायें। आपने कोई नोटिस तो दी नहीं है। माननीय वर्मा जी आप बोलें।

---

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[xxx]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों में जिला योजना परिव्यय को सम्मिलित न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

*श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, प्रदेश का विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और विभिन्न विभागों की जो अनुदान मांगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 203 के अन्तर्गत विभागवार रखी जाती है। 1977 में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बजट को दो सेक्टर में बांटा गया। एक था राज्य सेक्टर और दूसरा हैं जिला सेक्टर। जिले की परियोजना नियोजन विभाग तय करता है और जो जिले की बैठकें होती है, नियोजन समिति की बैठक होती है उसमें एक प्रभारी मंत्री भी होते हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होती है। जो परिव्यय होता है उसको हम जिले की व्यवस्था के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन उसकी बैठक नहीं हुई। अगर यह बैठक नहीं हुई है तो कल अनुदान की मांगे हैं माननीय मंत्री जी को मालूम नहीं है कि हमने अनुच्छेद 203 के अंतर्गत किन अनुदान मांगों को स्वीकार किया है और अनुच्छेद 204 के अंतर्गत यह पारित हो गया तो उसके अनुसार निकासी होती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा औचित्य का प्रश्न बना है। अभी तक किसी जिले में जिला योजना की बैठक नहीं हुई और न ही जिला योजना की स्वीकृति हुई है और अगर जिला योजना की स्वीकृति नहीं हुई है और विभागवार हम अनुदान मांग रखने जा रहे हैं, वह मांगें रखते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वैधानिक संकट हमारे बजट के लिए आ रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें, जिससे अनुदानवार मांगों पर, जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग पर कितना होगा ? बिजली विभाग में कितना होगा ? आदि प्रत्येक विभाग को इस बजट के प्रत्येक विभाग के अनुदान में शामिल किया जा सके। मान्यवर, इसलिए पहले जिला योजना की बैठक के संबंध में मैं चाहूंगा कि आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें, जिससे उनको अनुदान मांगों में शामिल किया जा सके।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लाल जी वर्मा जी ने संविधान के अनुच्छेद 203, 204 का उल्लेख किया है और संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, श्रीमान् ने प्राविधानों का भी उल्लेख किया है, जिनके तहत हम इस विधान सभा में और विधान परिषद् में ला करके जो विधान मंडल से प्रत्येक एक-एक पैसे की निकासी का अधिकार प्राप्त करते हैं। यह सही है मान्यवर, कि सरकार अपने अधिशासी अधिकारों का प्रयोग करती है किन्तु सदन की अनुज्ञा के बगैर एक भी पैसा निकालने का अधिकार श्रीमन्, सरकार को नहीं होता है और इस संबंध में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि जिला योजना अगर पारित नहीं हुई है और यह बजट पारित हो जायेगा तो बड़ा भारी व्यतिक्रमण हो जाएगा और संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा, जबकि ऐसा नहीं है। दो बातें श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय लाल जी वर्मा को अवगत कराना चाहता हूं कि एक तो उनका कथन सत्य नहीं है कि किसी भी जिले में जिला योजना की बैठक नहीं हुई है।

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक पहले बात सुन लें।

---

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह आतुरता मेरी समझ में नहीं आई। मैंने जो बात कही है, उसको मैं दोहराता हूं, यह कथन उनका सत्य नहीं है कि किसी जिले में जिला योजना की बैठक नहीं हुई है। मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हो सकता है जिला योजना की बैठक न हुई हो और अगर प्रत्येक जिले में इसकी बैठक नहीं हुई है तो यह प्रदेश सभी जिलों को मिलाकर के बना है। जिला योजना से तात्पर्य उनका है, मैं यह स्वीकारता हूँ, यह सही है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला योजना की स्वीकृति अभी तक होकर के नहीं आई है, लेकिन जो प्राविधान है उसे आप स्वयं देख लें, इसमें आप स्वयं देखेंगे कि इसमें कहीं इस बात की बाध्यता इन प्राविधानों में नहीं है और न ही परम्पराओं में है कि जिला योजना से पारित होने के बाद ही बजट पेश होगा। जिले का परिव्यय जिस हिसाब से नियोजन विभाग तय करता है उसी हिसाब से अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। 13500 करोड़ का जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह इसी आधार पर किया गया है कि जिलों का परिव्यय नियत है और वहां से जो पारित करके भेजा जाता है, उसको नियोजन विभाग देखता है। मान्यवर, जैसी कटौती होती है उसकी पूर्ति करने का काम करते हैं, जैसे कभी थोड़ा कम हो गया कभी थोड़ा सा ज्यादा रह गया, इसलिए श्रीमन्, जो इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, इनको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रदेश का बजट होगा और जो जिलों का परिव्यय हमारा निर्धारित है उसी के अनुसार बजट का प्रस्ताव है, और उसी के अनुसार समेत विधान मंडलों में पारित होना हो। मान्यवर, पूर्व की परम्पराओं का मैंने उल्लेख किया है। यह अनेक बार ऐसा हुआ है इसमें कोई संविधान की बाध्यता या अनिवार्यता नहीं है। मान्यवर, एक और विशेष बात कह देना चाहता हूँ कि इस विनियोग विधेयक के पारण के बाद भी अगर कोई मैचिंग स्थिति नहीं आती है और जिला योजना में कोई मांग अलग है और उसमें अगर कोई अन्तर आ जाता है तो हम सप्लीमेंटरी मांगें लेकर यहां आते हैं और उन मांगों के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कराते हैं। मान्यवर, इस तरह से प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था चलती है। मान्यवर, माननीय लाल जी वर्मा जी इससे भिज्ञ हैं लेकिन वे एक एकेडमिक सवाल यहां उठाना चाहते थे, जिसको मात्र उन्होंने उठाया है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। जब सदन बजट को पारित करेगा तो राज्य उस धनराशि को आहरित करेगा और वह जिलों में धनराशि जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मैंने इस पर माननीय लालजी वर्मा और माननीय राजस्व मंत्री को सुना, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसे निरस्त करता हूँ।

श्रीमती गुलाब देवी--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

आप किस नियम के अन्तर्गत यहां बोल रही हैं ? यह लिखा नहीं जायेगा।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधायकों द्वारा पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण के प्रस्तावों को कार्यान्वित न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय जगदम्बिका पाल साहब आपका मामला भी औचित्य के प्रश्न के रूप में बनता नहीं है ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय मौर्य जी का रिपेयर वाला औचित्य का प्रश्न बन सकता है ? यह तो सदन की घोषणा से जुड़ा मामला है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनका भी स्वीकार नहीं किया। आपका प्रश्न औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं बनता है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, वर्ष 2003-2004 में सरकार ने सदन में घोषणा की कि पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण कराया जायेगा।

(श्रीमती गुलाब देवी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीया गुलाब देवी जी, आप कृपया बैठ जायें आप मंत्री रही हैं विद्वान सदस्य हैं, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, उनकी बात को जरा सुन लें।

आपका कहना है कि इनके क्षेत्र में जो पैसा गया है वह इनके क्षेत्र में न लगकर बगल के क्षेत्र में पहुंच गया है।

*श्रीमती गुलाब देवी--

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई [x x x] संभल से सांसद हैं, वह पैसा उनके यहां पहुंच गया है। वह पैसा या तो अधिकारियों ने उनके कहने पर उनके क्षेत्र में दे दिया है या अपनी मर्जी से उनको खुश करने के लिये दिया है। अभी उनके क्षेत्र के लिए 70 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास हुआ उसमें मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का पच्चीस लाख रुपया स्वीकृत था वह भी संभल भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह बात आप बजट पर भाषण के समय कह सकती हैं। [x x x] इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए आप उनका नाम नहीं ले सकती है। वह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

माननीय जगदम्बिका पाल जी आप अपने विषय को किसी दूसरे नियम में दीजिये।

---

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:-- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मुझे सिर्फ यह कहना है कि आप कह रहे हैं कि औचित्य नहीं बनता है तो औचित्य तो बनाने से बनता है।

श्री अध्यक्ष--

आप इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर लीजियेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, हमें आप से बात करनी है, उनसे कहां करनी है। उन्होंने क्या कहा ? पाल साहब ने एक ही बात कही कि इस सदन में 5 गांव के विद्युतीकरण की घोषणा हुई थी उसको पूरा करा दें इसमें जितनी चिन्ता हमको है उससे ज्यादा आपको होनी चाहिए।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, जितना नेता जी ने घोषणा किया था उसका पालन होगा। लेकिन बात मेरे लिये यह कष्ट की है कि जगदम्बिका पाल जी अपनी बात रखने में पूरी तरह से सक्षम हैं और जब उन्होंने अपनी बात रख दी तो प्रमोद कुमार जी को हाइजेक नहीं करना चाहिए था, यह अच्छा नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बात तो सुना कीजिए मेरा सिर्फ यह कहना है (व्यवधान)।

मान्यवर, आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मौका कहां दिया है ?

श्री प्रमोद कुमार--

ठीक है, धन्यवाद, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इन्होंने जो कहा कि हाइजेक किया तो हाइजेक करना हमें आता नहीं है। इस सूचना में मेरे भी हस्ताक्षर हैं तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। हाइजेक आजकल ये कर रहे हैं किसका कर रहे हैं ? किसको कर रहे हैं ? यह सदन को नहीं बताऊँगा।

श्री अध्यक्ष--

अब आप लोग बैठिये। साढ़े तीन बजे माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना है उसके पहले मैं चाहता हूँ कि बहुत से सदस्य जो चाहते हैं, बोल लें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में 5 गांव की घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उसका पालन होगा।

---

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में वैट लागू करने के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री की घोषणा में विरोधाभास होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब वैट पर आप बता रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी ने कहा उस पर चर्चा हो गयी है अब आप बजट भाषण को इसके जरिये औचित्य बना रहे हैं, उनके पार्लियामेंट के बजट भाषण में मैंने उसको पढ़ा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, मुझे दो मिनट दे दें, मुझे दो से ढाई मिनट नहीं होगा, आप कृपया दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह बनता ही नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, आपकी कृपा से बनता है। उनका बन गया, मेरा नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने किसी का नहीं माना है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरी क्या खता है ? सिर्फ दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

दो मिनट तो आपको भूमिका में लग जाता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

एक बहुत ज्वलन्त समस्या है, मैंने उस पर एक प्रश्न लगाया था। मैंने और सुरेश कुमार खन्ना जी ने कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैट प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? उत्तर था जी नहीं प्रश्न नहीं उठता। फिर था यदि नहीं, तो क्यों ? तो राज्य सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकार का मत है कि वैट लागू करने से प्रदेश के छोटे और मध्यम व्यापारियों को कठिनाई होगी फिर एक प्रश्न लगाया अभी इस सत्र में, उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह कहा कि व्यापारियों को बिना विश्वास में लिये हम वैट लागू नहीं करेंगे यहां तक ठीक है आगे जो है अभी-अभी केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री ने 2005-2006 का बजट भाषण प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य पहली अप्रैल से वैट लागू करने पर सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात आ गयी जो आप कहना चाहते हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, आपने कृपा किया है तो पूरी कृपा करिये अधूरी कृपा क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

सुन लीजिये, आपकी बात आ गयी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मैं इस संदर्भ में अंतिम बात यह कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में व्यापारी गंभीर रूप से आन्दोलित हैं, उनकी यह शंका है। अभी एक व्यापारी नेता को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने अधिकार से राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

कोई शंका नहीं है। आप बैठें, यह आपकी शंका है।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा पुन: बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

अब नहीं लिखा जायेगा। मंत्री जी का उत्तर सुनिये। आपके दल में भी अनेक सम्मानित सदस्य हैं, उनको भी मौका दे दीजिये। बहुत अच्छे विधायक हैं, वह बोलना चाहते हैं, आप क्यों समय ले रहे हैं ?

*कर एवं निबंधन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह उनकी अपनी चिन्ता है। वास्तव में वैट के संबंध में व्यापारियों के मन में कोई चिन्ता नहीं है। प्रदेश के व्यापारी अच्छी तरह समझते हैं कि यह उनकी हितैषी सरकार है और सरकार ने बहुत स्पष्ट मत से अपनी बात को रखा है, उसमें कहीं भी कोई झोल नहीं है। मान्यवर, पूर्व में माननीय खन्ना जी द्वारा जो प्रश्न रखा गया था, उसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार वैट प्रणाली को सभी सुसंगत पहलुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त लागू करने पर विचार करेगी। राज्य सरकार का प्रदेश में वैट लागू करने के संबंध में अभी भी यही मत है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक अप्रैल, 2005 से वैट लागू किये जाने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। मान्यवर, यह विषय भी प्रदेश के सूची के अन्तर्गत आता है और राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेने में सक्षम है। मुझे नहीं पता कि कौन सी केन्द्र सरकार को और कौन से वित्त मंत्री को यहां से आश्वासन दिया गया ? माननीय सदस्य केवल इसलिये चिंतित हैं, चूँकि इनका किरदार दोहरा है। जहां-जहां इनकी पार्टी की सरकारें हैं, वहां वैट लागू हो रहा है और प्रदेश के लोग यहां इनसे इस बारे में पूंछते हैं तो यह लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं प्रदेश सरकार ने क्लियर इस बात को स्पष्ट कहा है कि हम व्यापारियों की सहमति के बिना वैट प्रणाली को लागू करने का काम नहीं करेंगे। मान्यवर, इसमें कहीं भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। इन्हें अपना दिमाग स्पष्ट कर लेना चाहिये। मौजूदा सरकार ने एक अच्छा औद्योगिक, व्यापारिक माहौल बनाया है और उनके हित में तमाम अच्छे निर्णय भी लिये हैं और वैट के संबंध में व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही आगे कोई भी निर्णय लिया जायेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि माननीय सदस्य का कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, अत: इसे निरस्त करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री श्याम देव राय चौधरी और माननीय मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी और माननीय तिवारी जी, जो प्रश्न आज आपने उठाया है, उसमें काफी चर्चा हो चुकी है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर भी दे दिया था, मेरे पास वह पूरा रिकार्ड है। उस समय खाद्य मंत्री भी थे, उन्होंने भी इस पर अपनी बात कह दी थी, अब आप इस मामले को किस नियम में उठाना चाहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि यह पूरे प्रदेश की समस्या है और यह कोई हल्की बात नहीं है। 25 करोड़ रुपये लागत का गेहूँ, चावल जो गरीबों को जाना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष--

इस पर आप बोल चुके हैं और उसका जवाब भी आ चुका है, आप कोई दूसरी बात कहना चाहें तो कहें। देखिये संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, आपने तो सारे तथ्य स्वयं ही रख दिये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, अभी इसमें बात आई नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

किस नियम में वह बात आयेगी ? सदन में यह बात बराबर आ चुकी है। नेता सदन खुद इसका जवाब दे चुके हैं। साथ-साथ विभागीय खाद्य मंत्री भी इसका जवाब दे चुके हैं, यह भी बताया जा चुका है कि किन-किन अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है। यह भी सदन में आ चुका है, इस संबंध में सदन की कार्यवाही देखी जा सकती है। अब से चंद रोज पहले की कार्यवाही में सब आपको मिल जायेगा। नेता सदन की जुबान से और संबंधित मंत्री की जुबां से भी सब कहा जा चुका है, तो अब यह फिर किस नियम में आता है ?

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अगर एक विषय पर एक बार चर्चा हो जाये तो उस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं हो सकती है, क्या एक जनपद पर चर्चा हो जाएगी तो क्या दोबारा उस पर चर्चा नहीं होगी ? जिस खाद्यान्न घोटाले के बारे में हमने चर्चा की थी, वह तर्क दूसरा था, यहां पर हम लेवी की बात कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मौर्य जी ने लेवी की बात की ही नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, आपने कहने ही नहीं दिया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उस विषय पर चर्चा जरूर हुई है, खाद्यान्न के बारे में चर्चा जरूर हुई है, लेकिन जो विषय यहां पर हम और मौर्या जी उठा रहे हैं, यह उस विषय के अन्तर्गत ऐसा विषय है, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। एक पारदर्शिता लाने के लिये सरकार यहां पर बैठी है, सरकार को आमंत्रित करना चाहिए कि अगर तीन-तीन दल यहां पर बैठकर किसी विषय को उठाना चाहते हैं, तो सरकार उन तथ्यों को सुने और अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करे। अगर सरकार नहीं सुनना चाहती है तो मुझे कहना है कि सरकार सिर्फ दोषियों को बचाने का ही काम नहीं कर रही है बल्कि सरकार खुद भी दोषी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लेवी के बारे में आप सभी के विचारों को सुनें और समझें। यदि आपकी समझ में आ जाएगा कि किसानों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है ? दुगना-तिगुना खाद्यान्न एक-एक जिले में खरीदा जा रहा है, तो आप भी चाहेंगे कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने कहा कि लगभग इसी मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। प्रमोद कुमार जी बहुत पुराने सदस्य हैं, मौर्य जी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि इन्हें गुस्सा ज्यादा आ जाता है। मान्यवर, क्योंकि बहस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप चाहें तो एक-एक, दो-दो मिनट सुन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

एक-एक माननीय सदस्य बोलेंगे, पहले प्रमोद कुमार जी अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं कि आपने हमें अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए, जिसके लिए हम यहां पर आये हैं।.....

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी, कुंडली नहीं बनानी है। इन पेपरों को ठीक से रखिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसे आप आइने की तरह से देखें, लेवी में जो चावल खरीदा जाता है, उससे संबंधित तथ्य मैं यहां पर रखना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं, इसे सुनकर आप सिर्फ एक तथ्य बता दें कि कहां कितनी गड़बड़ी है ? मान्यवर, वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के सारे आंकड़े हमारे पास हैं, मैं केवल दो आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। मान्यवर, वर्ष 2001 में धान का क्षेत्रफल 58.29 लाख यानि कि लगभग 58 लाख हेक्टेयर था और वर्ष 2003-2004 में धान का कुल क्षेत्रफल

59 लाख था। मान्यवर, लेवी में चावल खरीदा गया 8.73 लाख मीट्रिक टन वर्ष 2001 में और वर्ष 2003-2004 में कितना खरीदा गया, 23 लाख 24 हजार मीट्रिक टन। क्या यह संभव है कि उतना ही उत्पादन हो, उतना ही क्षेत्रफल हो तो एक वर्ष खरीदा जाये 8 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष 23 लाख मीट्रिक टन ? यह क्यों हुआ है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। इसमें जो खाद्यान्न आया है, जो चावल बाहर से आया है उस चावल को सीधे-सीधे इन क्रय केन्द्रों पर भेज दिया गया है। यह किसान का चावल नहीं है बल्कि विभिन्न योजनाओं का चावल है जो इन क्रय केन्द्रों पर बेच दिया गया। चावल बेचने की धृष्टता की गयी, बेइमानी नहीं की गयी है।

मान्यवर, मिलिंग का पैसा भी खाया गया। धान से चावल बनाने पर जो पैसा खर्च होता है वह तो खाया ही बोरे का भी पैसा खा गये। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में दृष्टि डालें, वही क्षेत्रफल उतना ही उत्पादन और एक बार 8 लाख मीट्रिक टन और फिर 23 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाय, तीन गुने का अन्तर हो जाये। उससे पहले 11 लाख, उससे पहले 13 लाख, फिर 8 लाख और इकट्ठे 23 लाख मीट्रिक टन हो जाये, यह कैसे संभव है ? मान्यवर, मैं इसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी का बयान पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बांग्ला देश जाने की भी शिकायतें आ रही है और हम जांच करा रहे हैं। सरकार इस बात को कह रही है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। वह कहती है कि छोटी-मोटी गड़बड़ियां हैं, नेपाल ही नहीं बांग्लादेश भी भेजा गया है। मैं तो जानता था कि केवल नेपाल ही गया है लेकिन अगर बांग्लादेश भी भेजा गया है तो उसकी भी जांच हो जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा भी भेजा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश की कोई एजेंसी, मान्यवर, दोहराना चाहता हूँ और दोहराने की कीमत पर कहना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई एजेंसी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जा करके जांच कर सकती है और इसको छोड़िये क्या उत्तर प्रदेश की कोई पुलिस एजेंसी दूसरे देश नेपाल और बांग्लादेश जा करके जांच कर सकती है ? मान्यवर, मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, भ्रष्टाचारी कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ लेकिन जो तथ्य इंगित कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन जब तक जांच न हो जाये, तब तक इस बात को कैसे कह सकता हूँ कि करोड़ों-अरबों का घोटाला हुआ है ? अगर बांग्लादेश और नेपाल इससे संबंधित है, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस मैनुअल के अनुसार यह जांच संभव नहीं है और इसकी जांच किसी केन्द्रीय एजेंसी से करायी जाए और जो दोषी सिद्ध हो जाये उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जो दोषी सिद्ध न हों उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। (माननीय अध्यक्ष द्वारा लालबत्ती जलाने पर) मान्यवर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ और हम सिर्फ जांच चाहते हैं। जहां एक वर्ष में 8-9 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाये और उसके एक वर्ष बाद 24 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाये। उसके बाद भी सरकार संज्ञान में नहीं लेती है कि घपला हुआ है। हम घोटाला कहते हैं, आप घपला, तो कोई बहुत बड़ा फर्क डिक्शनरी में नहीं है। आप गड़बड़ी मानते हैं हम घोटाला कहते हैं। कोई घोटालेबाज अपने घोटाले की जांच स्वयं नहीं कर सकता। जब उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी दूसरे देश में जा करके कैसे जांच कर सकती है ? चावल कहीं न कहीं से आया होगा। मैं कहता हूं कि आप सिद्धार्थ नगर चले जाइये, आजम भाई रामपुर चले जायें, इलाहाबाद चले जाइये और जरा 50 लेवी केन्द्रों का मुआयना कर लीजिए . . . .

मान्यवर, किसानों से धान की खरीद नहीं की गयी है। वर्ष 2002-03 में जो भारी वृद्धि हुई है वह यह प्रदर्शित करती है कि कहीं न कहीं से यह चावल आया है। मान्यवर, इस मामले में सी0बी0आई0 जांच की पुरजोर मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इस पर पहले चर्चा हो चुकी है और यह विषय विस्तार से आ चुका है। माननीय नेता सदन और संबंधित मंत्री जी भी इस पर अपनी बात रख चुके हैं। माननीय प्रमोद कुमार जी ने उसको रख दिया है तो यदि किसी दूसरे दल के नेता बोलना चाहें तो बहुत सूक्ष्म में कहें, इसे चर्चा की शक्ल न दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत दु:ख की बात है कि आज पूरे प्रदेश में कालाबाजारी चल रही है जिसके चलते गरीबों को ग्रामीण रोजगार योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला अनाज नहीं मिल पा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो इस वक्त बिन्दु नहीं है। काम के बदले अनाज की योजना की चर्चा नहीं हो रही है। क्या कहना चाहिये उनको पता ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी है। आप खरीदारी पर बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, बड़े पैमाने पर घोटाले प्रकाश में आये हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह बातें माननीय प्रमोद जी ने कह दी है आप खाद्य मंत्री जी का बयान सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

आप निरन्तर बोलते हैं हमें बोलने का मौका नहीं देते। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह मामला गम्भीर है। इसकी सी0बी0आई0 से जांच करा लें ताकि दोषी लोगों को सजा मिले और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर शहर, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, मैनपुरी, महोबा, हमीरपुर, जालौन जिलों में पांच हजार करोड़ रुपये के अनाज घोटाले हुये हैं। केवल गोण्डा में 457 करोड़ रुपये के घोटाले हो चुके हैं। इसकी सी0बी0आई0 जांच हो जाये। आप दोषी हों तो आपको सजा मिले, हम दोषी हों तो हमें सजा मिले। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। इस मामले की जांच सी0बी0आई0 से कराने के लिये आप अपनी पीठ से निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह हमारा अधिकार नहीं है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि अब इस पर रहने दें। हुकुम सिंह जी अपनी बात रख लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

आप सत्ता पक्ष के ही नहीं हमारे भी संरक्षक हैं। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुये इस पर सरकार को निर्देश दें।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल विषय तक ही अपने को सीमित रखूंगा। वर्ष 2003-04 में जितने चावल का क्रय हुआ है उसका परीक्षण करा लिया जाय किसी भी स्वतंत्र एजेन्सी से जांच करवा लें। वर्ष 2003-04 में जितने चावल का क्रय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। ऐतिहासिक रिकार्ड रहा। उत्पादन और क्रय दोनों जुड़े हुये हैं। वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 का फीगर आपके सामने आ गया क्षेत्रफल का फीगर भी आ गया सबसे ज्यादे रोचक बात यह है कि सबसे बड़ा चावल का उत्पादक क्षेत्र बरेली मण्डल है पहले हल्द्वानी था। अब बरेली है लेकिन खरीद कहां दिखाई जा रही है इलाहाबाद मण्डल में, वाराणसी मण्डल में, आजमगढ़ मण्डल में खरीद दिखाई जा रही है और वहां से धान खरीद कर मिलिंग के लिये बरेली लाया जा रहा है। साफ-साफ स्थिति यह है कि यह फर्जी मिलिंग दर्शायी जा रही है फर्जी ले आना दर्शाया जा रहा है और फर्जी क्रय दर्शाया जा रहा है। अभी प्रमोद कुमार जी ने नहीं कहा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला अरबों का है इसलिये इसमें कौन दोषी है उसकी सारी स्थिति प्रदेश सरकार के सामने आनी चाहिये मैं इसलिये आग्रह करता हूं कि इसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिये, जिससे सारी स्थिति सामने आ जायेगी और आगे की जनरेशन को पता चल जायेगा। यही मैं मांग करता हूं।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया)--

अध्यक्ष जी, कई तरह के आरोप लग रहे हैं एक तरफ जहां यह स्थिति है कि इस वर्ष ऐतिहासिक खरीद हुयी है माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से, उनके प्रयासों से गांव-गांव में धान की खरीद हुयी है अब अगर धान की खरीद न करें तो दोषी हैं और अगर ज्यादा धान खरीद लिया तो दोषी हैं, यह कोई न्याय की बात नहीं है। ऐतिहासिक खरीद हुयी है संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर अभी कहा कि इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है नेता सदन ने भी चर्चा में भाग लिया था। यह दो विभागों से संबंधित मामला है, आप लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं। एस0जे0आर0वाई0 में कुछ अनियमितता पाई गई इसको सरकार ने स्वीकार किया है वह अनियमितता आपने प्रदर्शित नहीं की है वह आपने प्वाइंट आउट नहीं की है उनको हमने प्वाइंट आउट किया है। हमारे निर्देश पर अधिकारियों ने जाकर अनियमितताओं का पता लगाया है जिनकी जांच की जा रही है। आप लोगों ने नहीं इंगित किया कि फलां जनपद में कमियां पाई गई इस मामले में रिकार्ड अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। आई0ए0एस0 और सीनियर अधिकारियों को दंडित किया गया। एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी लोग जेल गये हैं उनके वेतन से रिकवरी के आदेश हुये हैं दूसरी तरफ यह आरोप लग रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं हुयी। सरकार ने ही घोटाला पकड़ा और सरकार के ऊपर ही आरोप लगाये जायें कि कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो वह घोटाला क्यों पकड़ती ? सरकार ने ही इसका खुलासा किया है। रही बात इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की तो अनाज के कहीं आने जाने पर रोक नहीं है। जांच का विषय यह है कि यह बी0पी0एल0, एस0जे0आर0वाई0, या किसान का गल्ला गया है, तो उत्तर प्रदेश की खामियों को उजागर करने के लिये हमारी स्टेट की पुलिस एजेन्सी सक्षम है, समर्थ है और यही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोच कर माननीय मुख्य मंत्री जी ने समयबद्ध जांच कराने का निर्णय लिया है और मान्यवर, शंका का तो कोई इलाज नहीं है, शंका का कोई समाधान नहीं है। मौर्य जी बहुत क्रोधित होकर बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे मैं इन्हें सन्तुष्ट कर पाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमको अपनी जांच एजेन्सी पर पूरा विश्वास है और यह वरिष्ठ आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा जांच हो रही है। आप रुक जाइये, जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिये उसके बाद अध्यक्ष जी, यदि अनुमति दे देंगे तो उस पर चर्चा करा लें। हम चर्चा से हट नहीं रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया था उसका जवाब नहीं आया है। न मैं बी0पी0एल0 की बात कर रहा हूं न उसकी बात कर रहा हूं। मैं एक वर्ष की बात कर रहा हूं। शायद मेरा प्रश्न मंत्री जी समझ ही नहीं पाये। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद जी, आपने प्रश्न उठाया और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं 2004-05 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 2003-04 की बात कर रहा हूं कृपया समझने का प्रयास करें। 2003-04 में जब सूखा पड़ा था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, अब हमको भी कुछ कहने दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह तो मान लिया गया कि कुछ आदमी सस्पेंड हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह चर्चा नहीं हो रही है। आपकी बात आ गयी है। आप तो वरिष्ठ विद्वान सदस्य हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अब अध्यक्ष जी की उदारता का हम इतना ज्यादा लाभ न लें। इस पर न तो चर्चा हो रही है और न ही आपने चर्चा के लिये अनुमति दी है। इस पर बड़े विस्तार से पहले ही बहस हो चुकी है बकायदा और सभी नेता लोग बोल चुके हैं नेता सदन और मंत्री जी खुद जवाब दे चुके हैं। वर्तमान में मूवमेन्ट में कोई रोक नहीं है। जब रोक नहीं है तो कहीं कम और कहीं ज्यादा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है और जवाब आ चुका है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, पूरे प्रदेश का अनाज नेपाल और बंगला देश को जा रहा है। यह सरकार अपने पाप को छिपाना चाहती है। इसलिये हम सरकार के इस निकम्मेपूर्ण रवैये को देखते हुये सदन का बहिष्कार करते हैं।

(खाद्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय जांच एजेन्सी से जांच कराने से इंकार किये जाने पर बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुये सदन त्यागकर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना माननीय सलिल विश्नोई जी की है। क्या वे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं बैठ गया था। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं न बी0पी0एल0 की बात कर रहा हूं न उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो लेवी की बात कर रहा हूं। जितना उत्पादन हुआ है और उतना ही उत्पादन पर खर्च हो गया है, वह सम्भव नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ एक बिन्दु पर है और उस पर जवाब नहीं आया है। आपका कहना है कि जांच हो रही है, आप मानते हैं कि अनियमितता हुयी है। इतना ज्ञान मुझे भी है, लाने ले जाने पर रोक नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हम उस जांच एजेन्सी पर विश्वास नहीं कर सकते जो सक्षम एजेन्सी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गई है प्रमोद जी। आप बैठ जायं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मैं खुद कहना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सरकार में साहस होना चाहिये । अगर सरकार में साहस है तो क्यों नहीं सी0बी0आई0 से जांच करा देती ? क्यों यह अपराधियों और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है जितना पैदा नहीं हुआ उतना आप लेवी ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात खत्म कर दें। मैंने आपको सुना, खाद्य मंत्री को सुना और इसको नियम-56 में निरस्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। यह काम अनियमिततापूर्ण है। सरकार अनियमितता कहती है मैं दोषारोपण कर रहा हूं मुझे इतना बता दें कि सी0बी0आई0 की जांच से सरकार क्यों डर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहस नहीं करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

क्योंकि बिना इंटरपोल के जांच नहीं हो सकती है अगर साहस है जांच कराने का, तो करायें। यह सरकार जांच की घोषणा नहीं कर रही है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री प्रमोद कुमार ने भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार किया)

श्री मोहम्मद आजम खां--

इस पर बात हुयी हमने चाहा इस समस्या का निदान होना चाहिये। सदन में किसी को आभास न रहे किसी गलती, किसी बुराई, किसी भ्रष्टाचार को सरकार संरक्षण दे सकती है। मैंने

पूर्व में कहा, इस पर पूरी बहस सदन में हो गयी। नेता सदन ने इस पर जवाब दे दिया, खाद्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया। फिर भी लोकतांत्रिक परम्पराओं के तहत इनको फिर सुन लिया गया। अगर वाक स्वातन्त्रय के लिये सुनेंगे तो मेरा कहना है कि सदन का इतना समय खराब करने की क्या जरूरत थी ? सदन का इतना कीमती समय खराब किया गया।

एक सदस्य--

आपका सहयोग है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं कहना चाहूंगा--

आ ए गुले-फसुर्दा लगा लूं तुझे गले,
तू भी लुटा है मेरी तरह बहार में।।

श्री सलिल विश्नोई--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 संख्या-क0नि0-5--305/11-2005-500 (136)/ 2003 की अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी, 2005 की प्रस्तर संख्या 4.2.3 के अनुसार कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु औद्योगिक भूखण्ड की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की गयी थी। किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के भूखण्डों पर स्टाम्प शुल्क छूट की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है जिसके कारण उद्यमी परेशान हो रहे हैं और प्रदेश के औद्योगीकरण की गति मन्द हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को आदेशित करे कि लीज डीड के क्रियान्वयन पर स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट दें साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि सरकारी औद्योगिक विभागों द्वारा आवंटित भूखण्डों पर भी कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के स्टाम्प शुल्क छूट की सुविधा शासन की नीतियों के अनुसार क्रियान्वित करायी जाये।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जैसे आपके निर्देश होंगे सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना का सरकार ने संज्ञान ले लिया है। इसको मैं निरस्त करता हूं।

(श्री राम इकबाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

खड़े होने की जरूरत नहीं है मैं बता दे रहा हूं अनुसूचित जाति के लोग जो बलिया जनपद के हैं 200 हरिजनों के परिवारों के साथ मारपीट के संबंध में आपने दिया है।

*श्री राम इकबाल सिंह--

एक मिनट बोल लेने दें। मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं . . .

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना के बारे में बता तो दिया।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, गोविन्दपुर गांव में रात के 12 बजे अनुसूचित जाति के लोगों का सामान टोंस नदी में फेंक दिया . . .

श्री जियाउद्दीन--

आपसी विवाद था।

श्री राम इकबाल सिंह--

वह लोग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन कर रहे थे। मान्यवर, पूरे जाड़े-पाले में वह गरीब वहां पड़ा रहा लेकिन इतनी संवेदनहीनता कि जिला प्रशासन के लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मान्यवर, वह जमीन हरिजन को एलाट थी।

श्री अध्यक्ष--

राम इकबाल जी, मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

अगली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद में बदमाशों द्वारा श्री राज बहादुर की हत्या किये जाने एवं हत्यारों के गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना बोलने के लिये खड़े हुये लेकिन श्री राम इकबाल सिंह अपनी बात कहते रहे)

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, उस पूरी जमीन को पुलिस के बल पर कब्जा किया जा रहा है। वहां पर जो गरीब उजड़ गये हैं . . .

श्री अध्यक्ष--

खन्ना जी, मैंने आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है लेकिन 1 मिनट में आप अपनी बात कह लें। राम इकबाल जी, आप इस बात को कल भी बोल चुके हैं और आज भी आपने इतना कह लिया है, अब कृपया बैठें। सारी बात पब्लिक में कह लीजियेगा। खन्ना जी, आप मनायें, आपके साथी हैं।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, यहां नहीं कहेंगे तो, कहां कहेंगे ? मान्यवर, इस पर चर्चा करा लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपसी विवाद का मामला है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नेता विराधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, 3 दिन से माननीय सदस्य एक विषय को उठा रहे हैं और उठाने का प्रयास कर रहे हैं और आज भी यह सूचना आपकी अनुमति से ही यहां आई है लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया कि जांच करा लेंगे या जो ज्यादती हुई है, उसे दिखवा लेंगे और जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति की कोशिश करेंगे, कुछ तो कहना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता, विरोधी दल, मैंने इस पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, तो कुछ न कुछ रिपोर्ट आयेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, सदन का ध्यान या सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ?

श्री अध्यक्ष--

सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। बाजपेयी जी, अच्छा है, कभी-कभी सहायता कर देते हैं।

(श्री राम इकबाल सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी और श्री सुरेश कुमार खन्ना एक साथ बोलने का प्रयास करते रहे जिससे व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष--

रिजवी साहब, आप बैठें। राम इकबाल जी, आपकी सूचना पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप जागरुक सदस्य हैं, आप बैठिये। इसमें मैं सरकार को जवाब देने के लिये नहीं कह सकता लेकिन मंत्री जी बोलना चाहें तो मैं रोकता नहीं हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं तो कहा मान लेता हूं। हमारे पक्ष के भी लोग कभी-कभी बोल देते हैं, यदि रिजवी साहब कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें बोल लेने दें। आप सुनें रिजवी साहब को। श्री रिजवी साहब भी तो माननीय सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष--

वैसे इसमें मैंने ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपने ध्यान आकृष्ट कराया है, उसका पालन होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद में बदमाशों द्वारा श्री राज बहादुर की हत्या किये जाने एवं हत्यारों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह घटना दिनांक 26-12-04 की है। 3 लोग अपने शस्त्रों से एक आदमी पर फायर करते हैं और 15 जनवरी को उसकी हत्या हो जाती है। शिव कुमार जो अभियुक्त है उसके ऊपर 6 केसेज हैं। इसमें नामजद एफ0आई0आर0 है और इन तीनों के पास शस्त्र लाइसेन्स दूसरे पते से बने हैं। इनकी अपने क्षेत्र में क्रिमिनल हिस्ट्री है। मैं मांग करता हूं कि मुल्जिमों की गिरफ्तारी हो और उनके पास जो दूसरे पते के शस्त्र लाइसेंस हैं चूंकि वह दूसरे प्रदेश से फर्जी रिपोर्ट के आधार पर, गलत तरीके से, गलत पता देकर लिये गये हैं इसलिये उन्हें निरस्त किया जाना चाहिये, क्योंकि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। आपकी बात आ गयी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इसमें दिनांक 26-12-04 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। राजबहादुर जिसकी 20 जनवरी को मृत्यु हुयी और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और अन्य दो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं और लाइसेंस जब्त करने की कार्यवाही, लाइसेंस खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

पांचवीं सूचना श्री भगेलूराम, श्री लालजी वर्मा, श्री रामहेत की प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने के संबंध में है। इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं उनका दायित्व बनता है कि पिछली पंक्ति के नेताओं को भी अवसर दिया करें।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

मान्यवर, मुझे भी सुन लें। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष--

श्री आर0 के0 सिंह पटेल की सूचना जो जनपद चित्रकूट के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समूह-घ (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों की भर्ती में की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुयीं, अत: अस्वीकृत हुयीं--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री अवधेश कुमार वर्मा, श्री मिथिलेश कुमार, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, डा0 विनोद तिवारी।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड के लोगों के लिये, दलितों की इच्छाओं, शोषित लोगों की भावनाओं को समझ कर बुन्देलखण्ड के विकास के लिये जो 100 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है उसके लिये आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बजट भाषण पुस्तिका के पृष्ठ 16 में प्रदेश में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज प्रस्तावित है, जो बुन्देलखण्ड विकास निधि के अतिरिक्त है। मैं बताना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की भौगोलिक स्थिति यह है कि वह दक्षिण के पठार पर स्थित है। इसके एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ पठार है। बुन्देलखण्ड में 5 नदियां हैं, एक यमुना नदी भी बुन्देलखण्ड से होकर गुजरती है। बुन्देलखण्ड का क्षेत्रफल 29 हजार 418 किमी0 है, इसमें 7 जिले हैं--झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा और चित्रकूट। यह देश के 100 गरीब जिलों में से है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कल काफी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष--

आज कम समय मिलेगा, क्योंकि आज साढ़े तीन बजे मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। इसलिये केवल 5 से 7 मिनट में अपनी बात बोल दीजिये।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की टोपोग्राफी असमतल है। बुन्देलखण्ड में .75 से 1.25 सेमी0 वर्षा हो जाती है और पूरा पानी उत्तर-पूर्व और उत्तर की तरफ बढ़ जाता है और यह पूरा पानी यमुना नदी पर चला जाता है। मान्यवर, वहां पर भूमि की स्थिति यह है कि पूरी भूमि बंजर हो गयी है। आज वहां की टोपोग्राफी के कारण केवल तीन से पांच महीने तक फसल होती है। बुन्देलखण्ड में खरीफ की फसल नहीं होती है। गरीबी की स्थिति यह है कि वहां पर जो आदिवासी जातियां हैं--रावत और सहारिया जाति के लोग यह लोग पौधे और घास खाते हैं। महरौनी के अन्दर एक जनजाति ऐसी है जो कोदो और सांवा खाती है और उसके वहां विवाह और शादी में अन्न तक नसीब नहीं होता। आज बुन्देलखण्ड का जल स्तर प्रतिवर्ष दो तीन सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है। जहां बुन्देलखण्ड के अन्दर उद्योगों पर एक लाख व्यक्तियों पर 1.6 का अनुपात है वहीं देश के अन्दर 6.3 का अनुपात है। यहां पर 75 से 80 प्रतिशत लोग खरीफ की फसल नहीं बो पाते हैं क्योंकि यहां की स्थिति निम्न है--सिंचाई के अन्दर सात हजार तालाबों का निर्माण चन्द्रकालीन युग में हुआ था, आज वहां पर पांच महीने सूखा पड़ता है। नहरों से पानी उस समय छोड़ा जाता है जब उसकी आवश्यकता नहीं होती, उस समय नहीं छोड़ा जाता है जब इसकी आवश्यकता होती है।

(इस समय 1 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बंशीधर राज पीठासीन हुये)

बुन्देलखण्ड के जो पुरातन उद्योग हैं जिन पर बुन्देलखण्ड की करोड़ों जनता निर्भर करती थी आज वह दम तोड़ रहे हैं। चाहे वह झांसी के अन्दर सूती मिल हो, चित्रकूट का ग्लास उद्योग हो,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काल्पी के अन्दर कागज का कारखाना हो यह सारे के सारे उद्योग दम तोड़ रहे हैं। मान्यवर, वहां पर भूमि का वितरण असमान है। पच्चीस प्रतिशत लोगों के पास पचहत्तर प्रतिशत भूमि है और पचहत्तर प्रतिशत लोगों के पास पच्चीस प्रतिशत भूमि है। आज स्थिति यह है कि तीन सौ एकड़ में हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कालेज है, यह हर्ष का विषय है। दूसरे मेडिकल कालेज चाहे वह डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो या सैफई का अस्पताल हो उसके लिये बजट में 31 करोड़ का प्राविधान किया है लेकिन बुन्देलखण्ड के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। उच्चीकृत बस स्टैण्ड वहां पर नहीं है। वहां पर पीने के पानी की समस्या है। मान्यवर, आज वहां पर यह स्थिति है कि एक हजार रुपये की नौकरी के लिये लोग दर-दर भटक रहे हैं। वहां पर पांच सौ, सात सौ रुपये की नौकरी में काम पाना मुश्किल हो रहा है। मान्यवर, 77.61 प्रतिशत किसान गांव में रहते हैं और 39 प्रतिशत लोग ऐसे हैं उनके पास खाने के लिये पैसा नहीं है और सभी पलायन कर रहे हैं। पूरे देश के अन्दर 13 प्रतिशत लोग गांव से पलायन करते हैं लेकिन बुन्देलखण्ड में 39 प्रतिशत लोग पलायन कर रहे हैं। बुन्देलखण्ड के अन्दर बिजली बनती है। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, मैं बताना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि सात जिलों के लिये सौ करोड़ से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। आज जो बिजली बुन्देलखण्ड में बनती है उसको पहले बुन्देलखण्ड ग्रिड में देना चाहिये ताकि बुन्देलखण्ड की जो हालत दिख रही है, उद्योग धन्धे बन्द हो रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, बिजली समुचित न मिलने के कारण कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, तो बुन्देलखण्ड को पहले बिजली मिले। मान्यवर, जैसे उत्तरांचल के लिये कैडर बनाया गया उसी तरह से यहां के लिये भी कैडर बनना चाहिये और उसी तरह से यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिलने चाहिये। जो भी पैसा यहां के विकास के लिये दिया जाता है वह सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ जाता है, जो भी योजनायें प्रदेश से, केन्द्र से बुन्देलखण्ड में जाती है उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है। मान्यवर, हमारे यहां 1969 में मेडिकल कालेज बना था, लेकिन वहां पर कोई भी बुनियादी सुविधायें नहीं हैं जिसके कारण एम0डी0 और एम0एस0 की कक्षायें बन्द हो गयी हैं और एम0बी0बी0एस0 की कक्षाओं को भी बन्द करने का आह्वान किया गया है। मान्यवर, यहां छोटे-छोटे उद्योग हैं जैसे--डलिया उद्योग, मोमबत्ती उद्योग आदि इस तरह के उद्योगों के लिये विशेष पैकेज होने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपनी बात समाप्त करें, आपका समय हो गया है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है वह इतनी जर्जर है कि अगर बुन्देलखण्ड नीति बन जायेगी तो उसका पालन होगा, तो शायद इसमें कुछ सुधार हो, इसलिये यहां के लिये एक विकास नीति जरूर बननी चाहिये। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के लिये जो सौ करोड़ का पैकेज दिया गया है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन इस सौ करोड़ से बुन्देलखण्ड का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। बुन्देलखण्ड के आम आदमी को दो वक्त की रोटी के लिये एक हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वहां के लिये विकास की नीति बनाने की और कृषि की नीति बनाने की आवश्यकता है, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के अन्दर मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि जो सदस्य अनुशासित हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें अपनी बात कहने से वंचित कर दिया जाता है और जो लोग पीठ का उल्लंघन करते हैं, बिना अनुमति लिये बोलते हैं उन्हें पूरी छूट दी जाती है बोलने के लिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपके दल की सूची है हमारे पास, मैं उसी के अनुसार बोलवा रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

माननीय अधिष्ठाताजी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने बजट के बारे में जो भी बातें पूर्व में रखी हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मान्यवर, प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन सरकार ने दूध ढोने वाली गाड़ियों से गुड्स टैक्स हटाने की घोषणा नहीं की है। घी पर से भी मण्डी टैक्स नहीं हटाया जा रहा है। देशी घी सीधे-सीधे कृषि उत्पादन की श्रेणी में नहीं आता है। सरकार अगर देशी घी से मण्डी टैक्स नहीं हटाना चाहती है तो उसे समाधान योजना के अन्तर्गत लाये, उ0 प्र0 राज्य के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों में देशी घी पर मण्डी टैक्स नहीं है। व्यापारी टैक्स देना चाहता है, लेकिन अपना उत्पीड़न नहीं चाहता। मण्डी टैक्स के लिये एक व्यवस्था यह भी हो सकती है कि व्यापार कर की रिटर्न के अनुसार व्यापारी से मण्डी टैक्स वसूल लिया जाये जिससे उसे कई तरह के खाते न रखने पड़ें। हमारे प्रदेश के व्यापारी को पड़ोसी राज्यों के व्यापारी के मुकाबले सुविधायें कम हैं इसलिये हमारे प्रदेश का व्यापारी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ रहा है।

मान्यवर, मेरा दूसरा विषय है इस बजट में मेरठ महानगर में बन रही नयी कालोनियों में डिग्री व इण्टर कालेज खोलने की व्यवस्था के बारे में है। इन नई कालोनियों में डिग्री व इण्टर कालेज नहीं हैं जिसके कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अत्यधिक दूरी तय करके शहर के दूसरे कोने पर स्कूल जाना पड़ता है जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरठ महानगर की शास्त्री नगर योजना में, जागृति बिहार योजना में राजकीय महिला इण्टर कालेज व राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित करने की मांग करता हूं। मान्यवर, मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज पश्चिमी उ0 प्र0 का एक मात्र सरकारी मेडिकल कालेज है, लेकिन बजट में मेडिकल कालेज के लिये कोई प्राविधान न होने की वजह से दुर्दशा की स्थिति में है। मेडिकल कालेज की डाइलेसिस मशीन, टी0एम0टी0 मशीन व अल्ट्रासाउण्ड की मशीन वर्षों से खराब पड़ी है, इसके लिये तत्काल 25 लाख रुपये की आवश्यकता है, मेडिकल कालेज के बेड इतनी बुरी हालत में हैं कि आम व्यक्ति को उसे देख कर उल्टी ही हो जाये। दवायें नहीं मिल रही हैं, मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही हैं। मेडिकल कालेज के लिये तत्काल बजट की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, अभी दो दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में 32 थाने व 167 पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की है, मेरठ महानगर की नवीन कालोनियों में थाने नहीं हैं आदमी रहता महानगर में है रिपोर्ट दर्ज कराने दूर-दराज देहात के थानों में जाना पड़ता है। मेरठ महानगर में तत्काल 3 नये थानों का निर्माण आवश्यक है। एक गंगानगर, दूसरे लोहियानगर में और तीसरे पल्लवपुर--इन तीनों थानों की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता--

आप पढ़े नहीं, बोले, पढ़ने से काम नहीं चलेगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, नये सदस्य हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, मेरठ विकास प्राधिकरण तो सबसे खराब स्थिति में है करोड़ों के कर्ज में प्राधिकरण डूबा पड़ा है किसानों के मुआवजे का भुगतान नहीं हो पा रहा है रोज नित्य नयी भूमि अर्जन की जा रही है पिछले भुगतान हो नहीं पाये हैं। अगर प्राधिकरण किसानों का भुगतान कर नहीं पा रही है अर्जन युक्त भूमि पर पिछले 15 साल में एक भी ईंट प्राधिकरण द्वारा नहीं लगायी गयी है या तो भुगतान किसानों को हो अथवा भूमि अर्जन मुक्त की जाये।

मान्यवर, अन्त में मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

*श्री राम विशुन आजाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

माननीय अधिष्ठाता जी, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, बनी है, उस समय मान्यवर, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, उनको यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से खोखला मिला था। प्रदेश में जिस तरीके से उस समय अराजकता थी उसको संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। मान्यवर, पिछली जो सरकार मुख्य मंत्री मायावती जी के नेतृतव में बनी थी, उस सरकार ने एक नारा दिया था कि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलेंगे और दलितों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये योजनायें बनायेंगे। लेकिन किसी को भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि योजनायें बन रही हैं बल्कि उन्होंने दलितों का, कमजोर लोगों का शोषण किया और उनके विकास के लिये कोई योजना नहीं चलाई।

मान्यवर, आज हमारी सरकार है, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके कार्यकलाप सराहना योग्य हैं। हमारी सरकार का नारा है कि सभी लोग एक भयमुक्त समाज में रहेंगे और अपराधी जेल में होंगे। मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृतव में जब सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि प्रदेश में अब कोई अपराध नहीं होगा और हर खेत को पानी देंगे और हर हाथ को काम देंगे। लेकिन, उन्होंने शोषण किया पूरे प्रदेश का। लेकिन, आज हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिये जो कल्याणकारी योजनायें बनायी हैं उसके लिये माननीय नेता विरोधी दल को चाहिये था कि वह माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते। आज चारों ओर प्रदेश का विकास हो रहा है। मान्यवर, जो बजट यहां 2005-06 का रखा गया है वह 13,500 करोड़ रुपये का रखा गया है जो कि एक ऐतिहासिक बजट है और यह 2004-05 के बजट में निर्धारित परिव्यय से 40 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, अगर यह सरकार जनकल्याणकारी सरकार न होती तो इसमें कमजोर वर्गों के हितों की बात न होती, गरीबों के हितों की बात नहीं होती और यह सरकार ऐसा कल्याणकारी बजट न

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाती। मान्यवर, इस जनकल्याणकारी सरकार में बजट का 81 फीसदी हिस्सा ग्रामीण अंचलों के लिये रखा गया है यह उस किसान-मजदूर के विकास के लिये रखा गया है जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है और प्रदेश को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करता है। इस बजट का 71.3 प्रतिशत भाग विकास के कार्यों के लिये रखा गया है। इससे ग्रामीण अंचलों के किसानों का, मजदूरों का, भूमिहीनों का और समाज के सभी वर्गों का विकास होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से इस ऐतिहासिक बजट के लिये मान्यवर मननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं और यह कहता हूं कि इसके लिये पूरे सदन के सभी लोगों को उन्हें बधाई देनी चाहिये। मान्यवर, इस बजट के माध्यम से सरकार ने जो प्रदेश में विकास के कार्य अधूरे पड़े हुये हैं उनको पूरा कराने की दिशा में पहल की है। चाहे वह सड़क हो, पुल हो, स्कूल का भवन हो, अस्पताल का भवन हो, इन सबकों पूरा करने के लिये इसमें व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, पिछली सरकारों ने जिस तरह से सभी वर्गों का शोषण किया था उसको रोकते हुये इस सरकार ने कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। आप क्षेत्रीय असंतुलन की बात करते हैं, मान्यवर, जब हम लोग विरोध पक्ष में बैठते थे तो राज्य की योजना का जो पैसा था, पूर्वांचल विकास निधि का और जिला योजना का जो पैसा था, उसमें पिछली सरकारों में बैठे लोग हम लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। पूर्वांचल विकास निधि का एक भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला था। मान्यवर, हम लोग यहां पर आवाज उठाते थे तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता था, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी और आज यह विधवा विलाप कर रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज यह कह रहे हैं कि हमारे यहां सड़क नहीं बन रही है, बिजली नहीं लग रही है, अस्पताल नहीं बन रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे है तो जब इनकी सरकार थी इन्होंने जिस तरह से भेदभाव किया है उस तरह से देखा जाय तो इनके क्षेत्र में सारे के सारे काम हो चुके हैं। ये आज यहां पर कहते हैं कि सड़क नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी ? आपकी सरकार थी आप अपनी सरकार में सड़क बनवा लेते, बिजली लगवा लेते, पुल बनवा लेते, अपनी सरकार में अस्पताल बनवा लेते क्यों नहीं बनवाया ? अब यह जनकल्याणकारी सरकार है इसीलिये ये जानते हैं कि इस जनकल्याणकारी सरकार में ही इनका काम होगा।

मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में देखा जाय तो प्रदेश आगे बढ़ा है। गन्ना किसानों का गन्ने का दाम 12 रुपये प्रति कुन्तल बढ़ाया गया और 85 प्रतिशत गन्ने का भुगतान किया गया है। 18 फरवरी तक 4956 करोड़ रुपये का पेमेन्ट किया गया, 58 लाख टन अतिरिक्त गन्ने की पेराई की गयी, 6 चीनी मिलें लगायी गयीं हैं जिससे 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, वर्ष 2005-06 में 4700 नये स्कूल खोले जायेंगे और ढाई हजार प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे और 2200 जूनियर हाई स्कूल खोले जायेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रीय सम विकास योजना में 22.5 करोड़ रुपये की और आदर्श जनपद योजना में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2004-05 में 40 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 एवं 41000 शिक्षा मित्र की भर्ती की गयी है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना में 2 लाख 75 हजार व्यक्तियों को स्व रोजगार मिलेगा। इस बार हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रारम्भ किया है जिसमें 5 हजार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, प्रदेश को लूटा और दलितों का शोषण किया है और उनके लिये कोई योजना नहीं बनायी। मान्यवर, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं इनको शर्म नहीं आती, मैं बताना चाहता हूं कि इनके समय में थाने में एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती थी इनके दलाल थे जो थाने की दलाली करते थे और उनके द्वारा बिना कुछ लिये थाने में घुसने नहीं दिया जाता था लेकिन

आज हमारी सरकार में सभी वर्गों का काम हो रहा है चाहे वह छात्र हों, किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों, बेरोजगार हों, कोई हो सबका काम इस जनकल्याणकारी सरकार में हो रहा है। मान्यवर, विकलांग एवं निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया गया है जो एक सराहनीय कदम है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो योजनायें बनाई हैं उससे पूरे प्रदेश का विकास होगा और जनता खुशहाल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये माननीय नेता सदन श्री मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता के लिये एक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आपको भी धन्यवाद देता हूं।

*श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

मान्यवर, इस सरकार ने इस बजट में रोजगार के ऊपर काफी बात कही है, इस बजट में रोजगार के लिये काफी प्राथमिकता दी है। परन्तु मान्यवर, आप भी अवगत हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश मे जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, यहां तक कि जो रोजगारपरक योजनायें हैं, उसमें भी कहीं पर मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जिला योजना और भी जितने निर्माण कार्य इस समय उत्तर प्रदेश में कराये जा रहे हैं, उसमें कहीं मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। मान्यवर, इस सरकार का नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह सभी कार्य मजदूरों के द्वारा न कराकर ट्रैक्टर और जे0सी0बी0 मशीनों द्वारा कराये जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना का जो पैसा जिला पंचायत में जाता है, वह जिला पंचायतें भी जे0सी0बी0 मशीनों और ट्रैक्टर के द्वारा निर्माण कार्य करा रही है। जो बंधी निर्माण का कार्य है, तालाब खुदाई के जो काम हैं वह काम भी कहीं पर मजदूरों द्वारा नहीं कराये जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, जो मंहगाई बढ़ चुकी है, उसको देखते हुये इस पूरे बजट में न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करने की कोई मंशा नहीं जाहिर की गयी है और मजदूरों की पूरी अनदेखी की गयी है। मान्यवर, मेरी मांग है कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिये।

मान्यवर, इस बजट में शिक्षा की बात कही गयी है लेकिन कहीं पर भी डाइट शैक्षिक ट्रेनिंग सेन्टर या जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने की बात कहीं पर भी नहीं कही गयी है। सरकार ने कोई ऐसा प्रस्ताव भी नहीं रखा है कि डाइट संस्थान की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्राविधान है। मान्यवर, चिकित्सा के संबंध में कहना चाहूंगा कि अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पताल खाली पड़े हैं। ग्रामीण, अंचलों की ओर इनकी कहीं नजर नहीं जा रही है, वहाँ विशेष रूप से डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, इसी प्रकार प्राथमिक पाठशालाओं में भी अध्यापकों के स्थान पर शिक्षा मित्रों के बलबूते काम चलाया जा रहा है। इस बजट में बुन्देलखण्ड के लिये बड़ी बात की गयी है और 100 करोड़ का विशेष पैकेज इस बजट में दिया गया है। हमें बहुत चिन्ता हो रही है कि यह 100 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेसी या भ्रष्टाचार के दलदल में जाने वाला है या फिर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं के क्षेत्रों में खर्च किया जायेगा, उन्हीं के प्रस्ताव से खर्च किया जायेगा।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मेरे यहाँ माड़ो बांध की परियोजना है, वहाँ काफी जल रिसाव हो जाता है, उसका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, अगर सरकार थोड़ा उदारता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखती है तो सरकार इस माड़ो बांध की परियोजना को स्वीकृति प्रदान करे। मान्यवर, हमारे यहाँ राजापुर में पुल की माँग बहुत दिनों से चल रही हैं। अयोध्या से चित्रकूट होते हुये खजुराहो वाला जो राजमार्ग है, उसमें यमुना नदी पर राजापुर में पक्के पुल के निर्माण की घोषणा की जानी चाहिये। यदि यह सरकार उदारता रखती है और निष्पक्ष भाव रखती है तो इस पुल की जल्द घोषणा करे। इसी तरह से मान्यवर, हमारे यहाँ यमुना नदी में बरियारीकलां में लिफ्ट कैनाल को सरकार मंजूरी दे। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चित्रकूट जिले में जितने भी पंप कैनाल हैं, वह फेल पड़े हुये हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसल सूख गयी है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन बन्द पंप कैनालों को चालू कराया जाय। मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह असत्य का पुलिन्दा है और यह सरकार बहुत बड़ा धोखा करने जा रही है। मान्यवर, इसलिये मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप)--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2005-06 के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, बहुत दिनों के बाद समय से यह पूरा बजट पेश किया गया है और इससे हमारी सरकार के पास पूरे साल यानि कि 12 महीने काम करने का समय मिलेगा। इतना बढ़िया और इतना शानदार बजट पेश हुआ है, यह एक ऐतिहासिक बजट है। हमने इसको पढ़ा है, कोई ऐसा पक्ष नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जिसको इस बजट ने न प्रभावित किया हो। चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दलित हो और चाहे मुसलमान हो, इसमें हर वर्ग को सम्मानित करने का काम किया गया है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है जिससे प्रदेश के विकास को सकारात्मक दिशा मिल सके। प्रत्येक क्षेत्र के विकास का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है, किसी प्रकार के नये कर नहीं लगाये गये हैं। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी प्राथमिकता दी गयी है। निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना की गयी है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब से वकास परिषद् का गठन हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर दुनिया के अनेक जाने-माने पूंजीपति प्रदेश के अन्दर पूंजी निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में विकास परिषद् के गठन के बाद दादरी में किया गया विद्युत् प्रयास प्रदेश के विकास का जीता-जागता उदाहरण है। ऐसा मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश में अपना स्थान बना लेगा। हमारी सरकार ने जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था, गन्ना मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी करके गन्ने का भुगतान सुनिश्चित किया है कृषि नीति में गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया है। इस बजट में 47 सौ नये विद्यालय, 2200 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है, 41 हजार शिक्षा मित्रों की तैनाती की गयी है, दलित वर्गों को पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। विगत वर्ष की अपेक्षा सेतु परियोजना के लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह जो बजट पेश किया गया है, कोई वर्ग नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है, जिसने इस बजट की तारीफ न की हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतने कम समय में हमारी

सरकार ने सेतु निगम के द्वारा 173 पुलों का निर्माण कराया और 180 पुल प्रस्तावित हैं, नये सड़कों के निर्माण की योजना है और अन्य तमाम फैसले लिये गये हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश दिखाई पड़ेगा। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये हमारे सम्मानित विपक्षी सदस्य हमारे साथ खड़े हों, केवल विपक्ष के नाते आलोचना न करें, अच्छे कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा करें और प्रदेश के विकास के लिये सुझाव दें तथा प्रदेश के विकास में सहायता करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2005-06 के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सतीश महाना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, पिछले वर्ष भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया था। जो कुछ उन्होंने कहा था उसके कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बजट की आलोचना इसलिये की जाती है कि जो बिन्दु सरकार की ध्यान में न हों, उससे अवगत हो जायें। मैं यहाँ पर कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस वक्त बजट प्रस्तुत किया गया था, मैंने सुझाव दिया था कि पिछड़े हुये कार्यों और अधूरे कार्यों को पूरा करें। मुख्य मंत्री जी ने एक साल पहले इसी स्थान पर बजट प्रस्तुत किया था। कृपया उस बजट भाषण की कापी अपने साथ ले करके नया बजट प्रस्तुत करते तो पता चलता कि कितनी घोषणायें की थीं और उनमें से कितनी पूरी नहीं हो सकीं। 50 प्रतिशत से अधिक घोषणायें जो पिछली बजट में की गयी थी, एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद पूरी नहीं हुई हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास व्यक्त करने के लिये यह आवश्यक होता है कि उसने पिछले दिनों में क्या काम किया ? पिछले दिनों बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गयी थी लेकिन कोई भत्ता नहीं दिया गया। पिछले बजट में कहा गया था कि प्रत्येक छात्रा को 20-20 हजार रुपये देंगे जो फर्स्ट डिवीजन में पास होंगी। वह 20 हजार रुपये का अनुदान देने की घोषणा छलावा थी तथा बेरोजगार नौजवानों की भावनाओं को भड़का कर अपने पक्ष में करने के लिये किया गया था वह भी छलावा था। मान्यवर, इसी हाऊस के अन्दर विकास परिषद् की बात कही गयी। उत्तर प्रदेश में एक नई परम्परा शुरू हुयी थी और उस विकास परिषद् की बैठक में बहुत बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट आये थे और समाचार-पत्रों में उनके फोटो छपे थे। उस विकास परिषद् से हमें लगा था कि इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियां विकास परिषद् की सदस्य होंगी और उत्तर प्रदेश में आ करके मीटिंग्स करेंगी तो प्रदेश का कहीं न कहीं विकास होगा। मान्यवर, दो साल बीत गया लेकिन विकास परिषद् ने प्रदेश का क्या विकास किया ? यह प्रदेश की जनता की जानकारी में नहीं है ? लेकिन उसमें किसका-किसका विकास हो गया ? दादरी की बेशकीमती जमीन रिलायंस वालों को दे दी गयी, उनका विकास हो गया। जो पावर प्रोजेक्ट लगना था वह हवा में है। जनता का विकास नहीं हुआ। विकास परिषद् का गठन केवल कुछ इण्डस्ट्रियलिस्ट का विकास करने के लिये हुआ था। मान्यवर, यह बड़ी अहम बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी स्थान पर तीन दिन पहले कहा था कि उन्होंने बड़ी-बड़ी मीटिंग्स अटेण्ड की हैं। मुम्बई में मीटिंग हुयी, उसमें बड़े-बड़े उद्योगपति आये, तमाम एन0आर0आई0 आये, दिल्ली में उन्होंने मीटिंग की, बहुत सारी चिट्ठियां लिखीं और बहुत सारी चिट्ठी का जवाब भी आया। चिट्ठियां लिखेंगे तो उसका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जवाब तो आयेगा ही, लेकिन चिट्ठियों के जवाब से जनता का कुछ लेना-देना नहीं है। अगर आप महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख देते हैं तो उसका जवाब आ जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन चिट्ठियों के परिपालन में जनता का और प्रदेश का क्या विकास हुआ ? प्रदेश की एक इंच जमीन का विकास अगर आज भी हुआ हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें। पिछली बजट की कापी साथ लेकर इस बजट को पढ़ते तो हकीकत सामने आ जाती। मान्यवर, अगर मैं बताने लगूंगा तो आपने मुझे जो 10 मिनट का समय दिया है वह कम पड़ जायेगा। इसलिये कुछ बिन्दुओं को उद्धृत करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपके केवल 7 मिनट हैं।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अक्टूबर, 2003 में उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी, 2004 को मैं कानपुर में बैराज का उद्घाटन कर दूंगा। लेकिन उस साल उद्घाटन नहीं हुआ। मैंने उनको याद दिलाया तब उनको याद आया। इसी तरह से 26 जनवरी, 2005 निकल गयी और अब 15 अगस्त, 2005 भी निकल जायेगा और 26 जनवरी, 2006 भी आ जायेगी लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पायेगा। उस योजना का कोई अंश पूरा होने की स्थिति में नहीं है। अगर किसी प्रोजेक्ट पर 300--400 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और उसको राजनीतिक कारणों से पूरा नहीं किया जाता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक सदस्य को 100 हेण्ड पम्प देंगे लेकिन वह नहीं मिले। इसी तरह से गांवों के विद्युतीकरण के लिये, सड़कों के डामरीकरण के लिये और रिवालिविंग फण्ड से धनराशि देने के लिये कहा गया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। तो मान्यवर, हम केवल भाषण सुनने के लिये आये हैं क्या ? बहुत अच्छा भाषण दिया जाये लेकिन उसके कोई परिणाम न मिलें तो उससे जनता का फायदा होने वाला नहीं है। केवल बजट प्रस्तुत कर देने से काम पूरे नहीं हो जाते। मान्यवर, मैं कानपुर महानगर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं वहाँ पर 160 मेगावाट का विद्युतगृह कानपुर दक्षिण के लिये स्वीकृत किया गया था लेकिन जब सरकार बदल गयी तो काम रोक दिया गया। मान्यवर, कानपुर में बिजली के लिये आन्दोलन हुआ। मैं 100 घण्टे तक जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने बैठा, जिलाधिकारी में साहस नहीं हुआ कि वह हमसे बात कर सकें। जिस अधिकारी में बात करने का साहस न हो उससे किसी भी परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मंत्रियों से बात नहीं हो पाती है, मुख्य मंत्री से समय मिलने के लिये मांगों तो मिलता नहीं है, तो कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रदेश का विकास होगा और कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जायेगा ? अगर नारा देने से, भाषण देने से उत्तम प्रदेश बनना होता तो अब तक बन गया होता। इन भाषणों से जनता और जनमानस का भला नहीं होगा और कोई विकास नहीं होगा।

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुये)

मान्यवर, आप आ गये हैं, आपने मुझसे 10 मिनट बोलने के लिये कहा था मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप इतनी देर में अपनी बात नहीं कह सके हैं।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, इस विषय पर मेरी आपसे चर्चा हो चुकी है। आप श्रम मंत्री रह चुके हैं। यह जो 18 हजार श्रम कालोनियां हैं इस संबंध में आपसे मेरी विस्तार से बात हुयी और आपने आश्वासन दिया था लेकिन आप सौभाग्य से अध्यक्ष हो गये और माननीय उपाध्यक्ष जी श्रम मंत्री हो गये। इन कालोनियों में रहने वाले श्रमिकों को मालिकाना हक मिल जाये, तो इन श्रमिकों का कल्याण होगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार से इन श्रमिकों को मालिकाना हक दिलाने की कृपा करें। नगर विकास विभाग में एक रिवालविंग फण्ड होता है, एक खाता पहले से स्थापित है जिससे नगर की जनसंख्या के हिसाब से सहायता दी जाती है। मान्यवर, यह जो सूडा है इसके लिये नियम निर्धारित है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो तय करती है कि कौन-कौन से काम होंगे ? लेकिन अभी नगर विकास मंत्री जी ने कहा था कि सूडा से जो चिट्ठी आती है उसको वह सेक्शन कर देते हैं। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति गठित है आपने उसकी वैधता समाप्त कर दी है और उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है।

यह कहां की बात हुई ? कायदे कानून से उठकर जिसे चाहें बांटते रहें यह किसी को अधिकार नहीं है। ला ऐण्ड आर्डर के ऊपर बहुत बातें हुईं ।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी इसलिए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं मैंने जो मांगें रखी हैं और वह प्रमाण के साथ रखी हैं अगर वह सब मांगें मान ली जाएं, तो मैं बजट का समर्थन करूंगा अन्यथा मैं बजट का विरोध करता हूं। हालांकि विरोध हमारे सामने के पक्ष के लोग भी करते हैं लेकिन वह खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं।

श्री किरन पाल कश्यप--

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। सदन में दो दिन से बराबर बजट के ऊपर चर्चा हो रही है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के काफी लोगों के विचार सुनने का मौका मिला सत्ता पक्ष की तरफ से काफी सुझाव आए विपक्ष की ओर से जो नहीं करना चाहिए था वह बार-बार आलोचना की गई जब यह लोग सत्ता में थे और हम उधर बैठते थे हम पहली बार जीतकर आये हैं इसलिए मुझे 10 मिनट बोलने का समय दे दिया जाय यहां पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार बालू माफिया, मोरंग माफिया होते हैं उसी प्रकार सदन माफिया है वह सारा समय ले जाते हैं हम नये सदस्यों को अवसर ही नहीं मिल पाता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हर विधायक जो अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हो उसे समय मिलना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों की समस्याएं हों या अल्पसंख्यकों की बात हो, पिछड़े वर्ग की बात हो, दलित वर्ग की बात हो सभी की ओर ध्यान दिया है। किसी न किसी रूप में सभी को सहायता प्रदान करने का काम बजट में किया गया है। पिछली जो सरकारें रही हैं मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पिछले बीस साल में मिट्टी तक नहीं पड़ी है अभी हमने इस्टीमेट मंगाया है जो सवा चार करोड़ का आया है।

आपने हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक टोकरी मिट्टी तक नहीं डाली। अब कहते हैं कि दाल में कुछ काला है आपके समय में तो पूरी की पूरी दाल काली थी। चाहे रोजगार की बात हो माननीय मुख्य मंत्री जी ने महसूस किया कि बेरोजगार की जगह नवयुवक कट्टा लेकर सड़क पर बैठता है इसीलिए जो साढ़े आठ साल से नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा था उसको हटाया और पुलिस, पी0ए0सी0 परिवहन सहित,सभी विभागों में नौकरियां प्रदान की जा रही हैं और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। यहां पर आरक्षण खत्म करने की बात कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर बड़े बाप का बेटा पढ़े, वहीं पर गरीब आदमी का बेटा पढ़े, रिजर्वेशन खत्म हो जाय। लेकिन जो टाट-पट्टी पर बैठकर गांव में बच्चा पढ़ता है और जो देहरादून के दून कालेज और जवाहर लाल नेहरू कालेज में पढ़ता है उसका मुकाबला टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा नहीं कर सकता है। हम भी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर दें लेकिन सबके लिये समान शिक्षा कर दें। जिसका लड़का फर्स्ट आयेगा वह नौकरी में जायेगा। जो कम्पटीशन को पास करे उसको लिया जाय तो हमको मंजूर।

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात एक सुझाव के साथ कहना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में एक भी डिग्री कालेज नहीं है और न ही वहां पर लड़कियों के लिये कोई इण्टर कालेज है। यह इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कालेज और लड़कियों के लिये दो इण्टर कालेज खोलने की अनुमति दी जाय। अभी यहां पर हुकुम सिंह जी नहीं हैं, वे मेरे जिले से ही जीतकर आते हैं। कल वे बड़े चिन्तित थे कि गन्ना का मूल्य किसानों को सही मिलना चाहिए। मान्यवर, जो यह कह रहे थे उसके बारे में मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि जिन मिल मालिक की यह बात कर रहे हैं वे इनके मित्र भी हैं और दो बार इस सदन के सदस्य भी रहे हैं। टिकोना चीनी मिल के गेट पर जी0एम0 बैठता है और 50 किलो का बांट 52 किलो का होता है और इस तरह से एक क्विंटल पर 4 किलो वह गेट पर बैठे ले लेते हैं। वह जी0एम0 इनके जेल गये हैं। वहां पर गन्ना किसानों ने पंचायत करके उस मिल को अपना गन्ना नहीं दिया। मैं सदन में इस बात को कह रहा हूं, आप पता करा लें। यह बड़े हमदर्द बनते हैं किसानों के। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष अभी सदन में मौजूद नहीं है उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुख्य मंत्री जी ने निगमों के चेयरमैन बना दिये। इनको बड़ी चिन्ता है कि क्यों बना दिये ? हम भी एक निगम के चेयरमैन हैं राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम मुनाफे में हैं। आप इसकी तहकीकात करा लें, जांच करा लें। 24 जिलों में इसके कार्यालय हैं नेपाल से लेकर पचपेड़वा तक। आप कहीं पर भी परखी लगाकर देख लें, आवश्यक वस्तु निगम के गोदाम में एक मिनट में आप को पता चल जायेगा कि किस तरह का खाद्यान्न हमारे यहां से सप्लाई होता है। जहां तक वेतन की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी तक की कहीं तनख्वाह पेंडिंग हो तो आप बता दें। हमको बड़ी चिन्ता है, हम देखते हैं कि एक भी दाना अनाज का खराब आ जाय तो हमारी जिम्मेदारी है। लखीमपुर खीरी, गोण्डा का क्या हुआ ? 2001-2002 का मामला था माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिम्मत जुटाई और हौसला जुटाकर 81 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इतनी बड़ी कार्यवाही कभी आपने की है ? यह आपकी सरकार के किये हुए पाप हैं। बी0डी0ओ0 से लेकर जिलाधिकारी तक जो उसमें दोषी पाया गया 81 लोगों के खिलाफ एक ही जनपद में कार्यवाही की गई है। हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि पिछले बजट में फरवरी में मुख्य मंत्री जी ने एक

आदेश किया था. उसमें राजभर जी का भी था और हमारा भी था। पहली बार विस्तार में जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके बारे में शोध संस्थान में सर्वेक्षण हो रहा है अनुसूचित जाति के बारे में। हमारे मछुआ, कोल, निषाद सब एक ही क्वालिटी के लोग हैं। 95 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 20 फरवरी को यहां से घोषणा की गई थी और यह भारत सरकार को चला गया था। दोबारा उनको फिर भेजा गया है, रिपोर्ट चली गयी है। पहली बार इस समुदाय के लोगों के लिये इस तरह का काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है। मछुआ आवासों के निर्माण की योजना शुरू की गई है। 2005-2006 में 2130 मछुआ आवासों को बनाने की योजना है। इस हेतु बजट में प्राविधान किया गया है। किसानों को गन्ने के अच्छे भाव दिये गये हैं। 12 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर दिया गया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने 12 रुपये दाम गन्ने के बढ़ाये हैं। सरकार वह अच्छी होती है जो आम आदमी महसूस करें कि सरकार अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी चल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी, मेरा आग्रह है आपके कोई ऐसे सदस्य हों जो न बोल पाये हों, तो उनको अवसर दे दें। क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है बहुत भारी संख्या इसमें है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

जो माननीय सदस्य नये बोलना चाहते हैं उनको अवसर मिल जाए उसके बाद जो माननीय सदस्य रह जाएं वह लिखकर प्वाइन्ट दे दें तो उसको कृपापूर्वक प्रोसीडिंग में शामिल करने के लिए कह दें तो आसानी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

इस पर विचार कर लेंगे ।

(श्री लालजी वर्मा एवं सुखदेव राजभर जी के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार--

सुखदेव राजभर जी खड़े होते हैं, तो भी बैठे दिखायी देते हैं।

*श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर हिस्सा लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कल से चर्चा सुन रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जो सदस्य खड़े होते हैं सबसे पहले यह जिक्र करते हैं कि यह एक ऐतिहासिक बजट है। ऐसा लगता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पहली बार बजट प्रस्तुत किया है जबकि मुख्य मंत्री जी ने तीन बार बजट प्रस्तुत किया है कुल मिलाकर पांच साल का कार्यकाल हो चुका है। सबसे ज्यादा आलोचना हमारी सरकार की की जाती है। एक बार चार महीना, एक बार 6 महीने और एक बार 15 महीने, तीन बार की सरकार को मिलाकर दो साल एक महीने सरकार चली है। हमारी सरकार ने 11 हजार गांव को चुना, अम्बेडकर ग्रामों को चुना और वहां बिजली, सड़क, पानी आदि पहुंचाने का काम किया है। पूरे समाज को भयमुक्त समाज बनाने की हमारी मानसिकता रही है। हमारी सरकार थी उस समय जिस तरह से अधिकारी काम करने में जुटे रहते थे आज वह खोजने से नहीं मिलते हैं। मान्यवर, जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट में चर्चा की गई यह कहा गया है कम घाटा दिखा रहे हैं इस बजट में जो प्राप्तियां दिखाई गई हैं वह 67494.10 दिखाई गई हैं खर्चा दिखाया गया है 69295.19 करोड़ रुपये। कुल प्राप्तियों में 24826.40 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं और साथ ही साथ लोक लेखा से प्राप्त 2339.30 करोड़, अगर ऋण और लोक लेखा की जो प्राप्तियां हैं, उसको जोड़ लें तो घाटा होता है 27476.45 करोड़ रुपये। मान्यवर, इतने बड़े घाटे का बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त हम इस बात का गुण-गान कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, किसी बजट से राजकोषीय घाटा बढ़ता है लेकिन इसका आंकलन करते हैं कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है या घट रहा है। वर्ष 2004-2005 में जो राजकोषीय घाटा है वह 4.4 प्रतिशत बढ़ा है, उसके पहले की अपेक्षा, लेकिन जो बजट आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम मितव्ययिता की बात कर रहे हैं, तमाम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तब राजकोषीय घाटा बढ़कर 5.3 प्रतिशत वर्ष 2005-2006 में हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो ऋणग्रस्तता की बात है, इस ऋणग्रस्तता की भी आप तुलना करें, वर्ष 2002-2003 में 91182 करोड़ ऋणग्रस्तता है, पिछली वर्ष की तुलना में 41.6 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2003-2004 में 106407 करोड़ ऋणग्रस्तता हो रही है जो करीब 48.9 प्रतिशत हो रही है। वर्ष 2004-2005 में 116794.29 करोड़ ऋणग्रस्तता है, जो 49 प्रतिशत हो रही है। वर्ष 2005-2006 में 31 मार्च, 2006 को यह ऋणग्रस्तता 129154.91 करोड़ हो रही है, हमारे प्रदेश पर। इस बजट का हम बड़ा गुण-गान कर रहे हैं, लेकिन इसमें 51.4 प्रतिशत ऋणग्रस्तता हो रही है। मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, विस्तार से मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस बजट में जो हमारा घाटा बढ़ रहा है, इसकी तरफ हम ध्यान देने का काम नहीं कर रहें हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कहा है कि यह वर्ष अधूरे कामों को पूरा करने का वर्ष होगा। मान्यवर, जो अधूरे कार्य हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो अधूरे कार्य हैं, उनमें भी पक्षपात हो रहा है। मैंने यह बजट पढ़ा है, यह पक्षपात से भरा हुआ बजट है, प्रदेश के हित के नाम पर कुछ चिन्हित क्षेत्रों और जिलों के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। यह कुछ खास लोगों के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला बजट है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि से सरकार द्वारा एक सड़क स्वीकृत हुई थी, जब मैंने इसके बारे में प्रश्न लगाया तो मंत्री जी ने जवाब दिया, जी हां। क्या पूरा पैसा रिलीज कर दिया गया है, उत्तर आया, संसाधन की उपलब्धता पर रिलीज़ किया जाएगा, सड़क आधे से ज्यादा तैयार है। मान्यवर, इसी तरह से एक पुल वर्ष 1999-2000 में पिपरहवा घाट के लिए स्वीकृत हुआ था। इसका मैंने जब प्रश्न लगाया तो उत्तर आया कि प्रश्नगत कार्य के लिए पुनरीक्षित आगणन तैयार किया जा रहा है, एक साल हो रहा है। इसी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही थी, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, जिसके तहत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 माननीय विधायकों के सुझाव पर गांव लिए जाते थे, जिनका विकास हो रहा था, निश्चित रूप में इस योजना को जिसे बाबा साहब के नाम से चिढ़ थी, उस नाम को बदलकर समग्र विकास नाम कर दिया गया। इसमें विधायकों से प्रस्ताव लिए गये यदि उसके तहत भी कार्य किये जाते तो मैं उसका स्वागत करता लेकिन इन गांवों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। एक त्वरित विकास योजना चलायी गयी, इस त्वरित विकास योजना में माननीय विधायक की कोई सहभागिता नहीं, है, जिलाधिकारी कोई प्रस्ताव नहीं मांगते हैं और न कोई बैठक करते हैं, जो खास पार्टी के लोग हैं, अगर वह प्रस्ताव देते हैं, चाहे वह जैसे व्यक्ति हों, उनके प्रस्तावों को लिया जा रहा है लेकिन माननीय सदन के सदस्यों के प्रस्ताव को उसमें लेने का काम नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में 29 जिले पूर्वांचल विकास निधि से आच्छादित हैं। विगत वर्षों में इसका वित्तीय बजट 150 करोड़ रुपये था। आज जब 10 हजार करोड़ रुपये का बजट बढ़ रहा है लेकिन इसके बावजूद पूर्वांचल जहां पर 40 फीसदी लोग निवास करते हैं वहां के बजट में 150 करोड़ रुपये में भी उसको घटाकर 148 करोड़ रुपये कर दिया। पूर्वांचल का बजट बढ़ाने के बजाये घटाने का काम किया गया। पूर्वांचल के लोगों के साथ इससे ज्यादा अन्याय नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बजट में 10 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर बजट बढ़ा रहे हैं उसके सापेक्ष हम पर भी तो 16 हजार करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने क्या प्राप्त किया है ? जहां पूर्वांचल का बजट 150 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ होना चाहिए था उसको भी घटाकर 148 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह से छात्रवृत्ति के बारे में कहना है कि यहां पर कहा गया कि छात्रवृत्ति देंगे। पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों के तमाम लोग होंगे। किसी भी जिले में छात्रवृत्ति नहीं गयी है। श्री भगेलूराम जी ने बताया कि उनके यहां आश्रम डिग्री कालेज में छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आन्दोलन किया। जब वह लोग वहां के प्रिंसिपल से मिले तो प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे यहां से 10 लाख रुपये की डिमान्ड थी और केवल 50 हजार रुपया मिला है। उसमें कैसे छात्रवृत्ति दें। इस तरह से तमाम विद्यालय हैं। जिन विद्यालयों के लोगों ने समाज कल्याण विभाग में जाकर अपनी पैरवी अलग से नहीं की है तो इन विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गयी है। आप माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से पुछवा लें कि कितने विद्यालय विभिन्न जनपदों में हैं जहां छात्रवृत्ति दी गयी है। मान्यवर, यह बजट खाली बड़े-बड़े दावों का बजट है, यह बिल्कुल दिशाहीन बजट है। इसके साथ ही मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री रणवीर राणा--

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट अब तक सबसे बढ़िया बजट है, उत्तम बजट है। उत्तम इसलिए कि आज नौजवानों को रोजगार देने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। यह बजट वास्तव में देखा जाये तो गांवों का बजट है, किसानों का बजट है, मजदूरों का बजट है, भूमिहीन लोगों के हितों का बजट है। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने रोजगार सृजित करके गांवों का शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का इन्तजाम किया है। हम देखते हैं कि गुप्तकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि उस समय गांवों में जब आदमी रहते थे तो अगर उसको अनाज की कमी होती थी तो वह किसान के पास जाता था, अगर कपड़े की जरूरत पड़ती तो जुलाहे के पास जाता था और रेशम वगैरह के कपड़े ले लेता था, अगर उसे जूते की जरूरत पड़ती थी तो वह मोची के पास जाता था, मिट्टी के बर्तन के लिए कुम्हार के पास जाता था, धातु के बर्तन के लिए ठठेरे के पास जाता था और तेल की जब जरूरत होती थी तो वह तेली के पास जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय गांव आत्मनिर्भर थे । बाद में लोगों ने हमारा यह दाना-पानी छिन्न-छिन्न कर दिया और तमाम लोग शहरों की तरफ प्लायन कर रहे हैं। कारण यह है कि वहां पर हमारा दाना-पानी खत्म कर दिया गया है। मान्यवर, इतनी भारी जनसंख्या का यहां से शहर की तरफ पलायन हो रहा है। इसको रोकने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक ही उपाय है कि गांव के अंदर रोजगार सृजित किये जायें और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यही काम किया है। इससे यह परिलक्षित होता है कि जो गांधी जी का सपना था, लोहिया जी का सपना था, मुलायम सिंह जी ने उनके सपनों को साकार किया है। चौधरी चरण सिंह जी की कल्पना को साकार करने का काम किया है। मान्यवर, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो बजट रखा गया है उसमें किन लोगों का फायदा हुआ है। जो अन्तिम आदमी है उसका फायदा हुआ है कि नहीं। आप भी जानते हैं कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वह सबसे ज्यादा गरीब हैं, उसमें भी जो महिला होती हैं उन महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना रखी है--जनेटिंग विजिटिंग योजना, उससे उन महिलाओं के सुधार का काम किया है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी 71 प्रतिशत महिलाओं के लिए बजट रखा गया है इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें यह भी कहा गया है कि 27 जनपदों में भूमि सेना का गठन किया जायेगा। जो भूमि का समतलीकरण किया जायेगा वह मजदूरों के द्वारा किया जायेगा और जब यह हो जायेगा तो वह उन भूमिहीनों को जमीन बांट दी जायेगी। न कोई डर है और न किसी नेता को रोका जाता है। जिसके मन में गरीबों का दर्द होगा वह ही ऐसा काम कर पायेगा और ऐसी विषम परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बजट रखा है। मुख्य मंत्री ने दिल खोलकर यह बजट रखा है इसके लिए मैं उनको बार-बार बधाई देना चाहता हूं। गांवों के लिए मुख्य मंत्री जी ने ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की है और पैंतीस हजार लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध होंगे। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अन्तर्गत पौने तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 15 पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज की योजना शुरू की है। हमारे बजट की चारों तरफ तारीफ की जा रही है जिसने उजाला करने का काम किया है और मैं ऐसे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। इस वर्ष तीस हजार लघु उद्योगों को स्थापित किया जायेगा जिससे अस्सी--पच्चासी हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। तीन लाख रोजगार पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह सब किया जा रहा है तो आप किस हिसाब से इसकी आलोचना कर रहे हो। इसमें नहरों की सफाई और अन्त तक पानी पहुंचाने का इन्तजाम किया गया है, सड़कों को जोड़ने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं कोई जबरदस्ती प्रशंसा नहीं कर रहा हूं यह हकीकत है।

मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, 6-7 सालों से हमारे गन्ना किसानों का जो भाव के अंतर है वह बकाया है। आज भी किसानों का छः सौ करोड़ हमारी सरकार के ऊपर है उसे देने का काम करें। हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखे हैं। मैं आपके माध्यम से इसका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जो हमारे किसानों का बकाया है उसका तुरन्त भुगतान कराया जाय। मैं अन्त में अपने क्षेत्र की दो-चार समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। हमारे क्षेत्र में मेरठ-रोहता-बड़ोद मार्ग को हाट मिक्स प्लान्ट से बनाया जाय। काजमावाद गुन और बाड़म में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय, मदौड़ा और पाँचली खुर्द में लड़कियों का इण्टर कालेज बनाया जाय, बहरामपुर एवं नारंगपुर में पशुओं का अस्पताल खोला जाय। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के 2005-2006 के बजट पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बजट एक पक्षीय है, एकांगी है, असंतुलित है और इस बजट से

प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इस पूरे बजट में आप देखें, अधिकांश विकास की बात केवल गांवों के लिए की गई है, शहर में रहने वालों की घोर अनदेखी की गई है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान केवल तीन विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहला विषय मैं चिकित्सा का लेता हूं, इस सरकार ने अपने बजट में लिखा है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के द्वितीय चरण में छः चयनित अति विशिष्टताओं की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं आपके सामने पी0जी0आई0 का हाल रख रहा हूं। मान्यवर, उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में से एक माने जाने वाले संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में दूर-दूर से ऐसे कठिन रोगों का इलाज कराने के लिए लोग आते हैं जिनका इलाज अन्यत्र सरकारी अस्पतालों में सम्भव नहीं है। इस संस्थान में गुर्दा रोगों के लिए डायलिसिस का रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया गया है, इसका कारण है कि डायलिसिस की 14 मशीनों में से आठ मशीनें खराब हो गयी हैं और अब केवल गुर्दा प्रत्यारोपण के मरीजों के लिए यह सुविधा मिल पा रही है। इसी प्रकार गैस्ट्रोसर्जरी विभाग में पिछले कई माह से दूरबीन विधि से आपरेशन करना बन्द हो गया है क्योंकि लेपरोस्कोप मशीन खराब हो गयी है। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में लगे दो गामा कैमरे पिछले तीन वर्ष से खराब हो गये हैं और जांच के लिए आने वाले मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। गामा कैमरे से कैंसर के अलावा अनेक अति महत्वपूर्ण जांच होती है। आये दिन सी0टी0 स्कैन मशीन, एम0आर0आई0 मशीन खराब हो जाती है जिसके कारण संस्थान में मरीजों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में पैसे का अत्यन्त अभाव होने के कारण यह परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस संस्थान में अव्यवस्था के कारण सामान्य नागरिकों की चिकित्सा न हो पाने के कारण वे मौत का शिकार हो जाते हैं। मान्यवर, आपने 281 करोड़ रुपये संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को देने की बात कही है, किन्तु आप वहां कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं, पहले यहां उपलब्ध संसाधनों को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

बहुत हो गया आप इसे अलग से नियमों में उठाइयेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नगर विकास के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं मान्यवर, नगर निगम पिछले कुछ महीनों से शहर में वातानुकूलित शौचालयों को निर्माण करा रहा है। इस तरह के कई शौचालय बनकर तैयार भी हो चुके हैं, शाहनजफ रोड, स्टेडियम व नगर निगम मुख्यालय के सामने शौचालय काम भी कर रहे हैं, जबकि जी0पी0ओ0 पार्क के पूर्वी किनारे पर भी एक शौचालय तैयार हो चुका है। नगर निगम मुख्यालय के सामने शौचालय काम भी कर रहे हैं, जबकि जी0पी0ओ0 पार्क के पूर्वी किनारे पर भी एक शौचालय तैयार हो चुका है। नगर निगम ने इन शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में एल0डी0ए0 से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया। बिना अनुमति के होने वाले निर्माण को अवैध माना जाता है, बीते 08 फरवरी को नगर निगम ने जी0पी0ओ0 पार्क में बने शौचालय के लिए एल0डी0ए0 को पत्र लिखकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा था। एल0डी0ए0 ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र तो नहीं दिया अलबत्ता 15 फरवरी को पत्र लिखकर उक्त शौचालय तत्काल ढहाने को कहा है। मान्यवर, इन शौचालयों को नियमों के विरुद्ध बना दिया गया है, जिसकी वजह से इन्हें ढहाया जा रहा है, तो मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि जिस अधिकारी ने

नियमों का उल्लंघन करके, इतना पैसा खर्च करके यह कार्य करवाया है जो अब सब बरबाद होने जा रहा है तो उस अधिकारी से इस पैसे की वसूली की जानी चाहिए और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। मान्यवर, लखनऊ में ड्राप्सी बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए, उसकी रोक-थाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जायं और जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं । माननीय प्रमोद कुमार जी, हमारे नेता हैं उन्होंने जो बातें कहीं उनका समर्थन करते हुए अपनी कुछ बातों की ओर अपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक बात तो यह कि पिछली बार यही माननीय नेता जी ने इसी सदन में कहा था कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए बजट में व्यवस्था की जाएगी और इस पूरे बजट में उसके ऊपर कोई एक भी प्वाइण्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए भी इस बजट में कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात पूर्वान्चल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि का मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस सम्मानित सदन में लगभग डेढ़ सौ विधायक पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं कि बजट में पश्चिम विकास निधि के लिए भी पैसा रखा जाना चाहिए। मान्यवर, यहां गन्ने के रेट के ऊपर बड़ी चर्चा है कि हमने रेट 12 रु0 बढ़ाये हैं। आपको यह भी सोचना चाहिए कि आज जो चीनी का रेट दो हजार रु0 या बाईस सौ रु0 प्रति कुंटल हो गया है वह किसके कारण है। मान्यवर, केन्द्र ने चीनी का आयात बंद किया है जिसके कारण यह रेट हो गये हैं। आप अपने को रेट के लिए बधाई देना चाहते हैं जबकि आपको उन्हें बधाई देनी चाहिए।

मान्यवर, सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि शुगर फैक्ट्री के रेट में और कोल्हू के रेट में कितना अंतर है। जो गन्ना फैक्ट्री में 105 और 112 रु0 के रेट पर बिक रहा है वह कोल्हू पर 125 रु0 के रेट पर बिक रहा है। मान्यवर, यही नहीं जो प्राइवेट शुगर फैक्ट्री हैं वह इन्सेन्टिव रेट देकर 125 रु0 कुंटल की दर से गन्ना ले रही हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो कोआपरेटिव के क्षेत्र में शुगर फैक्ट्री हैं उनको भी इसी भांति इंसेन्टिव रेट देकर गन्ना खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह प्रतिस्पर्धा में प्राइवेट शुगर फैक्ट्री के मुकाबले आ सकें।

मान्यवर, मैं प्रदेश में मौन पालकों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। यह व्यवसाय एक तरह से अब लघु उद्योग के व्यवसाय की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके माध्यम से जो किसान अपना शहद निकालकर बेचते हैं, उसमें केवल 3-4 व्यापारियों के पास ही इसके एक्सपोर्ट का लाइसेंस है इस प्रदेश में और वह एक्सपोर्टर उन मौन पालकों का शोषण करते हैं जिस कारण वह शहद आज 25 रु0 या 30 रु0 किलो की दर बिकता है। मान्यवर, इन मौन पालक किसानों को सरकार संरक्षण प्रदान करते हुए, उनके शहद के मूल्य का समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए ताकि इन किसानों की मेहनत बेकार न जाये। मान्यवर, माननीय खेल मंत्री जी हाउस में इस समय नहीं है। मैं यह बात सदन के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जितनी भी प्रतिभायें हैं खिलाड़ी हैं वह सब गांवों से आते हैं लेकिन आज गांवों में कहीं भी स्टेडियम नहीं बने हुए हैं केवल जनपद स्तर पर यह स्टेडियम स्थापित हैं। मान्यवर, यह स्टेडियम बनाने का काम ब्लाक स्तर तक जाना चाहिए ताकि पूरे प्रदेश के ब्लाकों में यह स्टेडियम बन सकें। मान्यवर, आज मुजफ्फरनगर

और सहारनपुर के सात हजार किसान ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने दिये हैं 300 और 300 कुल छह सौ। तो जो बाकी किसान हैं और जो ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग कर रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, इसी तरह से माननीय विधायकों के लिए 100-100 हैंड पम्प और लोक निर्माण विभाग तथा मण्डी परिषद् से पांच-पांच किलोमीटर सड़कों के निर्माण की घोषणा की जानी चाहिए और वह व्यवस्था विधायकों को मिलनी चाहिए। आपने मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री उदय राज यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा 2005-2006 का जो बजट रखा गया है उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कई दिनों से प्रदेश के बजट पर चर्चा हो रही है। हमारे विपक्ष के साथियों को निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए, तुलना करना चाहिए कि क्या उन लोगों के द्वारा प्रदेश के उस तबके के बारे में कुछ सोचने का काम किया गया था जिसके बारे में प्रदेश के मौजूदा मुख्य मंत्री ने सोचने का काम किया है ? बहुत बड़े हितैषी इस प्रदेश के जो पहले सत्ता में थे वह हमेशा महिलाओं की बात किया करते थे लेकिन किया कुछ नहीं । यह हमारी पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में सोचने का काम किया है।

श्री सुखदेव राजभर--

महिलाओं के लिए बहुत छाती पीट रहे हैं, आपके मंत्रि-परिषद् में कोई महिला है या नहीं, यह बता दें।

श्री उदय राज यादव--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा बजट अभी माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें जहां एक तरफ इस प्रदेश के अन्दर किसानों की तरफ ध्यान दिया गया है वहीं दूसरी तरफ छात्रों , बेरोजगारों, नौजवानों की तरफ भी ध्यान दिया गया है। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में जब इस प्रदेश के किसान, नौजवान, बेरोजगार अपनी बात करते थे, कोई अपनी मांग रखते थे तो उनको दबाने के लिए लाठियां चलवाई जाती थीं, गोलियां चलवाई जाती थीं। मान्यवर, प्रदेश के 80 प्रतिशत लोग किसानी पेशा से जुड़े हुए हैं जब वह गन्ने के बकाये की मांग करते थे, गेहूं के उपज के बकाये की मांग करते थे तो उनके ऊपर लाठी और गोली चलवाने का काम किया जाता था। इस प्रदेश के अन्दर एक नहीं अनेक घटनाएं हुई हैं जहां उन लोगों को लाठियों और गोलियों से मारा गया है। छात्रों पर, बेरोजगारों पर लाठी और गोली चलवाने का काम किया गया है। आज आपको समाजवादी पार्टी की तरफ देखना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए उसके शासनकाल में कहीं भी किसानों के ऊपर लाठी नहीं चलायी गयी है, गोली नहीं चलायी गयी है। उत्तर प्रदेश के छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों पर लाठी नहीं चलायी गयी है, गोली नहीं चलायी गयी है। नौजवान बेरोजगार जो भटकते रहते थे उस उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने का काम किया गया है। जहां तक शिक्षा की बात है प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती करने का पूरा प्रयास किया है ताकि प्राइमरी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। मान्यवर, सड़क का जहां तक सवाल है किस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरीके से पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वह सराहनीय है। हम लोग जानते हैं कि पिछली सरकार इंदिरा आवास के नाम पर 20 हजार रुपये देने का काम करती थी जब कि एक कमरे का मकान भी 20 हजार रुपये नहीं बन सकता था । उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उसको बढ़ाकर 25 हजार रुपये देने का काम किया है। मान्यवर, अभी हमारे मित्र कह रहे थे मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे पुराने मित्र कह रहे थे कि पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश की वह छात्राएं जो इंटर पास करेंगी उनको 20 हजार रुपया देने का काम किया जायेगा लेकिन एक भी छात्रा को रुपया देने का काम नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मैं बता रहा हूं कि जितनी भी छात्राएं इंटर पास किये थीं और जो गरीबी रेखा के नीचे थीं उनको यह रुपया देने का काम किया गया है और जहां पर रह गया है वहां यह देने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, मछुआ समुदाय का जो रहन-सहन था वह तालाब के किनारे जीवन यापन करते थे अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके लिए आवास बनाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही जो वर्ष 2005-2006 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जेन्डर बजटिंग की बात की गयी है तो आपके मंत्रि-परिषद् में कितनी महिला सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.30 बजे पर आपका भाषण होना है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, नेता बहुजन समाज पार्टी की आपसे रिक्वेस्ट थी कि साढ़े तीन न करें। वह कह रहे थे कि शुभ नहीं होता है तो इसे 3.31 कर दें।

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा--

यह सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह इसी से पता चल जाता है कि इस समय मंत्रि-परिषद् में कोई महिला सदस्य नहीं है। इससे भी पता चल जाता है कि इस बजट चर्चा में कितनी महिलाओं को बोलने का अवसर प्रदान किया गया ? मान्यवर, इस बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग की बात कही गयी है, जहां तक मैं समझता हूं यह शब्द 'यूनाइटेड डेवलपमेंट फंड फार वीमेन' से लिया गया है। मान्यवर सदन को भी यह अवगत कराया जाना चाहिये कि उस फंड के माध्यम से कितनी धनराशि दी जा रही है और क्या आपको उस फंड से कोई धनराशि मिली है। यह भी अवगत करा दें कि क्या जेन्डर बजटिंग का क्लाज वहीं से लिया गया है ? मान्यवर, इस बजट में आय के स्रोत भी गुप्त रखे गये हैं, इस विषय में भी सदन को बताया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं अपने बुन्देलखण्ड के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बुन्देलखंड के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। मान्यवर, बुन्देलखंड में 7 जिले हैं और मात्र एक जगह की विकास निधि 300-400 करोड़ की है तो इन 7 जिलों में 100 करोड़ से क्या होने जा रहा है ? माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का निर्णय स्वयं करें। इसके लिये कम से कम एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, इस बजट में बुन्देलखण्ड

के लिये सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और मेडिकल कालेज के लिये भी कोई धनराशि नहीं दी गयी है। बुन्देलखंड पेयजल योजना के लिये किसी योजना का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। आपकी बात आ गई । मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

*श्री सिद्ध गोपाल साहू--

मान्यवर, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि इतने कम समय में हमारी सरकार ने जनता के सभी वर्गों के हित के लिये अच्छे कार्य किये हैं और जो अच्छे काम जनता के लिये हुये हैं, उसी का परिणाम है कि उप चुनावों में हमारी पार्टी के तमाम प्रत्याशी विजयी हुये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी बहुत से माननीय विधायकगण, माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो बुन्देलखंड के लिये 100 करोड़ का विशेष राहत पैकेज दिया है, उस पर इन लोगों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की। बुन्देलखंड एक ऐसा क्षेत्र है, जहां गर्मियों में 50 डिग्री सेल्शियस टेम्परेचर हो जाता है और एक-एक बूंद पानी के लिये लोग परेशान हो जाते हैं। यह कांग्रेस के लोग इतने दिन सत्ता में रहे, उसके बाद भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के लोग रहे, लेकिन इन लोगों ने वहां के लिये कुछ नहीं किया। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां के लिये धन दिया तो इन्हें बड़ी जलन हो रही है। मान्यवर, हमारे बुन्देलखंड में हजारों गांव ऐसे हैं जो आजादी के इतने साल बाद भी सड़कों से जुड़ नहीं पाये हैं। इन लोगों ने इतने साल राज करने के बाद भी इन सड़कों के लिये कुछ नहीं किया। आज जब मुख्य मंत्री जी ने बजट के माध्यम से वहां के लिये पैसा दिया है तो इनके अन्दर बेचैनी महसूस हो रही है। हमारे यहां हजारों गांव ऐसे हैं जो सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं, जबकि पूर्वान्चल में गांव 2-2, 4-4 सड़कों से जुड़े हुये हैं। हमारे बुन्देलखंड क्षेत्र में बिजली के लिये भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार उस दिशा में भी काफी कार्य कर रही है। मान्यवर, बुन्देलखंड में लाखों लोग प्रतिवर्ष मजदूरी के लिये माइग्रेट होते हैं, दिल्ली, बम्बई, पंजाब जाते हैं, अब जब हमारी सरकार बेरोजगारों के लिये कार्य कर रही है तो इनको बड़ा कष्ट हो रहा है। मान्यवर, हमारे बुन्देलखंड के लिये उद्योग नीति में 15 वर्षों के लिये विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उनका विकास होगा। मान्यवर, हमारे बुन्देलखंड में पर्यटन की दृष्टि से सैकड़ों तालाब हैं, जिनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो इनको कष्ट हो रहा है। जो विशेष पैकेज माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिये दिया है, उससे बुन्देलखण्ड का बहुत विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

मान्यवर, आपने मुझे इस अलोकप्रिय बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी उधर के माननीय सदस्य बुन्देलखण्ड के विकास की बात कर रहे थे। मान्यवर, चित्रकूट, बुन्देलखण्ड से तो मैं भी आता हूं। वर्ष 2003-2004 में वहां पर एक पुल के निर्माण के लिए और एक सड़क के निर्माण के लिए राज्यांश से एक करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके धन दिया गया था, धन जिलों में चला भी गया था, लेकिन उस धन को पुन: इस सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके कारण पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। हमारे यहां पर एक चिल्लीमल पम्प कैनाल है, उसमें पक्का पम्प हाउस बनाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है, उस पम्प कैनाल के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए मैं इस अलोकप्रिय बजट का विरोध करता हूं। अभी चित्रकूट में समूह 'घ' की भर्ती हुई, इस भर्ती में सी0एम0ओ0 द्वारा एक लाख से तीन लाख रुपये ले करके भर्ती की गई है, इसके लिए मैंने नियम-56 में भी एक सूचना दी थी, मैं चाहता हूं कि इसमें एक उच्चस्तरीय जांच करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में विकास परिषद् का गठन हुआ है, यह विकास परिषद् प्रदेश में ऐसा विकास कर रहा है, जिसमें एक भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है।

*श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2004-2005 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने। लेकिन यह तभी बन सकता है, जब सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए, और अधूरे संवेदनशील काम पूरे हों। मान्यवर, राज्यांश पूर्वांचल विकास निधि से होने वाले तीन काम हमारे यहां अधूरे पड़े हैं। एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां से प्रमुख सचिवों को भेजा था कि वह वहां पर जाएं, श्री राजेन्द्र भोनवाल जी जो उस समय प्रमुख सचिव थे, वहां पर गये थे। हेतमापुर के कटान को देखकर पूरी जनता ने कहा कि इसे रोका जाए, इस कटान में हजारों एकड़ जमीन कट गई थी, बस केवल एक मन्दिर का स्वरूप बच पाया था। मैं अनुरोध करूंगी कि इस कार्य को पूरा कराने की कृपा करें। छेदा से झंझरी मार्ग, लालपुर मार्ग, अमोलीकला मार्ग की सड़कों का कार्य अधूरा पड़ा है, इन मार्गों से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन गुजरते हैं, इस कार्य को भी पूरा किया जाए। हमारे क्षेत्र में बुढ़वल शुगरमिल है, उसमें तमाम मजदूर भुखमरी के शिकार हैं। उनको तीन वर्षों से वेतन नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उसका तत्काल प्राइवेटाईजेशन कराकर विस्तारीकरण करें। हमारे क्षेत्र में इस समय महादेवा का मेला वृहद-रूप से चल रहा है। 8 तारीख को लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश से लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी की एरिया से कंवाथी आते हैं। बांदा-बहराइच से महादेवा का 3 कि0मी0 का मार्ग सिंगिल रोड होने के कारण बहुत कठिनाई होती है। मेले के समय लाखों बसें आती हैं चूंकि मार्ग बहुत कम चौड़ा है इसलिए उस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी 1 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दे करके उसे चौड़ा करायें 1 . . .

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करिये। आपकी बात आ गयी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट चर्चा में समयाभाव के कारण न बोल पाने वाले सदस्यों के लिखित भाषण कार्यवाही का अंग माने जाने का अनुरोध

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। बजट पर चर्चा के दौरान जो माननीय सदस्य समयाभाव के कारण नहीं बोल पाये हैं तथा वह अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें रखना चाहते हैं तो वह आपको लिखकर दे दें और उसे कार्यवाही का अंग मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, जो माननीय सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं और अपने क्षेत्र के बारे में कुछ लिखकर देना चाहते हैं प्रोसीडिंग में डलवाने के लिए, तो वह आज 6 बजे तक मुझे लिखकर दे दें। माननीय सदस्या अब बैठ जाएं। (माननीय सदस्या के न बैठने पर)

अब जो आप बोलेंगी वह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-- [x x x]

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

बताइये।

श्री प्रमोद कुमार --

मान्यवर, पहले यह बोल लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बताइये, वह बोलना बन्द नहीं करेंगी। माननीया सदस्य अब बैठें। जो आप बोल रही हैं, वह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने जो सुझाव दिया है कि जो लोग न बोल पाये हों वह लिख करके दे दें वह प्रोसीडिंग का हिस्सा बन जायेगा। कदाचित जहां तक मुझे नियमों की जानकारी है लिखित रूप से देने से वह विधान सभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकता।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है। कार्यवाही का हिस्सा बन सकता है, ऐसा पहले हुआ है और मैं जानता हूं। जो माननीय सदस्य आज तक इस सदन में नहीं बोल पाये हैं। नये लोगों को बजट और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर मिलता है। अगर वह नहीं बोल पाये हैं और अपने क्षेत्र की कोई समस्या के बारे में लिखकर देना चाहते हैं तो लिखकर दे दें उसे प्रोसीडिंग का अंग बनाने में क्या दिक्कत है ?

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, कृपया सुन लें। आप जो व्यवस्था देंगे, आगे वह नजीर बन जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि वह लिखकर दे दें, सरकार उसका संज्ञान ले सकती है। मान्यवर, माननीय सदस्य लिखकर देते हैं और सरकार उसका संज्ञान ले लेती है लेकिन विधान सभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनता है। इसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, माननीय सदस्यगण अपने सुझाव लिखकर दे दें।

(माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य बजट की सामान्य चर्चा की समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे कार्यवाही का अंग बनेंगे तथा वे कार्यवाही में नत्थी† के रूप में छापे जायेंगे)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला रहा हूं।

(माननीय मुख्य मंत्री जी के खड़े होने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा में माननीय नेता विरोधी दल, मा0 नेता कांग्रेस, प्रमोद कुमार जी, सामने बैठे बहुजन समाज पार्टी के नेता, पता नहीं बहस में हिस्सा लिया या नहीं या उसका भी बहिष्कार कर दिया और पता नहीं आज भी बीच में बहिष्कार कर दें। जितने भी माननीय नेतागण और सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बहस में हिस्सा लिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद देता हूं। मैं गोरखपुर के डाक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि वह पढ़ लिख करके आये और उनको एक-एक आंकड़ा रटा हुआ था। हमने बधाई उनके पास भिजवाये, क्योंकि वह तैयारी के साथ आये और बोले। उन्होंने आलोचना की और आरोप भी लगाये लेकिन हम धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। मैं माननीय नेता विरोधी दल को बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि बजट की प्रक्रिया की जो संस्कृति है वह राजनीति से उठ कर है, उसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। आप सब एक राय के होंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो तो देश का विकास होगा जहां देश और प्रदेश के विकास की बात हो वहां सर्वसम्मति से हमें राय बनानी चाहिए। यदि यही है कि हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की हैसियत से आलोचना ही करेंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा माननीय नेता विरोधी दल से, अगर आप मुख्य मंत्री होते और वित्त मंत्रालय भी आपके पास होता और जिस तरह की जर्जर स्थिति प्रदेश की है और जो सीमित संसाधन है, उसमें आप क्या करते ? माननीय प्रमोद कुमार जी, आपकी केन्द्र सरकार से विशेष सहायता भी हमें नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, अपमानित हो रहा है आप के लोग वहां सरकार चलाने वालों में हैं, माननीया अमिता जी बैठी हुई हैं, आप उस क्षेत्र से विधायक हैं, आपका भी दबाव नहीं है। हम कहेंगे कि आप दबाव डलवायें इसमें राजनीति की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास होना संभव ही नहीं है।

---

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 169-200 पर)।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह कामन जेंडर बजट है। अध्यक्ष महोदय, हम क्या करें ? मैं जानता हूं कि उन्होंने कामन जेंडर चुना इसलिए उनके दिल और दिमाग में मात्र कामन जेंडर ही दिखाई दे रहा है। कामन जेंडर का असली अनुभव तो माननीय नेता विरोधी दल लाल जी टण्डन को है। मान्यवर, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता लेकिन कुछ आंकड़े देने पड़ेंगे। मान्यवर, हमने जो बजट प्रस्तुत किया है अगर उसको ठीक से पढ़ा होता और देखा होता तो पता चलता हमने क्या-क्या कदम उठाये हैं। हमने बजट 23 तारीख को पेश किया है और 28 तारीख को केन्द्र सरकार का बजट आया है। मैंने जो कहा था कि हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, वह साबित हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, जो-जो बातें अपने बजट में रखी थीं, वही बातें केन्द्र सरकार के बजट में हैं। तो आपके लिए इसमें बहस का सवाल नहीं है, आप मेजें थपथपाते रहें। बधाई देते रहिए। हमारे ही बजट को केन्द्रीय सरकार ने रखा है जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वही प्राथमिकताएं केन्द्र सरकार ने निर्धारित की हैं। ऐसा लगता है कि प्रमोद जी कापी दे आए हैं। नेता विरोधी दल जी, इस पर बहस तो हो चुकी है, अब अपना संशोधन वापस ले लीजिए। इस पर सामान्य चर्चा हो गई है। इतना अच्छा बजट जिन परिस्थितियों में पेश हुआ है उसमें आलोचना का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई सुझाव हों, कोई कमी रह गई हो, तो हम उस कमी को दूर करने के लिए तैयार हैं अगर कोई माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो हम उस सुझाव को मान लेंगे। श्री प्रमोद कुमार जी तो मजबूर हैं। अगर इनका और हमारा एक ही डिब्बे में रिजर्वेशन हो जाय और यह हमारे साथ एक ही डिब्बे में दिल्ली तक चलें जायें तो इनका हाई कमान जवाब मांग लेगा। यह आपका ही गुण है कि आप बचकर निकल लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह संस्कृति पैदा हो रही है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोद जी गले में रोके हुए हैं, अगर आप निकाल देंगे तो सारा तनाव दूर हो जायेगा और आप चिन्तामुक्त हो जायेंगे लेकिन इनका गला रुका पड़ा है। इन्होंने कहा कि घाटा क्यों है, राजस्व व्यय में कमी कैसे हो, धन कहां से लाएंगे, इतना पैसा कहां से आएगा, कहां से संसाधन जुटाएंगे ?

आपने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है क्योंकि वर्ष 2004-2005 की तुलना में वर्ष 2005-2006 में वेतन पर होने वाले व्यय को कम किया है। हम 70 से घटाकर 64 पर लाए हैं। राजस्व घाटा भी कुल राजस्व प्राप्ति के 15% से घटाकर 13% पर लाए हैं। हमारी कोशिश है कि हम फिजूलखर्ची को सख्ती से रोकेंगे। एक उदाहरण पेट्रोल का [illegible] में देना चाहता हूं। कितनी गाड़ियां मंत्रियों के यहां विभागों में अधिकारियों के पास थीं, कोई हिसाब किताब नहीं था। हमने इन गाड़ियों पर हाथ डाला है, एक प्रयोग किया है और मुझे याद है कि पेट्रोल पर एक साल में 20-25 लाख की कमी आई है। एक प्रयोग किया है ड्राइवर बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई एक नियमावली या कानून बन सकता है। इससे बेहतर हो कि आप लोग खुद तय कर लें कि कितनी गाड़ियों का होगा, कितना पेट्रोल का होगा। इसके अलावा यह भी देख लें जैसा कि दिल्ली में सुरक्षा कैटेगिरी में एक महीने में 100 लीटर दिया जाता था यहां पर किस तरह से व्यवस्था हो। जो होता है वह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से इसमें गड़बड़ी की जाती है लेकिन यहां से शुरुआत कर ली जाय तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक बार फिजूलखर्ची पर रोक लगानी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी और इसके लिये माननीय नेता प्रतिपक्ष और आप सभी लोगों के सहयोग की हमको आवश्यकता है। इसके लिये चाहे हमको नियमावली बदलनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, करेंगे क्योंकि और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। हमें खुशी है कि हमारे बहुत से साथियों ने पेट्रोल को बचाया है, एक प्रयोग किया है फिजूलखर्ची को रोकने का।

हमारे सारे विपक्ष के साथीगण कहते हैं कि यह बजट घाटे का बजट है और इसमें कोई नई योजनाओं को नहीं लिया गया है। आपको तो खुश होना चाहिए था कि हमने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का निर्णय लिया है। हमने तो सत्ता में आकर आपने जो अधूरे कार्य छोड़ दिये थे, जिन तरह-तरह की योजनाओं को आपने खत्म कर दिया था और उन योजनाओं के अन्तर्गत जितने अधूरे कार्य पड़े थे, उनको पूरा करने का निर्णय लिया है। जो कूड़ा करकट आपने किया था उसको साफ करने का काम हम कर रहे हैं। कूड़ा-करकट जब बहुत ढेर हो जाता है तो वह झाड़ू से नहीं हटाया जा सकता, उसके लिये ट्रैक्टर ट्राली और बैलगाड़ी की आवश्यकता होती है। (किसी सदस्य के बुलडोजर कहने पर) बुलडोजर नहीं ट्रैक्टर की जगह ट्रक लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा कूड़ा-करकट जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग कर गये हैं, इन परिस्थितियों में यह बजट है। रोजाना अगर किसी मकान में सफाई न हो, झाड़ू न लगे तो दो-तीन साल में जो कूड़ा इकट्ठा हो जायेगा वह झाड़ू से साफ नहीं होगा। 1991 से लेकर अब तक का कूड़ा हमको मिला। भाई-बहिन का रिश्ता करके हमको रास्ते से हटा दिया। अब आप क्यों परेशान हैं, हम इस पर बाद में बोलेंगे। हमको याद दिला दीजियेगा, हम बतायेंगे इनको। हमने कहीं पर भी पक्षपात नहीं किया है, हम पूर्वांचल की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बुन्देलखण्ड को विशेष पैकेज दिया है तो हमने पूर्वांचल को भी धनराशि बहुत दी है इसलिये हम पूर्वांचल की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमने अन्य, जो जिले चयनित किये गये हैं, के लिये भी व्यवस्था की है। यह तो माननीय अध्यक्ष जी का हुकुम हो गया कि आज ही बोलना है, दो घंटे ही मिले हैं। अभी विधान परिषद् में बोलकर आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये हमने कैसे नहीं पैसा दिया है ? हमारे कुछ साथी भूल जाते हैं और कई साथियों ने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिये कुछ नहीं दिया गया है। जब हमने बुन्देलखण्ड के विकास के लिये 100 करोड़ का पैकेज दिया है और हम पूर्वांचल के विकास के लिये भी संकल्पबद्ध हैं और हमने विशेष योजना में 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। सम विकास योजना में 9 जनपद पूर्वी प्रदेश के हैं जिनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़, कौशाम्बी, चन्दौली, प्रतापगढ़ आदि लिये गये हैं। हर जिले का विकास होगा। सब जिलों को एक साथ लेंगे तो विकास नहीं हो सकता है। दूसरी एक नक्सलवाद की गम्भीर समस्या है। इस पर बहुत विचार करना होगा। इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। सोनभद्र मिर्जापुर और चन्दौली हैं . . . .

(सत्तापक्ष के किसी सदस्य द्वारा कुछ कहने पर) उधर के लोग कहें तो कहें, आप भी कह रहे हैं ? माओवाद और नक्सलवाद की समस्या है (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) असली चिन्ता तो माननीय अध्यक्ष की है, सिद्धार्थनगर के बारे में वह कहें तो कहें। इटवा नहीं लिया है इटवा से नेपाल को सड़क जाती है इटवा नेपाल के बार्डर पर लगा है। लेकिन एक-एक करके करना पड़ेगा जिससे काम दिखाई दे कि इस जिले में काम हुआ। वर्तमान वर्ष में आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2005-2006 में 250 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि पूरे प्रदेश के जनपदों का विकास किया जाएगा। 250 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत किया गया है। पूर्वांचल के विकास कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। (मेजें थपथपाई गईं) मैं कहना चाहता हूं छोटे-छोटे कार्य कराए जाते हैं उसके लिए पूर्वांचल निधि स्वीकार किसने की ? पूर्वांचल निधि हमने स्वीकार की। बाद में आपकी सरकार ने

कम भी कर दी और कहीं दी भी नहीं। यह सब यही लोग हैं। एक बार माननीय नेता विरोधी दल उन दिनों बड़ी गड़बड़ी करते थे। टेलीफोन इन्होंने किया नैतिकता के आधार पर, गड़बड़ी नहीं हुई। तब यह कह रहे थे कुछ रास्ता निकालें, कलराज मिश्र भी थे। रास्ता निकाला गया। नैतिकता की बात थी। टेलीफोन किया था रास्ता निकालने को कह रहे हैं तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन जो चुटकी काटने की आदत है वह काटते हैं और इसी का परिणाम है कि आज संकट में हैं। हम चाहते हैं कि विधायक निधि का पैसा खर्चा हो इसमें यह कहा जा रहा है कि विधायक निधि का पैसा खर्चा करने में अनियमितता हो रही है। बी0पी0 सिंह जी हैं, इन्होंने बयान दिया कि एक पैसा भी सांसद विधायक निधि का खर्चा नहीं करते हैं।

(शोर)

मुझे पता है ऐसा नहीं है। मैं सहमत हूं ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ है। हम भी सांसद रहे हैं विधायक हैं। कुछ अनियमितता हो रही है, हम जानते हैं।

*श्री प्रमोद कुमार--

आप अनुमति दे दें, अध्यक्ष जी, यह वह लोग कहते हैं जिन्हें जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई है, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। मैं तो मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि विधायक निधि को एक करोड़ से 2 करोड़ कर दीजिए। इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपके सामने सारी तस्वीर है, आपके कहने पर पिछले वर्ष बढ़ाया भी है। मैं लम्बा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय हो रहा है। मिट्टी के काम को तो बन्द करना पड़ेगा, मिट्टी के काम में भूमि सेना सक्षम है और भी कई तरीके हैं। दूसरी बात यह है कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए, बड़ा काम करें, जो दिखायी दे। कोई अच्छा काम एक ही करा दें, जो सरकार के द्वारा नहीं हो सकता है। अगर तीन जिले हैं तो एक-एक सेण्टर पर करा दीजिए तो उंगली उठनी बन्द हो जाएगी। ऊर्जा के बारे में आपने कहा, संकट है। आप जानते हैं और इसमें काम करना है। 95 में जो आपने शुरुआत की थी, उसमें हमारा बहुत बड़ा प्रयास था, जो दो योजनाएं शुरू की गई थीं। श्रीनगर योजना के लिए हमने कोशिश की थी और उसका शिलान्यास करवा दिया था, पूजा करवा दी थी। यह योजना बहुत पहले से पड़ी है लेकिन एक यूनिट बिजली पैदा करने का भी इन्तजाम नहीं हुआ है और जो आप सवाल उठा रहे हैं कि पैसा नहीं है, कोशिश तो हम कर रहे हैं। आपने रोजा और सोनभद्र की बात कही, जो कुमार मंगलम बिड़ला जी का पत्र आया है, कहा है कि सोनभद्र में लगायेंगे, कोयला आधारित लगायेंगे। ठीक है, बिजली तो पहुंचायेंगे। आपने रिलायन्स के बारे में बार-बार उंगली उठाई है। दुनिया के अन्दर कोई कम्पनी नहीं है जो इतने बड़े क्षेत्र में 15 दिन के अन्दर बाउण्ड्री बना दे, 4 महीने से कम नहीं लगेगा-15 दिन के अन्दर बनायी है। आप क्यों आशंका व्यक्त करते हैं ? अभी 6 महीने निकले हैं, डेढ़ साल के अन्दर कोशिश है कि बिजली का उत्पादन हो जाएगा। जमीन दे दी गई है, उनको अधिकार दे दिया और वहां बाकायदा बाउण्ड्री कर दी गई है। जब वहां पर इतनी तेजी से काम हो रहा है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष भ्रम न करें। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उसी दिन करीब 100 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट दे दिया था। यह कम्पनी कैसे आई है ? आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, बार-बार इस तरह से मनोबल मत तोड़ो। मैं बताना चाहता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाल्मीकि और अन्य कोई योजना बन्द नहीं की गई है, सारी योजनाएं चालू हो गई हैं। मैं बताना चाहूंगा, 4141 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है और 9703 आवासों पर 35 जनपदों में कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। जो कन्या विद्याधन योजना है, वित्तीय वर्ष 2005-06 में इस योजना के तहत धनराशि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया है। कौन सा काम ऐसा है जिसके लिए हमने बजट में व्यवस्था नहीं की है ? हम संसाधन जुटा चुके हैं। आपने जो 12 सौ करोड़ रुपये की बात कही कि कहां से लाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है, संसाधन जुटाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि नेता विरोधी दल जी, आप भ्रमित न कीजिए। आप अगर वार्षिक योजना के हिसाब से देखें तो उसमें वर्ष 2000-01 में 9025 करोड़ रुपये, वर्ष 2001-02 में 8400 करोड़, वर्ष 2002-03 में 7 हजार 250 करोड़, वर्ष 2003-04 में 7 हजार 728 करोड़, वर्ष 2004-05 में 9 हजार 661.51 करोड़ और वर्ष 2005-06 में 13 हजार 500 करोड़। आखिर यह पिछले 2-3 सालों में कितना बढ़ा, यह देखें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

आंकड़े न भी पढ़ें तो ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

ठीक है, हम तो चाहते हैं कि हम आंकड़े न पढ़ें। आपको कन्या धन योजना के बारे में बता ही चुके हैं। हम आपसे 2-3 बातें कहेंगे। यह अब आये हैं सुबह नहीं आए। क्या कहते थे-ढपोरशंख और सैफई का बजट ? पता नहीं कब इनकी मानसिकता बदलेगी ? 'सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद'। बताइये यह हालत है उनकी। माननीय अध्यक्ष जी, कभी ऐसी परम्परा नहीं रही कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलें तो उनके भाषण का बहिष्कार करके चले जायें। आपने अपनी सोच से नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सैफई 28 सालों के बाद विकसित हुआ है। सैफई के पीछे क्यों पड़े हो ? हमने बार-बार कहा है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि अपने गांव और शहर के मोहल्लों को सुधारें, पूरे प्रदेश के आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 भी मिलकर अपने मोहल्लों में सुधार करें तो इस प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। आपको एक करोड़ रुपया एक साल में मिलता है। हम कहते हैं आप उस एक करोड़ को खर्च करें। जो काम रह जाये, उसमें जो अगले साल एक करोड़ रुपया मिले, उससे लगायें। स्वीकार करो और जहां आपत्ति होगी अगर वह नहीं मान रहे हैं तो हमें बतायें, हम थोड़ा बहुत कर देंगे। सैफई महोत्सव की बात आयी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि 28 सालों में यह सड़क बनकर तैयार हुई। 77 में जब मिनिस्टर बना तब यह सड़क शुरू हुई थी। एक समय ऐसा था कि मई, जून के महीने में जीप नहीं जा सकती थी। वह दिन भी हमने देखे हैं, जब हम अच्छे कपड़े पहनकर निकलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज आप सैफई-सैफई की बात करते हैं। जो अपनी मिट्टी में पैदा हुआ, क्या वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है ? अगर वह अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकता है जो वह क्या कर सकता है ? यह जलन की राजनीति स्थायी नहीं होती है। हम जलन और बख्शीश की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति है परिवर्तन की। डा0 अम्बेडकर की बात आयी। आप क्या जानते हो ? आपने लोहिया जी का पत्र पढ़ा है ? उन्होंने यह पत्र लिखा था कि डा0 साहब आप जाति की राजनीति को छोड़ दें और हिन्दुस्तान की राजनीति में आ जायें यह जातिकथा नाम किताब में लिखा है। डा0 अम्बेडकर जी का पत्र आया था और उन्होंने पत्र में लिखा है कि आप ठीक कहते हो, फलां तारीख को आप फलां जगह सभा में मिलो। लेकिन एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना हो जाने के कारण वह

जा नहीं सके। फिर दोबारा, एक मल्होत्रा साहब थे, उनके माध्यम से पत्राचार हुआ और डा0 साहब ने दोबारा पत्र लिखा और उनसे कहा कि फलां तारीख को मिलो लेकिन दुर्भाग्यवश उससे पहले ही डा0 अम्बेडकर साहब की मौत हो गयी। आज नहीं तो वह समाजवादी पार्टी में होते। आपको यह पता नहीं होगा कि किसने उन्हें राज्य सभा में भेजा। डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब डबल सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गये . . . .

श्री हुकुम सिंह--

मायावती जी के बारे में भी तो कुछ कहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वह तो महारानी हैं। मैं महारानियों की बात नहीं करता। महारानी का हुकुम वही कानून वही संविधान मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि हमारे ही प्रयासों के कारण डा0 भीमराव अम्बेडकर जी राज्य सभा में गये। मैंने यह कहा कि जलन की राजनीति नहीं चल सकती, धर्म की राजनीति नहीं चल सकती है। हुकुम सिंह जी, किसानों की राजनीति आप करते हो। कितने दिनों आपने हमारे साथ काम किया ? आज आप वहां चले गये हो। आपने आंकड़ों के बारे में कहा कि इसे मत पढ़ो, छोड़िये हम नहीं पढ़ते। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय कहा था, बजट संस्कृति के बारे में। इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। पिछले वर्ष चुनाव की घोषणा हो गयी और लोक सभा भंग हो गयी तो उस समय आप सब लोगों माननीय प्रमोद कुमार जी, नेता विरोधी दल जी एवं अन्य नेताओं ने सबने मिलकर 21 फरवरी को बजट पास कर दिया था। उससे पहले जब हम सरकार में आये थे तो पहले हमने 6 महीने का फिर दो महीने का दिसम्बर में वोट आन एकाउन्ट लिया था और फिर दो महीने बाद 21 फरवरी को बजट पेश कर दिया। आप स्वयं देख लें। आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और इस सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं। इसके साथ-साथ हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम बहुत जल्द फिर असेम्बली बुला लेते हैं, अभी जुलाई के महीने में असेम्बली बुला लेता हूं, फिर उसमें आप जितनी बहस करना चाहें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर विनियोग विधेयक पर हो जाएं तो पहली अप्रैल से स्वीकृति जारी हो जाए। इसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं। प्रमोद कुमार जी की बात राज्यपाल महोदय मान लेंगे, जगदम्बिका पाल साहब की बात भी वह मान लेंगे, यह लोग राज्यपाल महोदय से जरा सिफारिश कर दें। अध्यक्ष महोदय, एक संस्कृति बहुत अच्छी विकसित हुई है जो हमने कम समय में बजट के पारण से फुरसत पा लिया है। मान्यवर, गलत आंकड़े हमने कहीं नहीं दिये एक भी गलत आंकड़ा नहीं है, आपको जाने किस अधिकारी ने लिखकर दे दिया आपने कहा कि सारे गलत आंकड़े हैं।

श्री लालजी टण्डन--

हमने आज तक किसी अधिकारी से सलाह ही नहीं लिया न किसी से किसी प्रकार के आंकड़े लिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपने कहा कि संसाधन कहां से बढ़ायेंगे ? अब संसाधन बढ़ाये नहीं जायेंगे बल्कि साढ़े बारह सौ करोड़ संसाधन हमने जुटा लिए हैं। 13500 करोड़ की वार्षिक योजना है। योजना आयोग

से जो हमें मदद मिलती है वह सरकार की कार्य प्रणाली पर मिलती है। मान्यवर, यहां जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोण्टेक सिंह अहलूवालिया जी आए थे, उन्होंने यहां की शिक्षा नीति की और बिजली नीति की बहुत तारीफ की और यहां से जाने के बाद उच्च पद पर बैठे नेता से जाकर के कहा कि बिजली की नीति और शिक्षा की नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है, वह सबसे बेहतर नीति है, इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता जो बड़े पद पर बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, वह योजना आयोग में पहुंच गए और उन्होंने उनसे कहा कि बताइए, हम कैसी बिजली नीति बनाएं ? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी ने कहा कि आप यहां समय क्यों बरबाद कर रहे हैं आप लखनऊ जाइए, उनसे बिजली नीति की एक कापी मांग लीजिए और अगर समझ में न आए तो मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव से बात कर लें, क्योंकि जो बिजली नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, वह सबसे अच्छी नीति है। मान्यवर, 1250 करोड़ रुपये के हम संसाधन जुटायेंगे। विकास कर एवं व्यापार कर के रूप में ही अकेले 972 करोड़ होगा, परिवहन विभाग में 169 करोड़ और वन विभाग के लिए 32 करोड़ होगा। साढ़े बारह सौ करोड़ तो हमने कर दिया है और संसाधन जुटा रहे हैं। बनवारी लाल कंछल और सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल दोनों लोग संसाधन जुटायेंगे और यह भी सही है कि यह लोग व्यापारियों को बगैर किसी तरह का नुकसान पहुंचाये संसाधन जुटा आ रहे हैं। हमने टर्न-ओवर टैक्स को माफ कर दिया। अब ऐसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ड्राप्सी और खाद्य के घोटाले के मामले में कठोर कार्यवाही की है, हमने कई लोगों को, 469 लोगों को सस्पेंड किया है तथा 497 व्यापारियों के लाइसेंस प्रमाण-पत्र निरस्त किये हैं और 47 एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई है। अब कितना बतायें आपको। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में बता दिया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

राज्य कर्मचारियों के बकाया मंहगाई भत्ते की किश्त और 50 प्रतिशत भत्ता मूल वेतन में जोड़े जाने के बारे में घोषणा मान्यवर कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

उसमें कैबिनेट की एक कमेटी बनी हुई है उसकी उसमें रिपोर्ट आ जायेगी। उसमें पन्द्रह सौ करोड़ रु0 का व्यय भार आयेगा। अब अगर हम इतना सब दे देंगे तो फिर और बजट का क्या होगा। कितने वर्ष से हमने आप लोगों का भत्ता नहीं बढ़ने दिया। माननीय त्रिपाठी जी यहां हैं नहीं। इस बार बढ़ायेंगे। हमने कन्या धन योजना में धन दिया है, क्योंकि आमदनी हुई है। हमने कितनी बार यहां खड़े होकर कहा है कि जिन्होंने हमें चुना है उनकी जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक हम अपने भत्ते और तनख्वाह आदि नहीं बढ़ायेंगे। अब आप सबने मिलकर आमदनी को बढ़वाया है जनता की आमदनी बढ़ी है तो कुछ आपका भी बढ़ायेंगे।

हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, जो कहते हैं वह करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आप सौ-सौ हैण्डपम्प और पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण के लिए और घोषणा कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं आपसे बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। आज एक राजनीतिक संकट है और बहुत बड़ा संकट है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सुझाव दिये हैं और जिन माननीय सदस्यों ने

सुझाव दिये हैं अच्छे सुझाव हैं हम उनको स्वीकार करते है। यह राजनीतिक संकट बहुत गंभीर है। हम लोग अपने वायदों और नारों को भूल जाते हैं, हम उन्हें न भूलें: कन्या विद्या धन योजना, सिंचाई और दूसरी योजनाओं की हमने आपको अपनी प्राथमिकतायें बतायी हैं और उन्हें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय कह भी चुका हूं, हमने उनका पूर्णरूपेण पालन किया है। अब राजनीतिक संकट क्या है ? माननीय अटल विहारी वाजपेयी जी ने कह दिया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। अब क्या हो रहा है झारखण्ड में ? माननीय प्रमोद कुमार जी आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग इनसे लड़े हैं और इनको वहां पर बिठाया है और दिल्ली से इन्हें हटाया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। आप देखें 145 सीटें हैं और इनकी 138 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की। अगर हमने दस सीटें नहीं दी होती तो फिर सरकार बी0जे0पी0 की वहां होती। आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, झारखंड में जो हुआ है ? वह इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन जाती, उसके बाद विश्वास मत प्राप्त करने के समय सरकार को हटा देते। हमने अटल विहारी वाजपेयी की सरकार को हटाया था। यह गंभीर स्थिति है। इससे जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठेगा। यह अच्छा नहीं है। आपने यह काम शुरू किया था एक दम राष्ट्रपति शासन लगाने का। उसका परिणाम क्या हुआ ? कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी ? कितने विधायकों की हत्यायें हुई हैं ? ओम प्रकाश पासवान और हमारे कितने साथियों की हत्यायें हुई हैं ? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक संकट है, इस पर गंभीरतापूर्वक सदन को विचार करना चाहिए। सबसे बड़ा टकराव हमारा-आपका है। आज बिहार में क्या स्थिति है ? सात आदमियों को कैसे खत्म कर दिया गया ? चुनाव के दिनों में मैंने कहा था, नाम लेकर कहा था कि सोनिया जी, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। खतरा उससे है, जिसको आप समर्थन कर रही हैं। लालू जी से, उनसे खतरा है। कितनी चतुराई से हमने उनकी सीटें कम की और हमने सीटें बढ़ाई है आपकी। हमने इनके खिलाफ संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिन्होंने कम्युनल फोर्स के साथ मिलकर, जिन्होंने हिन्दू और मुस्लिम का बटवारा किया, हमने उनके साथ संघर्ष किया है। आप उस संघर्ष के चलते यहां पर आये हैं। मैं तो अपने साथियों से कहूंगा कि गलती मत करना, न हम यहां पर धर्म के बल पर आये हैं, न हम पैसे के बल पर आये हैं, न जाति के बल पर आये हैं। हम संघर्ष करके आये हैं, इस संघर्ष को मत भूल जाना। गलती न करो, अपने आपको सुधारो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अपने साथियों से कहूंगा कि अगर आचरण सही नहीं रहा और सुख सुविधाओं के चक्कर में चले जायेंगे और कहीं आपके ईमान, चरित्र पर हमला होता है तो फिर आपके सामने दिक्कत आयेगी। इसलिए अपने लोगों को सावधान करता हूं, कार्यकर्ताओं को सावधान करता हूं। अभी बरेली में सावधान करके आया हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि एक संकट है। इसलिए कहना चाहता हूं कि यह अच्छा काम नहीं हुआ है। उनको बहुमत सिद्ध करके गिरा देना चाहिए था। उनके पास 41 पूरे थे। इसलिए यहां पर विचार करेंगे और आप लोग सहायता मत कीजिए क्योंकि जहां-जहां ऐसा होता है तो उसका रि-एक्शन बहुत खराब होता है और इसी तरह से सब पार्टियां बनती हैं । इमरजेंसी न होती तो क्या कभी बीजेपी और समाजवादी एक हो सकते थे ? इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि बहुत मैंने संघर्ष किया है। नुकसान, प्रमोद जी, आपका होगा और फायदा इनको होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कि आपकी एक सेक्यूलर पार्टी है। धीरे-धीरे यह स्थिति पैदा हो जायेगी। हम आज यह कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को हटाना तो दूर रहा, कोई

कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने साथियों से कहेंगे, एक राजनीतिक संकट है इसलिए संभल करके आप अपने संघर्ष को न भूल जायें और जहां नाइन्साफी हो, मेरे द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, तो उसको कहें । इसलिए राजनीतिक संकट पर पूरा सदन गम्भीरता से विचार करे इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, 100 हैण्डपम्प आपने विधायकों को देने का वायदा किया था और अभी आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वह करती है तो कहिये कि हम 5 गांव का विद्युतीकरण और 100 हैण्डपम्प देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यहां हम आपका स्वागत करते हैं। यहां भूल हुई है, अधिकारी बैठे हुए हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि आज ही बतायें कि हैण्डपम्प क्यों नहीं लगे हैं ? 5-5 गांव में जो बिजली लगनी चाहिए थी, क्यों नहीं बिजली पहुंची है ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, ग्रामीण विधायकों के समतुल्य शहरी विधायकों के लिए कहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, हमने कहा है, इसको शामिल कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

एक बात और स्पष्ट हो जाय कि जो हैण्डपम्प आपने दिये हैं, वह 2004-05 वर्ष के हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जहां नहीं लगे हैं, वह पूरे किये जायेंगे।

श्री लालजी टण्डन--

पिछली बार आपने घोषित किये थे, वह वित्तीय वर्ष 2003-2004 के थे और 2005-2006 का बजट आप पेश कर रहे हैं।

(भाजपा और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर - व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री प्रमोद कुमार--

मेरा एक नम्र निवेदन है। मैं आपको पहले से बधाई दे देना चाहता हूं कि आप जो कहेंगे वह करेंगे। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो कहती है, वह करती है, उसकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यह जो 2004-2005 के लिये आपने कहा था जो अभी भी दृढ़तापूर्वक आदेश किये हैं, वह 2004-2005 के लिये 100 हैण्डपम्प के लिये कहा था, उसके आदेश दे दीजिये और जो 5 गांव विद्युतीकरण के थे, उन गांवों में विद्युतीकरण के लिये कह दिया, इसमें थोड़ा भ्रम है तो यह जो 2004-2005 के हैं, इनके बारे में स्पष्ट आदेश दे दें। सुनने-समझने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आपने 2004-2005 के लिये वायदा किया था, यह आप

31 मार्च तक करा दें। जो आपने कहा है, यदि वह पूरा नहीं होगा तो यह बात न आपके के लिये अच्छी होगी और न सदन के लिये अच्छी होगी। वर्ष 2004-2005 के 100 हैण्डपंप अभी नहीं लगे हैं, उनको आप पूरा करा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, 2003 के हम नहीं कर पायेंगे। वह तो हो गया। जहां तक 2004-2005 का प्रश्न है, यह तो मार्च में खत्म हो जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

वर्ष 2004-2005 तो आपका है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 2005-2006 के 100-100 और ले लीजिये। इस समय के जो रह गये हैं, वह भी हम पूरे करा देंगे और 3 साल के अन्दर कोई गांव नहीं रह जायेगा, जहां बिजली न हो जाय। आप डबल के लिये चतुराई क्यों करते हो ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपने घोषणा की थी 2004-2005 के लिये। मुझे ठीक से याद है और 2004-2005 वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होने वाला है। कोई हैण्डपंप किसी विधायकों को नहीं मिले हैं। आप सदन की भावना देख सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

आपको शायद कहीं से लग रहा है कि हम डबल मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आपकी इमेज बनी रहे, इसलिये जो आपने कहा है, कृपया उसे पूरा कर दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

31 मार्च के लिए समय कम रह गया है, इसलिए वर्ष 2004-2005 के लिए 50-50 हैण्डपंप और अगले साल के लिए 100-100 हैण्डपंप कर देंगे।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में वार्तालाप करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, वर्ष 2005-2006 के लिए पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिए भी करते हैं।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, बजट पर एक अच्छी बहस हुई और एक संतोषजनक उत्तर आया, लेकिन मुझे सन्तोष नहीं हुआ, हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सन्तोष दिलाने के लिए अच्छी कोशिश की।

"हम जानते हैं, जन्नत की हकीकत, लेकिन,

दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है।"

हकीकत यही है। मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि प्रदेश विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। यही बात आंकड़ों में भी देखी गई । मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं, यह हर बार होता है, आपने कहा कि केन्द्र से इतना पैसा ले आयें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जो सरकार काम करेगी ही नहीं, उसका बजट घाटे में होगा ही नहीं, लेकिन यह सरकार काम कर रही है, इसलिये यह बजट घाटे का है। इसके साथ ही साथ घाटे को पूरा करने के उपाय हैं। सरकार ने काम करके खर्च किया है, कहीं ऐसे तो खर्च नहीं कर दिया है।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल रास्ता दिखाता हूं। मैंने जो उस समय कहा था, वह आज स्वयं मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं। वार्षिक योजना में जितने संसाधन जुटाते हैं, उसी के अनुपात में सरकार करती है, वह कभी भी पूरी नहीं होती है। इसलिए लोगों की इच्छाओं को जगाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं और सारे प्रदेश को कायाकल्प किये दे रहे हैं। यह सरकार के लिए नुकसानदेह है, हम लोगों के लिए तो लाभदायक है। हम उसी पर आन्दोलन चलायेंगे, हम उसके ऊपर आपको मजबूर करेंगे। लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं, हर बात को सोच कर कहना चाहिए। लोगों की इच्छाओं को ज्यादा प्रबल न करें, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि सब हो जायेगा। बिजली के बारे में हम हमेशा कहते हैं, बार-बार कहते हैं, हम आपकी नीति के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेरा अनुभव है हमने उस समय प्राइवेटाइजेशन शुरू किया था जिस समय कोई नाम नहीं ले सका था और उसको करके दिखाया। आपके सामने उदाहरण भी बताया है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जमीन और वाउण्ड्री की बात कह रहे हैं लेकिन पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहले जमीन चाहिए, दूसरे क्लीरेन्स चाहिए, तीसरे टरबाईन चाहिए। यह टरबाईन 'भेल' में बनती है या फिर कोई विदेशी कम्पनी बनाये। अभी तक कहां टरबाईन बन रही है, उसका कोई पता-ठिकाना नहीं है। अगर आप नहीं चेते तो बिना टरबाईन के कौन सा पावर हाऊस लग जायेगा ? एक टरबाईन बनाने में कई साल लगते हैं। 'भेल' या किसी ऐसी संस्था को यह आदेश नहीं दिये गये हैं। किसी कम्पनी ने ऐसा आदेश नहीं दिया है कि टरबाईन बनाये। टरबाईन के बिना पॉवर हाऊस नहीं बन पायेगा। जो विलम्ब के कारक है, उसे मैं बता रहा हूं, इसलिए इसके सहारे नहीं बैठे रहना चाहिए क्योंकि वह इतने समय में आपको पॉवर हाऊस नहीं दे पायेंगे। क्योंकि पहली बात यह है कि टरबाईन का आर्डर कहां दिया गया। दूसरी बात गैस की प्राब्लम होगी। जब स्व0 राजीव गांधी जी थे उस समय जगदीशपुर-हजीरा गैस पाइप लाईन डालने की एक योजना शुरू हुई थी, उनके नहीं रहने के बाद वह योजना खटाई में पड़ गयी। हमारे पास पैसा इतना है नहीं कि हम उससे एक यूनिट भी बिजली पैदा कर पायें। गैस आधारित पावर हाऊस बना रहे हैं, जब तक गैस का इंतजाम नहीं होगा, पाइप लाइन नहीं पड़ जायेगी तब तक कहां से ईंधन ले आयेंगे और कहां से बिजली पैदा कर पायेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि नीति से सहमत नहीं हैं तो समझें लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं कि सारी चीजों पर निगेहबानी नहीं करेंगे तो जो कुछ भी वायदे हैं वह पूरे नहीं होंगे। मान्यवर, जब भी हैण्ड पम्प और विद्युतीकरण के लिए गांव देने की बात आती है तो कुछ नगरीय क्षेत्र के विधायक हैं वहां गांव नहीं है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दें ताकि जो नगर के विधायक हैं उनको भी यह सुविधा मिल जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहला सुझाव है, अच्छा सुझाव है, तकनीकी बात है। क्या कमी, कहां है हम लोग नहीं जानते हैं, उस पर विशेष ध्यान देंगे। आपने गैस के बारे में कहा तो गैस के बारे में चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यह रिलायन्स कम्पनी है, गैस पैदा करती है, वह उनके बड़े भाई मुकेश अम्बानी का है, बहुत सप्लाई उनके पास है। उन्होंने अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव कर दिया कि गाजियाबाद में बिजली का जो कारखाना लगने वाला है, वह लगेगा।

श्री लालजी टण्डन--

उन्हीं का बयान आया है कि वर्ष 2008 तक गैस नहीं दिया जा सकता। उनके बयान से ही यह कन्फ्युजन पैदा होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जो लिख करके दे दिया है, वह बोर्ड का फैसला हो गया है कि कारखाना लगेगा और हर तरह की सुविधा दी जायेगी। अन्य कहीं कटौती करनी पड़ेगी तो करेंगे। गैस यहां नहीं मिलेगी तो रिलायंस कम्पनी ऐसी कम्पनी है कि उन्हें अगर दुनिया के किसी कोने से लानी होगी, वह आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में 10 हजार करोड़ रुपया लगेगा। उन्होंने पांच हजार मेगावाट का लक्ष्य बनाया है। यह चिन्ता उनको होनी चाहिए कि योजना पूरी नहीं होगी, पैसा फंस जायेगा तो कम्पनी कैसे चलेगी ? यह चिन्ता हमें-आपको नहीं करनी चाहिए, यह चिन्ता उनकी है। यह बातें कहने और बताने की नहीं कि कैसे उनका इन्तजाम पूरा होगा। मान्यवर, जहां तक हैण्डपम्प की बात है, इसमें शहर और गांव का भेद नहीं है। जैसी गांव के विधायक को सुविधा मिलेगी वैसे ही शहर के विधायकों को मिलेगी।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने पूर्वांचल के बारे में आश्वासन दिया है कि उसकी उपेक्षा नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं। पूर्वांचल के विकास में बुद्धिष्ट सर्किट का बड़ा योगदान हो सकता है और हम दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता होगी और योजना बनानी होगी।

सारनाथ-लुम्बिनी-कपिलवस्तु को जोड़ने के लिए सड़कों की जरूरत होगी। कलपरी-टाण्डा का पुल बनाने की घोषणा करनी होगी। जैसे आपने लखनऊ के लिए सेटलाइट हास्पिटल की योजना बनाई है उसी तरह से हमारे यहां कैली में जो पांच सौ बेड का हास्पिटल है उसको भी सेटलाइट से जोड़ने की कृपा करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इसके लिए हम कोरिया, जापान और केन्द्र सरकार से सम्पर्क करेंगे। जिस स्तर पर बात करनी होगी, गृह मंत्री से बात करनी होगी, वो कर लेंगे और मिलेंगे और पत्र भी लिखेंगे। हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। केन्द्र सरकार से इसके लिए बात करेंगे।

श्री प्रसाद कुमार--

मान्यवर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल ने की है और सम्पूर्ण सदन की भी यही इच्छा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। हर विधान सभा क्षेत्र में 100 की जगह 150 हैण्डपम्प कर दिए हैं तो उसी तरह से गांवों के विद्युतीकरण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में घोषणा करा दें। पांच गांवों के लिए जो पहले कहा था और पांच गांव इस वर्ष कर दें और इन दसों गांवों का विद्युतीकरण कर दें। सड़कों के बगैर विकास नहीं हो सकता है। हर विधान सभा क्षेत्र में पांच किलोमीटर-दस किलोमीटर सड़कों की घोषणा करें। जिस तरह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है वैसे ही मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना होनी चाहिए। इसके बारे में कृपापूर्वक विचार कर लें। मान्यवर, अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान की इच्छा के अनुसार सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। झारखण्ड में जिनको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया है वह महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हुई है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी श्री प्रमोद कुमार जी ने जो सुझाव रखे हैं इस सम्बन्ध में कहना है कि कुछ घोषणाएं तो हम सदन में कर चुके हैं, कुछ सुझावों पर विचार कर लेंगे। जो मुख्य मंत्री सड़क योजना की बात की तो स्टेट हाईवे एथारटी का जो गठन किया गया है वह इसीलिए किया गया है, हम कोशिश करेंगे कि पांच कि0मी0 ही नहीं, उससे ज्यादा सड़क बने। इसके लिए बैंकों से फाइनेंस होगा। इस एथारिटी का गठन इसीलिए किया गया है कि सर्वांगीण विकास हो और हर क्षेत्र में मुख्य मंत्री सड़क बने।

श्री अध्यक्ष--

इस बजट पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अब अगली मद ले रहे हैं।

(अनेक सदस्यों द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के आसन तक जाने पर)

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जायें। अंचल जी आप तो मंत्री हैं कृपया अपने आसन तक जायें।

श्री मुकुल उपाध्याय--

मान्यवर, मेरी सुरक्षा में जो 11 लोग लगे थे उनको अलीगढ़ के [x x x] ने एस0एस0पी0 अलीगढ़ पर दबाव डालकर 11 में से 9 लोगों को हटा दिया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात तो इसके पहले हो चुकी है। बार-बार इस विषय को उठा रहे हैं। जनसेवक जी आज इधर से कहां वहां पहुंच गए। स्वामी जी आप भी अपने आसन पर जायें।

श्री मुकुल उपाध्याय--

मान्यवर, मेरी सुरक्षा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दीजिये।

श्री मुकुल उपाध्याय--

मैंने लिखकर दिया था फिर लिखकर दे दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय विधायक जी हैं, लिखकर दे दें। इनकी सुरक्षा को खतरा है, हम देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दें।

(मद संख्या-9 पुकारे जाने पर)

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति पर नेता विरोधी दल, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री सुखदेव राजभर, श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आज किसी का मूड नहीं है, फिर किसी समय करा लें।

श्री अध्यक्ष--

आपको जाना है, तो आप जायं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। विगत दिनों ड्राप्सी और सरसों के तेल में मिलावट के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन की सूचना दी थी और सभी माननीय सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की थी तो आपने इस पर डेढ़ घंटे की चर्चा स्वीकार की थी। यह विषय जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ गम्भीर मसला है।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, चर्चा जारी रखिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करिये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

इसे पास तो कराइये।

श्री अध्यक्ष--

इसमें यह परम्परा नहीं है। यह बजट अनुदान वाइज लिया जायेगा उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। आप सब लोग चाहते हैं कि यह चर्चा स्थगित कर दी जाय। आप लोग बैठेंगे नहीं तो क्या चाहते हैं कि चर्चा टाल दी जाय।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, चर्चा जारी रखिये अगले दिन के लिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद कुमार जी तो प्रस्ताव देकर चले गये। रुके नहीं एक मिनट। आप लोगों को लगता है कि इस पर इच्छा नहीं है कि आज चर्चा हो और इसको स्थगित कर दिया जाय। अभी समय है, एक घंटा बैठ लिया जाय।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, 15-16 तारीख में कोई काम नहीं है उस दिन इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सदस्यों की इच्छा है कि इसको स्थगित कर दिया जाय तो ठीक है बाजपेयी जी आप बोलकर जारी रखिये।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मैंने शुरू कर दी है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

विद्युत निगमों में राजनीतिक व्यक्तियों में हस्तक्षेप संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना के परिपेक्ष्य में जानकारी

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज एक बहुत महत्वपूर्ण मसला उठा था सुप्रीम कोर्ट वाला। हम चाहते हैं कि उस पर 15 मिनट हम लोग बैठ लेते। हुकुम सिंह जी ने यह विषय उठाया था। हम चाहते हैं कि समय हो तो इस पर बात हो जाय।

मा0 मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय हुकुम सिंह जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इस पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हो जाय। मान्यवर, आज नहीं कल कर लीजिये। अभी मैं विधान परिषद् में बोलकर आया हूं और यहां पर भी बोला हूं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको कल रखा जायेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 03 मार्च, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुई :--

पहली सूचना श्री राम करन आर्य तथा श्री आलोक कुमार शाक्य	की जो जनपद बलिया के समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति वितरण में हुए घोटाले की जांच किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
दूसरी सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक	की जो जनपद फतेहपुर के बिसरौली गांव के पास पाण्डु नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
तीसरी सूचना श्री उदय भान करवरिया	की जो जनपद कौशाम्बी एवं चित्रकूट में अवैध रूप से बालू खनन के कार्य में लगे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
चौथी सूचना श्री मलिक मसूद	की जो जनपद लखनऊ के मलिहाबाद स्थित दलित कृष्ण कुमार की भूमि पर राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शोरेपुश्त कार्यकर्ताओं द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
पांचवीं सूचना श्री भगेलू राम	की जो जनपद सुल्तानपुर के ग्राम गोपालपुर में स्वीकृत धन के उपरान्त भी विद्युतीकरण न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना श्री मुकुल उपाध्याय	की जो जनपद अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु धन का आवंटन न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
सातवीं सूचना श्री जंग बहादुर	की जो जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड शाहगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
आठवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "(हरीश जी)"	की जो जनपद वाराणसी स्थित अमरावती पुरुषोत्तम बहु-उद्देशीय विकलांग संस्थान को चालू किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
नवीं सूचना श्री छोटेलाल वर्मा	की जो जनपद आगरा के ग्राम गढ़ीकिशन में मानक के विपरीत जूनियर हाईस्कूल की स्थापना करने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
दसवीं सूचना श्री हीरा लाल गौतम	की जो जनपद आजमगढ़ की बेसो नदी की सफाई कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
ग्यारहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की जो मेरठ नगर निगम द्वारा कामर्शियल बिल्डिंगों से मनमाना गृह कर वसूल किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
बारहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी	की जो जनपद बलिया स्थित उरौलीघाट पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।
तेरहवीं सूचना श्री देवकी नन्दन कोरी	की जो बाराबंकी कलेक्ट्रेट के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उनके मूल संवर्ग में वापस किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।
चौदहवीं सूचना श्री रणवीर राणा	की जो प्रदेश के वित्त विहीन कालेजों में फार्म जमा करने वाले छात्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षा में शामिल न किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।
पन्द्रहवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी	की जो जनपद सहारनपुर में राजकीय कन्या डिग्री कालेज बहेट, कोटा एवं ननौता को सरकार द्वारा निर्माण हेतु धन उपलब्ध न किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।
सोलहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव	की जो जनपद हरदोई में दीक्षित नेत्र चिकित्सालय, गंगाधाम बिलग्राम के डाक्टरों द्वारा मरीजों की आंख खराब किये जाने और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही न किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।
सत्रहवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती	की जो जनपद कुशीनगर के पनिहवा छितौनी मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई : --

1--श्री रामहेत
2--श्री श्यामदेव राय चौधरी
3--श्री लल्लू सिंह
4--श्री रामचन्द्र यादव
5--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
6--डा0 अजय कुमार
7--श्री लालजी वर्मा
8--श्री सुरेश कुमार खन्ना
9--श्री अवधेश कुमार वर्मा
10--श्रीमती विद्या चौधरी
11--श्री द्वारिका प्रसाद
12--श्री अशोक सिंह चौहान
13--श्री सलिल विशनोई
14--श्री मुकुट बिहारी वर्मा
15--श्री बाबूलाल कुशवाहा
16--श्री जगन प्रसाद गर्ग
17--श्री नवाब सिंह नागर
18--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
19--श्री रणवीर राणा
20--श्री बैजनाथ दुबे
21--श्री आर0 एस0 कुशवाहा
22--श्री अकीलुर्रहमान
23--श्रीमती विद्या चौधरी
24--श्री जगदीश नारायण राय
25--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
26--डा0 रामबाबू हरित
27--डा0 विनोद तिवारी
28--श्री कालीचरण राजभर
29--श्री आर0 के0 सिंह पटेल
30--श्री रामवीर उपाध्याय
31--श्री आलमबदी
32--श्री बीजू पटनायक
33--श्री कल्याण सिंह दोहरे
34--श्रीमती राजरानी रावत
35--श्री मुंशीलाल गोतम तथा
36--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

नियम 51 में मेरी भी सूचना थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

वह निरस्त हो गई है।

श्री लालजी वर्मा--

हम लोग सुबह से शाम तक बैठते हैं और हमारी सूचना नहीं आई।

श्री अध्यक्ष--

आप जो बोलते हैं वह कार्यवाही में लिखा जाता है इससे ज्यादा और क्या चाहिए ?

(व्यवधान)

एक निर्णय जो था हमने रोक लिया था उसको आज सुनाने को कहा था लेकिन अब इसका एक बार और परीक्षण करा लें बहुत से उद्धरण हैं, एकेडमिक हैं तो इसको हम कल ले लेंगे।

कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी में गंगा के पानी के प्रदूषण को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2005 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं0-2 (नत्थी 'क') के संबंध में नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

तथा

गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी आदि द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2005 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं0-1 (नत्थी 'क') के संबंध में नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

अब नियम-49 के अन्तर्गत दो चर्चाएं लगी हैं, उन्हें भी स्थगित कर दें ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जब आपने ड्राप्सी जैसी चर्चा को स्थगित कर दिया है तो इन्हें भी स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, 11 व 12 नवम्बर की चर्चा स्थगित करते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा एक नियम-49 में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के औद्योगिक विकास के संबंध में था।

श्री अध्यक्ष--

जब अस्वीकृत हो गया तो आप व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं। आप विद्वान सदस्य हैं। मुझे एक विद्यालय के फंक्शन में जाना है। यह जो दो चर्चायें थीं, 12 नवम्बर के लिये मंत्री जी की सूचना आई है कि इस इस चर्चा को स्थगित कर दिया जाये और इसको स्थगित कर दिया है तथा मद संख्या-11पर जो बाजपेयी जी की नियम-49 के अन्तर्गत है, उसको स्थगित करता हूं।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 03 मार्च, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 61 का उत्तर पीछे पृ0 51 पर।)

खण्ड का नाम : निर्माण खण्ड-3, लो0 नि0 वि0, बाराबंकी

क्र0 सं0	कार्य का नाम जिसका विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ	समाचार पत्र का नाम जिसमें प्रकाशन हुआ	प्रकाशन का दिनांक	सूचना निदेशक के पत्र का संदर्भ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	परवल भारी सम्पर्क मार्ग का निर्माण	जनमोर्चा, फैजाबाद	19-9-2004	10722/सू0ज0वि0 (विज्ञापन वर्गीकृत) दिनांक 15-9-04	
2.	बनार सम्पर्क मार्ग का निर्माण				
3.	खैरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	राष्ट्रीय एकता लहर, बाराबंकी	08-10-2004 से 09-10-2004 के मध्य	11047/सू0ज0वि0 (विज्ञापन वर्गीकृत) दिनांक 4-10-2004	
4.	परवल भारी सम्पर्क मार्ग का निर्माण	जदीद-आवाज-ए-मरकज, बाराबंकी			
5.	खण्डसरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	जनसत्ता एक्सप्रेस, लखनऊ			
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत नगरपालिका सतरिख मार्ग के शेष भाग के किमी0 1 में कट स्टोन का कार्य			11047/सू0ज0वि0 दिनांक 4-10-2004	
7.	बाराबंकी जैदपुर मार्ग पर कट स्टोन लगाने का कार्य किमी0 3, 4, 15, 18 में	जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स, बाराबंकी, इरम अल-हुदा, टाइम्स, बाराबंकी	8-10-2004 से 9-10-2004 के मध्य	11049/सू0ज0वि0 (विज्ञापन वर्गीकृत) दिनांक 4-10-2004	
8.	जमुरिया नाला बाराबंकी 4 x 3 मीटर स्थान का आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण	हिन्दुस्तान, लखनऊ जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स	18-11-2004 से 19-11-2004 के मध्य	पत्रांक 11635/सू0ज0वि0 (विज्ञापन वर्गीकृत) दिनांक 11-11-2004	
9.	जैदपुर सलेमपुर मार्ग पर भानमऊ के पास आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण	हिन्दुस्तान, लखनऊ जनमोर्चा, फैजाबाद, इरम अल-हुदा टाइम्स, बाराबंकी	19-11-2004 से 20-11-2004 के मध्य	पत्रांक 11668/सू0ज0वि0 (विज्ञापन वर्गीकृत) दिनांक 17-11-2004	

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के द्वितीय गुरुवार के लिये निर्धारित श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तरालेख का संलग्नक

खण्ड का नाम : निर्माण खण्ड-1, लो0 नि0 वि0, बाराबंकी

क्र0 सं0	कार्य का नाम जिसका विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ	समाचार पत्र का नाम जिसमें प्रकाशन हुआ	प्रकाशन का दिनांक	सूचना निदेशक के पत्र/समाचार पत्र में भेजे जाने का संदर्भ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चीकापुर एवं अरसण्डा सम्पर्क मार्गों का निर्माण	जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स इरम-अल-हुदा टाइम्स	6-8-2004 6-8-04 से 8-8-04 के मध्य	पत्रांक-10034/सू0 एवं ज0स0वि0--विज्ञापन (वर्गीकृत) दिनांक 4-8-2004	
2.	विभिन्न मार्गों का सुधार एवं नवीनीकरण	दैनिक हिन्दुस्तान, लखनऊ जनमोर्चा, फैजाबाद राष्ट्रीय एकता लहर, बाराबंकी	27-9-2004 26-9-2004 26-9-2004 से 27-9-04 के मध्य	पत्रांक-10841/सू0 एवं ज0स0वि0--विज्ञापन (वर्गीकृत) दिनांक 22-9-2004	
3.	समग्र ग्राम विकास योजना के कार्य चीकापुर एवं अरसण्डा सम्पर्क मार्गों का निर्माण	जनसत्ता एक्सप्रेस, लखनऊ जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स, बाराबंकी	18-10-2004 17-10-2004 17-10-2004 से 18-10-04 के मध्य	पत्रांक-11201/सू0 एवं ज0स0वि0--विज्ञापन (वर्गीकृत) दिनांक 13-10-2004	
4.	राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत वैदिक पुरवा से उफरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण	जनमोर्चा, फैजाबाद राष्ट्रीय एकता लहर, बाराबंकी वारिस-ए-अवध, बाराबंकी	4-11-2004 4-11-2004 से 5-11-04 के मध्य	पत्रांक-11481/सू0 एवं ज0स0वि0--विज्ञापन (वर्गीकृत) दिनांक 1-11-2004	-
5.	बहराइच-बांदा राज्य मार्ग का नवीनीकरण तथा समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दौरा-परसपुर एवं हसौर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	जनसत्ता एक्सप्रेस, लखनऊ जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स, बाराबंकी	11-12-2004 11-12-2004 10-12-2004 से 12-12-04 के मध्य	पत्रांक-11953/सू0 एवं ज0स0वि0--विज्ञापन (वर्गीकृत) दिनांक 7-12-2004	

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के द्वितीय गुरुवार के लिये निर्धारित श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तरालेख का संलग्नक

खण्ड का नाम : प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, बाराबंकी

क्र0 सं0	कार्य का नाम जिसका विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ	समाचार पत्र का नाम जिसमें प्रकाशन हुआ	प्रकाशन का दिनांक	सूचना निदेशक के पत्र/समाचार पत्र में भेजे जाने का संदर्भ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग के किमी0 34, 35 एवं 36 के सुदृढ़ीकरण के कार्यों की निविदाएं	जनमोर्चा, फैजाबाद राष्ट्रीय एकता लहर, बाराबंकी	16-7-2004 से 17-7-2004	पत्रांक-9755, दिनांक 15-7-2004 -तदेव-	
2.	हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग के किमी0 28, 32, 33, 38, 39, 40 एवं 41 के सुदृढ़ीकरण के कार्यों की निविदाएं	जनमोर्चा, फैजाबाद राष्ट्रीय एकता लहर, बाराबंकी	25-8-2004 25-8-2004	पत्रांक-10429, दिनांक 24-8-2004 -तदेव-	
3.	हैदरगढ़ रामसनेही घाट मार्ग, मोहम्मदपुर सिद्धौर मार्ग, देवीगंज सुबेहा मार्ग, उस्मानपुर सादुल्लापुर, कमालापुर मार्ग, कोठी जैदपुर मार्ग, सिद्धौर दीनपनाह, लोहारपुर मार्ग, असन्दा धनौली मार्ग, चौरी अलादासपुर, भूरे मऊटिकरा सम्बन्धी मार्ग, टण्डवा लिंक मार्ग एवं अहमदपुर देवकली मार्गों के विशेष मरम्मत के कार्यों की निविदाएं	हिन्दुस्तान, लखनऊ	01-9-2004	पत्रांक-2/कैम्प/निविदा/10-ए, दिनांक 25-8-2004	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
4.	बाराबंकी जेदपुर सिद्धौर, देवीगंज सुबेहा मार्ग, मोहम्मदपुर सिद्धौर, कैसरगंज मार्ग एवं कोटवा सड़क सोनौली सिद्धौर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों की निविदाएं	जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स, बाराबंकी वारिश -ए- अवध, लखनऊ	3-9-2004 से 4-9-2004	पत्रांक-10532, दिनांक 31-8-2004 -तदेव-	
5.	हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग के किमी0 41 व 42 के अवशेष भाग के कार्यों की निविदाएं	जनमोर्चा, फैजाबाद वारिश ए अवध, लखनऊ निष्पक्ष सहारा टाइम्स	4-10-2004 से 5-10-2004	पत्रांक-11003 दिनांक 30-9-2004 -तदेव-	
6.	समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत सराय मोहद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग, पत्थरपुरवा सम्पर्क मार्ग व सन्तोषपुर मार्ग तथा खुरहरा सम्पर्क मार्गों के कार्यों की निविदायें	इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ	18-10-2004	पत्रांक-2/कैम्प/10-ए, दिनांक 10-10-2004	
7.	हैदरगढ़ बछरावां मार्ग के किमी0 147 से 152 (चीनीमिल) तक मार्ग को 7.00 मीटर चौड़ा करने बी0एम0 व एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्यों की निविदा	पायनियर, लखनऊ राष्ट्रीय एकता लहर, बाराबंकी वारिश ए अवध, लखनऊ	18-10-2004 से 20-10-2004	पत्रांक 11262/ दिनांक 16-10-2004 -तदेव- -तदेव-	
8.	सम विकास योजना के अन्तर्गत बड़कोट से अलीपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 व 2 के कार्यों की निविदायें	जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स, बाराबंकी जरीद आवाज ए मरकज	5-11-2004 से 6-11-2004	पत्रांक 11497/ दिनांक 2-11-2004 -तदेव- -तदेव-	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
9.	छन्दरौली कान्हूपुर मंझूपुर मार्ग व दहिला पोखरा मार्ग एवं महाराजगंज हैदरगढ़ सुबेहा सुकुल बाजार मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्यों की निविदायें	हिन्दुस्तान, लखनऊ जनमोर्चा, फैजाबाद निष्पक्ष सहारा टाइम्स, बाराबंकी	6-11-2004 -तदेव- -तदेव-	पत्रांक 11450/ दिनांक 30-11-2004 -तदेव- -तदेव-	
10.	उपरोक्त कार्यों की निविदाओं का पुन: प्रकाशन	राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ हिन्दुस्तान, लखनऊ	20-11-2004 -तदेव-	पत्रांक-1618/10-ए/04, दिनांक 19-11-2004 -तदेव-	
11.	हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग के किमी0 29, 30, 31, 37, 42, 43 व 44 के सुदृढ़ीकरण के कार्यों की निविदायें	जनमोर्चा, फैजाबाद हिन्दुस्तान, लखनऊ जरीद आवाज ए मरकज	15-12-2004 से 16-12-2004	पत्रांक- 12092/ दि0 14-12-2004 -तदेव- -तदेव-	
12.	समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अतरौली सम्पर्क मार्ग, बसियामऊ सम्पर्क मार्ग, कुतवापुर सम्पर्क मार्ग एवं पत्थरपुरवा सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों की निविदायें	इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ	4-12-2004	पत्रांक-538(2)/कैम्प/10-ए/2004, दिनांक 9-11-2004	
13.	अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत धौरहरा सम्पर्क मार्ग, बारा सम्पर्क मार्ग एवं रसूलाबाद सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्यों की निविदायें	इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ	31-12-2004	पत्रांक-569/कैम्प/10-ए/2004, दिनांक 01-12-2004	
14.	रुदौली अमानीगंज के किमी0 1 एवं रौजागांव-रुदौली मार्ग के विशेष मरम्मत के कार्यों की निविदायें	इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ	31-12-2004	पत्रांक-186/10ए-04, दिनांक 16-12-2004	

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्री अनिल कुमार वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-109 का संलग्नक-1

जनपद सीतापुर में विशेष मरम्मत हेतु राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत 3054 आयोजनेत्तर मद में स्वीकृतियों का विवरण :

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्वीकृति का वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (लाख में)	वर्ष 04-05 में आवंटन (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	सीतापुर	2003-04	गुड़ैचा रामपुर मथुरा मार्ग	20.00	15.00
2.	सीतापुर	2003-04	रामपुर मथुरा मार्ग	18.00	15.00
3.	सीतापुर	2003-04	लखीमपुर लहरपुर मार्ग	24.20	19.20
4.	सीतापुर	2003-04	लहरपुर खैराबाद मार्ग	45.00	40.00
5.	सीतापुर	2003-04	बहराईच सीतापुर राज्य मार्ग किमी0 89	13.70	8.70
6.	सीतापुर	2003-04	सीतापुर बड़ागांव मार्ग	34.19	30.19
7.	सीतापुर	2003-04	दिबियापुर पोखर कला मार्ग	42.44	39.44
8.	सीतापुर	2003-04	सलेमपुर लिंक मार्ग	21.24	11.24
9.	सीतापुर	2003-04	सीतापुर बड़ागांव मार्ग किमी0 6	22.20	17.20
10.	सीतापुर	2003-04	जीतामऊ तालगांव मार्ग	15.31	7.31
11.	सीतापुर	2003-04	भोलागंज साण्डा सकरन मार्ग	16.80	12.80
12.	सीतापुर	2003-04	रण्डा राजपुर क्योटाना मार्ग	16.50	13.50
13.	सीतापुर	2003-04	बहराइच सीतापुर से बसंतापुर मार्ग	13.49	9.49
14.	सीतापुर	2003-04	10 मार्गों का कार्य	72.78	42.00
			वित्तीय वर्ष 2003-04 के स्वीकृत कार्य का योग..	**375.85**	**281.07**
1.	सीतापुर	2004-05	भोलागंज साण्डा सकरन मार्ग	0.65	0.65
2.	सीतापुर	2004-05	भोलागंज साण्डा सकरन मार्ग	8.50	3.50
3.	सीतापुर	2004-05	भोलागंज साण्डा सकरन मार्ग	3.35	1.35
4.	सीतापुर	2004-05	भोलागंज साण्डा सकरन मार्ग	3.23	1.23
5.	सीतापुर	2004-05	मतुआ सकरन मार्ग	6.53	2.53
6.	सीतापुर	2004-05	लहरपुर शाहपुर भदफर मार्ग	4.58	1.00
7.	सीतापुर	2004-05	खानपुर सम्पर्क मार्ग	2.55	1.00
8.	सीतापुर	2004-05	खानपुर सम्पर्क मार्ग	11.59	2.00
9.	सीतापुर	2004-05	गांजर स्कूल से रोया शिवपुरी मार्ग	6.12	1.50

1	2	3	4	5	6
10.	सीतापुर	2004-05	मुगलपुर से सोमलिया मार्ग	5.98	1.50
11.	सीतापुर	2004-05	लहरपुर तम्बौर मार्ग	27.95	5.00
12.	सीतापुर	2004-05	तम्बौर महमूदाबाद मार्ग	17.64	3.50
13.	सीतापुर	2004-05	भोलागंज साण्डा सकरन मार्ग	18.79	3.50
14.	सीतापुर	2004-05	मतुआ सकरन मार्ग	6.53	1.50
15.	सीतापुर	2004-05	लहरपुर लखीमपुर सम्पर्क मार्ग	6.33	1.50
16.	सीतापुर	2004-05	गेरुआ सम्पर्क मार्ग	12.16	2.50
17.	सीतापुर	2004-05	नवीननगर से चक सम्पर्क मार्ग	3.81	1.00
18.	सीतापुर	2004-05	नवीननगर सम्पर्क मार्ग	1.96	1.00
19.	सीतापुर	2004-05	सिधौली बिसांवा मार्ग	9.74	2.00
20.	सीतापुर	2004-05	हरिपुर सम्पर्क मार्ग	4.97	1.00
21.	सीतापुर	2004-05	बसईडीह सम्पर्कमार्ग	7.19	1.50
22.	सीतापुर	2004-05	दहईया सम्पर्क मार्ग	2.84	1.00
23.	सीतापुर	2004-05	सिघौली बिसांवा मार्ग के विभिन्न किमी0 में निर्माण	20.50	4.00
24.	सीतापुर	2004-05	सदर बाजार से भौगदीपुर के मध्य से छूटा मार्ग	16.34	3.00
25.	सीतापुर	2004-05	बेदौरा पुल की टूटी भाग	2.74	1.00
26.	सीतापुर	2004-05	गढ़ीसेन पुर सम्पर्क मार्ग	16.10	3.00
27.	सीतापुर	2004-05	घावरपारा सम्पर्क मार्ग	6.69	1.50
28.	सीतापुर	2004-05	मिश्रिख मछरेहता मार्ग	3.89	1.00
29.	सीतापुर	2004-05	नीमसार के अन्तर्गत पुलिस चौकी से नारदानन्द आश्रम	3.55	1.00
30.	सीतापुर	2004-05	नीमसार के अन्तर्गत देवदेवेश्वर मार्ग	1.51	1.00
31.	सीतापुर	2004-05	आंट से इमलिया मार्ग	9.27	2.00
32.	सीतापुर	2004-05	पिसावां बरगवां मार्ग	10.58	2.00
33.	सीतापुर	2004-05	थानगांव सीतापुर मार्ग	6.70	6.70
	सीतापुर	2004-05	बहरीमऊ सम्पर्क मार्ग	9.00	9.00
			वित्तीय वर्ष 2003-04 के स्वीकृत कार्य का योग..	**279.86**	**76.46**
			महायोग..	**655.71**	**357.53**

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्री अनिल कुमार वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-109 का संलग्नक-2

जनपद सीतापुर में विशेष मरम्मत हेतु राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत 3054 आयोजनेत्तर मद में स्वीकृतियों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	आवंटित धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	थानगांव सीकरापुर मार्ग	ग्रा0मा0	6.70
2.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	हरगांव महोली मार्ग	प्र0जि0मा0	3.50
3.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	हरगांव महोली मार्ग	प्र0जि0मा0	
4.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	हरगांव महोली मार्ग	प्र0जि0मा0	
5.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद मार्ग	प्र0जि0मा0	1.96
6.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद मार्ग	प्र0जि0मा0	1.54
7.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	हरगांव महोली मार्ग	प्र0जि0मा0	1.50
8.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	सीतापुर गोला मार्ग	अ0जि0मा0	1.50
9.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	लहरपुर खैराबाद मार्ग	अ0जि0मा0	4.25
10.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	गुड़ेचा रामपुर मथुरा मार्ग	अ0जि0मा0	1.50
11.	सीतापुर	प्रा0खं0 सीतापुर	लहरपुर तम्बौर मार्ग	प्र0जि0मा0	1.25
12.	सीतापुर	नि0खं0-1 सीतापुर	सिधौली महमूदाबाद मार्ग के कि0मी0 12 से निकलने वाली लालाबाग सम्पर्क मार्ग	ग्रा0मा0	8.40
				जनपद का योग . .	**32.10**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0-133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित कुंवर भारतेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-133 के उत्तर का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 1998-99 में स्प्रिंकलर सिस्टम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के लाभान्वित कृषकों की सूची

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम
1	श्रीमती राममूर्ति देवी	श्री मंगू सिंह	शाहपुर लाल
2	श्रीमती सायरा बेगम	श्री नजीम खाँ	फ़रीदपुरकाबी
3	श्रीमती चमनो देवी	श्री यादराम	मिर्जापुर महेश
4	श्रीमती सुमेति	श्री मिमनका	चौथेड़ी
5	श्रीमती गंगा देवी	श्री उमराव सिंह	शादीपुर
6	श्री गंगाराम	श्री मुरली	रानीपुर
7	श्रीमती फूलकुमारी	श्री श्याम सिंह	फतेहउल्लापुर
8	श्रीमती रुक्मेश देवी	श्री सुरेश आर्य	नांगल सोती
9	श्रीमती केलोदेवी	श्री लल्लू सिंह	खेरुल्लापुर
10	श्रीमती सरोज देवी	श्री भगवत	रानीपुर
11	श्री निहाल सिंह	श्री ननवा	निजामतपुर
12	श्रीमती बिन्दरा देवी	श्री रघुनाथ सिंह	साहनपुर
13	श्रीमती चन्दरो देवी	श्री श्याम सिंह	शाहनगर
14	श्रीमती शकुन्तला देवी	श्री रमेश सिंह	रानीपुर
15	श्रीमती रचना देवी	श्री योगेश कुमार	हाजीपुर
16	श्री राम लाल	श्री शिब्बा सिंह	गाजीपुर
17	श्रीमती सुनीता गोयल	श्री सुशील कुमार	हरी अहमदपुर
18	श्रीमती सुनीता रानी	श्री धनवीर सिंह	सरकड़ा
19	श्री धर्मपाल सिंह	श्री धानी सिंह	नवादा हकीमपुर
20	श्रीमती सुरेन्द्र कौर	श्री महेन्द्र सिंह	कासिमपुर गढ़ी
21	श्रीमती चन्दरो देवी	श्री जसराम सिंह	अथाई
22	श्रीमती सुरेन्द्र कौर	श्री सुरजन सिंह	ताहिरपुर
23	श्री चिरंजी सिंह	श्री बसंता सिंह	नवादा हकीमपुर
24	श्री आशुतोष कुमार	श्री कृष्ण स्वरूप	दारानगर
25	श्री रिहालुद्दीन	श्री अल्ला बक्श	मुकीमपुर जमाल
26	श्रीमती मिथिलेश देवी	श्री हरपाल सिंह	चौथेड़ी
27	श्रीमती करतारी देवी	श्री हरचरन सिंह	अथाई

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में स्प्रिंकलर सिस्टम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के लाभान्वित कृषकों की सूची

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम
28	श्रीमती रामकली	श्री ओम प्रकाश	फतेहपुर लाल
29	श्री करन सिंह	श्री जीराज सिंह	फतेहपुर लाल
30	श्री डाल चन्द	श्री घसीटा सिंह	ताहरपुर
31	श्री विजय सिंह	श्री कढेरा सिंह	अल्हेपुर मोहकम
32	श्री विरंजी सिंह	श्री गिरधारी सिंह	शाहपुर अजां
33	श्री भगवंत सिंह	श्री ख्याली सिंह	शादीपुर
34	श्री सुखवेन्दर कौर	श्री जगजीत सिंह	बीरूवाला
35	श्री जगराम सिंह	श्री नन्हे सिंह	कान्हा नंगला
36	श्रीमती अमनदीप कौर	श्री जगजीत सिंह	बीरूवाला
37	श्रीमती सतनाम कौर	श्री सुखवेन्दर सिंह	बीरूवाला
38	श्रीमती भूपेन्द्र कौर	श्री जगजीत सिंह	बीरूवाला
39	श्रीमती गुरमीत कौर	श्री सुरजीत सिंह	बीरूवाला
40	श्री सुखचैन सिंह	श्री सुरजन सिंह	ताहर पुर
41	श्रीमती निरमला देवी	श्री मामराज सिंह	नांगल सोती
42	श्री दीपेन्द्रजीत सिंह	श्री हरभजन सिंह	भिट्ट वाला
43	श्री सुरेश सिंह	श्री छज्जू सिंह	ताहरपुर

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में स्प्रिंकलर सिस्टम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के लाभान्वित कृषकों की सूची

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम
44	श्रीमती जयवती	श्री तिरखा सिंह	गांवड़ी
45	श्रीमती जगतार कौर	श्री बलदेव सिंह	बीरूवाला
46	श्रीमती संतोष कौर	श्री सरदार मोहन सिंह	बीरूवाला
47	श्रीमती कमला देवी	श्री मलखान सिंह	बनवारीपुर
48	श्रीमती नीपा	श्री संजीव कुमार	हेमुपुर बुजुर्ग
49	श्रीमती कमला देवी	श्री खड़क सिंह	दुलीचन्द्रपुर
50	श्री हरगोविन्द सिंह	श्री करतार सिंह	बीरूवाला
51	श्री उलर सिंह	श्री परवीन सिंह	रानीपुर
52	श्री देवेन्द्र नाथ	श्री खगेन्द्र नाथ	चांदपुर नौआबाग
53	श्री विनय पाल सिंह	श्री बंशी सिंह	पीपलसाना
54	श्री दिनेश कुमार	श्री बंशी सिंह	पीपलसाना

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के लाभान्वित कृषकों की सूची

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम
1	2	3	4
1	श्री जगपाल सिंह	श्री अमर सिंह	बल्डिया
2	श्री अमर सिंह	श्री छज्जू सिंह	बल्डिया
3	श्री अमीर जहाँन	श्री जाकिर अली	मुखाला
4	श्रीमती खातून	श्री इरशाद अली	मुखाला
5	श्री सलीम अहमद	श्री खुर्शीद	मुखाला
6	श्री नईम अहमद	श्री खुर्शीद	मुखाला
7	श्री मानवेन्द्र सिंह	श्री चन्द्रशेखर	सिकन्दराबाद
8	श्री अम्बुज कुमार	श्री चन्द्रशेखर	सिकन्दराबाद
9	श्रीमती शान्ति देवी	श्री चन्द्र प्रकाश	महेश्वरी
10	श्रीमती रीता रानी	श्री दिनेश कुमार	निजामतपुर
11	कु0 रितु वाधिरी	श्री सत्यवीर सिंह	सुढ़पुरा
12	श्रीमती पद्मा देवी	श्री देव शर्मा	पृथ्वीपुर
13	श्री प्रमोद कुमार	श्री महिपाल सिंह	पृथ्वीपुर
14	श्री प्रशान्त कुमार	श्री रामेश्वर त्यागी	पृथ्वीपुर
15	श्री कमल कुमार	श्री रामेश्वर त्यागी	पृथ्वीपुर
16	श्री रामेश्वर त्यागी	श्री रघुनाथ त्यागी	पृथ्वीपुर
17	श्रीमती चन्दावती		
18	श्री विवेक चौधरी	श्री सत्यवीर सिंह	सुढ़पुरा
19	कु0 अर्चना	श्री सत्यवीर सिंह	सुढ़पुरा
20	कु0 मोनिका सिंह	श्री जिते सिंह	सुढ़पुरा
21	श्री मनोज कुमार	श्री सत्यवीर सिंह	सुढ़पुरा
22	श्री सुरेन्द्र सिंह	श्री जिले सिंह	सुढ़पुरा
23	श्री अनिल कुमार	श्री बाल भूषण	नवादा
24	कु0 घसीटा	श्री अर्जुन कुमार	
25	श्री ए0 के0 महेश्वरी	श्री अक्षय कुमार	नवादा
26	श्री अतुल कुमार	श्री बाल किशन	नवादा
27	श्री अखिल कुमार	श्री बाल किशन	नवादा
28	श्रीमती अंजू कुमारी	श्री नरेन्द्र	पृथ्वीपुर
29	श्रीमती सुशीला	श्री मुनेश्वर	पृथ्वीपुर
30	श्रीमती सहीना	श्री शाहनवाज खान	
31	श्रीमती जैनब	श्री फकतदीन	शेरपुर
32	कु0 मरियम खान	श्री राजा गजफर	शेरपुर
33	कु0 ज्ञान खान	श्री राजा गजम्भर	शेरपुर

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के लाभान्वित कृषकों की सूची

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम
1	2	3	4
1	श्रीमती हीरा देवी	श्री बलवन्त	फरीदपुर
2	श्री रफीक अहमद सिद्दीकी	श्री जमील अहमद	सराय कोतवाली
3	श्रीमती गीता देवी	श्री के0 एल0 ओझा	टाण्डा
4	श्रीमती शारदा देवी	श्री नानक	मीरापुर
5	श्री ओम प्रकाश	श्री बरने	मीरापुर
6	श्री बन्तू	श्री दिन्नो	मीरापुर
7	श्रीमती गीता	श्री राजेश	मीरापुर अग्री
8	श्री मुन्ने	श्री गंगाराम	मीरापुर
9	श्री मुकन्दी	श्री नत्थू	मीरापुर
10	श्रीमती शान्ति	श्री मोहन	मीरापुर
11	श्रीमती मिथलेश	श्री चन्द	मीरापुर
12	श्री सोमपाल	श्री रघु	मीरापुर
13	श्रीमती बाला	श्री अन्तराम	मीरापुर
14	श्री ऋषिराम	श्री उदयराम	मीरापुर
15	श्री सुभाष	श्री उदयराम	मीरापुर
16	श्रीमती रामो देवी	श्री सम्मन	मीरापुर
17	श्री गजेन्द्र	श्री रघुनाथ	मीरापुर
18	श्रीमती जानकी	श्री हृदयराम	मीरापुर
19	श्री लाला	श्री हरदेव लाल	मीरापुर
20	श्री रघुवीर सिंह	श्री सुक्खन	निजामतपुरा
21	श्री कमलावती	श्री रघुवीर सिंह	निजामतपुरा
22	श्रीमती सन्तरा देवी	श्री विजयपाल	चौहानपुर
23	श्री हरवीर सिंह	श्री रामजस	चौहानपुर
24	श्रीमती मंजू रानी	श्री राजविहारी लाल	गंगारामबाला
25	श्री देवेन्द्र	श्री राम रतन सिंह	बढ़तपुर
26	श्रीमती विमला	श्री देवेन्द्र सिंह	बढ़ापुर
27	श्री राम सरन	श्री देवेन्द्र सिंह	बढ़ापुर
28	श्रीमती सरला	श्री राम सरन	बढ़ापुर
29	श्रीमती सविता	श्री देवेन्द्र सिंह	बढ़ापुर
30	श्रीमती विनीता	श्री देवेन्द्र सिंह	बढ़ापुर
31	श्री अभिषेक सिंह	श्री देवेन्द्र	बढ़ापुर
32	श्रीमती हिमानी	श्री अभिषेक	बढ़ापुर
33	श्रीमती शोभा	श्री सत्येन्द्र कुमार	काजीवाला
34	श्री सत्येन्द्र कुमार	श्री रेशम सिंह	काजीवाला
35	कु0 पल्लवी अग्रवाल	श्री नरेन्द्र कुमार	गंगरामवाला

नत्थी 'घ'

(देखिए श्री अध्यक्ष का निर्देश पीछे पृष्ठ 138-139 पर।)

श्री बैजनाथ दुबे--

मै मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2005-06 के सामान्य बजट का समर्थन करता हूँ.जिस तरह से सरकार का बजट विकासोन्मुखी किसानों के लिए हितकारी, शिक्षकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, मजदूरों, कर्मचारियों एवं सभी वर्गों का समर्थन करता है इस तरह का बजट कभी भी किसी सरकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान 86% हो चुका है तथा पूर्व में बिक्री किये गये रबी एवं खरीफ फसलों का वाजिब दाम 12% बढ़ाकार किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है और किसानों को 556 करोड़ का फायदा दिलाया गया है।

मा0 अध्यक्ष जी, जनपद गोण्डा में स्थित मैजापुर चीनी मिल पर भारतीय जनता पार्टी की छाया पड़ गयी और मिल.बंद हो गयी । सरकार के पक्ष में मिल कुर्क है। किसानों का 15.38 करोड़ रुपया मिल पर बकाया है। अत: मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मिल को 15 करोड़ रुपये का पैकेज देकर मिल चालू कराया जाय अन्यथा किसानों में भुखमरी फैल जायेगी।

मा0 अध्यक्ष जी, शिक्षा विभाग को भारी बजट देकर जहाँ गरीब किसानों के बच्चों को शिक्षित करने का वायदा किया गया है तथा जहाँ पिछली सरकार द्वारा केवल अनु0 जाति के लोगों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी वही सभी जाति, वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने का स्वागत योग्य काम किया है। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 1446 करोड़ रुपये छात्र वृत्ति की व्यवस्था 300 करोड़ रुपये 1.5 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

बिजली विभाग में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु चार सौ करोड़ एवं नई विद्युत इकाईयां हेतु 1775 करोड़ रुपये रिहन्द के जीर्णोद्धार हेतु 120 करोड़ रुपये का प्राविधान करके प्रदेश के विद्युत समस्याओं का समाधान हेतु गंभीर प्रयास किये गये हैं।

सिंचाई विभाग में 29 हजार किमी0 नहरों की सफाई का लक्ष्य है। वर्ष 2004-05 में सिल्ट सफाई का कार्य पूरा किया गया है। इस तरह वृहद् एवं मध्यम सिंचाई के लिए 1992 करोड़, लघु सिंचाई हेतु 187 करोड़, बाढ़ नियंत्रण जल निकासी हेतु 360 करोड़ खर्च करना अत्यंत सराहनीय कार्य है क्योंकि बहुत जगहों पर जल भराव होने के कारण कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी रहती है उसके जल निकासी की भी व्यवस्था बजट में की गयी है। नहरों में लाइनीकरण कार्य कराने के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था एवं बाढ़ से बचाने के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था सरकार के सराहनीय कदम हैं एवं अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए 1182 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिससे योजनाओं को पूर्ण कराकर हर क्षेत्र को पानी मुहैया कराने का इंतजाम हो जायेगा। इस तरह से वर्तमान बजट में सिंचाई संबंधी प्रत्येक क्षेत्र को संतृप्त करने की व्यवस्था की गयी है। बुन्देलखण्ड को कई बांधों का निर्माण कराने हेतु बजट में प्राविधान किया गया है। नि:शुल्क बोरिंग हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके छोटे किसानों की सिंचाई की क्षमता बढ़ायी गयी है।

कृषि क्षेत्र में आलू किसानों को अपना आलू बेचने हेतु दर-दर ठोकरें खाना पड़ता था। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पिछले वर्ष से किसान बीमा योजना लागू करके किसानों के परिवार के हितों की रक्षा की गयी है। प्रदेश के मण्डियों को कम्प्यूटरीकरण करके कृषि बाजारों की क्षमता को बढ़ाया गया है। 20 हजार हे0 ऊसर भूमि का सुधार करके कृषि योग्य बनायी जायेगी

जिससे किसानों की माली हालत ठीक होगी तथा 20 जिलों में फल सब्जी मण्डी के स्थापना हेतु भूमि अर्जन किया जा रहा है। इसी तरह किसानों को मजबूत करने के लिए दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण महिला डेरी परियोजना संघ, मिनी डेरी परियोजना का विस्तार किया जायेगा। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां प्रदेश में 700 स्वा0 उपकेन्द्रों की स्थापना की जायेगी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन 3640 प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं 372 सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों को पूर्ण कराया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त स्थानों पर संविदा पर डा0 को रखा गया है। इससे गांवों में स्वा0 का सुधार होगा।

गांव के विकास के लिए त्वरित विकास योजना के लिए 260 करोड़, पेयजल के लिए 290 करोड़ एवं कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एग्रो केन्द्रों की स्थापना करना, गांवों को विकास के लिए अवस्थापना सुविधा को चालू करना, आदर्श जनपद बनाने के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था करना एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना में 350 करोड़ की व्यवस्था करके रोजगार सृजित करने का उद्देश्य एवं गांव को विकास करके शहरों के तरफ पलायन कर रही आबादी को रोकने का काम किया गया है। एवं गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था करके गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रयास किया गया।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के अंतर्गत पिछली सरकार के समय तमाम जगह कटिया कनेक्शन हेतु पैसा जमा कराया गया था अब कुर्की की कार्यवाही की जा रही है जिन गांवों में भी अभी तक खंभे नहीं लगे हैं, तार नहीं लगे हैं, गांव विद्युतीकृत नहीं हैं उसमें आ रहे विद्युत बिल निरस्त किये जायं। मेरे क्षेत्र में प्रा0 स्वा0 उपकेन्द्र दुबहा बाजार, सेलहरी मण्डप में उपकेन्द्र स्थापित किया जाय जिससे जनता को स्वा0 की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में डेठी नदी बहती है जो पूरे क्षेत्र में 16 जगहों को काटती है यदि कटरा बनगांव मार्ग पर मेहराना बाद, कैंसरगंज मार्ग पूनपुर के पास पुल का निर्माण करा दिया जाय तो गोण्डा, बहराइच जिले की सीमा जुड़ जायेगी इसी तरह कौडिया अशोकपुर मार्ग पर स्वीकृत भेंडिया घाट पर पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय इस पर पूरी धनराशि अभी तक आवंटित नहीं की गयी है। हमारे क्षेत्र के तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर 700-800 की आबादी है परन्तु प्रा0 विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल नहीं है खुलवाने की व्यवस्था की जाय। हमारे क्षेत्र के कटरा बाजार में एक विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है पैसा भी आवंटित है बिजली विभाग कार्य प्रारम्भ नहीं करा रहा है प्रारम्भ कराने के लिए निर्देश देने की कृपा करें। हमारे क्षेत्र में कौड़िया बाजार को नगर पंचायत घोषित किया जाय तथा पनाहारी कुटी जो प्राचीनकाल का झील व मन्दिर है को पर्यटन विभाग को देकर विकसित किया जाय मेरे विधान सभा क्षेत्र बालपुर चौकी को थाना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। थाना बनाने के लिए स्वीकृति दी जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2005-06 का समर्थन करता हूं।

श्री सदल प्रसाद--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि 2005-06 में माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पूर्वांचल के गोरखपुर जिले से पहली बार विधायक चुनकर आया हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण को गम्भीरता से पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि पूर्वांचल के विकास को काफी उपेक्षित रखा गया है।

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्रवास गांव और गोरखपुर जिले के लोकहित एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, गोरखपुर के दक्षिणांचल में मात्र सड़क द्वारा ही आवागमन का साधन है लोगों को लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है इस दूरी को कम करने को वासगांव से कुसमौल मार्ग बनाने का प्रयास वर्ष 1992-93 में सरकार की ओर से किया गया, बीच में आभी नदी पर तीन करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार है। उक्त मार्ग का आगणन लो0 नि0 वि0 की ओर से कई बार स्वीकृति के लिए शासन को प्रेषित किया गया परन्तु आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली। करोड़ो रुपये पुल बनवाने पर खर्च होने के बाद वासगांव-कुसमौल मार्ग न बनने से पूरी दक्षिणांचल में लोगों में आक्रोश है। ये सड़क बनने से गोरखपुर पहुँचने में बीस कि0मी0 की दूरी की कमी होगी।

मान्यवर, मेरे वि0 स0 क्षेत्र के ढढ़ौना और कूड़ाभरथ के बीच आभी नदी पर एक और पुल का बनना जनहित में बहुत ही जरूरी है। मान्यवर,आजादी के बाद मेरे विधान सभा में विकास क्षेत्र खजनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आज भी किराये के मकान में चल रहा है। विकास क्षेत्र मुख्यालय पर ही मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मांग करता हूँ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003-04 के समग्र ग्राम चयनित होने के बाद समग्र ग्राम शिवपुर, महिमवार, गोड़सैरा, धुसिया (छेदी डड़वा) ग्राम में सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुआनो नदी पर बनकटा और वनतवोर के बीच जनहित में पीपे के पुल की मांग करता हूँ। हरिहरपुर में प्रस्तावित विद्युत सब-स्टेशन जल्दी से लगे इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

धन्यवाद।

श्री काली चरन राजभर--

मान्यवर, आपने मुझे 2005 व 2006 के प्रस्तावित बजट के विरोध में बोलने का मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, यह बजट किसान विरोधी, गरीब विरोधी तथा मजदूर विरोधी है। इस बजट से प्रदेश के लोगों का कुछ भला होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर राजापुर, कटसू के पास गोधनी नदी बहती है। उस पर पुल न होने के कारण लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है। सुश्री बहन मायावती के शासन काल में यह पुल स्वीकृत था लेकिन सरकार गिर जाने के कारण पुल पर आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि गोधनी नदी पर राजापुर के पास पुल बनवाने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेगा गांव में आ0 नं0 293-396 पर गरीबों, दलितों, पिछड़ी जाति के लोगों को पट्टा दिया गया लेकिन बाद में उक्त जमीन को वन विभाग के नाम कर दिया गया जबकि 25 वर्षों से काबिज लोग उस पर खेती बारी करते हैं, वन का कहीं कोई औचित्य नहीं, आपके माध्यम से काबिज लोगों को जो खेती करते हैं, सरकार से उनको मालिकाना हक दिलवाने की मांग करता हूँ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो गंभीर समस्या है कृपया इसको कार्यवाही में सम्मिलित कराने का कष्ट करेंगे।

1--राजापुर कटया लहंग के पास गोधनी नदी बहती है। पुल न होने के कारण बरसात के दिनों में काफी लोगों को तकलीफ होती है। आपके माध्यम से सरकार से गोधनी नदी पर पुल बनवाने की मांग करता हूँ।

2--मेरे विधान सभा में ग्राम रेंगा है जहाँ आ0 नं0 293-396 पर गांव के गरीब, दलित, पिछड़ी समाज के लोग काफी दिनों से काबिज हैं। इस जमीन का पट्टा भी इन काबिज लोगों को दिया गया है। लेकिन शासन प्रशासन के साजिश के कारण इस जमीन पर लोगों को कब्जा नहीं मिला। आपसे चाहूंगा कि ग्राम रेंगा की उस जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाय।

श्री विनोद कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी के बजट के पक्ष में बोलना चाहता हूं किन्तु मौका नहीं मिल सका। नि:संदेह ही यह बजट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है। इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए जो भी व्यापक योजनायें बनी हैं, वह वास्तव में बहुत ही उपयोगी तथा व्यावहारिक है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए बजट में जो प्राविधान किया गया है, वह सही रूप में एक साहसिक कदम है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नगरीय विकास के लिए भी सराहनीय व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश में सड़कों, पुलों एवं परिवहन के लिए बजट में विशेष व्यवस्था है वह व्यावहारिक तथा प्रशंसनीय है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मछली शहर में कुछ आवश्यक कार्य बजट में आने से छूट गया है। कृपया निम्न कार्यों को बजट में सम्मिलित करने का कष्ट करें:

1-- मुंगरा बादशाहपुर में सी0 एस0 की स्थापना।

2--मुंगरा बादशाह पुर में महिला अस्पताल की बिल्डिंग।

3--मछली शहर तहसील पर डाक बंगले का निर्माण।

4--करियांव (मोरगंज) में एलोपैथ अस्पताल।

5--इलाहाबाद-जौनपुर का मार्ग नवनिर्माण एवं चौड़ीकरण।

6--मुंगरा बादशाह पुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना।

7--पेयजल संकट से मुक्त होने के लिए विशेष व्यवस्था, टंकी बनाकर, हेण्डपम्प देकर, तालाब खुदवाकर।

8-- बाढ़ रोकने के लिए सुखवासिंह का बंधा बनवाना जो प्रतापगढ़ बार्डर पर है। (कच्ची एवं पक्की सड़क)।

9--मछलीशहर में महिला राजकीय डिग्री कालेज।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ आप मेरे इस लिखित उद्गार को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2005-2006 के बजट का समर्थन करता हूँ। वास्तव में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। लेकिन तुलसीदास की निम्न चौपाई के अनुसार :--

"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी।"

जो उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, उनके लिए यह बजट अच्छा है, जो केवल सत्ता के भूखे हैं, उनको यह बजट कैसे अच्छा लगेगा ? मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में निम्न विकास कार्य छूट गये है, इन्हें बजट में सम्मिलित करने की महती कृपा करें।

1--शाहगढ़ विकास खण्ड में प्रा0 स्वा0 केन्द्र को उच्चीकृत करके सामुदायिक विकास स्वा0 केन्द्र बनाने की कृपा करें।

2--पेयजल हेतु गोरा जामों में, अत्तानगर गोरीगंज में जल निगम टंकी लगवाने के संबंध में।

3--काटूनाला पर गुंगेमऊगोरा मार्ग व गाईमऊ पूरे सुम्बा पूरब गोरा मार्ग पर पुल तथा दोनों के बीच बंधा निर्माण करवाने के संबंध में ।

4--शाहगढ़ विकास खण्ड के नन्दमहर में डिग्री कालेज खोलने में सहयोग देने के संबंध में।

5--जौनपुर ब्रांच में पूरे दीवारन, गायत्री नगर होते हुए 2 किलोमीटर मार्ग निर्माण के संबंध में।

6--दखिनवारा में 11 के0 वी0 ए0 का विद्युत उप केन्द्र निर्माण के संबंध में।

7--मवई में विद्युत उप केन्द्र बनाने के संबंध में।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल--

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे विधान सभा गंगापुर वाराणसी की विकास हेतु कुछ कार्य बजट से छूट गये है इनको शामिल करने का आदेश देने का कष्ट करें।

1--जोटरांड रखौंग से खडखुणी होते रेलवे लाइन रखौना तक।

2--मांगालवीर बगालीपुर नाले के अवशेष भाग को पक्का करने हेतु।

3--राजा तालाब बाजार से दोनों तरफ सीवर का कार्य।

4--बेनीपुर ग्राम में सीवर का कार्य।

5--सहावावाद में ग्राम व मनियारीपुर ग्राम में सीवर का कार्य।

श्री अंसार अहमद--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा बजट भाषण का जोरदार समर्थन करते हुए मैं अपने विधान सभा नवाबगंज 258 में कुछ समस्यायें है बजट में शामिल करने का कष्ट करें, सड़क की मरम्मत कराने का कष्ट करें।

1--हरखपुर से गोपानापुर तक।

2--सोराव से मोहम्मदपुर नवगवा तक।

3--थाना होलागढ़ से जगदीशपुर सुकाकी तक।

4--महहरिया पटेल नगर तक ।

5--सोराव हरखपुर कल्याणपुर से अरूगाँव तक।

6--लखनऊ मार्ग से रेरुआ सुल्तानपुर से सिधापुर तक।

श्री मोहम्मद सफीर--

मान्यवर, मैं बजट का जोरदार समर्थन करता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा खागा, तहसील खागा में रोड की हालात जर्जर है, पूरे क्षेत्र का आवागमन है।

मैं अनुरोध के साथ चाहूंगा कि आप खागा की रोड जो बाई पास से स्टेशन तक का धन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री नत्थू सिंह--

मान्यवर, मैं बजट का जोरदार समर्थन करता हूं। इसमें निम्न बातें मेरे विधान सभा क्षेत्र की छूट गई है, कृपया सम्मिलित करने का कष्ट करें:

1--बिलग्राम इलाहाबाद मार्ग पर टूटा पुल का निर्माण।

2--प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ऊँचागाँव का उच्चीकरण।

3--विद्युतगृह का निर्माण बीघापुर तहसील पर।

4--राव राम बक्श के बलिदान स्थल पर पर्यटन केन्द्र।

श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार--

मान्यवर, माननीय नेता सदन के प्रस्तुत बजट के समर्थन में समय न मिलने पर अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ ज्वलंत गंभीर समस्यायें हैं जो नहीं रख सका, कृपया लिखित में दे रहा हूं कृपया चर्चा में शामिल कर समस्याओं पर कृपापूर्वक ध्यान देते हुए निदान कराने का कष्ट करें।

(1) ग्राम मीरापुर, गोतारा, पनवडिया ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी की भूमि जो रामगंगा नदी के द्वारा भारी कटान किया जा रहा है। कृपया ठोकरें लगाने हेतु बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकलन तैयार कराकर तत्काल धनराशि स्वीकृत कराने की कृपा करें।

(2) कस्बा फतेहगंज पश्चिमी तिराहे से ग्राम अग्राज होते हुए अभय ग्राम नैनीताल रोड जो अत्यंत जर्जर हालत में है। आवागमन में स्थानीय जनता को काफी कठिनाई हो रही है। कृपया तत्काल पुनर्निर्माण कराने हेतु पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा प्राकलन बनवाकर धनराशि स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

(3) नैनीताल रोड ग्राम जादोपुर से संधल रोड जो अत्यन्त जर्जर हालत में है। कृपया तत्काल पुन: निर्माण कराने हेतु धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(4) नैनीताल रोड अरामांज कालेज से धौरा गंज रोड अत्यंत जर्जर हालत में है। कृपया तत्काल पुन: निर्माण कराने हेतु तत्काल स्वीकृत करने की कृपा करें।

(5) ग्राम चकदहा में पशु चिकित्सालय बनाने को जगह स्वीकृत कर धनराशि आहरित करने की कृपा करें।

(6) ग्राम चकदहा के पास कन्या इंटर कालेज खोला जाये जो 2005-06 के बजट में सम्मिलित करने की कृपा करें।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

धर्मेन्द्र कुमार कश्यप--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं। मा0 मुलायम सिंह ने प्रदेश में जो काम कर दिया प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर सभी वर्गों का कल्याण कर दिया। मान्यवर, मेरी क्षेत्र की समस्यायें हैं जिनको आपके माध्यम से बजट प्रस्तुत में शामिल करने की कृपा करें।

(1) जनपद बरेली की 33 सन्हा विधान सभा क्षेत्र में चनेहरी से पालपुर कमालपुर जाने के लिए नकटिया नदी पर पुल नहीं है। रेलवे पुल से ग्राम वासियों को जाना पड़ता है जिससे रेलगाड़ी के आ जाने से तमाम ग्रामीणों की दुर्घटना हो चुकी है व क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है। कृपया पुल बनाने का भी बजट शामिल करने की कृपा व क्षेत्र देवचरा से लेकर बल्लिया तक विशारतगंज से मझगवां तक व राम्परा से अलीगंज तक अम्बा से सूदन पुर धनेती तक सड़क मरम्मत कराने की कृपा करें एवं क्षेत्र में गोकिल पुर जितोर पर पशु चिकित्सालय बनवाने की कृपा करें।

श्री शिव तपस्या पासवान--

विषय पूर्वांचल राज्यांश से अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में :--

(1) नकोइया माइनर पर अधूरे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कृपा करें। विकास खण्ड चकिया।

(2) सैदपुर बाजार में पक्की नाली विकास खंड शहावगंज।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

मा0 अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक बजट पर बोलने की अनुमति दी है उसके लिए आभारी हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाह रहा हूं कि बजट के पृष्ठ 9 पर चीनी के विकास का उल्लेख किया किन्तु जरवल चीनी मिल जो न बंद है और न घाटे में किन्तु फिर भी मिल को पट्टे पर दिया जा रहा है। 264 सीजनल मजदूरों को समाहित न करके श्रमिकों का अहित किया जा रहा है। बहराइच जनपद का अधिकांश भाग नेपाल बार्डर पर है। बाह्य (माओवादी) समस्या से ग्रस्त है उन क्षेत्रों का विकास करके ही उसको ठीक किया जा सकता है। किन्तु सीमा क्षेत्र पर शिक्षा को देखें तो श्रावस्ती में 216 विद्यालय प्राथमिक किन्तु शिक्षक केवल 158 हैं बहराइच जनपद में 900 प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक से चल रहे हैं। 162 विद्यालय शिक्षक विहीन बार्डर के एस0 के0 एच0 5 कि0 मी0 क्षेत्र में कोई सड़क नहीं, बिजली नहीं पूर्णतया अविकसित क्षेत्र को पूर्वत अविकसित रखकर कैसे सीमा की समस्या से निपटा जा सकेगा। पूरे बजट में पृष्ठ 36, 37, 38 केवल उर्दू के लिए समर्पित रहा किन्तु भारत की आत्मा संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा संस्कृत के लिए एक भी शब्द का उल्लेख नहीं, एक भी पैसा का बजट नहीं। मेरी विधान सभा की 24 समग्र विकास गांवों में सड़क नहीं बनी 05 प्रस्तावित गांवों में बिजली नहीं आती फिर इस बजट की कैसे कोई सराहना कर सकेगा, विरोध करता हूं।

श्री महेश नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अच्छे बजट के लिए बधाई देता हूं बजट में डा0 राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी सोच को यथार्थ रूप दिया गया है। साथ-साथ हंड़िया विधान सभा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पूर्व

में जो सड़कें बनायी गयी हैं गुणवत्ता के अभाव में ध्वस्त हो गई है जिनकी मरम्मत होनी चाहिए। लाक्षा गृह से गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण होना चाहिए। हड़िया जंघई मार्ग का चौड़ीकरण होना चाहिए तथा पिपरी गाँव में जमीन उपलब्ध है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनना चाहिए। लाक्षागृह को पर्यटक स्थल बनवाया जाय क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थल है। बजट की सराहना समर्थन करते हुए मुख्य मंत्री को बधाई देता हूँ।

श्री कल्याण सिंह दोहरे--

मान्यवर, कृपया निम्न को विधान सभा कार्यवाही में जोड़ने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत कर विहीन बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ । बजट ग्रामोन्मुखी, दलित किसान, विधवा व वृद्ध जनोपयोगी है। पहली बार ग्रामीण जनता के लिए 71.3 प्रतिशत बजट गांव को दिया गया है जिससे ग्रामों में विकास होगा आपने 500 से ऊपर की आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए कहा है, जो काबिले तारीफ है आपने बजट में सभी वर्गों के लिये व्यवस्था की है। आपने गरीब छात्राओं को जो इण्टर पास कर चुकी हैं को 20,000 रुपये देने का कार्य किया है। एक सराहनीय कदम है चिकित्सा के भी तमाम उपाय किये हैं। इस प्रकार बजट पूर्णत: जन:उपयोगी है बजट में मेरे क्षेत्र के अंतर्गत निम्न कार्यों को अति आवश्यकता है को जोड़ने की कृपा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुसुमखोर गंगा नदी पर जो हरदोई को जोड़ती है एक पीपों के पुल की अति आवश्यकता है। कुसुमखोर घाट पर पीपों का पुल बनवाने की कृपा करें तथा हमारे क्षेत्र में काली नदी व गंगा नदी के बीच का क्षेत्र डंडवारी कहलाता है जहां शिक्षा व चिकित्सा सुविधा नहीं है। अत: एक इण्टर कालेज व एक सरकारी चिकित्सालय डंडवारी क्षेत्र में बनवाने की कृपा करें तथा मानीमऊ से कपूरापुर 1 कि0मी0 व तिर्वा रोड से बिलन्दापुर नालाहार 2 कि0मी0 पक्का रोड बनवाने की कृपा करें।

श्री विजय बहादुर पाल--

माननीय अध्यक्ष जी, बेजोड़, बेदाग नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जीर्ण-शीर्ण आर्थिक दशा व प्रदेश के चिंतनीय पिछड़ापन में क्रांतिकारी परिवर्तन व बहुमुखी प्रगति हेतु प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूँ। समय पर बजट प्रस्तुत कर वित्तीय प्रबंधन की दक्षता प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश को उत्तम आदर्श एवं उद्योगों का प्रदेश बनाने के लिए विकास परिषद् का गठन कर उद्योगपतियों को नियोजन हेतु आमंत्रित व आकर्षित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, कृषि, चिकित्सा, पेयजल आदि सुनिश्चित की गई प्राथमिकतायें सराहनीय हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया, चौ0 चरणसिंह आदि के सपनों को साकार करने का सार्थक प्रयास किया गया है। प्रदेश की जनता नये करों का बोझ न लादे जाने पर यत्र तत्र सर्वत्र जय जयकार कर रही है। संसाधन जुटाने में अर्थशास्त्र की प्रवीणता प्रदर्शित की गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ विनम्र सुझाव देकर विशेष कृपा चाहता हूँ उमर्दा में राजकीय इण्टर कालेज में इण्टर कक्षाओं में विज्ञान वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने हेतु शिक्षा में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति होनी चाहिए ताकि शिक्षकों व छात्रों के मध्य सही अनुपात हो सके। विद्यालय भवन निर्माण का दायित्व शिक्षक को नहीं सौंपा जाना चाहिए। फर्रुखाबाद व कन्नौज जनपदों में आलू का उत्पादन बहुत अधिक है। आलू की खपत हेतु उद्योग लगाना किसानों के लिए कल्याणकारी होना। ऊसर भूमि की प्रचुरता उमर्दा, हसेरन, सोरिख, तालग्राम आदि ब्लाकों

में है ऊसर को उपजाऊ बनाने हेतु ठोस योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए। अध्यात्मिक दृष्टि व ऐतिहासिक रूप से कन्नौज देश और दुनिया में जाना जाता है। लाख बहोसी पक्षी विहार को भरपूर विकास से जाने माने पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। कन्नौज से इन्द्रगढ़ बहोसी के लिये, सौरिख बाड़नी से हसेस होकर बहोसी के लिए उमंदा से बहोसी कैनाल रोड़, आदि सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में निर्मित होनी चाहिए। 6-7 वर्ष नवीन जनपद बने कन्नौज को व्यतीत हो चुके हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी , अभियंत्रण सेवा आदि पदों का सृजन कर अविलम्ब नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। क्षेत्र के किसानों को खेती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कन्सुआ से खैर नगर नहर व खैन नगर रजबाह की खुदाई गहराई से सुचारु रूप से होनी चाहिए एवं मुगरा माइनर (जो पूरी तरह रूंधी पड़ी है) की खुदाई कराई जानी चाहिए। अति कृपा होगी, कोटि-कोटि धन्यवाद।

श्री राम भुआल निषाद--

माननीय अध्यक्ष जी नेता सदन के द्वारा जो बजट पेश किया गया है। जनता के हित का बजट है। इससे समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाला बजट है। मैं इस बजट का स्वागत व समर्थन करता हूं।

(1) माननीय अध्यक्ष हमारे विधान सभा क्षेत्र कोड़ीराम बाढ़ से प्रभावित वाला विधान सभा है। बाढ़ का भीषण प्रकोप का सामाना वहाँ की जनता करती है। विधान सभा कोड़ी राम के अंतर्गत जितने बंधे हैं उसे ऊंचा और चौड़ा करा दिया जाये तथा नौसठ कलानी रिंग बंधे को पूरा करा दिया जाये।

(2) हमारे विधान सभा क्षेत्र कोड़ीराम के अंतर्गत रामगढ ताल परियोजना के अंतर्गत जी0 डी0 ए0 के अधिकारियों द्वारा वन विभाग द्वारा लगाये गये हरे पेड़ों को कटवा कर आवासीय कालोनी नियम विरुद्ध बनाया जा रहा है। जिसकी जांच करा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाय तथा हरे पेड़ों को कटवाने से रोका जाय। हमारे विधान सभा के अन्तर्गत सुक्खूतोला से हरहखौं तक एक परियोजना स्वीकृत है जिसमें एक ही किस्त मिल पायी है। दूसरे किस्त की अभाव में परियोजना अधूरी है दूसरी की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

(3) माननीय अध्यक्ष जी, रामगढ़ ताल परियोजना के अधिकारी और ठेकेदार के मिली भगत से फर्जी स्टाम्प व बिना कार्य कराये पेमेण्ट करा रहे हैं। रामगढ़ ताल में पिचिंग कार्य व मिट्टी भराई कार्यों में ऐसा किया जा रहा है।

(4) गोरखपुर में तैनात वर्तमान में सचिव, जी0 डी0 ए0 पी0 के0 श्रीवास्तव जिनकी गोरखपुर में चौथी बार पोस्टिंग हुई है इनके पाँच वर्षों के कार्यकाल भ्रष्टाचार तथा अनैतिक कार्यों में लिप्त थे जिसकी जाँच कराकर दण्डित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सुल्तान बेग--

मान्यवर, सामान्य बजट की चर्चा में समय न मिलने पर अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें जो बहुत गंभीर है, नहीं रख सका हूं। कृपया निम्न समस्याओं पर कृपा पूर्वक ध्यान देते हुए इन समस्याओं को समाधान कराने का कष्ट करें जो निम्न प्रकार है :--

(1) रोहेल खण्ड नहर खण्ड की किच्छानहर की किच्छा डाम से ठिरिया टेल व संपूर्ण सफाई कराने का कष्ट करें, प्रस्ताव व स्टीमेन्ट विभाग में उपलब्ध है।

(2) मवई काजिवान-शरीफ नगर-कनमन मार्ग को तत्काल मरम्मत करने का कष्ट करें। क्योंकि इस सड़क पर से कई दर्जन गन्ना क्रय केन्द्रों का गन्ना दि किसान सहर चीनी मिल समोखेड़ा, बरेली को जाता है। यदि तत्काल यह सड़क नहीं ठीक हुई तो कभी भी किसानों द्वारा आन्दोलन छेड़ा जा सकता है।

(3) मेरे विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों समग्र विकास योजना में चयनित ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल नहीं है इस संबंध में मैं मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अवगत करा चुका हूं। मेरी विधान सभा में 20 (बीस) जूनियर हाई स्कूल देने की कृपा करें।

(4) भिटौरा बहेड़ी मार्ग पर भोवल पुर से बहेड़ी तक विशेष मरम्मत के अंतर्गत मरम्मत कराने का कष्ट करें।

(5) ढाढ़ा नदी पर शेरगढ़-समोखेड़ा तक बसुन्धरान पर पुल का निर्माण कराने का कष्ट करें। माननीय इस यह पुल कई दर्जन गांवों को जोड़ने का काम करेगा।

(6) मान्यवर, गाँव पहाड़पुर, ब्लाक शेरगढ़, तहसील मीरगंज में ढाढ़ा नदी द्वारा भयंकर कटान किया जा रहा है। कृपया वहाँ पर पत्थर की ठोकरें लगवाने का कष्ट करें।

(7) ग्राम कनपुर, ब्लाक मीरगंज, तहसील मीरगंज पर पीला खार नदी द्वारा एक साल से कटाव किया जा रहा है। यदि यहाँ तत्काल पत्थर की ठोकरें नहीं लगाई गई तो सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि तो कट चुकी है, दर्जनों गाँव पीलाखार नदी द्वारा काट दिये जायेंगे।

(8) ग्राम भकवा, ब्लाक व तहसील बहेड़ी पर किच्छा नदी द्वारा कुछ गाँव काटे जा चुके हैं बाकी गाँव कटने के कागार पर है। लिहाजा तत्काल यहाँ ठोकरें लगवाई जायें।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त कस्बा शेरगढ़ व कस्बा शीशगढ़ तथा कस्बा मीरगंज के कई गांवों, मुहल्लों में अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ साथ ही ग्राम सिधौली, धन्तिया, परारा, तिलामस, गहवरा, सिगरा, ब्लाक मीरगंज व उलेहना पुर, बोलपुरा शरीफा नगर गहलूइया, मुहीद्दीनपुर सिमरावा तथा पहाड़पुर में भी कई -कई मुहल्लों में विद्युतीकरण नहीं हुआ । कृपा पूर्वक इन गांवों में तथा कस्बों में विद्युतीकरण कराने का कष्ट करें। अंत में मान्यवर, मैं 2005-06 के बजट का समर्थन करता हूं।

डा0 सियाराम सागर--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को समर्थन करता हूं । कृपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर-बरेली के विकास के संबंध में बताना चाहता हूं। लिखित आवरण में सम्मिलित करने के निर्देश देने की कृपा करें। यह निम्न प्रकार है :--

(1) कस्बा फतेहगंज पूर्वी में विद्युत गृह निर्माण का कार्य शुरू कराया जाये।

(2) फरीदपुर-खुदागंज मार्ग पर वह गुलबुल नदी के पुल का निर्माण।

(3) फरीदपुर-बांसलपुर मार्ग पर मरम्मत तथा उच्चीकरण।

(4) फरीदपुर-भुवा मार्ग पर मरम्मत तथा उच्चीकरण।

(5) फरीदपुर-बुखारा मार्ग पर मरम्मत तथा उच्चीकृत।

(6) नगर पालिका परिषद् फरीदपुर गंदा तथा बरसाती पानी के निकलने हेतु नालों का निर्माण।

(7) कोतवाली फरीदपुर की इमारत का निर्माण, थाना फतेहगंज पूर्वी तथा थाना भुता की इमारत का निर्माण।

श्री लाल बहादुर यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2005-2006 के बजट भाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय नेता सदन ने जिस तरह से जारी धर्म और मजहब दल और पार्टी से ऊपर उठ कर किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों, व्यापारियों आदि के लिए बजट में प्राविधान किया गया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं क्योंकि किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों, व्यापारियों आदि की कोई जाति नहीं होती है। यह चाहे समाज की ऊँची जाति के लोग हों चाहे पिछड़ी जाति के हों चाहे अनुसूचित जाति के हों चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, ये उपरोक्त वर्ग के लोग सब में पाये जाते हैं। इसलिए एक बार पुनः मैं बजट भाषण का जो सुखोन्मुखी है, का समर्थन करता हूं तथा नेता सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने जनपद की कुछ विशेष समस्याओं को आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहेंगे ।

1--लुम्बनी दुद्धी मार्ग जो जौनपुर में लगभग एक सौ कि0मी0 है पूरी तरह से खराब हो चुका है का निर्माण।

2--जौनपुर शहर में शाहीपुल के समानन्तर गोमती नदी पर पुल।

3--मांझीधार रोड जो जनपद में आजमगढ़-इलाहाबाद सड़क के नाम से जाना जाता है लगभग एक सौ कि0 मी0 है, खराब हो गयी है।

4--मेरे विधान सभा क्षेत्र गड़वारा के वि0 खं0 सुजानगंज में सोनहिता नाले पर पुल जो विगत सात वर्षों से टूटा पड़ा है, का बनना जनहित में नितांत आवश्यक है।

5--विधान सभा गड़वारा के वि0 खं0 सुजानगंज में ग्राम शिवरिहा के नाले पर पुल।

6--सुजानगंज-देवकली मार्ग में देवकली नाले पर टूटे पुल की जगह पुल।

7--बदलापुर वि0 स0 खुटहन में प्रस्तावित 132 के0 वी0 ए0 का पावर हाउस जिसकी तकनीकी स्वीकृतियाँ हो चुकी है।

8--वि0 स0 गड़वारा के विकास खण्ड सुजानगंज व वि0 खं0 महाराजगंज को जोड़ने वाली सड़क सोनहिता-कल्यानपुर मार्ग के बीच सई नदी पर पुल का निर्माण।

9--सिकरारा-सुजानगंज मार्ग की मरम्मत।

10--मछलीशहर-सुजानगंज मार्ग मरम्मत।

11--उसरा बाजार वाया तेजीबाजार-बरईपार-मछलीशहर तथा जंघई तक की सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण जनहित में आवश्यक।

12--विधान सभा गड़वारा के मध्य सई नदी होने के कारण अधिकांश भाग नदी का तटवर्ती इलाका हो जाता है इसलिए पेयजल का विशेष संकट हो जाता है। ऐसी दशा में विधान सभा गड़वारा हेतु अतिरिक्त पाँच सौ इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प।

13--बरहता से रामनगर मार्ग वि0 खं0 सुजानगंज वि0 स0 गड़वारा।

14--सइजंदपुर लिंक मार्ग वि0 स0 मछलीशहर।

15--एक स्टेडियम वि0 खं0 सुजानगंज में तथा एक स्टेडियम महराजगंज में तथा एक स्टेडियम मछलीशहर में निर्मित कराया जाय।

16--विधान सभा गड़वारा में लगभग डेढ़ सौ एकड़ जमीन ग्राम सभाओं की जो एक ही स्थान पर है, को दृष्टिगत रखते हुए कोई उद्योग निर्मित कराया जाय।

अन्त में मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कपिल देव यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय बजट में मेरे क्षेत्र की निम्न बातों को जोड़ लिया जाय--

1--प्रह्लाद विश्वविद्यालय मऊ में बनाया जाय,

2--मधुबन में तहसील का भवन बनाया जाय,

3--मधुबन के बस स्टेशन का सुधार किया जाय,

4--दोहरीघाट पम्प कैनाल को मैकेनिकल एवं सिविल दोनों मऊ जनपद के माध्यम से कराया जाय।

5--शहीद मार्ग जो अलिनगर से मधुबन तक जीर्णोधार कराने के संबंध में,

6--मयांदपुर गजियापुर मार्ग पर अधूरे पुल का निर्माण कराया जाय।

7--इन्दारा सुल्तानपुर बारहगावा रसूलपुर दुवारी की चकबंदी प्रक्रिया 1972 से चल रही है तत्काल समाप्त करायी जाय।

श्री मलिक समूद--

मा0 अध्यक्ष जी, बजट पर समय न मिलने के कारण मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में अपनी बात नहीं रख सका। अतः आप के निर्देशानुसार मैं अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्यायें लिख कर दे रहा हूं। जो इस प्रकार हैं :--

1--छोटी सरयू ड्रेन की खुदाई (शेष भाग) अनुमानित लागत 36 लाख 5 हजार रु0,

2--रेचन पट्टी ड्रेन की खुदाई,

3--छोटी सरयू नदी के दोनों तरफ बंधे का निर्माण चांद पट्टी से भैंसाड गांव के आगे तक,

4--घाघरा नदी की कटान से जो गांव जैसे चक्की, घुसवा, इसमाईलपुर अनु0 बस्ती तथा भठिया गांव को पक्के ठोकर बनाकर बचाया जा सकता है,

5--हैदराबाद के पास मुख्य बंधा जो कट गया था उसको 200 मीटर तक बोल्डर विचिंग करना,

6--छोटी सरयू नदी पर ग्राम रसूलपुर कठरा के पास एक छोटे पुल का निर्माण, अनुमानित लागत 20 लाख रु0,

7--ग्राम टेकनागढ़ा के पास औझौली घाट पर टोंस नदी पर पुल,

8--ग्राम भसोन (अहिरौली) से ग्राम चौकी, ब्रहमौली तक पांच कि0 मी0 तक लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण,

9--घाघरा नदी के किनारे बसे हुये गांवों की आबादी की भूमि को ऊंचा किया जाना तथा बंधे के किनारे विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म का निर्माण,

10--जौनपुर के पुराने विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाना तथा पुरानी जर्जर मशीनों को बदलना तथा जौनपुर टाउन एरिया के पुराने जीर्ण शीर्ण तारों को बदलना,

श्री मिथलेश कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी निम्नलिखित प्रस्ताव विधान सभा क्षेत्र पुवायां के आज की कार्यवाही में सम्मिलित कर विकास कार्य कराने की कृपा करें--

1--पुवायां-खुटारमार्ग पर गुटैय्या पर गोमती नदी पर पुल,

2--कनपारा (उंचागांव) के सामने नहर पर पुल (ब्लाक पुवायां),

3--पुवायां खुटार मार्ग पर सिकलापुर चौराहे से अण्डहा होते हुए पिपरिया भामवंत तक सड़क (ब्लाक खुटार),

4--कोरोकुइयां नहर पटरी से कटौल होते हुए बिरिया पाठक तक सड़क (ब्लाक सिधौली),

5--गंगसरा से सिरहाली होते हुए औरंगाबाद तक सड़क व पुल (समग्र विकास गाम ब्लाक पुवायां),

6--पुवायां कस्बे में बेडा रोड पर अस्पताल जमीन पर नये आंख के अस्पताल के भवन का निर्माण,

7--ग्राम अगौना बुजुर्ग वि0 क्षे0 पुवायां को डा0 राम मनोहर लोहिया विकास योजना में चयनित करा देवें। मेरा पैतृक गांव है।

श्री अनूप कुमार पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र राम नगर, जनपद बस्ती में बारा छत्र पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिससे वहां की जनता को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अत: इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर वक्तव्य की मांग करता हूँ।

श्री राम पाल यादव--

माननीय अध्यक्ष जी आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जन कल्याणकारी बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँगा मान्यवर इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेक जनहित की घोषणाएं करके समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनें विधान सभा क्षेत्र की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा तथा बाढ़ प्रभावित है जिसमें केवानी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण जनता का आवागमन बन्द हो जाता है। मान्यवर, कृपा करके केवानी नदी पर मदना वसुदहा गांव के पास पीपे के पुल का निर्माण कराकर समस्त क्षेत्रवासियों का कल्याण कराने की कृपा करें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र विसवा में ड्रेनों की सफाई तथा सीलन से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। नहर से निकले साइफन बन्द है जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि प्रभावित है। बाढ़ की वजह से पक्की बनी सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं उनको भी मरम्मत हेतु धन देने की कृपा करें। मान्यवर, इसी के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री बैजनाथ पासवान--

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के अन्तर्गत निम्न सड़कों के मरम्मत कराये जाने हेतु :--

1--चिरइया कोट मुहम्मदाबाद मार्ग, सुल्तानीपुर,रानीपुर ब्लाक होते हुए पलिगढ़ मऊ मार्ग।

2--खुरहट आजमगढ़ बलिया मार्ग, रानीपुर ब्लाक फतेहपुर होते हुए पड़री कांछा मार्ग जो गाजीपुर मार्ग को जोड़ती है।

3--कांझा सुरवां कुटी होते हुए मऊ जेल होते हुए मऊ जिले को जोड़ती है।

4--मुहम्मदाबाद गोहना वर्ष 1995 से बनकर 30 शैय्या का अस्पताल पड़ा हुआ है। शीघ्र चालू पूरी व्यवस्था के साथ कराया जाय। जिले से सी0 एम0 ओ0 द्वारा सारी कार्यवाही पूर्ण होकर शासन में लम्बित पड़ी है। अत: अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को जनहित में कराने के लिये आदेश देने की कृपा करें।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मौका दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण का समर्थन करता हूँ। अभी तक विकास की योजनाएं, अपीलों और इसके पहले और वकीलों की अपीलों में जलील होकर अगम अगोचर कन्दराओं में से इस यथार्थ की धरती पर अवतरित हुआ है। पहले स्कूल था, तो पढ़ाई नहीं थी। अस्पताल था तो दवाई नहीं थी। सड़क थी तो सफाई नहीं थी। नहर थी तो सिंचाई नहीं हुआ करती थी। इस बजट से पढ़ाई, दवाई, सफाई एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था की गई है।

किसानों, छात्रों, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, वकीलों, शिक्षकों, रिक्शाचालकों, विकलांगों सभी वर्गों को चयनित किया है। सिंचाई, सड़कें, सेतु, स्कूल एवं कालेज भवनों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये कटिबद्ध है। बेहतर रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 वर्ष पहले निर्माणाधीन पुल सहिजनी घाट का पुल एवं रामपुर गोपालपुर मार्ग पर इमलिया घाट (बसुही नदी) के पुल को पूर्ण कराके जनहित की बात किया जाय।

25 वर्षों से जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जाय चाहे वह कटवार-काटरो मार्ग हो, बेनीपुर-कादीहद मार्ग हो, जमालापुर बाबतपुर मार्ग हो, रामपुर बरसढी मार्ग आदि प्रमुख सड़के हैं।

अन्त में मैं मुख्य मंत्री जी के बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री राम लाल अकेला--

मा0 अध्यक्ष जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र बछरांवा जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास की गति तेज करने की आवश्यकता है। पूरा क्षेत्र जलभराव की समस्या से ग्रसित है। भदावर माइनर की सफाई आवश्यक है। शिवगढ़ ड्रेन गहरा करना आवश्यक है। महराजगंज ड्रेन व हंसवा ड्रेन की सफाई तुरन्त हो।

ग्राम वाजिदपुर मजरे देहली की नइया पर बांध बनाया जाय। सिकन्दरपुर में शिवगढ़ ड्रेन पर पुल बने, राजामऊ रजबहा में मेहरबान खेरा में पुल बछरावां से महराजगंज मार्ग को चौड़ा किया जाय, बछरांवा 132 के0 बी0 ए0 विद्युत उप केन्द्र लगे।

डा0 धर्मसिंह सैनी--

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूँ, पहली बार विधान सभा का सदस्य बना हूँ। मुझे आपने 2005-2006 के आम बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूँ।

मान्यवर, इस बजट में मा0 मुख्य मंत्री ने बाढ़ के लिए जो धनराशि दी गयी है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस धनराशि से बाढ़ पर पूर्णरूप से नियंत्रण नही किया जा सकता।

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सरसावा यमुना नदी के किनारे बसी है और पूरी विधान सभा का एक किनारा जो लगभग 35 किमी0 लम्बाई में है। यह यमुना नदी के कटाव से प्रभावित होता है जिसमें कस्बा गढ़, घोलरा, ननचारी टोडरपुर भकडी, सोन्धेवास, मधौर न नसरूल्लागढ़ की उपजाऊ भूमि को यमुना नदी के कटाव से हजारों बीघा जमीन प्रत्येक वर्ष नदी बहा ले जाती है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि सरकार उन गरीब किसानों की हजारों बीघा जमीन को बचाने के लिए सी0 सी0 के पक्के स्टड बनवा कर उस जमीन को बचाने का कार्य करने की कृपा करेगी।

मान्यवर, विद्युतीकरण के लिए भी सरकार ने बड़े वायदे किये है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस वायदे पर खरी उतरेगी क्योंकि गत वर्ष समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य श्री मुनव्वर हसन जी नें अपने प्रस्ताव में ग्राम डिक्का टपरी खण्ड सरसावा को विद्युतीकरण के लिये दिया गया था परन्तु आज तक इस ग्राम में कुछ नहीं किया गया है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि सरकार ग्राम-टिक्का टपरी का विद्युतीकरण कराकर जगमग करने की कृपा करेगी।

मान्यवर, सरकार ने सड़क सुधार के भी लोक लुभावने वायदे किये हैं लेकिन मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र सरसावा में सैकड़ों ग्रामों में मार्ग क्षतिग्रस्त पड़े हैं जिनमें अधिकतर सन् 2005 में समस्त ग्राम में भी चयनित हैं क्रमशः मझाड़ी, चाटकी 'अब्दुल्लापुर, सोन्धेवास, बूढेडा, झबीरन, मुर्तजापुर, दबकौरा, साहवा मजरा, गोकुलपुर आदि गांव में सड़क बहुत खराब है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहूँगा कि उक्त ग्रामों की खराब पड़ी सड़कों का सुधार कराने की कृपा करेगी।

मान्यवर, सरकार ने पेयजल के भी लोक लुभावने वायदे किये हैं लेकिन विधान सभा क्षेत्र सरसावा में तीन फैक्ट्री है, जिसमें दो चीनी मिल, एक सरसावा चीनी मिल व दूसरी विडबी चीनी मिल है तथा पिलखनी में एक डिस्टलरी है जिसका दूषित जल एक नाले के द्वारा लगभग 75 ग्रामों क्रमशः ब्राह्मण मजरा, जयरामपुर, विदपुर, अलीपुरा, ननवाखेड़ी, सरसोंहेडी, धलापड़ा, बुडेढ़ा, झबीरन, गदरहेडी, साल्हापुर, भटपुरा, नवादा, मधौर, काजीवास, नरायण आदि गांवों में इस नाले के पानी से चाहे वह नलकूप हो अथवा हैण्डपम्प सबका पानी लाल रंग का निकलता है। मानो यह पानी जमीन के 100 या 150 फीट नीचे से न आकर उस नाले से आ रहा हो। उसका पानी पिया नहीं जा सकता। जो लोग मजबूरी में पी रहे हैं वे सब भिन्न-भिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं जैसे पीलिया, डायरिया, नेत्ररोग यहां तक कि कुछ लोग तो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ऐसी भीषण दूषित पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार यहां पर ओवर हैड टैंक (टंकी) बनवाकर पानी की व्यवस्था करे एवं इन फैक्ट्रियों के पानी को शुद्ध करने का संयंत्र लगवा कर उसे सिंचाई योग्य कराने की कृपा करेगी।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

अवसर हेतु माननीय अध्यक्ष जी का आभार। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट पर व्यक्त किये गये विचारों से अपने को संबद्ध करते हुए, मैं अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूँ।

बजट में महापुरुषों के स्मरण के क्रम में आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 अम्बेडकर व पं0 दीनदयाल का जिक्र नहीं है।

केन्द्र सरकार के अनुदान-विश्व बैंक के कर्जे पर आधारित बजट है इसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं है। सैफई, हैवरा, रामपुर की जिला पंचायत का बजट है। बेरोजगारों को बड़ी सफाई से फिर छला गया है। एक बार फिर घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में संसाधन कहां से लायेंगे, कर्ज का भंवरजाल है, विकास कहां से होगा ? इस बारे में सरकार मौन है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की गयी है।

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य कर्मचारियों के डी0 ए0 के 50 प्रतिशत मर्जर के बारे में सरकार के मौन रहने से कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने अपने पिछले संकल्प कि प्रदेश में वैट लागू नहीं करेंगे, इसकी घोषणा नहीं करके व्यापारी वर्ग के मन में भ्रम/अविश्वास पैदा कर दिया है।

उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आयुर्वेदिक व यूनानी कालेज, मेडिकल कालेजों के शिक्षकों के रिक्त पदों तथा लोक सेवा आयोग में लंबित अधियाचना से कब तक पद भरेंगे इस पर कोई संकल्प न होने से शिक्षा के प्रति सरकार के रुख का पता लग गया है। मानदेय शिक्षकों के विनयमितीकरण पर भी सरकार ने कुछ नहीं कहा है।

- अल्पसंख्यक केवल रामपुर जनपद में हैं, ऐसा आभास कराया गया है।
- पर्यटन उद्योगों के विकास हेतु कुछ नहीं।
- सिनेमा घरों को बचाये रखने के बारे में कोई संकल्प नहीं।
- ताल सुधार गृहों की व्यवस्था सुधार, विकलांग रोजगार के लिये कुछ नहीं।
- रिक्शे वाले भी जाति के आधार पर बांटे, ठेला, पटरी, खोमचे, टैम्पो-टैक्सी वालों के मन में इस बजट से घोर निराशा।
- समग्र ग्रामीण विकास योजना मानो गुमनामी के अंधेरे में चली गई है।
- डेढ़ वर्ष हो गया, रिलायन्स बिजली प्रकरण में प्रदेश के पर्यावरण, सिंचाई विभाग तथा भारत सरकार के पर्यावरण विभाग की अनापत्ति मात्र 2 वर्ष में बिजली देंगे, 2/- यूनिट देंगे-फिलहाल मृग मरीचिका है।
- उ0प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक सदन में लाने की भावना को चोट, पिछले वर्ष 4.4 प्रतिशत अगले साल 5.3 प्रतिशत देने की बात थी, दी नहीं।
- बजट में कहीं वित्तीय अनुशासन कड़ाई से लागू करने के बारे में इच्छा-शक्ति का अभाव।
- बजट को विकासोन्मुखी बनाने की रणनीति बनाने की आवश्यकता नियोजन में सुधार आवश्यक। कड़वे निर्णय आवश्यक।

- बार-बार कर लगाना फिर असंतोष फिर वापस, यही सरकार मानसिक दिवालियेपन की द्योतक।
- संसाधन जुटाने हेतु विधान सभा व शासन की संयुक्त कमेटी बने जो करदाता वर्ग के प्रतिनिधियों से वर्तमान लगे करों की वसूली बढ़ाने एवं पारदर्शिता के साथ लेने की रणनीति बनाने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सुविचारित कर लगाने का सुझाव दे।
- पहले टर्न ओवर टेक्स। अब विकास कर-सरकार विचार करे कि उत्तरांचल, हरियाणा, दिल्ली से पहले ही हमारा उत्पादन कर के बोझ के कारण मंहगा। अब और मंहगा। तो हमारे उत्पाद कौन खरीदेगा उद्योग अब मर जायेगा तो मूल टेक्स भी चला जायेगा।

  1989 में स्थापित सिडवी कार्यालय कानपुर से बम्बई जा रहा है, रोका जाना चाहिए।

  160 करोड़ पिकप/यू0पी0एफ0सी0 घाटे में तो उद्योगों को क्या होगा ? ऋण-नीति को व्यावहारिक/युक्तसंगत बनाया जाये।
- दिल्ली में योजना आयोग को आश्वासन 1,000 करोड़ अतिरिक्त संसाधन जुटायेंगे उसका कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। 10,000 करोड़ केन्द्र से मांगा-11,500 करोड़ दिया-कहा कि 1,000 करोड़ आप जुटाओं तो 1,000 करोड़ और। कोई नया कर नहीं तो कहां से जुटाएंगे ?

निवेश का मायाजाल

- मायावती ने हिन्दूजा समूह को राजी किया-दिल्ली के निकट हवाई अड्डा।
- मायावती जी ने अप्रवासियों को दिया निवेश का न्योता।
- निवेश का उपयुक्त वातावरण बनाने में लगे मुख्य मंत्री। सख्त कदमों से निवेश में बढ़ी दिलचस्पी।
- कुमार मंगलम् प्रदेश में पूँजी निवेश बढ़ायेंगे सीमेन्ट, ऊर्जा, उर्वरक 25-10-03।
- प्रदेश की नयी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना घोषित (उ0 प्र0 विकास) परिषद की दूसरी बैठक 9-11-03।
- वित्त निगम 20 करोड़ तक की मदद करेगा (घाटे में खुद)।
- उ0 प्र0 में निवेश कर रुझान बढ़ा। दक्षिण कोरिया के पूँजी निवेश पर आभार (मुलायम)।
- 25 करोड़ से अधिक की परियोजना को जिले में मंजूरी-क्या प्रदेश में हुई है ? सुजीत बनर्जी, आई0डी0सी0।
- यू0 पी0 के लिए 2004 में प्रदेश में भारी मात्रा में पूँजी निवेश करें। बजट कोई गीता-कुरान नहीं जो अमिट-सुझाव आयेगा, परिवर्तन करेंगे। क्या कोई सुझाव आया ? 22-2-04।

  बम्बई में अनिवासी भारतीयों के मेले में सपने बेचेगी मुलायम सरकार, ब्रांड अम्बेसडर उ0 प्र0 विकास परिषद के अध्यक्ष।
- बर्बादी के कगार पर बैठा वस्त्रोद्योग/बुनकर/हथकरघा। केवल बिजली की छूट। कताई मिलों को न तो चालू किया, न ही निजी क्षेत्र में दिया।

– बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के नये मानक तय।

जब अन्य भर्तियों पर से प्रतिबन्ध हटाया तो प्रदेश में सफाई कर्मचारी की भर्ती से प्रतिबन्ध क्यों नहीं हटा रहे ?

सांकेतिक प्रावधानों के आधार पर आज बजट, बाद में राज्य आकस्मिकता निधि से व्यय-यह भी छलावा-लायन सफारी पार्क।

– 100 हैण्डपम्पों की घोषणा के लागू करने का प्रावधान नहीं।

– विकास की राशि खर्च नहीं कर पाते।

		शेष (करोड़)	
2002-03	7250	6597	653
2003-04	7728	6331	1397
2004-05	9661	8000	1661

कर्जा- 10 हजार करोड़ 116 हजार करोड़ पहुँचा 129 हजार करोड़ पहुँच जायेगा।

महिला	बनस्थली	1985	बु0 पी0 का 1200 से ऊपर लड़की	
-- 4 लाख	--2004-2005	2003-2004	2002-03	2001-02

2005-2006-5 लाख – राज्य आकस्मिकता निधि में

– हास्टल हेतु 2 करोड़

मूलतः इनका नहीं

जेन्डर बजटिंग का ढोल-जेन्डर बजटिंग मूलतः 2001-02 का मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का मूल सोच तथा महिला क्षेत्र का 1995-96

-- 2.82 प्रतिशत भाग को 3.89 प्रतिशत किया 1996 में योजना आयोग का सोच।

केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने जनवरी में ही भारत सरकार के 11 मंत्रियों को यह आग्रह किया था कि 33 प्रतिशत महिला क्षेत्र हेतु प्रावधान करें। रक्षा, ऊर्जा, संचार परिवहन, उद्योग को इस वर्ष छूट दी थी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

बजट 2005-2006

	करोड़ रु0
वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अनुमानित आय	67,494.10
व्यय	69,295.19
आय-व्यय का अन्तर (संचित निधि में घाटा)	1,801.09
सरकार को लोक लेखा निधि से मिलने वाली धनराशि	2339.30
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम	0538.21
किन्तु चालू वित्तीय वर्ष (2004-05) के घाटा पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार	1212.39
उपरोक्त घाटे को समायोजित करने के बाद बजट 2005-2006 का शुद्ध घाटा	0674.17
बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, परन्तु अतिरिक्त राजस्व आमदनी का लक्ष्य रखा गया है	1250.00

बिना किसी नये कर के 1250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त संसाधन जुटाना और राजस्व घाटे को कम करने की कल्पना कोई आसान काम नहीं।

(1) 18 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2005-2006 के बजट प्रस्ताव में ऋणग्रस्तता दर्शायी गयी है। रु0 1,29,154.91

(2) जबकि वर्ष 2004-2005 में ऋणग्रस्तता रु0 1,16,794.29

इसके अनुसार गत वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 6488.57 का ऋण भार था।

(3) वर्ष 2005-2006 में यह ऋण भार बढ़ाकर रु0 7175.27 हो जाएगा।

प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(1993-94 श्रृंखला, उत्तरांचल को छोड़कर)

(करोड़ रुपये में)

1993-94	80451.08
1994-95	94019.12
1995-96	106249.46
1996-97	127778.00
1997-98	137560.73
1998-99	153852.83
1999-2000	165324.21
2000-01	173668.82
2001-02	188687.08
2002-03	202903.95

प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति राज्य एवं राष्ट्रीय आय

	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)		राष्ट्रीय औसत के साथ अन्तर (प्रतिशत)
	उत्तर प्रदेश	भारत	
1993-94	5066	7690	34.1
1994-95	5767	8857	34.9
1995-96	6331	10149	37.6
1996-97	7524	11564	34.9
1997-98	7776	12707	38.8
1998-99	8469	14395	41.2
1999-2000	9065	15562	41.7
2000-01	9223	16707	44.8
2001-02	9749	17978	45.8
2002-03	10289	18825	45.3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मद	इकाई	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश का स्थान *
प्रति व्यक्ति आय (2001-02)	रुपये	9749	17978	14
साक्षरता (2001)	प्रतिशत	57.4	65.4	13
जन्म दर (2002)	प्रति हजार	31.6	25	14
मृत्यु दर (2002)	प्रति हजार	9.7	8.1	12
शिशु मृत्यु दर (2002)	प्रति हजार	80	64	12
मानव विकास सूचकांक (2001)		0.388	0.472	13
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (2000-01)	किलोवाट घण्टा	191	366	13
विद्युतीकृत गांव (1999-00)	प्रतिशत	79 (59)	86.3	
विद्युत सुविधा वाले गृह (1999-00)	प्रतिशत	37	60	
प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई (1998-99)	किमी0	99.2	147.4	13
एक हेक्टेयर से कम जोतें (1995-96)	प्रतिशत	75.4	61.6	11
विनिर्माण में श्रमिकों का प्रतिशत (1991)	प्रतिशत	7.75	10.03	10

*14 प्रमुख राज्यों में स्थान

बजट की दिशा क्या है ?

(1) कानून व्यवस्था में क्या सुधार हुआ ?

(2) ऊर्जा में क्या सुधार हुआ ?

(3) शिक्षा में क्या सुधार हुआ ?

नकल की प्रवृत्ति बढ़ी है।

(4) तुष्टीकरण की नीति।

(5) विकास योजनाओं में राजनीति।

(6) क्या डेढ़ वर्ष में प्रदेश में कोई नये उद्योग लगे ?

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बोर्ड के तबादलों में दखल देने से मन्त्रियों को रोका - पांच सदस्यीय समिति का गठन--

कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र

(1) गिरती कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ महानगर, लखनऊ कांग्रेस द्वारा धरना-प्रदर्शन, मुख्य मंत्री का पुतला फूंका गया।

(2) कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कथन - प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त, भ्रष्टाचार का बोलबाला।

परन्तु विधान सभा में कांग्रेस नेताओं द्वारा सरकार का समर्थन-प्रशंसा।

(3) केन्द्र की कांग्रेस-यू0 पी0 ए0 सरकार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम वि0 वि0 को पूर्ण अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करना।

III

रुपया जाता है।	रुपया	रुपया आता है।	
	1		
	2005-2006		
ऋण	6%	ऋण की वसूली	1%
पेंशन	7%	लोक लेखा शुद्ध	4%
पूंजीगत परिव्यय	13%	करेतर राजस्व	4%
अनुदान	14%	केन्द्र सरकार से अनुदान	8%
अन्य राजस्व व्यय	15%	लोक ऋण	24%
ब्याज	18%	केन्द्रीय करों में राज्यांश	28%
वेतन	27%	राज्य कर	31%

मंत्री घाटे पर खर्च बढ़ा

मंत्रियों की संख्या 94 से घटकर 60 हुई संवैधानिक बाध्यता के कारण परन्तु खर्चों में कमी नहीं आई है। मंत्रियों के वेतन भत्ते आतिथ्य सत्कार में वर्ष 2004-05 में 21.39 करोड़ रुपया था। यह तब है जब सरकार ने खर्चों पर अंकुश लगाने की घोषणा की है। वर्ष 2005-06 के बजट में 20.71 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त निगमों, प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, सलाहकारों पर व्यय अलग है। वर्ष 2004 के बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा था परन्तु पिछले वर्ष का कार्यकाल क्या दर्शाता है :--

(i) कानून व्यवस्था लचर, पूरी तरह ध्वस्त

(ii) अपहरण, हत्यायें, लूट बलात्कार की घटनायें-विधायक बसपा, विधान परिषद सदस्य की हत्या, कौशाम्बी के सपा नेता की हत्या, कौशाम्बी के सपा नेता की हत्या।

(iii) इलाहाबाद, कौशाम्बी में आपराधिक घटनाओं में बाढ़।

(बी) रोजगार दिया जाना संभव नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। वर्तमान बजट भाषण में रोजगार भत्ता देने का कोई जिक्र नहीं है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली की आपूर्ति बिजली में सुधार नहीं।

(ii) वर्ष 2004-05 में 6000 गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी इसमें क्या प्रगति हुई ।

(iii) गैस पर आधारित 3500 मेगावाट क्षमता के बिजलीघर की निजी क्षेत्र में स्थापना, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश सम्भावित।

निजी क्षेत्र में अभी तक कितना निवेश हुआ है क्या डेढ़ वर्ष में एक मेगावाट भी बिजली का उत्पादन बढ़ा है ? 2005-06 के बजट भाषण में कहा गया है कि रिलायंस इनर्जी लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे 3740 मेगावाट पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। सरकार का विद्युत उत्पादन आवश्यकता के संबंध में दिया गया उत्तर।

शिक्षा

(1) बजट में बेसिक शिक्षा व उस पर 1180 करोड़ रुपए की वृद्धि की बात कही गई है। उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है इन्हें कितना बजट दिया गया है ?

(अ) प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 76405 शिक्षकों के तथा 15319 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं इन्हें अविलम्ब भरा जाना चाहिए।

(ब) माध्यमिक कालेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी काफी शिक्षकों के पद रिक्त हैं जिनको भरने की आवश्यकता है।

(स) माध्यमिक कालेजों एवं डिग्री कालेजों को अनुदान सूची में लिए जाने की आवश्यकता है। बजट में इसके लिए कोई धनराशि नहीं रखी गई है।

(द) शिक्षकों की नियुक्तियां पारदर्शी व्यवस्था हो :--

1--मा0 शि0 सेवा चयन आयोग में 6 पेपर आउट

2--उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में बी0 एड0 में प्रवक्ता पद की नियुक्ति में पत्नी कंडीडेट थी व पति का एक्सपर्ट बनाया।

3--विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण 2004 चयन में धांधली

(य) परीक्षा-स्वकेन्द्र परीक्षा से नकल बढ़ी है।

(र) सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम) शिक्षकों की कम मानदेय शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

(ल) मानक न पूरे होने हुए भी बी0 एड0 खोलने की अनुमति प्रदेश में जुलाई 2003 से दिसम्बर 2004 तक 289 महाविद्यालयों को अनुमति। प्रदेश में धांधली, अनियमितता धन लेकर प्रवेश।

(व) प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज एण्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट-स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति न करके पार्ट टाइम शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। मानदेय भी कम दिया जा रहा है।

जाति, धर्म तथा वर्ग के भेद से ऊपर उठकर राज्य के विकास की बात सरकार करती है। परन्तु क्या वर्तमान सरकार ऐसा कर रही है।

[illegible] प्रदेश में बजट में अल्पसंख्यक [illegible] हितों, उर्दू एवं मदरसों के विकास के लिए तो कई योजनाएं [illegible] परन्तु संस्कृत, हिन्दी एवं संस्कृत विद्यालयों तथा इनमें कार्यरत शिक्षकों के विकास के सम्बन्ध में बजट में कुछ नहीं कहा गया है क्या यह उचित है ?

(ख) अल्पसंख्यकों के हितों में अनेक योजनाएं तथा घोषणाएं बजट में की गई हैं, जो उचित नहीं है।

किसानों के [illegible] कि गन्ने के हितों की बात कही गयी है ?

प्रदेश में जब सूखा पड़ा था-नहरों में पानी नहीं मिल रहा था, ऊर्जा संकट एवं कटौती के कारण ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे थे- किसान परेशान थे, ऐसे में सरकार ने क्या किया ?

गन्ना किसानों का 18 फरवरी, 2005 तक 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है [illegible] अभी भी गन्ना किसानों का लगभग 530 करोड़ रु0 अवशेष है। [illegible] करोड़ रु0 तथा पेराई सत्र 2002-03 का 520.35 करोड़ रु0 को [illegible]

गन्ना मूल्य

पेराई सत्र 2004-05 :	अगेती	112 रु0 क्यू
	सामान्य	107 रु0 क्यू
	अनुप्रयुक्त घोषित	104.50 रु0/क्यू
पेराई सत्र 2003-04 :	चीनी मिलों एवं सहकारी चीनी मिलों	रु0 95/क्यू
	निजी क्षेत्र	रु0 95/क्यू से कम दिया है।

भाजपा सरकार के समय 2001-02

रु0 100/क्यू

रु0 95/क्यू

चीनी का दाम 12-13 रु0/किलो (1200-1300 रु0/क्यू था)—

गन्ना चीनी मूल्य का अनुपात 1:13 था

सपा सरकार—2004-05

चीनी का दाम 21-22 रु0/किलो (2100-2200 रु0/क्यू)

गन्ना चीनी मूल्य का अनुपात 1.19.6 है।

यदि सरकार गन्ना किसानों की हितैषी है तो रु0 2200/13=170 क्यू मूल्य किसानों को दिया जाना चाहिए।

उत्तरांचल प्रदेश में 140 रु0/क्यू गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

मेडिकल कालेजों, आयुर्वेदिक, यूनानी कालेजों, होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी/(बजट में उपेक्षा)

होम्योपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय-4236

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा औषधालय-2210

होम्योपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय-1342

चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी/प्राइवेट नर्सिंग होम।

नगर निगमों एवं अन्य निकायों की दशा शोचनीय-कर्मचारियों को वेतन मुश्किल से मिल पा रहा है। सफाई कर्मचारी कम हैं।

महानगरों में सीवर व्यवस्था

उत्तर प्रदेश विकास परिषद

विकास एवं राजनीति

रामपुर-इटावा- प्रदेश के विकास, योजनाओं तथा विधायकों के क्षेत्रों के विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। परन्तु सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच अन्तर किया जा रहा है

(पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा रू0 25 लाख का प्रस्ताव)

राशि में वृद्धि की जावे-**पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश)**

पूर्व में स्वीकृत योजनायें।

(इलाहाबाद-सीवर कार्य)

केन्द्र व प्रदेश सरकार-महंगाई

पेट्रोल, डीजल, गैस मिट्टी का तेल चीनी के मूल्यों में वृद्धि।

बालू सीमेन्ट के दामों में वृद्धि।

राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों को महंगाई भत्ते

की दूसरी किश्त जुलाई, 2004 से 3 प्रतिशत, महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत धनराशि मूल वेतन में जोड़ा जाना।

श्री कैलाश चौरसिया--

आदरणीय महोदय, आपको सादर अवगत कराना चाहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ वह क्षेत्र अत्यंत ही पिछड़ा है और यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब इस क्षेत्र के लोग अन्य जनपदों एवं क्षेत्रों के लिए पलायन करना प्रारम्भ कर देंगे। इस क्षेत्र में ए.ी स्थिति पैदा हो गयी है कि लोगों के समक्ष रोजी-रोटी की दिक्कत पैदा हो गयी है। वहीं दूसरी ओर हमारे क्षेत्र में हजारों की संख्या में लगे श्रमिक एवं कर्मकार जो किसी तरीके से पत्थर की खुदाई एवं ढुलाई करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे, पाषाण नीति में परिवर्तन होने के कारण अब यह मजदूर बिलकुल बेकार एवं बेघर हो गये हैं। इस बिन्दु पर मेरा आपसे यह सुझाव था कि पाषाण नीति को श्रमिक हित में और लचीला बनाया जाये तथा पाषाण माफियाओं पर अंकुश लगाया जाये जिससे हजारों की संख्या में बेकार हो चुके मजदूर अपनी रोजी-रोटी से लग सकें। इसके अतिरिक्त यह नितांत आवश्यक हो गया है कि क्षेत्र में खुशहाली लाने एवं गरीबी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा प्रस्तावित संलग्न परियोजनाएं/योजनाएं आप को इस आशय के साथ प्रेषित है कि

प्रस्तावित परियोजनाएं/योजनाओं के पूर्ण होने के [illegible] हेतु [illegible] खुशहाल [illegible] अतः आपसे निवेदन करना है कि संलग्न परियोजनाओं/योजनाओं पर अपनी सहमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ।

परियोजना/योजना का नाम .

1-मेडिकल कालेज की स्थापना।

2-भटौली-कछवा मार्ग के ऊपर गंगा पुल का निर्माण कराया जाना।

3-ऊल बनाने का कारखाना।

4-बीड़ी एवं कालीन मजदूरों के लिए आवास।

5-राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना।

6-राजकीय महिला इण्टर कालेज की स्थापना।

7-विकास खण्ड-लालगंज, मिर्जापुर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना।

8-विकास खण्ड मझंवा, मिर्जापुर में कन्या डिग्री कालेज की स्थापना।

डा0 अरुण मेहरोत्रा-

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं प्रस्तुत बजट का विरोध कर रहा हूं। शब्दों के मकड़ जाल से एक शब्द निकाला गया है जेन्डर बजटिंग यह शब्द कहां से लिया है-यदि इसे यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट फण्ड फार वोमेन से लिया है जैसा कि यह उक्त के ब्रीचर में है तो कृपया यह भी सदन को बताने की कृपा करें कि इस यूनाइटेड नेशन्स फण्ड से कितना धन प्रदेश को प्राप्त होने वाला है। महिला हित में यह उचित होगा। जेन्डर बजटिंग पर यह भी जानना चाहूंगा कि वर्तमान मंत्रि-मण्डल में कितनी महिला मंत्री हैं तथा सदन में कितनी मा0 महिला सदस्या को बोलने का अवसर बजट चर्चा में मिला है ? बजट में यह नहीं बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के क्या प्रयास किये गये हैं ? आय के स्रोत भी गोपनीय हैं ? 674947 करोड़ की आय कहां से होगी ? किसान की बात की गयी बुन्देलखण्ड में किसानों को खाद, बीज, सिंचाई सुविधा, निजी नलकूप को बिजली के लिये क्या बजट प्राविधान है यह नहीं बताया गया बीहड़ सुधार कैसे होगा ? मछुआरा आवास में बुन्देलखण्ड क्षेत्र को क्या मिलेगा ? यमुना बेतवा पट्टी के मछुआरों को कितने आवास मिलेंगे ? सम्पूर्ण क्षेत्र से नौजवान शहरों को पलायन कर रहा है। बुन्देलखण्ड उद्योग शून्य है नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है इसी से दस्यु समस्या पनप रही है यदि रोजगार के अवसर हों तो कोई भी डकैत बनना नहीं चाहता। बुन्देलखण्ड में बुनियादी सुविधा जैसी कोई चीज नहीं, केन्द्र की योजनाएं की बात की गयी यह तो राज्य को लागू करना ही था। बुन्देलखण्ड में सिंचाई की सबसे ज्यादा समस्या है किसान हाहाकार कर रहा है इसके लिये बजट में कोई भी प्राविधान नहीं है पेयजल संकट के निवारण के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री ने बजट में कुछ नहीं कहा है। बुन्देलखण्ड में पशुओं की अन्न प्रथा प्रचलित है इसके लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं है जिससे खेत और किसान की रक्षा हो सके। खेत चरने से बचाया जा सके। बुन्देलखण्ड में कोई गांव नहीं है 7 जिले हैं प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। बुन्देलखण्ड को 100 करोड़ रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है। यह 1000 करोड़ होनी चाहिए एक गांव को 300 करोड़ और पूरे बुन्देलखण्ड के लिए 100 करोड़ मान्यवर क्या यही समाजवाद है, यही समान विकास है ?

बुन्देलखण्ड के साथ धोखा हुआ है। अन्याय हुआ है। बुन्देलखण्ड में कालपी-राठ मार्ग पर बेतवा में निनोढघाट पर पुल का निर्माण विकास के लिए अति आवश्यक है। इसकी मांग की जाती रही है किन्तु इसकी स्वीकृति नहीं दी गयी। आपने कहा कि वित्तीय संसाधनों का अभाव है इस बजट में भी इसका प्राविधान नहीं है, इसे सम्मिलित करा जाये। समूचे बुन्देलखण्ड में उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग हेतु कोई बजट प्राविधान नहीं है।

हाथ कागज में व्या कर अन्तराल के समय का अभी भी है इसे समाप्त करें।

कार्लीन निर्माता लिए कालपी में कार्लीन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु कोई प्राविधान नहीं है इसे सम्मिलित करें।

बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से मेरे क्षेत्र को 18 महीने से कुछ नहीं मिला। क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखें कालपी क्षेत्र को भी धन दें।

कालपी में 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र हेतु बजट दें।

योजना वित्तीय स्वीकृति की प्रतीक्षा में

किलाघाट-पीलाघाट की मरम्मत हेतु बजट देने की कृपा करें। अन्त में बजट का विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्या चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2005-2006 के साधारण बजट भाषण पर जो बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आभार व्यक्त करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गरीबों, मजलूमों, किसानों, बेरोजगारों पर बजट का प्राविधान किया है। परन्तु मैंने बजट भाषण को बडे ध्यान से पढा जो इससे परे है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, यहां बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं, उन कार्यों को कराने की कृपा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कार्य निम्न प्रकार हैं --

1-लड़कियों के लिये डिग्री कालेज नहीं है, वहां पर डिग्री कालेज बनवाने की मांग करती हूं।

2-आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर [illegible] बाजार से मेंहनगर होते हुए कम्हरिया तक चौड़ीकरण एवं पिच कराने की मांग करती हूं।

3-कम्मरपुर पसियां ब्लाक-टेकमा में असो नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।

4-ग्राम घिनहापुर में स्टेडियम के लिये स्वीकृत है, परन्तु धनाभाव के कारण आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए धन आवंटित करने तथा कार्य जल्द से पूर्ण कराये जाने की मांग करती हूं।

5-ग्राम सभा गौरा में आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए जमीन स्वीकृत है, वहां पर आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की मांग करती हूं।

6-रासेपुर में ब्लाक-तरवां में पशुचिकित्सालय हेतु पूर्व से जमीन स्वीकृत है, वहां पर पशुचिकित्सालय खोले जाने की मांग करती हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद प्रकट करते हुए और इस बजट का विरोध करते हुए, मै अपना बात समाप्त करता हू।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने अभी तक श्री राज्यपाल के अभिभाषण तथा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया है।

अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं के निदान हेतु निम्नलिखित विषयों को बजट सम्बन्धी कार्यवाही में सम्मिलित करने की कृपा करें :-

धर्म एवं संस्कृति की राजधानी काशी वाराणसी साड़ी के लिए विश्व विख्यात है, में भयंकर मंदी से व्यापारी एवं बुनकर दोनों की स्थिति खराब है। इस काम में लगे हुए लाखों गरीब बुनकर के हाथों को काम नहीं मिल पा रहा है जिससे उनके परिवार गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए ताकि कारोबार में लगे हुए लाखों लोगों को रोजी-रोटी प्राप्त हो सके। वाराणसी में विशेष कर मेरे दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल जलापूर्ति व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों को प्रदूषित जल की आपूर्ति हो रही है जिससे बहुत सारे लोग पेट की बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। दिनांक 20 फरवरी, 05 को राजकीय क्वींस इण्टर कालेज में कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत करीब 46 छात्राओं को 20-20 हजार रुपये का चेक वितरित किया गया लेकिन खेद का विषय है कि उनमें एक भी शहर के विद्यालय के छात्रा का नाम सम्मिलित नहीं था। इस योजना के अन्तर्गत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के इण्टर पास छात्राओं को सम्मिलित रूप से लाभ प्राप्त होना चाहिए। विकास सम्बन्धी जो कार्य कराये जा रहे हैं चाहे वह विधायक निधि अथवा अन्य किसी भी मद से उनमें कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गुणवत्ता एवं मानक का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही गुणवत्ता एवं मानक के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वाराणसी नगर की सभी सड़कों की दशा अत्यन्त खराब है उसके विशेष मरम्मत के तरफ विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। तीर्थ नगरी एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है। सभी 33/11 के0 वी0 एवं 132 के0 वी0 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि एवं कमच्छा स्थित पुराने भेलूपुर पावर हाऊस के विशाल भूखण्ड पर एक नया 132 के0 वी0 ए0 का सब स्टेशन का निर्माण आवश्यक है। ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के तहत जिन कार्यों के लिए लगभग 83 करोड़ रुपये स्वीकृत है उन कार्यों में कोई प्रगति नहीं की बावजूद इसके कि कई माह बीत गये हैं। वाराणसी नगर को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु मेरे द्वारा कई बार विधानसभा में विभिन्न नियमों के तहत समस्या को उठाया गया लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिसके लिए वाराणसी को प्राप्त विशेष दर्जा के तहत कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति अविलम्ब सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अपराध की दृष्टि से वाराणसी भी अपवाद नहीं है यहां हत्या, फिरौती, अपहरण एवं अन्याय आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जिस पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा नई कार्य प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। किन्हीं दुर्घटनाओं के कारण अथवा अन्य कारणों से जीवन गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने में समान नीति अपनाई जानी चाहिए तथा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर वाराणसी के सुन्दरीकरण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की दृष्टि से नई योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। गंगा नदी के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के कार्यों को गति देने की

[illegible]
[illegible] सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो कालोनियां हैं उनके निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कार्य योजना बनाने एवं सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए। नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार होने के बावजूद सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के स्थान पर घटोत्तरी हो रही है। इससे वाराणसी की सफाई व्यवस्था अत्यन्त चिन्तनीय दशा में है इसके निराकरण हेतु मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या में शासन द्वारा बढ़ोत्तरी हेतु अनुमति देना आवश्यक है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, नेता विरोधी दल से सम्बद्ध करते हुए नये बजट का विरोध करता हूं।

यह बजट लक्ष्यहीन, दिशाहीन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इन्टर कालेज, शिकारपुर जिसका निर्माण 1965 में हुआ था जिसमें निम्नलिखित विषय विज्ञान वर्ग, गृह विज्ञान व संगीत तथा एन0सी0सी0 विषय पढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान करके अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। नगर शिकारपुर में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन कार्य के रुके कार्य को पूर्ण कराकर चालू कराया जाय। जनपद-बुलन्दशहर खुर्जा से जहांगीराबाद मार्ग शिकारपुर से अनुपशहर मार्ग, बुलन्दशहर गढ़ रोड से बालका मार्ग, बुलन्दशहर अनुपशहर रोड से जमुनाठेठ मार्ग तथा मेरठ बदायूं रोड से सलेमपुर सिवाली मार्ग आदि मार्गों की मरम्मत करायी जाए जो टूटे-फूटे तथा क्षतिग्रस्त हैं। मध्य गंगा नहर खण्ड-10 बुलन्दशहर माह मई व जून, 2004 में लखवटी शाखा नहर व उसके राजबाहों व माइनरों की सिल्ट सफाई शासन की अनुमति से कराई गई थी लेकिन ठेकेदारों व लेबर का भुगतान न होने के कारण होली के त्योहार को मनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उनका भुगतान कराया जाय तथा किसानों ने जो अपनी भूमि नहर तथा राजबाहे के निर्माण के लिए दी थी उनका मुआवजा दिलाया जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी मुआवजा धनराशि नहीं दी गयी है। उनकी मुआवजा धनराशि उन्हें दिलाई जाए।

1998-1999 में असेवित विकास फण्ड योजना के अन्तर्गत मंजुला स्मारक की कांकर कन्या इण्टर कालेज, ऊंचागांव को पहली किस्त मिल गई है, दूसरी किस्त आज तक नहीं मिली है, उसकी दूसरी किस्त का भुगतान किया जाए। मान्यता प्राप्त जू0 हाई0 स्कूलों में त्रिभाषा (संस्कृत, उर्दू) पद पर कार्यरत अध्यापकों को गत छः वर्षों से वेतन नहीं मिला है। सरकार द्वारा शिक्षा को जमीन दी जाती है तथा सांसद तथा विधायक निधि का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए सबकी शिक्षा एक समान और निःशुल्क की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव हिन्नौर असावरी, रिवाड़ा, हजरतपुर, खखूड़ा आदि गांवों में वन विभाग से दस साल के एग्रीमेंट के आधार पर जमीन दी गयी थी लेकिन उसमें कटीलें बबूल झाड़ी लगी हुई है जिसमें अपराधी अपराध करके छुपते हैं उनको पकड़वाया जाए तथा उसमें भूमिहीनों को आवंटन कराया जाए।

समग्र ग्राम विकास ग्रामों को संतृप्तीकरण के लिए वर्ष 2003-2004 व वर्ष 2004-2005 में स्वीकृत ग्रामों के मार्गों की अनुमानित लागत 189.75 लाख व 60.67 लाख की जो मांग जिलाधिकारी द्वारा आई है उसकी स्वीकृति प्रदान करके मार्गों की मरम्मत कराई जाए ताकि समग्र गांव संतृप्त हो सके।

मेरी विधान सभा की सहकारी कताई मिल सहकारी नगर, बुलन्दशहर जो बंद पड़ी है को चालू कराया जाए

जिससे बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और राजस्व प्राप्ति भी होगी।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत सरकारी बस अड्डा/बस डिपो राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाए। खुर्जा बुलन्दशहर में चल रहे बाल श्रमिक के शोषण तथा उत्पीड़न के संबंध में जो सरकार से जांच कराई है उसमें दोषी पाये गये लोगों से जो धनराशि का गबन किया है उसको वसूल किया जाए तथा बाल श्रमिकों के लिए उस पर खर्चा करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए।

प्रदेश के सभी जनपदों में खाली पड़ी ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि का आंवटन समय-सीमा अवधि के आधार पर कराकर कब्जा दिया जाए।

मान्यवर, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कुछ ठोस कदम करने की आवश्यकता है। अपराध हों और प्राथमिकी दर्ज न हो इससे अपराध कम नहीं हो सकते। आज पुलिस बल की आयु सीमा में कमी करने की आवश्यकता है क्यों बदमाश की आयु 25-30 वर्ष है और 50-60 वर्ष का पुलिस वाला बदमाश का पीछा नहीं कर पाता है। लेखपालों व बाबुओं (क्लर्क) अध्यापकों के ट्रांसफर नीति में परिवर्तन करने से प्रदेश का विकास आगे बढ़ेगा। अनुसूचित जातियों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति अत्याचार उत्पीड़न, अंशपूंजी मेरिट उच्चीकृत योजना बुकबैंक योजना एस0सी0ए0 से एस0सी0पी0, एन0एस0ए0पी0 के अन्तर्गत ए0एस0सी0ए0 के रूप में केन्द्रीय योजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में आई धनराशि उन्हीं के मद पर खर्च की जाए।

राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पॉच जिले जनपद-बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत आदि शामिल किये गये थे क्योंकि दिल्ली पर जनसंख्या का वजन पड़ रहा था इसलिए प्रदेश के उपरोक्त जनपदों का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के माध्यम से कराया जाएगा जिसमें दूरसंचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था उद्योग तथा बिजली भी उनको दी जायेगी। उनका क्षेत्रफल भी निर्धारित किया गया था लेकिन आज तक मेरे जनपद-बुलन्दशहर का कोई विकास कार्य इसके अन्तर्गत नहीं हुआ है। योजना बनाकर विकास कार्य करवाया जाए क्योंकि हम दिल्ली को दूध, घी, गेहूँ, आटा, दलिया तथा पानी व गन्ना, चीनी तथा जवान मुहैया कराते हैं लेकिन हमें उसके बदल में वहाँ से पैदा होने वाली घृणित बीमारियों तथा अपराधों के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर जमीन का क्रय-विक्रय या वाहनों का क्रय-विक्रय किया जाए तो टैक्स भी और विक्रय कर भी रजिस्ट्री स्टाम्प आदि का खर्चा का भार हम पर दिल्ली के अनुसार लिया जाता है। वह सारी सुविधाएं हमें मुहैया करायी जाएँ जो दिल्ली आस-पास के नगरों को करायी गयी है।

मान्यवर, मैं रिक्शा चालकों का विरोधी नहीं हूँ लेकिन सरकार को रिक्शा चालकों के लिए रहन-सहन के अनुसार भवन मुहैया कराये जाएं तथा उनकी गिनती कराई जाए तथा हर गरीब व्यक्ति को फ्री रिक्शा सरकार दिलाये लेकिन आप तो माननीय लोहिया जी के अनुयायी हैं इन्सान को रिक्शा चलाने के लिए क्यों विवश कर रहे हैं उनको थ्री व्हीलर मुहैया करायें।

यह बजट जनता को गुमराह करने वाला बजट है गरीबों के लिए केन्द्र सरकार की योजना के अलावा कोई नई योजना लागू नहीं की गयी है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

हीरा लाल गौतम--

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2005-06 के साधारण बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिये जाने पर मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। जैसा कि आप अवगत ही है कि उ0प्र0 देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जहाँ पर तमाम महान सन्त महापुरुषों का सादर, सम्मान करते हुए पूर्व की सरकार ने इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न मदों में वित्तीय संसाधन को इकट्ठा कर अनेक समाजनुपयोगी/उन्नयन सम्बन्धी कार्यक्रम/योजनायें संचालित की थी। इसको जनता ने काफी सराहा था। परन्तु उसी नक्शे कदम की कुछ वर्तमान सरकार ने नकल करने का प्रयास तो किया लेकिन उसको सही मूर्ति नहीं दे सके। खेद का विषय है कि उ0 प्र0 के सर्वांगीण विकास हेतु वर्तमान बजट भाषण में जिस तरह से पूर्वांचल के लगभग 29 जिलों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था न करना सरकार की कथनी और करनी में अन्तर प्रतीत होता है। इतना ही नहीं जनपद-आजमगढ़ के मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरायमीर में पूर्व की बसपा सरकार ने विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृति कार्यों एवं उसके पक्ष में आवंटित धनराशि का विलोपन कर अन्यत्र समायोजित करना खेदजनक है जैसे :--

1--बरोना से बरी गांव तक लेपन का अवशेष कार्य।

2--फतुही से पिछोरा तक लेपन का अवशेष कार्य।

3--कमालपुर से बस्ती सम्पर्क मार्ग।

4--राजकीय बालिका इण्टर कालेज सरायमीर के भवन निर्माण।

5--राजकीय पशु चिकित्सालय के जीर्णोद्धार।

6--33/11 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र ग्राम गटाव के निर्माण हेतु।

7--राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना।

8--महुजानबादा में गन्ना मिल के पुनः शुभारम्भ के सम्बन्ध में।

9--विभिन्न लोक निर्माण विभाग के मार्गों के सुन्दरीकरण एवं जीर्णोद्धार।

इस तरह से वर्तमान बजट भाषण में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की विकास कार्यों सम्बन्धी योजनाओं की उपेक्षा की गयी है। अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से उपरोक्त कार्यों के धनावंटन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग करते हुए अपने दल के नेता बजट भाषण के सुविचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्रीमती अमीता सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की चर्चा पर, समय आभाव होने के नाते लिख कर देने का अवसर दिया। मैं मुख्य मंत्री को बधाई देती हूँ कि उन्होंने बड़े समय से एक लोक प्रिय बजट इस बार प्रदेश की जनता को दिया है। मुख्य मंत्री जी ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार को प्राथमिकता प्रदान की है। किसान, शिक्षक, शिक्षार्थी, बच्चे, महिलायें, नौजवान, संगठित व असंगठित श्रमिक समाज के विभिन्न वर्गों के लिये बड़े सकारात्मक कार्य-क्रम प्रस्तावित किये हैं। प्रदेश को व्यवस्थित और एक सम्पन्न राज्य बनाने की इच्छा जाहिर की है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही है। करीब-करीब

सोलह महीने से आप सरकार चला रहे हैं और इस दौर में दूसरी बार प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं। वैसे तो निकट अतीत को मध्य नजर रखते आने वाले समय का अंदाज लगाया जाता है। शायद मेरे विचार भी इस पर निर्भर करने चाहिये। इच्छायें आपकी प्रबल है, प्रदेश को विकसित बनाने की मनसा झलकती है, लेकिन कागज पर लिखी, किताबों में बंधी इच्छायें क्या प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा पायेगी ? एक जर्जर कानून व्यवस्था, शिथिल कार्यपालिका, असंतुलन से चल रही विकास योजनाएं, साम्प्रदायिक दंगें, जिले-जिले में चल रहे धरने, बिजली बिना अंधकार में जूझ रहा प्रदेश, बेरोजगारी की कुंठा में घूम रहा नौजवान, बन्द उद्योग, छोटे-छोटे स्थानों पर थानों में तहसीलों में सत्ता के नाम पर अनावश्यक दखल, महिलाओं का उत्पीड़न, अन्य बातों में, एक निराशा और असुरक्षा का वातावरण प्रदेश भर में फैला हुआ है। समाचार-पत्र प्रतिदिन रंगे रहते हैं, बलात्कार, अपहरण, हत्या, महिला उत्पीड़न सरकारी जमीनों पर कब्जे आदि। यहाँ तक कि हाल में निरन्तर सुरक्षा व्यवस्था माँगने वाले सम्माननीय विधायक राजू पाल की हत्या होती है। मुझे फिर भी आपसे अपेक्षा है कि इन सारी बातों पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जायेगा। और निश्चित ही आपकी सरकार अच्छी व्यवस्थायें देने के लिये प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान तीन-चार बातों पर आकर्षित करना चाहूँगी।

(1) जन-प्रतिनिधियों के चिट्ठियों का सम्मानपूर्वक, त्वरित जवाब दिये जायें।

(2) जिलों में चल रही विकास योजनाओं कि प्रगति और कार्यपूर्ति विधायकगणों को निश्चित सूचित की जाये।

(3) सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन करके विकास के नये रास्ते खोले हैं। यह एक उत्तर प्रदेश के इतिहास में आंद्रनीय कदम उठाया गया है। अनेक नियम और परम्पराओं को पीछे रखकर परिषद् बनाया गया है। मैं आपको बधाई देती हूँ और सभी उद्योग घरानों का स्वागत करती हूँ। साथ-साथ यह भी अपेक्षा करती हूँ कि जगदीशपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में जो हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री स्व0 राजीव गांधी जी ने खोले थे (बड़े-छोटे उद्योग) आज जो बन्द पड़े हैं, इनको भी चलाया जाय ताकि अमेठी के बेरोजगार नौजवान और भूमिहीन किसान को रोजी मिल सकें।

(4) मेरे विधान सभा अमेठी में भी मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि आपसे हमें यह सहयोग प्राप्त होगा।

(5) पिछले कई वर्षों से प्रदेश सरकारों में कुछ पुलों की मांग होती आ रही है।

(i) इस्माइलपुर-सवन्शी मार्ग-वि0ख0 भादर नाले पर पुल का निर्माण।

(ii) अमताही-बनवीरपुर मार्ग-वि0ख0 भादर मार्ग नाले पर पुल का निर्माण।

(iii) पीपरपुर-बोझवा-ग्राम पीपरपुर, वि0ख0 भादर के मध्य नाले पर पुल का निर्माण।

(iv) ग्राम कोरारी हीरशाह-मझना वि0ख0 भटुआ सम्पर्क मार्ग नाले पर पुल का निर्माण,

(v) ग्राम नेवढ़िया खरगपुर वि0ख0 भादर सम्पर्क मार्ग पर नाले पर पुल का निर्माण,

(vi) ग्राम धोरहरा वि0ख0 संग्रामपुर नाले पर पुल का निर्माण,

(vii) ग्राम त्रिलोकपुर वि0ख0 अमेठी के सामने गुलालपुर ड्रेन पर पुल का निर्माण,

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आपने बहुत सारी योजनाएं लाये हैं, आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं।

मेरे पूज्य ससुर जी जो इस सदन के और परिषद् के भी अनेकों बार सदस्य रहे, उनका अनुकरणीय योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। मान्यवर, आप इससे भली-भाँति परिचित हैं। उनके नाम पर हमने वि0ख0 भादर में अमेठी के बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिये एक डिग्री कालेज प्रस्तावित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका इसमें पूरा-पूरा सहयोग अमेठी की जनता को प्राप्त होगा। आवश्यकता के आधार पर बढ़ावा दिया जाय न केवल व्यक्तित्व के आधार पर। आपकी सोच साकारात्मक है विश्वास है कार्य भी रचनात्मक होंगे। मैं स्वयं एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हूं और अमेठी विधान सभा में एक स्टेडियम प्रस्तावित हुआ था। ग्राम्य जंगल रामनगर में। जल्दी-जल्दी में उसका उद्घाटन जरूर कराया गया लेकिन अनेक काम अभी अधूरे पड़े हैं। मैं आपसे आशा करती हूं कि इस अधूरी योजना को आप द्वारा पूरा किया जायेगा। अंत में मैं आपको इस बजट पर बधाई देती हूं और अपना समर्थन प्रदान करती हूं।

धन्यवाद।

पी०एस०यू०पी० प्लन० 54 विधान सभा (425) 29-6-05-813 प्रतियां (डी०टी०पी०)।